एकादश माला, खंड 9, अंक 6

गुरुवार, 27 फरवरी, 1997
8 फाल्गुन, 1918 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र (भाग-I)

(ग्यारहवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 56
Date 12.12.97

(खण्ड 9 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रुपये

लोक सभा वाद विवाद
(हिन्दी संस्करण)

गुरुवार, 27 फरवरी, 1997/ 8 फाल्गुन, 1918 (शक)

का

शुद्धि पत्र

कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
25	3	श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी	लैफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मणि त्रिपाठी
30	3	श्री तारीक अनवर	श्री तारिक अनवर
126	21	(ख) से (ङ)	(ख), (ग) और (ङ)
202	नीचे से 12	(घ)	(घ) और (ङ)
270	नीचे से 16	(घ)	(च)

सम्पादक मण्डल

श्री एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

श्री सुरेन्द्र मिश्र
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्रीमती रेवा नैयर
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्रीमती वन्दना त्रिवेदी
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

श्रीमती अरूणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[एकादश माला, खंड 9, चौथा सत्र, 1997/1918 (शक)]

अंक 6, गुरूवार, 27 फरवरी, 1997/8 फाल्गुन, 1918 (शक)

विषय	कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 81, 82, और 84 से 86	3—28
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 83 और 87 से 100	29—52
अतारांकित प्रश्न संख्या 858 से 1087	52—284
सभा पटल पर रखे गए पत्र	285—289
नियम 377 के अधीन मामले	315—319
(एक) ऊर्जा उत्पादन के लिए आधारभूत क्षेत्र को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता	
प्रो॰ अजित कुमार मेहता	315
(दो) नारियल गिरी के लिए घोषित समर्थन मूल्य की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता	
श्री टी॰ गोविन्दन	316
(तीन) उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता	
श्री बृज भूषण तिवारी	316—317
(चार) पंजाब पर बकाया विशेष आवधिक ऋण को माफ किए जाने की आवश्यकता	
प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा	317
(पांच) मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले में नया रेलवे जोन बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री पुन्नू लाल मोहले	317
(छः) कर्नाटक में बेल्लारी में फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की इकाई स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्री के॰सी॰ कोंडय्या	317—318
(सात) उड़ीसा के बेतरा समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता	
श्री के॰पी॰ सिंह देव	318
(आठ) उत्तर प्रदेश में विशेषकर बुलन्दशहर जनपद के गन्ना किसानों को गन्ने की बकाया धनराशि का भुगतान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री छत्रपाल सिंह	318—319
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	319—338, 340—380
श्री एम॰ रामनाथन	320—327
श्री प्रमथेस मुखर्जी	327—331
श्री चमन लाल गुप्त	331—338
श्री जय प्रकाश	340—343
डा॰ प्रवीन चंद्र शर्मा	344—350
डा॰ एम॰ जगन्नाथ	350—351

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी	351—353
श्री मानवेन्द्र शाह	353—355
श्री पी॰ नामग्याल	355—358
श्री ई॰ अहमद	358—362
श्री एन॰ डेनिस	362—365
श्री सैयद मसूदल हुसैन	365—370
श्री अनंत कुमार	370—380
श्री चित्त बसु	380

मंत्री द्वारा वक्तव्य

गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन सेवाओं के बारे में

श्री बेनी प्रसाद वर्मा	339

लोक सभा

गुरूवार, 27 फरवरी, 1997/8 फाल्गुन, 1918 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ।। बजे समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, मैंने कार्यसूची देखी है। मद संख्या 14, 16 और 17 वित्त मंत्रालय से सम्बन्धित तीन विधेयकों के बारे में है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न काल है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह प्रश्न काल है किन्तु यह कार्यसूची से सम्बन्धित है जो कि प्रश्न काल से भी पूर्व ली जानी चाहिए। मेरा मुद्दा यह है कि इन सभी विधेयकों को वित्त मंत्रालय सम्बन्धी स्थाई समिति को भेजा जाए जो कि एक सामान्य प्रक्रिया है। मैं आपको बता दूं कि हम मध्य फरवरी में वित्त मंत्रालय से सम्बन्धित स्थाई समिति के साथ पुनर्निर्माण बैंक विधेयक और निर्यात-आयात बैंक विधेयक पर चर्चा करने के लिए मुम्बई गए थे। मुझे इस बात का आश्चर्य है कि उन्हें स्थाई समिति को भेजे बिना कार्यसूची में सम्मिलित किया गया है। मैं समझता हूं कि इन्हें अविलम्ब स्थाई समिति को भेजा जाए।...*(व्यवधान)*

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी (हावड़ा) : हम इसका पूर्णतया समर्थन करते हैं। श्री पी॰ चिदम्बरम को आज इस विधेयक को वापस लेना चाहिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : सामान्य प्रक्रिया यह है कि जब विधेयक पुरःस्थापित किए जाते हैं तो इन्हें स्थाई समिति को भेजा जाता है।...*(व्यवधान)* यदि माननीय अध्यक्ष महोदय यहां होते तो उन्होंने अविलम्ब ऐसा कर दिया होता।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं मामले की छानबीन करूंगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : सामान्य प्रक्रिया यह है कि विचार करने से पूर्व इस प्रकार के विधेयक स्थाई समिति को भेजे जाते हैं।

[हिन्दी]

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : किसी ढंग से सदन की आम राय नहीं ली गई है।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : श्री निर्मल कान्ति चटर्जी का कथन ठीक है। हमने समझा कि यह स्थाई समिति के पास जाएगा और फिर वापस आएगा। हमने आज सूची देखी है। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि मुझे इसका विरोध करना पड़ेगा। मेरी पार्टी के सभी 140 सदस्य इसका विरोध करेंगें। वे इसका समर्थन नहीं करेंगे।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाईये।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : क्या मैं यह बता दूं कि हम बम्बई गए थे? ये लोग वहां आए थे।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो॰ रासा सिंह रावत (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी बिल अगर आता है तो पहले स्टैंडिंग कमेटी को जाना चाहिए और वहां से उस पर विचार-विमर्श होने के बाद इस सदन के अंदर आना चाहिए। इसलिए हम लोग भी यही अनुरोध करते हैं कि यह बिल सीधे नहीं आना चाहिए। इसे वापस लिया जाए और इसे स्थाई समिति को भेजा जाना चाहिए।

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : हम भी पूरा समर्थन करते हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे यह सूचित किया गया है कि सामान्यतः वे विधेयक जो अध्यादेश का स्थान लेते हैं, स्थाई समिति को नहीं भेजे जाते।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : ऐसा नहीं है क्योंकि बीमा विनियामक विधेयक स्थाई समिति को भेजा गया है। हम मामले से अवगत हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं इसकी जांच करूंगा।

(व्यवधान)

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : इस अध्यादेश विशेष पर स्थाई समिति से विचार नहीं किया गया था।...*(व्यवधान)* यह कामगारों के विरूद्ध है।

[हिन्दी]

प्रो॰ रासा सिंह रावत : कोई भी बिल वगैरह आता है तो उस पर स्थाई समिति में विचार-विमर्श होता है और स्थाई समिति में विचार-विमर्श होने के बाद...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न काल है। मैं इस मुद्दे को प्रश्न काल के बाद लूंगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : स्थाई समिति के अध्यक्ष आज नहीं आए हैं। वह मुम्बई हो कर आए हैं। उन्हें मामले की जानकारी है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो॰ रासा सिंह रावत : ये सारी चीजें इसके अन्दर समाहित होनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : मंत्री महोदय को विधेयक वापस लेना चाहिए...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : एक समय पर केवल एक सदस्य को ही बोलना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री चित्त बसु : वह कहते हैं कि यह विषय विशेष विचाराधीन है। आई॰आर॰बी॰आई॰ तथा भारत के आयात-निर्यात बैंक के अध्यक्ष ने पहले ही अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं। सदस्य सुन रहे हैं। मामले का निबटन नहीं किया गया है...*(व्यवधान)* अतः, मेरा अनुरोध है कि अभी इस मामले पर चर्चा चल रही है, इसलिए मेरा मत है कि रिपोर्ट सदन के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए। उस रिपोर्ट के आधार पर ही चर्चा होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल के पश्चात् मैं इस बारे में निर्णय लूंगा। अब कृपया बैठ जाइये।

[हिन्दी]

प्रो॰ रासा सिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, अब एक मिनट हमारी बात हो जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : हो गई बात। क्वैश्चन-आवर के बाद इसको तय कर लेंगे।

श्री मुखतार अनीस (सीतापुर) : महोदय, समय बरबाद हो रहा है। इस बारे में क्वैश्चन-आवर के बाद तय कर लिया जाए।

पूर्वाह्न 11.08 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के लिये वेतन सीमा

+

*81. **श्री वी॰वी॰ राघवन** :

डा॰ कृपासिन्धु भोई :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना में कर्मचारियों को शामिल करने के लिए वेतन सीमा को 3000 रुपये से बढ़ाकर 6500 रुपये करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस तरह का निर्णय लेने से पहले कर्मचारी संगठनों अथवा विशेषज्ञों से भी विचार-विमर्श किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इस योजना में शामिल किये जाने वाले अतिरिक्त कर्मचारियों की राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या वर्तमान संख्या की तुलना में कितनी है;

(च) इस योजना के अधीन दी जा रही वर्तमान चिकित्सा सुविधाएं क्या हैं तथा इसके अंतर्गत बढ़ते जा रहे कर्मचारियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए क्या अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है; और

(छ) वर्तमान में ई एस आई औषधालयों/अस्पतालों की स्थिति में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) से (छ) एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

4-10-1996 की आयोजित प्रमुख राज्यों के श्रम मंत्रियों के सम्मेलन की एक बैठक में क॰रा॰बी॰ योजना के अधीन व्याप्ति के लिए मजदूरी की अधिकतम सीमा को 3000/- रु॰ प्रतिमाह से बढ़ाकर 6500/-रु॰ प्रतिमाह करने की सिफारिश की गई थी। क॰रा॰बी॰ निगम, जो कि एक त्रिपक्षीय निकाय है जिसमें अन्यों के साथ-साथ चिकित्सा व्यवसाय से सम्बद्ध विशेषज्ञ और केन्द्रीय व्यवसाय संघ संगठनों के 10 प्रतिनिधि होते हैं, ने भी 5-10-96 को आयोजित अपनी बैठक में इस प्रस्ताव पर विचार किया और इसे अनुमोदित कर दिया। केन्द्रीय सरकार ने सिफारिश को स्वीकार करते हुए क॰रा॰बी॰ योजना के अधीन मजदूरी की अधिकतम सीमा को 3000/-रु॰ प्रति माह से बढ़ाकर 1.1.1997 से 6500/- रु॰ प्रतिमाह कर दिया है।

क॰रा॰बी॰ योजना के अधीन शामिल बीमित व्यक्तियों की वर्तमान संख्या और शामिल किए जाने वाले अतिरिक्त कर्मचारियों की संख्या से संबंधित सूचना **अनुबंध** में दी गई है। पूरे देश में क॰रा॰बी॰ लाभानुभोगियों को चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से क॰रा॰बी॰ निगम ने 124 अस्पताल, 42 एनेक्सी, और 1440 औषधालय स्थापित किये हैं। इन अस्पतालों/औषधालयों में दी जा रही सुविधाएं अतिरिक्त कर्मचारियों की चिकित्सकीय देखभाल के लिए पर्याप्त समझी गई हैं क्योंकि ये सभी कर्मचारी क॰रा॰बी॰ योजना में पहले लाभानुभोगी थे किन्तु इनकी मजदूरी में धीरे-धीरे बढ़ोत्तरी हो जाने के कारण वे इसकी व्याप्ति से बाहर हो गए थे।

दिल्ली और नोएडा को छोड़कर क॰रा॰बी॰ अधिनियम के अधीन चिकित्सकीय देखभाल के प्रशासन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों की है। क॰रा॰बी॰ निगम ने क॰रा॰बी॰ अस्पतालों/औषधालयों में पर्याप्त दवाइयां, उपकरण, स्टॉफ आदि मुहैय्या कराने के लिए मानक निर्धारित किए हैं। चिकित्सकीय देखभाल पर होने वाले व्यय को क॰रा॰बी॰नि॰ और राज्य सरकार के बीच 7:1 के सम्मत अनुपात में वहन किया जाता है। अस्पतालों के भवनों और महंगे उपकरणों की खरीद से संबंधित व्यय को पूरी तरह से क॰रा॰बी॰ निगम द्वारा पूरा किया जाता है।

क॰रा॰बी॰ चिकित्सकीय देखरेख की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए क॰रा॰बी॰ निगम ने चिकित्सकीय देखरेख पर होने वाले व्यय की अधिकतम सीमा को 1.4.97 से 410 रु॰ से बढ़ाकर 500/- रु॰ प्रति बीमित व्यक्ति प्रति वर्ष करने का निर्णय लिया है। निगम ने हाल ही

में क·रा·बी· अस्पतालों में नवीनतम आधुनिक उपकरण मुहैया करा कर अस्पताल की सुविधाओं को उन्नत करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया है। व्यावसायिक बीमारियों के उचित निदान और देखरेख के लिए निगम ने अपने पूरे खर्च पर 4 व्यावसायिक बीमारी केन्द्रों की भी स्थापना की है जिनमें से प्रत्येक दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बीमित व्यक्तियों को उचित चिकित्सकीय देखरेख प्राप्त होती रहे। निगम ने एक सामान्य प्रयोजन उप समिति का गठन किया है जो कि प्रत्येक वर्ष क·रा·बी· निगम और 2 या 3 राज्यों में स्थित औषधालयों के दौरे करती है। समिति द्वारा इंगित की गई कमियों को उचित उपचारात्मक कार्रवाई हेतु संबंधित राज्य सरकार की जानकारी में लाया जाता है।

अनुबंध

क·रा·बी· योजना के अधीन मजदूरी सीमा को बढ़ाए जाने से विद्यमान और शामिल किए जाने के लिए संभावित अतिरिक्त कर्मचारियों के ब्यौरे—राज्यवार

क्र·सं·	राज्य/के·शा·प्रदेश के नाम	विद्यमान व्याप्ति	संभावित अतिरिक्त व्याप्ति
1.	आंध्र प्रदेश	3,57,500	50,000
2.	असम	40,850	3,000
3.	बिहार	1,28,500	15,000
4.	चण्डीगढ़	24,150	2,000
5.	दिल्ली	3,18,900	45,000
6.	गोवा	36,050	5,000
7.	गुजरात	5,48,500	80,000
8.	हरियाणा	2,86,000	36,000
9.	हिमाचल प्रदेश	29,450	2,000
10.	जम्मू और कश्मीर	11,900	1000
11.	कर्नाटक	5,01,850	75,000
12.	केरल और माहे	3,86,400	50,000
13.	मध्य प्रदेश	1,77,400	25,000
14.	महाराष्ट्र	10,74,700	2,00,000
15.	उड़ीसा	1,18,200	15,000
16.	पांडिचेरी	18,900	1,00
17.	पंजाब	3,65,850	45,000
18.	राजस्थान	2,34,100	35,000
19.	तमिलनाडु	8,18,500	1,15,000
20.	उत्तर प्रदेश	4,04,400	50,000
21.	पश्चिम बंगाल	7,31,300	1,10,000
		66,13,400	9,60,000

श्री वी·वी· राघवन : उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मैं यह नहीं जानता कि माननीय श्रम मंत्री अनुपस्थित क्यों हैं। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका उत्तर श्रम मंत्री महोदय को देना अनिवार्य है। फिर भी मैं प्रश्न करता हूं।

ई·एस·आई· अस्पतालों और औषधालयों की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। इन अस्पतालों और औषधालयों में कार्यरत डाक्टर और कर्मचारी किसी के प्रति जवाबदेह नहीं हैं। ई·एस·आई· योजना एक केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत चलाई जाती है। न तो निगम और न ही राज्य सरकारें इन अस्पतालों की देखरेख करती हैं। यदि धरा पर नरक कहीं है तो आप इसे यहां देख सकते हैं। इस प्रकार की दयनीय स्थिति इन अस्पतालों और औषधालयों में व्याप्त है। औषधियों का स्तर भी घटिया है। डाक्टरों और कर्मचारियों की सेवाऐं भी गैर-जिम्मेदाराना हैं और कामगार इससे लाभान्वित नहीं होते। क्या सरकार इन अस्पतालों और औषधालयों के संचालन के बारे में निगम पर निगरानी रखने का कोई उपबन्ध करेगी।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : किन्तु मैं समझता हूं कि लगभग 33 प्रतिशत को कवरेज दी गई है...*(व्यवधान)*

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : मैं इससे सहमत नहीं हूं—मैं यह नहीं कहता कि यह आरोप है—उनकी यह शिकायत कि अस्पताल अथवा चिकित्सा केन्द्र भलीभांति कार्य नहीं कर रहे हैं। मेरे पास रिपोर्ट है। मैं संतुष्ट हूं कि चिकित्सा केन्द्र और अस्पताल भलीभांति कार्य कर रहे हैं। लेकिन कुछ शिकायतें अथवा कुछ मामले हो सकते हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : पहले उन्हें उत्तर देने दें।

श्री रमेन्द्र कुमार : उन्हें अस्पताल की कार्यप्रणाली का कोई अनुभव नहीं है...*(व्यवधान)*

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : पहले मुझे उत्तर देने दें। उदाहरणार्थ हमारे पास 23,470 बिस्तरों का प्रावधान है। हम इस स्थिति में हैं कि यदि इस योजना के अन्तर्गत दस लाख लोग और आ जाऐं तो हम उनका समावेश भी कर सकते हैं। माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या कोई पर्यवेक्षक स्टाफ भी है। हमारे पास संयुक्त पर्यवेक्षण चिकित्सा आयोग है। ई·एस·आई· की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने का दायित्व राज्य सरकारों पर है। अतः मैं सदन को बताना चाहूंगा कि मेरे विचार में कहीं कोई कमी, कमजोरी और दायित्व निर्वहन की कमी नहीं है। सभी कुछ ठीक चल रहा है।

श्री वी·वी· राघवन : मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि जब भी समय मिले वे कुछ अस्पतालों में जाएं।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : ठीक है।

श्री वी·वी· राघवन : मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि कुछ रूग्ण इकाईयां हैं...*(व्यवधान)*

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : एक मिनट। मैं कोई प्र न नहीं पूछ रहा हूं। मेरा अनुरोध यह यह है कि ई·एस·आई· अस्पतालों की स्थिति

से सम्बन्धित इस गम्भीर प्रश्न का उत्तर श्रम मंत्री महोदय को देना चाहिए। अतः मेरा सुझाव यह है कि आधा-घंटे-की-चर्चा अथवा अन्य किसी नियम के अधीन पूर्ण चर्चा, श्रम मंत्री महोदय की उपस्थिति में की जाए। यही मेरा अनुरोध है।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले उन्हें बोलने दें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : महोदय, उन्हें दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछने दें।

श्री वी॰वी॰ राघवन : निजी और सरकारी श्रेत्र में कुछ रूग्ण इकाईयां हैं। वे रूग्ण इकाईयां ई॰एस॰आई॰ योजना के प्रावधानों को लागू करने की स्थिति में नहीं हैं। कुछ इकाईयां ऐसी हैं जो कामगारों/कर्मचारियों को ई॰एस॰आई॰ की अपेक्षा अच्छी सुविधाऐं प्रदान करती हैं। इस कारण क्या सरकार इन इकाईयों को ई॰एस॰आई॰ योजना से छूट देने के कुछ प्रावधान करेगी?

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : सरकार सदैव गम्भीर रही है। हम ई॰एस॰आई॰ योजना में अधिकाधिक कर्मचारियों को शामिल करना चाहते हैं। इसीलिए हमने वेतन सीमा 3000 से बढ़ाकर 6500 रुपए कर दी है।

जहां तक रूग्ण इकाईयों का सम्बन्ध है, यदि कोई मामला मेरे ध्यान में लाया जाता है तो मैं अथवा मेरे सहयोगी अथवा सरकार निश्चित ही उसकी छानबीन करेंगे।

मेरे मित्र ने कुछ संगठनों में कुछ अन्य योजनाओं के जारी रहने के बारे में एक अन्य शंका व्यक्त की थी। सरकार ने अन्य संगठनों की अन्य अनेक वैकल्पिक योजनाओं का गहन अध्ययन किया है। गहन जांच के बाद हमने पाया है कि हमारी योजनाओं से उनका कोई मुकाबला नहीं है। अगर माननीय सदस्य के दिमाग में कोई योजना है तो हम उसका स्वागत करेंगे और उस पर विचार कर सकते हैं।

श्री मधुकर सरपोतदार : उपाध्यक्ष महोदय, ई॰एस॰आई॰ योजना पर विशेष प्रश्न का उत्तर देते समय सम्बन्धित मन्त्री ने यह कहते हुए जवाब दिया है कि ई॰एस॰आई॰ चिकित्सा सेवा में सुधार करने हेतु ई॰एस॰आई॰ निगम ने चिकित्सा सेवा पर खर्च की सीमा 410 रु॰ से बढ़ाकर 500 रु॰ करने का निर्णय लिया है। मेरा सीधा सा सवाल है कि इन सब दवाओं का वर्तमान मूल्य ढांचा क्या है? अगर कोई व्यक्ति डाक्टर के पास जाता है और चिकित्सा जांच के पश्चात उसे केवल पर्चा मिलता है तो उससे 100 रु॰ वसूल कर लिया जाता है। अगर आप महाराष्ट्र के ई॰एस॰आई॰ अस्पतालों की हालत जाकर देखें तो आपको उनकी दयनीय स्थिति का पता चल जाएगा। वहां काम करने वालों को कोई सुविधा नहीं मिलती। वे तो वहां बस कारखानों से अनुपस्थित रहने के लिए प्रमाणपत्र लेने के लिए जाते हैं। इसके अलावा मजदूरों को कोई चिकित्सा सुविधा नहीं मिलती। ऐसी स्थिति में विभिन्न समझौतों के बारे में मजदूर संघों से चर्चा के पश्चात उन्होंने मजदूरों के लिए चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान कर रखा है। यह देखते हुए कि ये समझौते प्रभावी हैं, इसलिए इसकी सीमा बढ़ाया जाना अनावश्यक है और इससे श्रमिक वर्ग का कोई हित नहीं होगा। यह निर्णय लेने के पहले, मंत्री महोदय को केन्द्रीय मजदूर संघ तथा अन्य सदस्यों से भी चर्चा करनी चाहिए थी। मेरा प्रश्न है कि क्या सम्बद्ध मंत्री किसी ई॰एस॰आई॰ अस्पताल में गए हैं? वहां जाने के बाद उन्हें वृद्धि करने के बारे में निर्णय लेना चाहिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : इसी प्रकार बाह्य सेवाओं को प्रभावी बनाने के बारे में भी करना चाहिए।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : महोदय, माननीय सदस्य को इस अनावश्यक वृद्धि पर आपत्ति है। मैं, आपके माध्यम से सदन से इसपर विचार करने का अनुरोध करता हूं। मान लीजिए कोई व्यक्ति 31 दिसम्बर को 3000 रु॰ वेतन प्राप्त कर रहा था जो कि अन्तिम समय-सीमा है, वह 31,00 रु॰ प्राप्त करता है...*(व्यवधान)*

श्री वी॰वी॰ राघवन : प्रश्न चिकित्सा सुविधाओं के बारे में है, न कि किसी योजना के बारे में।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : उन्होंने इसका भी उल्लेख किया था। मुझे इसे स्पष्ट करने दीजिए। आखिरकार आप मेरे सहयोगी हैं। कृपया मेरी बात सुनिए।

मान लीजिए उसे 100 रु॰ अधिक मिलते हैं तो वह चिकित्सा सुविधाओं के लिए निर्धारित सीमा से बाहर हो जाता है। इसीलिए मजदूर संघों से लगातार चर्चा के पश्चात् यह सुनिश्चित करने हेतु कि व्यावहारिक और सतत जारी रहने वाली चिकित्सा सुविधाएं सभी मजदूरों को प्राप्त हों और उन्हें इस सुविधा से वंचित न किया जाय, हमने यह वृद्धि की है।

यह निर्णय लेने के पहले कुछ अस्पतालों का दौरा करने के सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि हमने कुछ अस्पतालों का दौरा किया था और मजदूर संघों से चर्चा की थी। इसके बाद ही हमें लोगों ने प्रति व्यक्ति धनराशि को 410 रु॰ से बढ़ाकर 500 रु॰ करने का निर्णय लिया है।

महोदय, मैं, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार : अगर ये अस्पताल ठीक से काम कर रहे हैं तो उन्हें उन अस्पतालों के नाम बताने चाहिए जिनका उन्होंने दौरा किया है।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : महोदय, कृपया मुझे बोलने का अवसर दें।

मैं बार-बार कह रहा हूं कि किसी बीमित व्यक्ति अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के इलाज पर किए जाने वाले खर्च पर कोई रोक नहीं है। हम अधिकांश कर्मचारियों को सर्वोत्तम सुविधाऐं उपलब्ध करा रहे हैं। यदि वे लम्बे समय से बीमार हैं तो हमने कुछ अस्पतालों से कहा है कि वे उन्हें अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएं। इसके लिए हमें 500 रु॰ तो क्या हमें 10 लाख रु॰ खर्च करने होंगे।

श्री मधुकर सरपोतदार : इन अस्पतालों में वर्षों से विभिन्न बीमारियों की जांच नहीं हो रही है। क्या किसी ने इस बारे में जांच

की है? क्या आपको पता है कि कामगारों को किस प्रकार का उपचार मिल रहा है?

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : हां, मुझे पता है। गत तीन महीनों के दौरान श्रम सचिव और ई॰एस॰आई॰ के महानिदेशक ने अनेक राज्यों का दौरा किया था और उनसे चर्चा भी की थी। इसलिए, गहन चर्चा के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, दुर्गापुर ई॰एस॰आई॰ अस्पताल का भवन दो साल पहले ही बन गया था लेकिन अस्पताल अभी भी चालू नहीं हुआ है।

क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि दुर्गापुर में यह अस्पताल जिसका भवन दो वर्ष पूर्व बन गया था, कब चालू होगा? पश्चिम बंगाल राज्य में कितने ई॰एस॰आई॰ अस्पताल काम नहीं कर रहे हैं?

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : महोदय, भवन का निर्माण कार्य पूरा न होने के कारण ही हम इसे चालू नहीं कर सके। जैसे ही हमें यह प्रमाणपत्र मिल जाएगा कि भवन तैयार है, हम इसे चालू कर देंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : भवन तो तैयार है। यह तो दो वर्ष पूर्व ही तैयार हो गया था। अब केवल इसे चालू करना है।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य : बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : उपाध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहता हूं कि क्या उनको लगता है कि ई॰एस॰आई॰ का काम बहुत बढ़िया चल रहा है और कोई दूसरा ऐसा काम नहीं कर सकता। क्या आप इस बारे में सैम्पल सर्वे और वर्कर की इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है, इसकी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। क्या आप बताएंगे कि कौन-कौन सी ट्रेड-यूनियन हैं जिन्होंने सीमा बढ़ाने के लिए आपको मंजूरी दी है।

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : जैसा माननीय सदस्य ने कहा, हमने सर्वे करने के बाद ही उन्हें इस ई॰एस॰आई॰ स्कीम में बढ़ोत्तरी करने और लोगों को इसमें शामिल करने का फैसला किया है। इसमें लगभग सभी ट्रेड-यूनियनों से सलाह-मशविरा किया गया है। माननीय सदस्य मुझे बताएं कि फलां ट्रेड-यूनियन बाहर रह गया है। ...*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : जिन यूनियन्स के साथ आपने बहस की क्या उन्होंने मान्यता दी? अगर दी है तो वे कौन सी ट्रेड यूनियन्स हैं?

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : ई॰एस॰आई॰ का जो कंसल्टेटिव एडवाइजरी बोर्ड है, उनमें जितनी भी ट्रेड यूनियन्स शामिल हैं, उन सभी से मशविरा किया गया है। अगर कोई बाहर रह गई है तो माननीय सदस्य उनके बारे में बताएं। हम उनसे मशविरा कर लेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : यह क्वश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। इत्तफाक से लेबर मिनिस्टर भी यहां नहीं है। बहुत से मैम्बर इसके बारे में जानना चाहते हैं। बेहतर होगा कि इस पर आधे घंटे की चर्चा हो जाए।

[अनुवाद]

श्री प्रदीप भट्टाचार्य : आप एकदम ठीक कह रहे हैं। इसपर आधे घंटे की चर्चा की आवश्यकता है। लेकिन मैं आपके सामने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बात रखना चाहूंगा कि इतने सारे मजदूर संघ...

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप आधे घंटे की चर्चा में इसपर बोलिए।

[अनुवाद]

इस प्रश्न पर हम पहले ही आधे घंटे की चर्चा के लिए सहमत हो गए हैं। इसलिए कृपया इसका अभी उल्लेख न करें।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि॰ की इकाइयों में संकट

***82. श्री पी॰आर॰ दासमुंशी** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि॰ (सेल) कुल मिलाकर अथवा इसकी कुछ इकाइयां उच्च प्रतिस्पर्धा तथा आर्थिक उदारीकरण के कारण कठिनाइयों का अथवा संकट का सामना कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इकाईवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण में किसी डर अथवा संकट की बात नहीं है।

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : मुझे यह देखकर आश्चर्य हो रहा है कि राष्ट्र के सम्मुख उपस्थित सच्चाई को दबाने के लिए इस मंत्री को उसके अधिकारियों ने किस प्रकार दिग्भ्रमित किया है। मुझे कोई गिला नहीं है क्योंकि उत्तर देना उनका काम है। अब पूरे देश को यह निर्णय करने का समय आ गया है कि यह जवाब सही है या गलत। मैं संसद के विभिन्न मंचों के सामने दिए गए साक्ष्यों के लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अधिकारियों को असहज स्थिति में नहीं डालना चाहता लेकिन मैं उन्हें केवल एक बात याद दिलाना चाहता हूं।

नीतिश सेनगुप्ता समिति जो...भी जांच और उसके सारे विवरणों का अध्ययन करने के लिए गठित की गई थी...

उपाध्यक्ष महोदय : मुन्शीजी, कृपया प्रश्न पूछें।

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : मैं प्रश्न पर ही आ रहा हूं।

[हिन्दी]

उन्होंने फ्लैटली डेनाई कर दिया था। जो सच्चाई है, अगर कह दें कि नहीं है तो सच्चाई निकालनी पड़ेगी।

[अनुवाद]

मैं नीतीश सेनगुप्ता समिति की टिप्पणी उद्धृत करता हूं :—

> "मुक्त व्यापार व्यवस्था में जहां हर जगह आयात शुल्क में गिरावट आ रही है, भारतीय इस्पात संयंत्रों को घरेलू बाजार में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा निर्मित वस्तुओं के कारण खतरे का सामना करना पड़ रहा है और इसे तब तक किसी अन्य बाजार में आसानी से प्रवेश नहीं मिल सकता जब तक कि इसके द्वारा निर्मित वस्तुओं की सही कीमत न हो और वे केवल आगे बढ़ाने लायक नहीं अपितु अच्छी गुणवत्ता वाली न हो।"

मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि इस्पात पर सीमा शुल्क में रोज-रोज की जाने वाली कमी से विदेशी कम्पनियां अपने उत्पाद से देश को पाटती जा रही हैं जिससे हमारे घरेलू उत्पादन को नुकसान हो रहा है? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसी मंत्री ने दूसरे सदन में श्रीमती जयंती नटराजन के प्रश्न के उत्तर में बताया कि भारतीय इस्पात संयंत्र घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने में पूरी तरह सक्षम है और संयंत्र में कोई संकट नहीं है। अगर घरेलू आवश्यकताओं को पूरी तरह पूरा किया जा सकता है और साथ ही कम कीमत वाला आयातित इस्पात देश में भरता जा रहा है तो सरकार भविष्य में भारत के इस्पात संयंत्र की व्यावहारिकता को किस प्रकार उचित ठहराएगी?

श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य : मैंने हमारे देश में इस्पात उद्योग के संबंध में वास्तविक आंकड़े तथा वास्तविक स्थिति बतायी है। अधिकारियों द्वारा मुझे गुमराह करने का प्रश्न ही नहीं है। परसों सभा के समक्ष आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट रखी गई थी। उस रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय इस्पात उद्योग का कार्यनिष्पादन विगत वर्ष की तुलना में बेहतर रहा है। वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार जबकि आयात तथा निर्यात दोनों में वृद्धि हो रही है, निर्यात आयात से अधिक रहा है।

हम आयात से निर्यात अधिक कर रहे हैं। विगत वर्ष भी यही प्रवृत्ति रही है।

वाणिज्य मंत्रालय डम्पिंग के लिए शीर्षस्थ मंत्रालय है और हमारे मंत्रालय ने उनका पहले ही भारतीय इस्पात प्राधिकरण के समक्ष आ रही समस्याओं का हल करने के लिए सुधारात्मक कार्यवाही करने हेतु एक प्रकोष्ठ का गठन करने का परामर्श दिया था। मैं माननीय सदस्य श्री दासमुंशी की इस बात से सहमत हूं कि सीमाशुल्क में निरन्तर कमी के कारण, इस्पात उद्योग कुछ समस्याओं का सामना कर रहा है। मैं इसे स्वीकार करता हूं। इसका ...*(व्यवधान)* आयात शुल्क का हमारे देश में इस्पात उद्योग पर निरन्तर प्रभाव होगा। यदि निर्यात शुल्क में भी वृद्धि की जाती है, तो इसका भी प्रभाव पड़ेगा। दूसरे राज्यों में, शुल्क संरचना से कतिपय समस्याएं उत्पन्न होगी। मैं माननीय सदस्यों से सहमत हूं। लेकिन यह केवल इस्पात उद्योग के लिए ही नहीं है। इस्पात उद्योग का कार्यनिष्पादन सही है और मेरे विचार से यह अर्थव्यवस्था में अपना योगदान करता रहेगा।

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : आपने व्यक्तिगत रूप से माननीय मंत्री का उत्तर सुना है। मेरा प्रश्न इस्पात संयंत्रों तथा इस्पात उद्योग के कार्यनिष्पादन के बारे में नहीं था। मेरा प्रश्न यह था, कि क्या वर्तमान आर्थिक उदारीकरण नीति इस्पात संयंत्रों तथा भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि॰ के एककों के लिए संकट उत्पन्न कर रहीं है अथवा नहीं। स्वयं मंत्री ने उत्तर दिया है कि दिन प्रतिदिन शुल्क में कमी करने से वास्तव में एक संकट तथा खतरा उत्पन्न हो रहा है। मेरा प्रश्न वह था। मैंने कहा था कि उनके अधिकारियों ने उन्हें गुमराह किया है। मैंने यहीं कहा था और उन्होंने भी यह स्वीकार किया था।

श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य : महोदय, इस्पात उद्योग एक वाणिज्यिक उद्योग है। हम विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहे हैं। हमारी आदान लागत में कई कारणों से वृद्धि हो रही है। इसमें केवल शुल्क संरचना के कारण ही वृद्धि नहीं हो रही है बल्कि यह वृद्धि मूल्य वृद्धि तथा सीमा शुल्क के कारण भी हो रही है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि यह भी एक कारक है। सीमाशुल्क तथा उत्पाद शुल्क एक कारक हैं लेकिन यह केवल इस्पात उद्योग के लिए ही नहीं है। यह इस्पात उद्योग के लिए भी है। समस्या है, लेकिन मेरा विश्वास है कि इस्पात उद्योग इस समस्या पर काबू पा सकता है।

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : मेरा दूसरा अनुपरक प्रश्न यह है। मैं आपको किंकर्तव्यविमूढ़ करने के लिए अब इस मामले के विस्तार में नहीं जाऊंगा। मैं आपकी सहायता करना चाहता हूं। मैं सीधे आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं।

क्या यह सही है कि तीन इस्पात संयत्रों-दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, राऊर कैला इस्पात संयंत्र तथा भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा समय-समय-पर भारी घाटा उठाये जाने के बावजूद कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए स्टाक यार्ड में भारी मात्रा में हैंडलिंग शुल्क प्रदान किया गया है और इस्पात संयन्त्रों के काफी संसाधन बेच दिए गए। वर्तमान के बारे में मुझे जानकारी नहीं है? यदि हां, तो क्या आप इसकी जांच करने के लिए एक जांच समिति का गठन कर रहे हैं कि ऐसा क्यों किया गया था और किसके कहने पर ऐसा किया गया। यदि आज राजनैतिक नेताओं की उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच करवायी जा रही है और प्रत्येक दिन उनके विरूद्ध कुछ न कुछ कहा जा रहा है तो आप भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की कुछ जांच क्यों नहीं करवाते ताकि यह पता लगाया जा सके कि हैंडलिंग शुल्कों पर समस्त संसाधनों को किसने खर्च किया?

श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य : महोदय, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र तथा बोकारो इस्पात संयंत्र को छोड़कर भारतीय इस्पात प्राधिकरण निरन्तर

लाभ अर्जित कर रहा है तथा भिलाई इस्पात संयंत्र निरन्तर लाभ आर्जित कर रहा है। दो संयंत्र घाटे में चल रहे हैं।

जहां तक परिवहन तथा हैंडलिंग प्रभारों का संबंध है, सभा को यह सूचित करते हुए मैं प्रसन्न हूं कि चालू वर्ष में परिवहन तथा हैंडलिंग प्रभारों में गिरावट आएगी। यह भारतीय इस्पात प्राधिकरण के लिए एक अच्छा संकेत है।...*(व्यवधान)*

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : यह कैसे संभव होगा?

श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य : यह एक वाणिज्यक संगठन है। हम लोग निविदाओं के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। हमने निम्नतम बोली को स्वीकार किया है। दी गई निम्नतम बोली विगत वर्ष की बोली से कम है। अतः, इसमें गिरावट आएगी।

यदि कोई विशिष्ट आरोप है, तो हमें किसी अधिकारी अथवा किसी व्यक्ति के विरूद्ध जांच करवाने में कोई हिचक नहीं है। यदि मुझे कोई विशिष्ट आरोप दिया जाता है, तो मैं जांच करवाने के लिए तैयार हूं। कोई विशिष्ट आरोप होना चाहिए। किसी विशिष्ट आरोप के बिना हम कोई कार्यवाही नहीं कर सकते।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, आपके माध्यम से, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहती हूं कि क्या आई॰एस॰एस॰सी॰ओ॰ बर्नपुर आपके अधीन है। क्या इस फर्म में भी कोई घाटा हो रहा है? यदि इस फर्म में भी घाटा हो रहा है, तो आप इसकी सहायता करने के लिए क्या कर रहे हैं? मैं विशेषरूप से आई॰एस॰एस॰सी॰ओ॰ बर्नपुर के बारे में पूछ रही हूं। इस समय आई॰एस॰एस॰सी॰ओ॰ बर्नपुर के संबंध में क्या स्थिति है? क्या यह भारतीय इस्पात प्राधिकरण का एक भाग है अथवा यह अलग इकाई है? यदि यह अलग इकाई है, तो आप इसकी सहायता करने के लिए क्या कर रहे हैं?

श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य : महोदय, यह मेरे मंत्रालय के अन्तर्गत है। इसे बी॰आई॰एफ॰आर॰ को संदर्भित किया गया है। सरकार आई आई एस सी ओ का आधुनिकीकरण करने के लिए गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही है। लेकिन हमें जो भी उपाय करने हैं, वे हमें बी॰आई॰एफ॰आर॰ की स्वीकृति से करने हैं।

श्री प्रदीप भट्टाचार्य : मैं माननीय मंत्री से सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अब स्टाक यार्ड में कितनी मात्रा में इस्पात पड़ा है। सरकार इसे बाजार में बेचने के लिए क्या उपाय कर रही है? मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री मुझ से इस बात पर सहमत होंगे कि जब भारतीय इस्पात प्राधिकरण बाजार जाता तो यह पाता कि यह क्रेता बाजार है कि न कि विक्रेता बाजार। सरकार औद्योगिक बाजार, घरेलू बाजार तथा अन्य बाजारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने की सोच रही है? वे इन सभी बातों का पता कैसे लगायेंगे?

श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य : महोदय, इस्पात उद्योग का विकास देश की आर्थिक तथा औद्योगिक प्रगति पर निर्भर करता है। तथापि, इस्पात उद्योग की प्रगति देश की आर्थिक प्रगति तथा औद्योगिक प्रगति से अधिक है। अतः सामान सूची में वृद्धि होती जा रही है। आपूर्ति मांग से अधिक है। एक बार आपूर्ति मांग से अधिक होने पर, सामान सूची में वृद्धि हो रही है। अतः भारतीय इस्पात प्राधिकरण तथा भारत सरकार ने सामान सूची में कमी करने के लिए कई उपाय किए हैं।

श्री प्रदीप भट्टाचार्य : लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि स्टाक यार्ड में कितनी मात्रा में इस्पात उपलब्ध है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। आप पहले ही अपना प्रश्न रख चुके हैं। अब श्री चटर्जी कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : कृपया मुझे दो मिनट का समय दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अनुपूरक प्रश्न के लिए दो मिनट का समय।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह केवल पृष्ठभूमि बताने के लिए है।

इस्पात उद्योग के संबंध में परिदृष्य बहुत रुचिकर है। सभा को यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज इस्पात उत्पादन में प्रथम स्थान किसी विकसित देश का नहीं है बल्कि चीन का है। अब, यह क्यों हुआ? अवसंरचना के विकास तथा पूंजीगत सामान उद्योग के विकास के कारण विकसित देशों में इस्पात की आवश्यकता में कमी हो रही है। इस बात से सभी अन्तर्राष्ट्रीय विश्लेषक सहमत हैं। वे अपने उत्पादन में कमी कर रहे हैं। वे अतिरिक्त उपलब्धता को विकासशील देशों में डम्प करने का प्रयास कर रहे हैं जहां आवश्यकता अभी भी अधिक है।

दूसरा पक्ष यह है कि यह एक बहुत हास्यास्पद दृष्य है। हमारे पास विश्व में सबसे अच्छी गुणवत्ता का इस्पात है। हमारे यहां पर्याप्त कोयला भण्डार भी है, यद्यपि पर्याप्त गुणवत्ता नहीं है। इसके बावजूद जापान जिसके पास ये संसाधन नहीं है वह इसका सस्ते मूल्य पर उत्पादन करता है।

माननीय मंत्री ने आर्थिक सर्वेक्षण का संदर्भ दिया है। उन्होंने माननीय सदस्य, श्री दासमुंशी द्वारा उठाये गये प्रश्न को भी स्वीकार किया है। उत्पादन के अर्थों में कार्यनिष्पादन ठीक है। सामान सूची बढ़ती जा रही है। बिक्री ठीक नहीं है। उनके द्वारा दिये गये इस तर्क कि अर्थव्यवस्था में प्रगति नहीं हो रही है, का कल प्रो॰ अलघ द्वारा खण्डन किया गया था। कल उन्होंने कहा था कि निर्माण क्षेत्र में वृद्धि भूतकाल में वृद्धि से कम नहीं है।

अतः मेरा प्रश्न यह है कि इस बात को देखते हुए कि हमारी सामान सूची में वृद्धि हो रही है और विकसित देश इसे विकासशील दशों में डम्प करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या वे वित्त मंत्री से यह आग्रह करेंगे कि इस इस्पात क्षेत्र तथा इस्पात उत्पादों पर सीमा शुल्क में इस बजट में वृद्धि की जाये?

एक कमीशन है। मेरे पास इस्पात के संबंध में रिपोर्ट है। मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है, कि क्या इस्पात उद्योग के संबंध में उक्त आयोग का गठन किया जायेगा जिसका एक उपयुक्त सभापति होगा तथा यह कार्य करना प्रारम्भ करेगा ताकि लागत पहलु का हिसाब-किताब लगाया जा सके।

श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य : जहां तक शुल्क संरचना का संबंध है, मेरे मंत्रालय ने पहले ही इस मामले को वित्त मंत्रालय के साथ उठाया है। हम यह चाहते हैं कि आयात शुल्क में और आगे कमी न की जाये तथा हमारे देश में विद्यमान इस्पात उद्योग के हित में उत्पाद शुल्क में और वृद्धि न की जाये।

विदेशी उपग्रह चैनलों पर प्रतिबंध

+

*84. **श्रीमती रत्नमाला डी॰ सवान्नूर :**
श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राइवेट टेलीविजन चैनल केवल ऐसे कार्यक्रम और फिल्में ही दिखाते हैं जिनमें हिंसा, अभद्रता और अश्लीलता बहुत अधिक होती हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार विदेशी उपग्रह चैनलों द्वारा प्रसारित इस प्रकार के अवांछित कार्यक्रमों के प्रसारण पर कानूनी प्रतिबंध लगाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) निजी टेलीविजन चैनल अपने कार्यक्रम देश के बाहर से प्रसारित करते हैं। इनमें से कुछ चैनल कभी-कभार भारतीय मूल्यों और संस्कृति के प्रति अपेक्षित संवेदनशीलता नहीं दर्शाते।

(ख) से (घ) सरकार का इस संबंध में संसद में एक विधेयक प्रस्तुत करने का विचार है जिसमें प्रस्तावित कानून के अतंर्गत इस प्रकार के चैनलों के प्रसारण को सुसाध्य बनाने और अन्य बातों के साथ-साथ इन पर एक प्रसारण एवं विज्ञापन संहिता लागू करने की व्यवस्था होगी।

[हिन्दी]

श्रीमती रत्नमाला डी॰ सवान्नूर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि विदेशी उपग्रह चैनलों के माध्यम से भारत में जो कार्यक्रम दिखाये जा रहे हैं क्या वे भारतीय संस्कृति के अनुकूल हैं और क्या ये हमारे सामाजिक परिवेश पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल रहे हैं? क्योंकि आज कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के साथ बैठकर टी॰वी॰ देखना पसंद नहीं करता है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि भारतीय संस्कृति और सामाजिक मूल्यों की रक्षा के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं क्योंकि इस कारण हमारे समाज में अनैतिकता बढ़ती जा रही है और उसका बुरा प्रभाव महिलाओं और बच्चों पर पड़ रहा है।

श्री सी॰एम॰ इब्राहीम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या की बात से पूरी तरह से सहमत हूं। चूंकि आज तक हमारे देश में ब्रॉडकास्टिंग का कोई कानून नहीं है इसलिए हमारे विभाग ने यह निर्णय किया है कि इसके बारे में एक कानून बने और कानून बनने के बाद जो भी फॉरेन चैनल आना चाहते हैं, वे लाइसेंस के माध्यम से आयें और जब हम उनको लाइसेंस देंगे तो हम उन पर यह बंधन लगायेंगे कि भारत की संस्कृति के खिलाफ जो भी कुछ दिखायेगा उसको हम इफेक्टिवी बैन करेंगे।

श्रीमती रत्नमाला डी॰ सवान्नूर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी यह है कि हमारे देश में अश्लील और हिंसा भरे कार्यक्रम नहीं दिखाये जाएं। क्या इस बारे में सरकार कोई नीतिगत निर्णय लेने का विचार कर रही है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को पश्चिमी सभ्यता की बुराई और तड़क-भड़क से बचाया जा सके और भारतीय संस्कृति की रक्षा हो सके।

श्री सी॰एम॰ इब्राहीम : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक दूरदर्शन का मामला है हमारी कोशिश यही है कि ऐसी चीजें दूरदर्शन पर न आयें और जहां तक फिल्मों का सवाल है, उसमें हमारी यह कोशिश होगी कि सेन्सर बोर्ड की तरफ से उसमें रोकथाम करवाई जाए। मैं माननीय सदस्या को आश्वासन देना चाहता हूं कि दूरदर्शन में अब काफी सुधार आया है और यह सुधार आगे भी जारी रहेगा।

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि उन्होंने प्रश्न के उत्तर में बताया है कि निजी टेलीविजन चैनल अपने कार्यक्रम देश के बाहर से प्रसारित करते हैं, तो क्या सरकार को यह मालूम नहीं है कि यह कार्यक्रम देश के बाहर से प्रसारित होते हैं और मुझे यह भी जानना है कि ऐसे जो चैनल हैं और उन चैनलों के जो डिस्ट्रीब्यूटर और मालिक हैं, उनके साथ क्या सरकार ने कोई विचार-विमर्श किया है कि हमारे जो भी कानून बनेंगे उनको ये लोग मानेंगे?

श्री सी॰एम॰ इब्राहीम : उपाध्यक्ष जी, बकरा कभी पूछकर नहीं काटा जाता है। कानून बनने के बाद पूछा जाता है।

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया : जिस तरह विदेशी चैनलों के माध्यम से हमारी संस्कृति पर अटैक हो रहा है, हमारे टी॰वी॰ चैनल पर अटैक हो रहा है, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाते, क्या इस स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकारी स्तर पर विचार-विमर्श किया जायेगा?

श्री सी•एम• इब्राहीम : मैं इस प्रश्न के उत्तर में पहले ही स्पष्ट रूप से कह चुका हूं कि यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है। हिन्दुस्तान इतना बड़ा देश है। किसी भी मामूली से घर में जाने से पहले घरवाली की अनुमति लेनी पड़ती है लेकिन इस 95 करोड़ लोगों के देश में आने के लिए किसी अनुमति की जरूरत नहीं है। जो चाहे यहां आकर सब कुछ दिखा रहा है। इसलिए हमारी कोशिश यह है कि जल्दी से यह एक्ट बने और एक्ट बनने के बाद इस देश की संस्कृति के खिलाफ और देश की एकता के खिलाफ अगर कोई यहां कुछ दिखाने की कोशिश करेगा, उसके विरूद्ध हम कड़ी कार्यवाही करें।

श्री हाराधन राय : मंत्री जी टी•वी• देखते हैं या नहीं देखते, मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं लेकिन हमारे हिन्दुस्तान में आज जितने सीरियल दिखाए जा रहे हैं, चाहे वे आधे घंटे के सीरियल हों या एक घंटे के सीरियल हों, सामाजिक पिक्चर के नाम से उन्हें दिखाया जा रहा है और कुछ सीरियलों के साथ इनामों की घोषणा भी की जाती है कि अमुक प्रश्न का अगर आप सही जवाब दे देंगे तो आपको कार तक इनाम में मिल सकती है, लेकिन उसकी आड़ में खून-खराबा, बलात्कार और न जाने क्या-क्या हमें दिखाया जाता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कब तक इसे बंद कर दिया जाएगा, वे इसका स्पष्ट जवाब दें। क्या सब कुछ ऐसे ही चलते रहने दिया जाएगा क्योंकि इससे हमारी आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो रही है, हमारा देश बर्बाद हो रहा है।

श्री सी•एम• इब्राहीम : इस प्रश्न का रिप्लाई मैं क्या करूं, लोगों का टेस्ट है लेकिन जहां तक कोड का संबंध है, जो भी कोड के बाहर जाकर काम करेगा, हमारी कोशिश यह है कि उसे एप्रूव न करें। अगर उसमें थोड़ा सा भी वायोलैंस हो जाए तो उसे एप्रूव न करें। हमारी कोशिश यही है कि ऐसे प्रोग्राम बनें जिन्हें बाप-बेटी और पत्नी सब बैठकर देख सकें। इसी आधार पर दूरदर्शन पर कार्यक्रम दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं।

श्री सत्य पाल जैन : उपाध्यक्ष जी, यह प्रसन्नता की बात है कि मंत्री जी ने स्वयं इस बात को माना है कि टी•वी• चैनल पर ऐसे कार्यक्रम दिखाए जाएं जिन्हें आप अपने परिवार के साथ बैठकर देख सकें लेकिन दूरदर्शन के जरिए आज बहुत से ऐसे कार्यक्रम दिखाए जा रहे हैं जिन्हें अपने परिवार के साथ बैठकर नहीं देखा जा सकता। मंत्री जी ने स्वयं माना है कि प्राइवेट टी•वी• चैनल पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। जब मंत्री जी स्वयं इसे मानते हैं और महसूस कर रहे हैं कि उनके कार्यक्रम उस स्तर के नहीं हैं जिन्हें परिवार के साथ बैठकर देखा जा सके, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या इस संबंध में आपके मंत्रालय ने कुछ गाइडलाइंस ले-डाउन की हैं कि कैसे कार्यक्रमों को आप टी•वी• पर दिखाने की अनुमति देंगे। दूसरी बात मंत्री जी ने कहा है कि :—

[अनुवाद]

"सरकार संसद में एक विधेयक पुरस्थापित करना चाहती है जिसका उद्देश्य प्रस्तावित कानून के दायरे के अन्तर्गत ऐसे चैनलों के प्रसारण की सुविधा प्रदान करना हैं..."

[हिन्दी]

मैं जानना चाहता हूं कि इस बिल को आप कब तक ले आयेंगे, क्या समय-सीमा के बारे में आप बता सकते हैं, कि छः महीने में, तीन महीने में, कब तक यह एक्ट पास हो जाएगा ताकि ऐसे कार्यक्रमों को रोका जा सके।

श्री सी•एम• इब्राहीम : जहां तक कोड का सवाल है, दूरदर्शन के कार्यक्रमों के लिए एक कोड बना है लेकिन प्राइवेट चैनल्स के लिए कोई कानून न होने की वजह से हम कुछ नहीं कर पाए। जहां तक बिल लाने का सवाल है, दोनों चीजें कैबिनेट के सामने हैं। हमारी कोशिश है कि इसी पार्लियामेंट के सैशन में हम उसे ला सकें तथा ब्रौडकास्टिंग एक्ट तथा प्रसार भारती बिल दोनों को हम पास करें। कैबिनेट से एप्रूवल मिलने के बाद, मैं चाहता हूं कि देश भर में इस पर चर्चा हो क्योंकि पहली बार देश में ऐसा कानून बन रहा है। हम अखबारों के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से इसका प्रचार करें। सोमवार से 'फोकस' कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं। उसमें पूरे नजरियात को, चाहे वे अखबार वाले एडीटर हों, चाहे राजनीतिक तत्व हों, सब दें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि यह बिल पार्लियामेंट के अंदर बहुमत से ही पास न हो बल्कि सर्वसम्मति से पास हो। हमारा प्रयास यही है और हम पूरे विचारों को इस बिल के माध्यम से लाने की कोशिश कर रहे हैं।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों को टेलीफोन सुविधा

***85. श्री बृज भूषण तिवारी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधा प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधा प्रदान करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं तथा इस लक्ष्य को कब तक प्राप्त कर लिये जाने की संभावना है;

(घ) इन ग्रामीण क्षेत्रों में कॉल की दर क्या होगी तथा नए कनेक्शनों पर ग्रामीणों को कितना किराया (रैन्ट) देना पड़ेगा;

(ङ) क्या ग्रामीणों को एस•टी•डी• सुविधा भी प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

[हिन्दी]

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) सरकार ने देश के प्रत्येक गांव में एक सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने की नीति अपनाई है।

(ख) 31.12.96 की स्थिति के अनुसार, 2,32,473 गांवों को टेलीफोन सुविधा प्रदान की गई है। इसके राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) 1997-98 के दौरान उत्तर प्रदेश के लिए 23,000 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) लगाने का प्रस्ताव रखा गया है।

(घ) ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ङ) और (च) ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों (वीपीटी) पर एस टी डी सुविधाएं प्रदान की जा सकती है, यदि इसकी मांग हो और वहां यह सुविधा देना तकनीकी रूप से व्यवहार्य हो। गांवों में सामान्य टेलीफोन कनेक्शन में एसटीडी सुविधा प्राप्त की जा सकती है, यदि एक्सचेंज में एसटीडी सुविधा उपलब्ध हो।

विवरण-I

क्र॰सं॰	सर्किल का नाम	31.12.96 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन सुविधा युक्त गांवों की कुल सं॰
1	2	3
1.	अंडमान तथा निकोबार	159
2.	आन्ध्र प्रदेश	19338
3.	असम	9134
4.	बिहार	13505
5.	गुजरात	13368
6.	हरियाणा	6953
7.	हिमाचल प्रदेश	4621
8.	जम्मू व कश्मीर	1844
9.	कर्नाटक	14877
10.	केरल	1530
11.	मध्य प्रदेश	28703
12.	महाराष्ट्र	24538
13.	उत्तर-पूर्व	2600
14.	उड़ीसा	13915
15.	पंजाब	8647
16.	राजस्थान	14058
17.	तमिलनाडु	15095
18.	उत्तर प्रदेश	30654
19.	पश्चिम बंगाल	8740
20.	म॰टे॰नि॰लि॰, दिल्ली	191
21.	कलकत्ता टेलीफोन	3
	जोड़	232473

विवरण-II

ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए शुल्क-दर

टेलीफोन एक्सचेंज प्रणाली		द्विमासिक किराया प्रभार एवं काल शुल्क						
		किराया	दो माह के दौरान अनुमत नि:शुल्क काल यूनिट की सं॰	अनुमत नि:शुल्क कालों से अधिक कालों पर प्रतिकाल शुल्क				
				251 से 450	451 से 500	501 से 1000	1001 से 2000	2000 से अधिक
		रु॰		पैसे	पैसे	रुपए	रु॰पै॰	रु॰पै॰
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	1000 लाइनों से कम की एक्सचेंज प्रणालियां	100	250	60	80	1	1.25	1.40
2.	1000 लाइनें और इससे अधिक परंतु 30,000 लाइनों से कम की एक्सचेंज प्रणालियां	200	250	60	80	1	1.25	1.40

	1	2	3	4	5	6	7	8
3.	30,000 और इससे अधिक परंतु 1 लाख लाइनों से कम की एक्सचेंज प्रणालियां	275	250	60	80	1	1.25	1.40
4.	1 लाख और इससे अधिक परंतु 3 लाख से कम लाइनों की एक्सचेंज प्रणालियां	360	250	60	80	1	1.25	1.40
5.	3 लाख और इससे अधिक लाइनों की एक्सचेंज प्रणालियां।	380	250	60	80	1	1.25	1.40

श्री बृज भूषण तिवारी : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा टैलीकाम नीति घोषित किए जाने पर कि प्रत्येक गांव को टेलीफोन की सुविधा प्रदान की जाएगी, देश के कुल 6 लाख 4 हजार 925 ग्रामों में से अभी तक मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसके अनुसार 2 लाख 32 हजार 473 गांवों में ही यह सुविधा उपलब्ध हुई है, परन्तु इनमें से भी दो-तिहाई से ज्यादा गांवों में टेलीफोन उपकरण खराब हैं, तो क्या सरकार जो उसके आंकड़े हैं उनके आधार पर ही खानापूरी करती है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस स्थिति को बदलने के लिए क्या सरकार की कोई योजना है कि जो टेलीफोन खराब पड़े हुए हैं उनको ठीक किया जाए, यदि है, तो वह क्या है और इनको कैसे ठीक किया जाएगा?

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया : गांवों के टेलीफोन तो सारे खराब पड़े हैं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : श्रीमान सारे खराब नहीं हैं, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति भी नहीं है। यह सही है कि पहले जो ग्रामीण टेलीफोन थे उनमें काफी दोष थे, लेकिन इस वर्ष हमने काफी ठीक किए हैं और हमारी सूचना के अनुसार जो हमने एक स्पेशल ड्राइव चलाया था उससे 70 प्रतिशत टेलीफोन ठीक हो गए हैं, लेकिन 30 प्रतिशत टेलीफोन अभी भी खराब हैं।...*(व्यवधान)*

श्री चमन लाल गुप्त : उपाध्यक्ष महोदय, 90 प्रतिशत टेलीफोन खराब हैं।

श्री नरेन्द्र बुडानिया : उपाध्यक्ष महोदय, देश के ग्रामीण टेलीफोनों की स्थिति बहुत ही खराब है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : पहले उन्हें अपना उत्तर पूरा करने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सनत मेहता : जिस ढंग से वे उत्तर देते हैं, उससे कभी-कभी हम यह महसूस करते हैं कि हम काल्पनिक दुनिया में रह रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : उपाध्यक्ष जी, जो हमारे पास सूचना है, उसके अनुसार ही तो मैं उत्तर दूंगा। मैं आपको जुबानी उत्तर नहीं दूंगा, लेकिन अगर आपकी कोई शिकायत किसी प्रदेश के बारे में है, किसी जिले के बारे में है, तो उसको आप हमें लिख कर दें। मैं उसकी विजिलेंस इन्क्वायरी या सी•बी•आई• की इन्क्वायरी या जिस प्रकार की इन्क्वायरी से आपकी संतुष्टि हो, वह मैं करवाने के लिए तैयार हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया बैठ जाइएं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें अपना उत्तर समाप्त करने दीजिए। हां, श्री वर्मा अपना उत्तर पूरा कीजिए।

[हिन्दी]

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : एक साथ हम भी बोलेंगे और आप भी बोलेंगे तो कुछ भी सुनाई नहीं देगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप उनकी बात क्यों नहीं सुनते?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। उन्हें अपना उत्तर पूरा करने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : मैं यहां पर सरकारी आंकड़े पेश करूंगा न कि जुबानी आंकड़े पेश करूंगा।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं, वह कहिये।

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का जवाब क्या आता है?...*(व्यवधान)* मंत्री जी यही कहते हैं कि मैं मामले को दिखलवा रहा हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

इसकी जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : मैं यह नहीं कह रहा हूं।...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : यह जवाब आता है।...*(व्यवधान)* आप जरा उत्तर प्रदेश से अलग हटकर अपने मंत्रालय के बारे में सोचिये। ...*(व्यवधान)* कहीं भी टेलीफोन काम नहीं कर रहा है।...*(व्यवधान)*

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : मैं उत्तर प्रदेश और बिहार सबको देख रहा हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : शिकायत तब होती है जब कुछ खराब हो। यहां तो सभी खराब हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप उन्हें बोलने क्यों नहीं देते?

[हिन्दी]

मैं समझता हूं कि मंत्री जी के जवाब से आपको तसल्ली नहीं है लेकिन इनको जवाब तो कम्पलीट करने दीजिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : उसके बाद कुछ और सोच लेंगे।

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, हमने यहा कहा था कि हमारे पास जो सूचना है उसके हिसाब से ग्रामीण टेलीफोन को ठीक करने के लिए ड्राइव चलाया गया है। हम कुछ संतुष्ट भी हैं। ग्रामीण टेलीफोन बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। हम आपसे करीब-करीब सहमत हैं और हमने उनको ठीक कराने के लिए कोशिश भी की है। ...*(व्यवधान)*

श्री जी॰एल॰ कनौजिया : हम आपके जवाब से संतुष्ट नहीं हैं। हम यह पूछना चाहते हैं कि अभी तक क्या एक्शन लिया गया है? ...*(व्यवधान)*

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : आप पूरे सदन का नुकसान कर रहे हैं। पहले आप हमारी बात को हो जाने दीजिए। उसके बाद आप जो भी सवाल पूछेंगे, हम उसका जवाब देंगे। हमारे पास विभाग की सूचना है। वही हम आपको बता सकते हैं। उस सूचना के मुताबिक ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उनको सुनिये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप कहिये।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : उस सूचना के मुताबिक हमने 70 फीसदी टेलीफोन ठीक कराये हैं। 30 फीसदी अब भी खराब हैं।...*(व्यवधान)*

श्री तसलीमुद्दीन : बिहार में एक भी टेलीफोन काम नहीं कर रहा है।...*(व्यवधान)*

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : हो सकता है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : देखिये, मुझे बार-बार खड़े होना पड़ रहा है। आप एक मिनट सुनिये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय यह कहकर कि 70 फीसदी ठीक हो गये, 80 फीसदी ठीक हो गये तो इससे उनमें और उत्तेजना आती है। आप जरा कुछ और बोलिये।

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : हम आप लोगों की भावना को मानते हैं। हो सकता है कि विभाग की सूचना गलत हो।...*(व्यवधान)*

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : ग्रामीण क्षेत्र में एक भी टेलीफोन काम नहीं कर रहा।...*(व्यवधान)*

श्री खेलसाय सिंह : गांव में हम लोगों का हमेशा टेलीफोन खराब रहता है तो जनरल लोगों का क्या होता होगा?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री बृज भूषण जी को धन्यवाद करता हूं। उन्होंने एक प्रश्न दिया है। जो ऐटमौसफियर है, उसके हिसाब से उस पर एक भी सप्लीमैंट्री पूछे जाने की गुंजाइश नजर नहीं आती। इसलिए मैं इसे आधे घंटे की चर्चा के लिए छोड़ता हूं।...*(व्यवधान)*

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : मैं एक एश्योरेंस देना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब कोई भी कुछ कहने नहीं दे रहा। आप रहने दीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। यह अच्छा नहीं है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, इसे नियम 193 में लिया जाए, आधे घंटे की चर्चा से काम नहीं चलेगा। इस पर शार्ट ड्यूरेशन डिस्कशन की जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है, सज्जनों, मैंने पहले ही कहा है कि इस पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति प्रदान की जायेगी। कोई एक सदस्य उसके लिए सूचना दे सकते हैं। अब इस प्रश्न पर कोई चर्चा नहीं होगी।

रेल परियोजनाएं

+

*86. श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी :

श्री भक्त चरण दास :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत 6 माह के दौरान सरकार ने कुछ नई रेल परियोजनाओं को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो स्थानवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनमें से प्रत्येक परियोजना पर अब तक अनुमानतः कितना निवेश किया गया है?

[हिन्दी]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(ख) और (ग) विगत 6 महीनों के दौरान सरकार (आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति)/संसद द्वारा जिन परियोजानाओं की मंजूरी दी गई है उनका ब्यौरा, उनके स्थान और लागत सहित नीचे दिया गया है :—

क्र•सं•	परियोजना का नाम	राज्य	लागत (करोड़ रु• में)	आ•मा•सं•स• द्वारा अनुमोदन दिए जाने की तारीख
1.	बिलासपुर और उरुकुरा के बीच तीसरी लाइन का निर्माण	म•प्र•	151.53	19.9.96
2.	टिटलागढ़-लांजीगढ़ रोड का दोहरीकरण	उड़ीसा	66.61	यथोक्त
3.	भुवनेश्वर-विशाखापत्तनम का विद्युतीकरण	उड़ीसा	292.22	यथोक्त
4.	उधना-जलगांव का विद्युतीकरण	गुजरात	124.39	यथोक्त
5.	अजमेर-जयपुर-चित्तौड़गढ़-उदयपुर का आमान परिवर्तन	राजस्थान	262.00	यथोक्त
6.	सकरी-हसनपुर	बिहार		25.9.96
7.	खगड़िया और कुशेश्वर-स्थान के बीच नई लाइन	बिहार	78.22	21.2. 97
8.	बेंगलूरु-हसन-श्रवणबेलगोला के बीच नई लाइन	कर्नाटक	179.18	यथोक्त
9.	हरमुती से इटानगर तक नई लाइन	अरुणाचल प्रदेश	155.29	यथोक्त
10.	हुबली से अंकोला तक नई लाइन	कर्नाटक	483.15	यथोक्त
11.	टोरी तक विस्तार सहित रांची-लोहरदग्गा का आमान परिवर्तन	बिहार	137.6	यथोक्त
12.	बालाघाट-कटंगी सहित जबलपुर-गोंदिया का आमान परिवर्तन	मध्य प्रदेश	386.3	यथोक्त
13.	बीड के रास्ते अहमदनगर से परली वैजनाथ तक नई लाइन	महाराष्ट्र	353.00	यथोक्त
14.	दौसा से गंगापुर सिटी तक नई लाइन	राजस्थान	152.00	यथोक्त
15.	दोहरीकरण की व्यवस्था करने के लिए गुंतकल-हास्पेट का आमान परिवर्तन	कर्नाटक/आं•प्र•	105.77	यथोक्त
16.	सोनुआ और मनोहरपुर तीसरी लाइन	बिहार	183.07	यथोक्त
17.@	मथुरा-कासगंज और कासगंज-बरेली का आमान परिवर्तन	उ•प्र•	396.00	यथोक्त

@ इस कार्य को 1997-98 के बजट में शामिल किया गया है और संसद द्वारा बजट पास कर दिए जाने के बाद इस पर कार्य शुरू किया जाएगा।

10 लाख रुपए प्रत्येक की लागत वाली निम्नलिखित परियोजनाओं की स्वीकृति रेल मंत्री द्वारा दी गई है और 1996-97 के पूरक बजट में संसद द्वारा इनका अनुमोदन कर दिया गया है।

1.	काटपाडि-वनियमबाडी-स्वचालित ब्लाक सिगनलिंग और कट्टपाडि-जोलारपेट्टै खंड पर वनियमबाडि-जोलारपेट्टै के बीच तीसरी लाइन।	तमिलनाडु	47.00
2.	अरकोणम-मरुधालम-वालाजाह-रोड-कट्टपाडि-मरुधालम-वालाजाह रोड के बीच तीसरी लाइन सहित स्वचालित ब्लाक सिगनलिंग	तमिलनाडु	22.97
3.	मनमाड-इगतपुरी-आप्टिक फाइबर केबल प्रणाली की स्थापना	महाराष्ट्र	11.19
4.	हुबली-50 रेल इंजनों को खड़ा करने के लिए डीजल लोको शेड का निर्माण	कर्नाटक	15.26
5.	हुबली-मालडिब्बा उत्पादन सुविधाओं की स्थापना	कर्नाटक	15.00

लेफ्टिनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : उपाध्यक्ष जी, मिनिस्ट्री ने जो लिस्ट दी है, यदि उसे देखा जाए तो यह साफ पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में नई लाइनें देने की उपेक्षा हो रही है और इस बजट में भी ऐसा ही प्रतीत होता है। किसी भी लाइन को शुरू करने में उसकी क्षमता, उस लाइन से राजस्व की प्राप्ति और उसके बढ़ाने से रेलवे की लाइनों का बोझ कम होना जरूरी बात है। इसमें उत्तर पूर्वी रेलवे में लखनऊ-बरौनी लाइन जब नैरो गेज से ब्रॉड गेज की गई तो उसकी सामान ढोने की क्षमता 30 फीसदी बढ़ गई और पैसेंजर ट्रैफिक 25 फीसदी बढ़ गया। यह लाइन पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी बिहार, उत्तरी बंगाल और आगे चलकर असम को जाती है। यह बहुत पुरानी लाइन है। इसके होने से और लाइनों की क्षमता पर भी बढ़ोत्तरी होगी, बोझ कम होगा। क्या माननीय रेल मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ-बरौनी लाइन को दोहरा बनाने की रेल मंत्रालय की कोई सोच है? यदि है, तो कब तक और यदि नहीं है, तो क्यों नहीं है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : उपाध्यक्ष जी, इसमें सिर्फ यह प्रश्न पूछा गया है कि छह महीने के दरम्यान कितने प्रोजैक्ट्स को सरकार ने स्वीकृति देने का काम किया है। इसलिए जो माननीय सदस्य कह रहे हैं उसकी जानकारी हम बाद में दे देंगे। हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं, कल हमारे बहुत साथी ऐजीटेटेड थे, खास तौर से श्री सनत मेहता। जो मंजूरी दी जाती है...*(व्यवधान)* ठीक है, पूरे गुजरात और केरल के लोगों को भी।...*(व्यवधान)* मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। जो मेन प्रश्न है, वह स्वीकृति का है। स्वीकृति दो तरह की होती है।...*(व्यवधान)* अब सुन तो लीजिए। क्वश्चन आवर खत्म हो जाएगा तो उसका क्या फायदा होगा। कल भी हम जवाब देने वाले थे।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : एक मिनट रह गया है। ये जवाब नहीं दे पाएंगे। आप जवाब तो सुनना चाहेंगे। आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : जवाब सुन लीजिए। पिछले छः महीने के अंदर मथुरा-कासगंज और कासगंज-बरेली के आमान परिवर्तन के लिए उस लाइन को 396 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी गई है। मंजूरी दो तरह की होती है-एक पार्लियामैंट की और दूसरी कैबिनेट की होती है।

मध्याह्न 12.00 बजे

जो हमारे साथी कल गुजरात का सुरेन्द्रनगर और भावनगर का मामला उठा रहे थे, उसको पार्लियामेंट की मंजूरी मिल चुकी है और एक-दो के अन्दर कैबिनेट की भी मंजूरी मिल जाएगी। जहां तक पैसे का सवाल है, पैसे में एक-दो लाख रुपये की बात नहीं होती है। जब मंजूरी मिल जाती है तो रेलवे मिनिस्ट्री का मामला है, उसमें जितना भी पैसा खर्च करने का होगा, उसमें पैसा खर्च किया जाएगा। हम इतना विश्वास दिलाना चाहते हैं और यही कल मैं कहना चाहता था।

इसी तरह से करूर और सेलम की भी पार्लियामेंट की मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन कैबिनेट में वह मामला पेंडिंग है। एक-दो दिन में करूर और सेलम की भी मंजूरी मिल जाएगी और उसमें भी जितने पैसे की जरूरत है, वह दे दिया जाएगा। कल हम यही कहना चाहते थे लेकिन आप सुनने को तैयार नहीं थे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

लेफ्टिनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : हमारा सवाल का केवल इसी के साथ ताल्लुक नहीं था। हमारे कहने का मतलब था कि यह बहुत पुरानी लाइन है, इसको बनाने से राजस्व की प्राप्ति रेलवे मिनिस्ट्री को बहुत बढ़ी है और उस हिसाब से जिस-जिस इलाके में यह जाती है, उसमें ट्रैफिक इतना बढ़ रहा है कि इसके बारे में आप सोच करें। यह मैं केवल जानना चाहूंगा कि क्या आप इसके बारे में सोच करेंगे? इसके बारे में बाद में भी बताया जा सकता है।

श्री राम विलास पासवान : बिल्कुल, हम सोच करेंगे। सरकार की नीति पिछड़े वर्गों और पिछड़े इलाकों के लिए है और उत्तर प्रदेश भी पिछड़े हुए इलाकों में आता है। जहां कहीं भी सर्वे का काम कम्पलीट हो जाएगा, प्लानिंग कमीशन के पास में जाएगा, वहां से एक्सपेंडेड बोर्ड में आएगा, उसके बाद उसे कर लेंगे। लेकिन आपने जो कहा है, वह प्रश्न पिछले छह महीने का है। आप जिस रेलवे लाइन के सम्बन्ध में कह रहे हैं, उसपर जरूर विचार करेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

चौकीदार रहित रेलवे फाटकों पर हताहत व्यक्ति

*83. **श्री महेन्द्र सिंह भाटी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान चौकीदार रहित रेलवे फाटकों पर मारे गए/घायल हुए व्यक्तियों की संख्या क्या है; और

(ख) ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिना चौकीदार वाले समपारों पर हुई दुर्घटनाओं में मारे गए/घायल हुए व्यक्तियों की संख्या निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	मारे गए व्यक्तियों की संख्या	घायल हुए व्यक्तियों की संख्या
1993-94	146	273
1994-95	147	115
1995-96	117	162

(ख) बिना चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटनाएं सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही के कारण होती है। जो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 131 में निर्धारित सावधानियों का अनुसरण किए बिना समपारों को पार करते हैं।

बिना चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटनाओं की रोकथाम करने के लिए रेलों द्वारा किए गए उपायों में से कुछ उपाय निम्नलिखित हैं :—

(1) बिना चौकीदार वाले समपारों को जाने वाली सड़कों पर स्पीड ब्रेकर/रम्बल स्ट्रिप्स की व्यवस्था की गई है ताकि सड़क वाहन अपनी गति कम कर सकें।

(2) समपारों पर स्थित रेल लाइनों के साथ व्हिसल बोर्डों की व्यवस्था की गई है ताकि उनसे गाड़ी के ड्राइवरों को यह सूचित किया जा सके कि वह सड़क उपयोग-कर्ताओं को सावधान करने के लिए सीटी बजाए।

(3) बिना चौकीदार वाले समपारों पर संरक्षा के बारे में सड़क ड्राइवरों को शिक्षित करने के लिए टेलीविजन पर लघुचित्र, सिनेमा स्लाइड, रेडियो पर बातचीत और समाचार पत्रों तथा आवधिक पत्रिकाओं में विज्ञापन जैसे विभिन्न माध्यमों के जरिए प्रचार किया जाता है।

(4) राज्य सरकारों से समय-समय पर अनुरोध किया जाता है कि ट्रकों, बसों और अन्य भारी वाहनों के ड्राइवरों को ड्राइविंग लाइसेंस देते समय विशेष रूप से कड़ी जांच करें।

[अनुवाद]

पायलटों की हड़ताल

*87. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :**
श्री तारीक अनवर :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस के सभी पायलट एकमुश्त 23 जनवरी से 27 जनवरी, 1997 तक बीमारी की छुट्टी पर चले गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) पायलटों की हड़ताल के कारण एयरलाइंस को कुल कितनी हानि हुई;

(घ) इसके परिणामस्वरूप कितनी उड़ानों को रद्द करना पड़ा; और

(ङ) पायलटों द्वारा भविष्य में हड़तालें न होने देने तथा ऐसी हानि से बचने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी.एम. इब्राहीम) : (क) जी, हां।

(ख) 23.1.1997 को भारतीय वाणिज्यिक विमानचालक संघ के प्रतिनिधित्व वाले कुल 142 विमानचालकों ने 27.1.1997 तक बीमारी बताकर अथवा विभिन्न कारणों से उड़ानों का प्रचालन करने से मना करने जैसी सामूहिक कार्रवाई की। उक्त कार्रवाई के लिए मुख्य मुद्दे नीचे दिए अनुसार हैं :—

(1) निश्चित घंटों का गारंटीशुदा भुगतान;

(2) अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के दौरान नगद भत्ता;

(3) होटलों में उनके ठहरने के दौरान दो विमानचालकों को निःशुल्क भोजन;

(4) एलायन्स एयर के विमानचालकों के साथ तुलनीय भुगतान शर्तें।

(ग) और (घ) विमानचालकों की सामूहिक कार्रवाई के परिणामस्वरूप 83 उड़ानें रद्द की गई थीं। इस कार्रवाई से इंडियन एयरलाइन्स को लगभग 3 करोड़ रुपए की अनुमानित हानि हुई।

(ङ) भविष्य में इस प्रकार की हानियों से तथा विमानचालकों की हड़ताल से बचने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) इंडियन एयरलाइंस के प्रबन्धक वर्ग ने ऐसी किसी भी मांग पर विचार करने से मना कर दिया है जिसका मतलब भारतीय वाणिज्यिक विमानचालक संघ के साथ जनवरी, 1996 में हस्ताक्षरित समझौते पर, जो दिसम्बर, 1998 तक वैध है, पुनः विचार करना हो।

(2) उन सभी विमानचालकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ की गई थी जिन्होंने उड़ानें प्रचालित करने से इंकार कर दिया था।

(3) उन विमानचालकों के नाम, जिन्होंने एक से अधिक अवसरों पर बीमार होने की सूचना दी है। नागर विमानन महानिदेशक की मार्फत वायुसेना केन्द्रीय चिकित्सा प्रतिष्ठान को भेज दिए गए हैं ताकि उन्हें यह बात भविष्य में आवधिक चिकित्सा परीक्षा के दौरान विचारार्थ रिकार्ड पर रहे।

(4) प्रबंधन ने कोई विचार-विमर्श शुरू करने से पूर्व सामान्य स्थिति को बहाल करने पर जोर दिया।

एम आई-17 हैलीकाप्टर

*88. **श्री एन॰ रामकृष्ण रेड्डी** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस द्वारा निर्मित एम आई-17 हैलीकाप्टर भारत में सामान अथवा यात्रियों के परिवहन हेतु प्रयोग में लाये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इनकी संख्या क्या है;

(ग) क्या सरकार के ध्यान में यह रिपोर्ट आई है कि नेपाल ने सुरक्षा संबंधी कारणों से इन हैलीकाप्टरों की उड़ान बन्द कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुरक्षा उपाय किए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) और (ख) एम आई-17 हैलीकाप्टरों का भारत में सिविल विमान परिवहन प्रचालनों के लिए प्रयोग नहीं किया जा रहा है।

(ग) यह पता चला है कि नेपाल के महामहिम की सरकार ने दिसम्बर, 1996 में एम आई-17 हेलीकाप्टरों से यात्री प्रचालन करना अस्थायी रूप से बंद कर दिया था जोकि अब शुरू हो चुके हैं तथा उनके विशेषज्ञ मामले की जांच कर रहे हैं।

(घ) (क) और (ख) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

टेलीफोन कनेक्शन

*89. **श्री ए॰ सम्पथ** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार प्रत्येक राज्य में कितने टेलीफोन कनेक्शनों की मंजूरी दी गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार प्रतीक्षा सूची की स्थिति क्या है;

(ग) वर्ष 1996-97 के दौरान अब तक राज्यवार कितने नए टेलीफोन कनेक्शन दिए गए हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों और प्रतीक्षा सूची की स्थिति का राज्य-वार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ग) वर्ष 1996 और 1997 के दौरान अब तक प्रदान किए गए नए टेलीफोन कनेक्शनों की राज्य-वार संख्या विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शन और प्रतीक्षा सूची की स्थिति

क्र॰सं॰	राज्य का नाम	1993-94		1994-95		1995-96	
		प्रदान किए गए टेलीफोन	31.3.94 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची	प्रदान किए गए टेलीफोन	31.3.95 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची	प्रदान किए गए टेलीफोन	31.3.96 की प्रतीक्षा सूची
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	77,837	1,55,426	1,38,278	1,24,452	1,50,021	1,35,054
2.	असम	13,430	9,820	13,103	15,028	20,295	19,648
3.	बिहार	37,189	35,544	44,068	21,225	33,115	42,481
4.	गुजरात (दादर, दीव, दमन और नगर हवेली सहित)	82,187	1,98,808	1,22,507	1,88,114	1,34,832	2,11,799
5.	हरियाणा	41,793	69,310	47,008	60,885	52,486	76,914
6.	हिमाचल प्रदेश	11,009	18,415	21,349	13,520	30,212	24,768
7.	जम्मू एवं कश्मीर	7,047	18,190	4,983	20,530	5,988	27,919
8.	कर्नाटक	73,539	1,65,886	1,36,008	1,24,066	1,39,694	1,53,663

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	केरल (लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र सहित)	58,936	3,14,442	90,460	3,38,879	1,54,033	4,15,321
10.	मध्य प्रदेश	1,01,964	52,587	88,619	37,055	81,275	35,806
11.	महाराष्ट्र (गोवा और मुम्बई सहित)	2,45,463	3,41,529	3,60,807	2,61,743	4,18,131	2,36,716
12.	उत्तर-पूर्व (अरुणाचल प्रदेश मणिपुर, मेघालय, मिजोरम नागालैंड और त्रिपुरा सहित)	8,687	5,217	8,689	5,327	16,433	5,961
13.	उड़ीसा	21,021	4,171	18,638	9,726	31,014	14,682
14.	पंजाब (चंडीगढ़ सहित)	59,008	1,89,462	1,01,059	1,71,372	1,43,569	1,73,005
15.	राजस्थान	75,135	1,62,571	84,623	1,47,208	1,00,672	1,38,150
16.	तमिलनाडु (चेन्नई और पांडिचेरी संघ-राज्य क्षेत्र सहित)	94,116	3,10,992	1,40,899	2,97,784	2,07,452	3,41,829
17.	उत्तर प्रदेश	59,330	1,25,496	1,16,290	1,06,827	1,51,336	1,18,546
18.	पश्चिम बंगाल (सिक्किम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और कलकत्ता सहित)	47,885	68,083	70,240	78,963	1,12,463	95,538
19.	दिल्ली	1,25,020	2,50,901	1,53,090	1,30,243	2,00,070	9,221
	जोड़	12,40,636	24,96,850	17,69,718	21,52,943	21,83,091	22,77,021

विवरण-II

31.01.1997 की स्थिति के अनुसार, 1996-97 के दौरान दिए गए नए टेलीफोन कनेक्शनों की सूची

क्र॰सं॰	राज्य का नाम	टेलीफोन कनेक्शन
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	107494
2.	असम	10963
3.	बिहार	25094
4.	गुजरात (दादर, दीव, दमन और नगर हवेली सहित)	93187
5.	हरियाणा	27765
6.	हिमाचल प्रदेश	22745
7.	जम्मू एवं कश्मीर	8459
8.	कर्नाटक	90051
9.	केरल (लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र सहित)	106094
10.	मध्य प्रदेश	30536
11.	महाराष्ट्र (गोवा और मुम्बई सहित)	203591
12.	उत्तर-पूर्व (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा सहित)	8882
13.	उड़ीसा	24,629
14.	पंजाब (चंडीगढ़ सहित)	63056
15.	राजस्थान	54172
16.	तमिलनाडु (चेन्नई और पांडिचेरी संघ-राज्य क्षेत्र सहित)	124503
17.	उत्तर प्रदेश	104705
18.	पश्चिम बंगाल (सिक्किम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और कलकत्ता)	71392
19.	दिल्ली	102576
	जोड़	1279894

हवाई दुर्घटना

*90. **श्री चुन चुन प्रसाद यादव :**
प्रो॰ अजित कुमार मेहता :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1997 के दौरान दिल्ली में एक विमान दुर्घटना होते-होते बची थी जब मुम्बई से दिल्ली आ रहा इंडियन एयरलाइंस का एक विमान, जिसमें अन्य यात्रियों के साथ-साथ आप

भी सवार थे, खतरनाक ढंग से एयर इंडिया के एक विमान के बहुत निकट आ गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी•एम• इब्राहीम) : (क) दिनांक 4.11.97 को इंडियन एयरलाइंस की उड़ान आई•सी•–168 के कमाण्डर ने एयर इंडिया की उड़ान ए•आई•–308 के साथ टक्कर होते-होते बचने की रिपोर्ट की।

(ख) से (घ) नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा की गई घटना की जांच से पता चला है कि एयर इंडिया का विमान दिल्ली से 60 नॉटिकल मील पहले इंडियन एयरलाइंस के विमान से लगभग 3000 फुट की ऊर्ध्वाधर दूरी रखते हुए आगे निकल गया, अतः दोनों विमानों के बीच टकराव का जोखिम नहीं था।

(ङ) नागर विमानन महानिदेशालय ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को निम्नलिखित उपाय करने की सलाह दी है:—

(1) हवाई यातायात नियंत्रकों को, निर्धारित हवाई यातायात नियंत्रण कार्यविधि तथा अनुदेशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए।

(2) विमान को अनुदेश देते समय मानक पदावली प्रयोग में लानी चाहिए।

(3) नागर विमानन महानिदेशालय के अधिकारियों के सहयोग से हवाई यातायात नियंत्रण स्टाफ की प्रवीणता की बारंबार मॉनीटरिंग करनी चाहिए।

(4) मुम्बई तथा दिल्ली विमानपत्तनों की विमान यातायात सेवाओं के आधुनिकीकरण को शीघ्र प्रचालनात्मक बनाया जाना चाहिए।

(5) दिक्चालनात्मक संचार तथा अवतरण सुविधाओं का उपयुक्त रख-रखाव सुनिश्चित करना चाहिए।

टाटा-सिंगापुर एअरलाइंस संयुक्त उद्यम

***91. श्री प्रमोद महाजन :**
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्वदेशी एअरलाइंस क्षेत्र में विदेशी विमान कम्पनियों को इक्विटी भागीदारी की अनुमति न देने के बारे में सरकार की घोषित नीति संबंधी निर्णय के विपरीत विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ•आई•पी•बी•) ने हाल ही में टाटा-सिंगापुर एअरलाइंस संयुक्त उद्यम को अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है;

(ग) क्या इस संबंध में अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) भारतीय घरेलू विमान परिवहन में टाटा-सिंगापुर की इतनी अधिक क्षमता वाले उद्यम का क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(च) सरकार द्वारा घरेलू विमान कंपनियों के हितों की रक्षा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी•एम• इब्राहीम) : (क) और (ख) विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड ने टाटा-सिंगापुर एअरलाइंस के संयुक्त उद्यम सम्बन्धी प्रस्ताव की सिफारिश की थी। अंतर्देशीय विमान परिवहन सेवा में विदेशी इक्विटी तथा अनिवासी भारतीय इक्विटी भागीदारी की अनुमति देने की पद्धतियां अभी तैयार की जा रही हैं इसलिए सरकार ने इन पद्धतियों के बन जाने के बाद उक्त प्रस्ताव की पुनः जांच करने का फैसला किया है।

(ग) और (घ) जी, हां। ऐसे अभ्यावेदन मिले हैं कि इस प्रस्ताव को अनुमोदित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे मौजूदा अंतर्देशीय विमान प्रचालकों पर आमतौर पर तथा राष्ट्रीय वाहकों पर खास तौर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

(ङ) इस अवस्था में, भारतीय अंतर्देशीय विमान कम्पनियों पर पड़ने वाले सम्भावित प्रभाव का सुनिश्चित आंकलन करना मुश्किल है। तथापि, इंडियन एयरलाइंस की एक रिपोर्ट में, सम्भावित अतिक्षमता के परिणामस्वरूप ऋणता की बात कही गई है।

(च) सरकार अंतर्देशीय विमान कम्पनियों के हितों की रक्षा के प्रति सजग है तथा जब भी आवश्यकता होगी उपयुक्त कदम उठाए जाएंगे।

रेलवे में अनियमित कर्मचारियों को रोजगार

***92. श्री राम टहल चौधरी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में अनियमित कर्मचारियों को रोजगार प्रदान करते समय किन नियमों का पालन किया जाता है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान इन नियमों का उल्लंघन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है तथा जोनवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) मौजूदा नीति के अनुसार, रेलों पर नए नैमित्तिक श्रमिकों की तैनाती, इस संबंध में

अपनायी जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित मौजूदा अनुदेशों का पालन करते हुए तथा शैक्षिक योग्यता, चिकित्सा मानदंडों और उस कोटि विशेष के लिए, जिसमें उनके समाहन की संभावना है, निर्धारित आयु सीमा के अनुसार महाप्रबंधक के व्यक्तिगत पूर्व अनुमोदन से की जाती है।

ओपन लाइन और परियोजना, दोनों में, नैमित्तिक श्रमिकों को लगाते समय ग्रुप "घ" कोटियों की भर्ती में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित प्रतिशत को लागू किया जाता है।

कुछ महीनों तक चलते रहने वाले कार्यों के लिए नए नैमित्तिक श्रमिक लगाते समय रोजगार के लिए भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण से संबंधित आदेशों का भी पालन किया जाता है।

(ख) और (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

जर्मनी के साथ सहयोग

*93. **श्री गोरधन भाई जावीया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जर्मनी से रेल उपकरणों की आपूर्ति तथा उनकी स्थापना और उन्हें चालू करने के बारे में कोई सहयोग मांगा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) भारतीय रेल ने, गाजियाबाद और कानपुर के बीच सिगनल प्रणाली में सुधार करने के लिए जर्मनी की सहायता मांगी है। इस संबंध में एक प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के माध्यम से के॰एफ॰डब्ल्यू॰/जर्मनी को भेजा गया था, जिन्होंने व्यवहार्यता अध्ययन कराया था।

दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों पर प्रसारण समय

*94. **श्री सुधीर गिरि** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से दिसम्बर, 1996 की अवधि के दौरान दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों द्वारा कुल कितने घंटे का प्रसारण किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान क्षेत्रीय भाषाओं के लिए कितने घंटे का भाषावार तथा चैनलवार प्रसारण किया गया;

(ग) क्या दूरदर्शन द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं के विकास हेतु कोई भूमिका अदा की गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी, हां।

(घ) दूरदर्शन के असमिया, बंगला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल तथा तेलुगु भाषा के कार्यक्रमों सहित कई क्षेत्रीय भाषा उपग्रह चैनल हैं। ये चैनल केबल अथवा उपयुक्त डिश एण्टीना के जरिए समग्र देश में देखे जा सकते हैं तथा इसमें क्षेत्रीय नेटवर्क कार्यक्रम भी शामिल हैं जो प्रतिदिन अपराह्न 4.30 से 8.30 बजे संबंधित राज्यों में भी स्थलीय रूप से देखे जा सकते हैं। इस तरह, क्षेत्रीय भाषा उपग्रह सेवाएं, क्षेत्रीय भाषाओं में अधिक कार्यक्रमों के प्रसारण को सुविधाजनक बनाती हैं तथा देशभर में दर्शकों तक क्षेत्रीय कार्यक्रमों को पहुंचाती हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

प्रारंभिक केन्द्र तथा चैनल	प्रति सप्ताह प्रसारण का कुल समय (घंटे-मिनट)	प्रसारण की भाषा
1	2	3
दिल्ली		
× राष्ट्रीय नेटवर्क (ईटीवी सहित)	90-00	मुख्यतः हिंदी में। कुछ कार्यक्रम अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत में तथा सभी भारतीय भाषाओं में फीचर फिल्में।
× दिल्ली क्षेत्रीय (ईटीवी सहित)	32-00	मुख्यतः हिंदी, उर्दू, पंजाबी में तथा सभी बोलियों में फीचर फिल्में।
× मैट्रो नेटवर्क	92-00	मुख्यतः हिंदी तथा अंग्रेजी में। उर्दू में एक समाचार बुलेटिन।
× सिंगल मैट्रो	13-30	मुख्यतः हिंदी में तथा कुछ कार्यक्रम पंजाबी और अंग्रेजी में।
× डीडी-3	91-00	अंग्रेजी तथा हिंदी। सभी भारतीय भाषाओं में मूवी क्लब पर फीचर फिल्में।
× डीडी-इंटरनेशनल	119-00	अंग्रेजी तथा हिंदी। क्षेत्रीय भाषा में भी कुछ कार्यक्रम।
× डीडी-सीएनएनआई	14-00	अंग्रेजी।

1	2	3
लखनऊ		
× क्षेत्रीय	21-00	मुख्यतः हिंदी में। अंग्रेजी तथा उर्दू में कुछ कार्यक्रमों सहित एक समाचार बुलेटिन।
जयपुर		
× क्षेत्रीय	21-00	मुख्यतः हिंदी में। सिंधी, उर्दू, संस्कृत, राजस्थानी, काथा (स्थानीय बोली) में कुछ कार्यक्रम।
जालन्धर		
× क्षेत्रीय	22-30	मुख्यतः पंजाबी में। हिंदी, डोगरी, हिमाचली, हरियाणवी, उर्दू में कुछ कार्यक्रम।
× उपग्रह प्रणाली	16-00	पंजाबी।
श्रीनगर		
× क्षेत्रीय	22-00	मुख्यतः कश्मीरी, डोगरी, उर्दू में। गोगरी, पालरारी में कुछ कार्यक्रम, उर्दू में भी एक समाचार बुलेटिन।
× कश्मीर चैनल	37-00	कश्मीरी।
× उपग्रह प्रणाली	9-00	कश्मीरी।
मुंबई		
× क्षेत्रीय	32-00	मुख्यतः मराठी में। अंग्रेजी, हिंदी, कोंकणी तथा मालवानी में कुछ कार्यक्रम।
× सिंगल मैट्रो	15-00	मुख्यतः मराठी में। सिंधी, गुजराती में कुछ कार्यक्रम।
× उपग्रह प्रणाली	30-00	मराठी।
अहमदाबाद		
× क्षेत्रीय	25-00	मुख्यतः गुजराती में। हिंदी, उर्दू, सिंधी में कुछ कार्यक्रम।
× उपग्रह प्रणाली	30-00	गुजराती।
भोपाल		
× क्षेत्रीय	22-30	मुख्यतः हिंदी में। उर्दू में कुछ कार्यक्रम।
मद्रास		
× क्षेत्रीय	30-00	मुख्यतः तमिल में। अंग्रेजी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम में कुछ कार्यक्रम। डीडी-1 तथा डीडी-2 नेटवर्क कार्यक्रमों के तमिल रूपांतर भी लगातार प्रसारित किए जा रहे हैं।
× सिंगल मैट्रो	15-00	तमिल।
× उपग्रह प्रणाली	04-00	तमिल।
हैदराबाद		
× क्षेत्रीय	30-30	मुख्यतः तेलुगु में। उर्दू, कन्नड़, तमिल, हिंदी, मराठी में कुछ कार्यक्रम। उर्दू में भी एक समाचार बुलेटिन।
× उपग्रह प्रणाली	42-00	तेलुगु।
बंगलौर		
× क्षेत्रीय	25-00	मुख्यतः कन्नड़ में। उर्दू, संस्कृत, कोंकणी, तेलुगु में कुछ कार्यक्रम।
× उपग्रह प्रणाली	55-30	कन्नड़।
तिरुवनंतपुरम		
× क्षेत्रीय	25-00	मुख्यतः मलयालम में। तमिल और अंग्रेजी में भी कुछ कार्यक्रम।
× उपग्रह प्रणाली	54-00	मलयालम।

1	2	3
कलकत्ता		
× क्षेत्रीय	25-00	मुख्यतः बंगला में। नेपाली, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू में भी कुछ कार्यक्रम। डीडी-1 तथा डीडी-2 के कार्यक्रमों के बंगला रूपांतर भी लगातार प्रसारित किए जा रहे हैं।
× सिंगल मैट्रो	15-00	बंगला।
× उपग्रह प्रणाली	46-00	बंगला।
भुवनेश्वर		
× क्षेत्रीय	28-00	मुख्यतः उड़िया में। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू में कुछ कार्यक्रम।
× उपग्रह प्रणाली	9-00	उड़िया।
पटना		
× क्षेत्रीय	11-30	मुख्यतः हिंदी में। उर्दू, स्थानीय बोलिवों में कुछ कार्यक्रम।
गुवाहटी		
× क्षेत्रीय	17-30	मुख्यतः असमिया में। अंग्रेजी, हिंदी, स्थानीय बोलियों में कुछ कार्यक्रम।
× उत्तर-पूर्व सेवा	7-30	उत्तर-पूर्व की सभी भाषाओं में अंग्रेजी में लिंकिंग कमेंटरी के साथ उत्तर पूर्व सेवा कार्यक्रम।
× उपग्रह प्रणाली	30-00	असमिया तथा उत्तर-पूर्व की अन्य भाषाएं।
स्थानीय केन्द्र		
गोरखपुर	5-00	मुख्यतः हिंदी तथा भोजपुरी में। उर्दू में भी कुछ कार्यक्रम।
जम्मू	10-30	मुख्यतः डोगरी में। श्रीनगर से उर्दू समाचार बुलेटिन भी रिले किया जाता है।
नागपुर	5-00	मराठी।
राजकोट	3-45-00	मुख्यतः गुजराती में। हिंदी में भी कुछ कार्यक्रम।
पणजी	5-00	कोंकणी।
रायपुर	3-45-00	हिंदी।
गुलबर्गा	0-30	कन्नड़।
पांडिचेरी	2-30	मुख्यतः तमिल में। अंग्रेजी, फ्रेंच में कुछ कार्यक्रम।
रांची	5-00	मुख्यतः हिंदी, उर्दू, स्थानीय बोलियों में।
मुजफ्फरपुर	1-00	मुख्यतः हिंदी, उर्दू, स्थानीय बोलियों में।
सिलचर	5-00	बंगला।
डिब्रूगढ़	5-00	असमिया।
शिलांग	5-00	खासी, जनतिया, अंग्रेजी।
तुरा	5-00	गारो, अंग्रेजी।
कोहिमा	5-00	अंग्रेजी, स्थानीय बोलियां।
इम्फाल	5-00	मणिपुरी, अंग्रेजी, स्थानीय बोलियां।
अगरतला	5-00	बंगला, कोकबोरोक।
एजवाल	5-00	अंग्रेजी, नागालैंड की विभिन्न बोलियां।
इटानगर	5-00	अंग्रेजी, अरुणाचल प्रदेश की विभिन्न बोलियां।

द्विभाषी प्रस्तुतिकरण के साथ कई कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं तथा कई मामलों में विभिन्न केंद्रों से डब्ड रूपांतर सहित एक से अधिक भाषाओं में लगातार कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं तथा इस प्रकार वास्तविक ब्यौरे उपलब्ध नहीं है।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में दूरदर्शन के प्रसारण केन्द्र

*95. श्री बची सिंह रावत "बचदा" :
श्री पदमसेन चौधरी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में इस समय स्थानवार कितने आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान राज्य के विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसे नए केन्द्रों की स्थापना करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन्हें कब तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना है;

(घ) आकाशवाणी के किन-किन केन्द्रों से कुमांऊनी और गढ़वाली भाषा के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं और उन कार्यक्रमों की अवधि कितनी होती है;

(ङ) क्या नजीबाबाद आकाशवाणी केन्द्र से "ग्राम जगत" कार्यक्रम बंद कर दिया गया है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार का इस संबंध में क्या कार्रवाई करने का विचार है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी•एम• इब्राहीम) : (क) जैसाकि संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) आकाशवाणी तथा दूरदर्शन अपनी सेवाओं का उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों सहित समस्त देश में विस्तार करने के लिए सतत प्रयासरत हैं जोकि निधियों की उपलब्धता, अन्य आधारभूत सुविधाओं और पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। चूंकि 9वीं योजना को अभी तैयार किया जा रहा है, इसलिए नए दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्रों के स्थलों तथा अन्य ब्यौरों संबंधी कोई निश्चित सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है।

(घ) जैसाकि संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण-I

उत्तर प्रदेश में विद्यमान दूरदर्शन तथा आकाशवाणी केन्द्र/रिले केन्द्र

दूरदर्शन	आकाशवाणी (केन्द्र)
1	2
कार्यक्रम निर्माण केन्द्र	
बरेली	आगरा
लखनऊ	इलाहाबाद
गोरखपुर	अल्मोड़ा
उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	गोरखपुर
आगरा	कानपुर
इलाहाबाद	लखनऊ
बरेली	मथुरा
गोरखपुर	नजीबाबाद
कानपुर	रामपुर
लखनऊ	वाराणसी
मऊ	अलीगढ़ (विदेश सेवा)
मसूरी	के लिए ट्रांसमीटर
वाराणसी	बरेली
अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	फैजाबाद
अकबरपुर	झांसी
अलीगढ़	ओबरा
बहराइच	मसूरी
बलिया	पौड़ी (गढ़वाल)
बलरामपुर	
बांदा	
बस्ती	
चम्पावत	
देवरिया	
एटा	
इटावा	
फैजाबाद	
फर्रूखाबाद	
फतेहपुर	
गौरीगंज	
गोंडा	
हरदोई	
हरिद्वार	

1	2
	जगदीशपुर
	झांसी
	कासगंज
	काशीपुर
	कोटद्वार
	लखीमपुर
	लालगंज (प्रतापगढ़)
	लालगंज (राय बरेली)
	ललितपुर
	महोबा
	मैनपुरी
	मथुरा
	मऊ रानीपुर
	मुरादाबाद
	मुहमदाबाद
	नैनीताल
	ओबरा
	औरई
	पौड़ी
	पीलीभीत
	पिथौरागढ़
	पूरनपुर
	राय बरेली
	रामपुर
	रासरा
	सम्बल
	शाहजहानपुर
	सिकन्दरपुर
	सीतापुर
	सुल्तानपुर
	टनकपुर
	तिरवा
	आजमगढ़ (डीडी-2)
	कानपुर (डीडी-2)
	लखनऊ (डीडी-2)
अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	
	अल्मोड़ा
	बागेश्वर
	भटियारी
	देवप्रयाग
	धारचूला
	डोडीहाट
	गज्जा
	घन्दपाल
	गोपेश्वर
	हल्द्वानी
	जोशीमठ
	कलजीखाल
	कोतनी
	मानकापुर
	मुंशीयारी
	रानीखेत
	उत्तरकाशी
ट्रांसपोजर	
	चुर्क
	मसूरी
	न्यू टेहरी
	श्रीनगर

विवरण-II

क्र॰सं॰	केन्द्रों के नाम	कुमाऊंनी	गढ़वाली
1.	लखनऊ	$12\frac{1}{2}$ घंटे प्रति मास	$12\frac{1}{2}$ घंटे प्रति मास
2.	अल्मोड़ा	52 घंटे प्रति मास	10 घंटे प्रति मास
3.	नजीबाबाद	4 घंटे तथा 30 मिनट प्रति मास	30 घंटे प्रति मास
4.	पौड़ी	—	20 घंटे प्रति मास

कर्नाटक स्थित हासन में विमानपत्तन

*96. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने हासन में एक विमानपत्तन का निर्माण करने हेतु भूमि का अधिग्रहण कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त विमानपत्तन के प्रस्ताव को केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या किसी दक्षिणी राज्य में किसी नए विमानपत्तन के निर्माण का भी विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी•एम• इब्राहीम) : (क) और (ख) राज्य सरकार हासन हवाई अड्डे के विकास के लिए 350 एकड़ भूमि अधिग्रहीत करने की प्रक्रिया में है, 145 एकड़ सरकारी भूमि पहले ही उपलब्ध है।

(ग) जी, हां।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) गुलबर्गा तथा कन्नानोर में नए हवाई अड्डों के निर्माण के बारे में विचार किया जा रहा है। इन हवाई अड्डों के निर्माण हेतु उपयुक्त स्थलों की अभी पहचान की जानी है।

खनन कार्य को पट्टे पर देने के बारे में राज्यों को शक्तियों का प्रत्यायोजन

*97. **श्री बुद्धसेन पटेल :**
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खनन पट्टों का नवीनीकरण करने और नए लाइसेंस देने के बारे में राज्यों को शक्तियां प्रत्यायोजित करने का है;

(ख) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में एक समिति गठित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं; और

(ङ) यह समिति अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर देगी?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 की धारा 26 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (दिनांक 30 जनवरी, 1997 की अधिसूचना सं• 69 (इ) द्वारा) यह निदेश दिया है कि इस अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) और धारा 8 की उपधारा (2) के अंतर्गत इस अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग ग में निर्दिष्ट खनिजों के संबंध में किसी राज्य के किसी क्षेत्र में उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली नवीकरण संबंधी शक्तियों का प्रयोग उस राज्य की सरकार कर सकेगी।

(ग) से (ङ) केन्द्र सरकार ने सचिव (खान), भारत सरकार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है जिसके उपाध्यक्ष खान मंत्रालय के अपर सचिव हैं। उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, असम और हिमाचल प्रदेश के खनन सचिव, भारतीय खनिज उद्योग संघ के महासचिव और भारतीय खान ब्यूरो के महानियंत्रों इसके सदस्य और खान मंत्रालय के संयुक्त सचिव इसके सदस्य सचिव हैं। समिति के विचारार्थ विषयों में, अन्य बातों के साथ-साथ, खनिजों के विनियमन और विकास को नियंत्रित करने वाले मौजूदा कानूनों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करना और उन्हें नीति में किए गए परिवर्तनों के अनुकूल बनाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की सिफारिश करना और पूर्वेक्षण लाइसेंस/खनन पट्टे देने/नवीकरण में होने वाली देरी को कम करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की सिफारिश करना शामिल है। समिति को पूर्वेक्षण लाइसेंस/खनन पट्टे देने/नवीकरण करने तथा अवैध खनन को रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों के संबंध में राज्य सरकारों को और शक्तियां प्रदान करने पर भी विचार करना और सुझाव देना है। आशा है कि समिति यथा शीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी।

[हिन्दी]

रेल दुर्घटनाएं

*98. **श्रीमती केतकी देवी सिंह :**
श्री राजकेशर सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान अब तक जोनवार कितनी रेल दुर्घटनाएं हुई हैं;

(ख) इन दुर्घटनाओं तथा रेलगाड़ियों के पटरी से उतरने के क्या कारण हैं;

(ग) इन दुर्घटनाओं में जोनवार कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, कितने व्यक्ति घायल हुए हैं तथा कितने व्यक्ति विकलांग हुए हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में दुर्घटनाओं के कारण रेलवे को कितनी क्षति हुई है; और

(ङ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी रेल दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) अप्रैल 1996 से जनवरी 1997 की अवधि के दौरान हुई परिणामी गाड़ी

दुर्घटनाओं और उनमें हताहत हुए व्यक्तियों का रेलवे जोनवार ब्यौरा निम्नानुसार है :—

रेलवे	दुर्घटनाओं की संख्या	मारे गए व्यक्तियों की संख्या	घायल हुए व्यक्तियों की संख्या
मध्य	45	14	56
पूर्व	25	12	39
उत्तर	48	29	33
पूर्वोत्तर	20	104	102
पूर्वोत्तर सीमा	13	33	62
दक्षिण	29	47	29
दक्षिण मध्य	34	57	59
दक्षिण पूर्व	51	16	29
पश्चिम	40	11	45
मेट्रो	1	–	–
जोड़	306	323	454

नोट : 1. हताहतों में वे व्यक्ति भी शामिल हैं जो समपारों पर हुई दुर्घटनाओं में हताहत हुए हैं।

2. आंकड़े अनंतिम हैं।

दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण मानवीय चूक, उपस्करों की खराबी तथा तोड़-फोड़ थी।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं के कारण रेल संपत्ति को हुई क्षति की लागत निम्नानुसार है:—

1993-94	57.09 करोड़ रुपये
1994-95	46.57 करोड़ रुपये
1995-96	65.19 करोड़ रुपये

(ङ) संरक्षा में सुधार लाने तथा दुर्घटनाओं की रोक-थाम के लिए किए गए कुछ उपाय इस प्रकार हैं:—

(1) ट्रंक मार्गों और अन्य महत्वपूर्ण मुख्य लाइनों पर रेलपथ परिपथन (ट्रैक सर्किटिंग) के काम में तेजी लाई गई है।

(2) दुर्घटनाओं में मानवीय भूल की संभावनाओं को कम करने के लिए, सिंगनलिंग सर्किटरी में बदलाव किया जा रहा है।

(3) मुंबई उपनगरीय खंडों पर चलती गाड़ी के ड्राइवर को खतरे के सिगनलों के बारे में अग्रिम चेतावनी देने के लिए, सहायक चेतावनी प्रणाली शुरू कर दी गई है।

(4) रेलपथ के अनुरक्षण के लिए, टाईटेम्पिंग और गिट्टी छनाई मशीनों के उपयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि की गई है।

(5) रेलपथ ज्यामिति और रेलपथ की चालन संबंधी विशेषताओं पर निगरानी रखने के लिए, परिष्कृत रेलपथ अभिलेखी यान, दोलनलेखी यान और सुबाह्य त्वरणमापियों का उत्तरोत्तर उपयोग किया जा रहा है।

(6) कई डिपुओं में सवारी और माल डिब्बों के अनुरक्षण की सुविधाओं को आधुनिक बनाया गया है और उन्हें अपग्रेड किया गया है।

(7) धुरों की कोल्ड ब्रेकेज के मामलों की रोकथाम के लिए धुरों में दोषों का पता लगाने के लिए नेमी ओवरहाल डिपुओं में अल्ट्रासॉनिक टेस्टिंग उपस्कर लगाए गए हैं।

(8) बिना चौकीदार वाले समपारों पर सीटी बोर्डों/गति रोधकों और सड़क चिह्नों की व्यवस्था की गई है और ड्राइवरों के लिए दृश्यता में सुधार किया गया है।

(9) सड़क उपयोगकर्ताओं को यह समझाने के लिए कि रेलपथ को सुरक्षित ढंग से कैसे पार करना है, दृश्य-श्रव्य प्रचार अभियान चलाए जाते हैं।

(10) यात्री गाड़ियों में ज्वलनशील तथा विस्फोटक सामग्री ले जाने पर रोक लगाने के लिए कदम उठाए गए हैं।

(11) ड्राइवरों, गार्डों और गाड़ी परिचालन के काम में लगे कर्मचारियों की प्रशिक्षण संबंधी सुविधाओं को आधुनिक बनाया गया है। इसमें ड्राइवरों के प्रशिक्षण के लिए सिमुलेटरों का उपयोग भी शामिल है।

(12) विनिर्दिष्ट समयान्तरालों पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का नियमित रूप से आयोजन किया जाता है।

(13) गाड़ी परिचालन के काम में लगे कर्मचारियों के कार्य-निष्पादन पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है और जिनमें कोई कमी पाई जाती है, उन्हें क्रैश प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है।

(14) कर्मचारियों में संरक्षा की भावना पैदा करने के लिए, समय-समय पर संरक्षा अभियान चलाए जाते हैं।

[अनुवाद]

केलकर समिति

*99. **श्री मोहन रावले :**
श्री जी॰ए॰ चरण रेड्डी :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस के वित्तीय ढांचे के पुनर्गठन हेतु गठित विजय केलकर समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इन सिफारिशों को कब तक लागू किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो समिति द्वारा यह रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी•एम• इब्राहीम) : (क) जी, हां।

(ख) इंडियन एयरलाइंस के घाटे के कारणों की व्यापक रूप से जांच करने तथा पूर्व स्थिति बहाल करने के लिए कार्य-नीति तैयार करने के लिए केलकर समिति का गठन किया गया था।

जांच के बाद समिति ने निष्कर्ष निकाला कि इंडियन एयरलाइंस ने जो वर्ष, 1988-89 तक लाभ कमाने वाला संगठन था, इसके नियंत्रण से परे के कारणों से घाटे में जाना शुरू कर दिया, इनमें से मुख्य तीन कारण थे-

ए-320 विमानों के बेड़े को लम्बी अवधि के लिए ग्राउण्ड करना, इंडियन एयरलाइंस में वायुदूत का विलय तथा अलाभकारी सेक्टरों पर निर्धारित सीमा से अधिक प्रचालन।

इसी सन्दर्भ में समिति ने पूर्वस्थिति बहाल करने के लिए एक कार्यनीति की सिफारिश की थी। केलकर समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्नलिखित से संबंधित हैं :-

1. वित्तीय पुनर्गठन जिसमें मुआवजे के रूप में 922 करोड़ रुपए का पूंजी अंत:क्षेप, अधीन ऋण, इक्विटी तथा इंडियन एयरलाइंस एवं कर्मचारियों का अंशदान शामिल है।
2. बेड़ा आयोजन।
3. मार्गों का युक्ति युक्त करण।
4. संगठनात्मक पुनर्गठन।
5. मानव संसाधन प्रबंन्ध।

केलकर समिति की सिफारिश के अनुसार पूंजी अंत:क्षेप वर्ष 1999-2000 से सरकार को इसके अंशदान का प्रतिफल देना शुरू कर देगा। समिति का निष्कर्ष है कि पूर्वस्थिति बहाली संबंधी पैकेज पर विचार करके इसे शीघ्रता और समग्रता से स्वीकार किया जाना चाहिए।

चूंकि पूर्वस्थिति बहाली की इस कार्यनीति में एक विशाल वित्तीय अंशदान अंतर्ग्रस्त है इसलिए इसके कार्यान्वयन को त्वरित करने हेतु मामले को वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग के साथ उठाया गया है।

(ग) ऊपर (क) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, बर्नपुर

*100. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 फरवरी, 1997 को "बिजनेस स्टेन्डर्ड," नई दिल्ली में प्रकाशित समाचार "इस्को इवैल्यूएशन आन 26 फरवरी" की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो बी•आई•एफ•आर• द्वारा बर्नपुर स्थित इस सरकारी क्षेत्र की रूग्ण इकाई का पुनरूद्धार करने के लिए क्या सिफारिशें की गई हैं;

(ग) सरकार द्वारा उन सिफारिशों के संबंध में क्या कार्रवाई करने का विचार है;

(घ) इस्को, बर्नपुर, पश्चिम बंगाल को आधुनिक बनाने और उसका पुनरूद्धार करने के संबंध में अद्यतन स्थिति क्या है;

(ङ) क्या सरकार उक्त इस्पात कम्पनी का निजीकरण करने पर भी विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) जी, हां।

(ख) से (च) इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी लिमिटेड (इस्को) को जून, 1994 में बी•आई•एफ•आर• को संदर्भित किया गया था। संयुक्त उद्यम कंपनी में 51 प्रतिशत की अधिकांश शेयर धारिता "सेल" ने अपने पास रखते हुए संयुक्त उद्यम व्यवस्था के माध्यम से इस्को के पुनरूद्धार/आधुनिकीकरण में भागीदारी के लिए अगस्त, 1996 में पेशकश आमंत्रित की थी। सेल को 2 पार्टियों अर्थात् रूस की मैसर्स त्याजप्रोमेक्सपोर्ट (टी•पी•ई•) तथा जापान की मैसर्स मित्सुई से प्रस्ताव प्राप्त हुए। जापान की मैसर्स मित्सुई ने साम्या भागीदारी जोकि संयुक्त उद्यम भागीदार के चयन के लिए अनिवार्य आवश्यकता है, के लिए अपनी अनिच्छा व्यक्त की है। इसके परिणामस्वरूप इस्को पुनरूद्धार के लिए अभी केवल एक प्रस्ताव उपलब्ध है। मैसर्स टी•पी•ई• ने सेल को सूचित किया है कि उन्हें अपनी पुनरूद्धार योजना प्रस्तुत करने के लिए तीन माह का समय बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके फलस्वरूप सेल ने औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी•आई•एफ•आर•) से 4 माह का समय बढ़ाने का अनुरोध किया है।

चूंकि "इस्को" को बी•आई•एफ•आर• को संदर्भित कर दिया गया है। अत: आधुनिकीकरण के लिए शुरू की जाने वाली कोई भी योजना बी•आई•एफ•आर• के आदेशों के अनुरूप ही होगी।

कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय

858. **श्री ए•जी•एस• राम बाबू** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन सी श्रेणी के कर्मचारी कर्मचारी राज्य बीमा स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत आते हैं तथा गत दो वर्षों के दौरान कर्मचारियों से श्रेणी-वार कितना अंशदान लिया गया है;

(ख) क्या कर्मचारी राज्य बीमा के औषधालयों की सामान्य तथा स्वच्छता स्थिति में सुधार करने तथा रोगियों को दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं में वृद्धि करने के लिए कोई योजना तैयार की गई है; और

(ग) तमिलनाडु में कर्मचारी राज्य बीमा के औषधालयों का नगर-वार ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री एम॰ अरुणाचलम) : (क) इस समय 6500/- रु॰ प्रतिमाह तक मजदूरी पाने वाले कर्मचारी कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत शामिल किये जाते हैं/शामिल किये जाने योग्य हैं। गत दो वर्षों के दौरान, सभी कर्मचारियों की मासिक मजदूरी के 1.50 प्रतिशत की दर से अंशदान काटा गया था।

(ख) जी, हां।

(ग) तमिलनाडु में जिलावार कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र॰सं॰	जिले का नाम	औषधालयों की संख्या
1.	मद्रास	22
2.	चेंगलपटु	17
3.	दक्षिणी आरकॉट	2
4.	वैल्लोर अम्बेडकर	8
5.	थिरूवन्नामलाई सम्बूवरयर	1
6.	सलेम	12
7.	धर्मपुरी	3
8.	त्रिची	8
9.	तन्जौर	5
10.	पुडुकोट्टई	1
11.	कोयम्बटूर	33
12.	पेरियार	2
13.	मदुरई	10
14.	अन्ना	5
15.	कामराजार	7
16.	पसुमपोन मुथ्थुरामलिंगम	2
17.	चिदाम्बरानार	4
18.	नैलई काट्टा बोम्मान	7
19.	कन्याकुमारी	2
20.	नीलगिरी	1
	कुल	152

टिप्पणी : इसके अतिरिक्त, क॰रा॰बी॰ के पास 6 सचल औषधालय और 2 अनुप्रयोज्य औषधालय हैं जो तमिलनाडु के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं।

कलकत्ता उपनगर खण्ड में 12 डिब्बों वाली ई॰एम॰यू॰ की शुरूआत

859. **श्री अनिल बसु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कलकत्ता उपनगर सेक्शन में 12 डिब्बों वाली ई॰एम॰यू॰ शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) निकट भविष्य में ऐसी कोई योजना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अवसंरचनात्मक तंगियों के कारण।

स्थानीय डायलिंग सुविधाएं

860. **श्री हाराधन राय :**
श्री बलाई चन्द्र राय :
श्री महबूब जहेदी :

क्या संचार मंत्री 21 नवम्बर, 1996 के अतारांकित प्रश्न सं॰ 290 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर एस॰डी॰सी॰ए॰ एक्सचेंजों को आसनसोल एस॰डी॰सी॰ए॰ एक्सचेंजों के साथ जोड़ने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि इस सम्पूर्ण क्षेत्र के प्रयोक्ता स्थानीय डायलिंग सुविधाओं का लाभ उठा सकें; और

(ख) पश्चिम बंगाल में ग्रुप डायलिंग प्रणाली उपलब्ध कराने में हुए विलम्ब के क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) दुर्गापुर के कम दूरी के प्रमारण क्षेत्र के (एस॰डी॰सी॰ए॰) एक्सचेंजों की डिजिटल सूक्ष्म तंरग के माध्यम से आसनसोल एस॰डी॰सी॰ए॰ एक्सचेंजों के साथ अच्छी सम्पर्कता है। मौजूदा नियमों के अंतर्गत दो कम दूरी के प्रमारण क्षेत्रों के मध्य स्थानीय काल सुविधा अनुमत्य नहीं हैं।

(ख) पश्चिम बंगाल सर्किल में समूह डायलिंग सुविधा प्रदान करने में कोई विलम्ब नहीं हुआ है, क्योंकि अधिकांश गांवों को यह सुविधा दी जा चुकी है। उपस्कर और पारेषण माध्यम के उपलब्ध होने पर शेष एक्सचेंजों में यह सुविधा उत्तरोत्तर रूप से उपलब्ध कराई जा रही है।

रेलवे को चक्रवात के कारण हुई हानि

861. **श्री आर॰ साम्बासिवा राव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में तूफान और वर्षा की अवधि के दौरान 1996 में प्रमुख रेलपथ तथा लाइनें प्रभावित हुई थीं;

(ख) यदि हां, तो रेलवे को चक्रवात और वर्षा के कारण कुल कितनी हानि हुई थी;

(ग) क्या सभी क्षतिग्रस्त रेल लाइनों की मरम्मत कर दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस कार्य पर कुल कितना व्यय हुआ है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) लगभग 7.20 करोड़ रुपये।

(ग) अस्थायी तौर पर सभी क्षतिग्रस्त लाइनें पुनर्स्थापित कर दी गई हैं और स्थायी पुनर्स्थापन का कार्य प्रगति पर है।

(घ) अस्थायी पुनर्स्थापन के कार्य पर लगभग 7.20 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। स्थायी पुनर्स्थापन के कार्य पर लगभग 19.90 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

चौकीदार रहित फाटकों को बन्द करना

862. **श्री बसुदेव आचार्य :**

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने देशभर में, बड़ी संख्या में बिना चौकीदार वाले फाटक बन्द करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो जोन-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इन फाटकों को बन्द करने से पहले विकल्प रास्ते प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख)

रेलवे	समपारों की संख्या
1	2
मध्य	46
पूर्व	19
उत्तर	85
पूर्वोत्तर	93
पूर्वोत्तर सीमा	103
दक्षिण	117
दक्षिण मध्य	37
दक्षिण पूर्व	8
पश्चिम	28
जोड़	536

(ग) जी हां। अपेक्षित औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद जहां भी आवश्यक होगा समपारों को बंद कर दिया जाएगा।

(घ) 65 समपार सड़कें मौजूदा निकटवर्ती पुलों से होकर गुजरेंगी। 351 समपारों को निकटवर्ती समपारों से जोड़ा जाएगा।

(ङ) 120 समपारों को बंद किया जाएगा। चूंकि इन पर या तो यातायात नहीं है अथवा बहुत कम है। अतः इन समपारों को जारी रखने का औचित्य नहीं बनता है।

भोपाल जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस में आग

863. **श्री जंग बहादुर सिंह पटेल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस में 18 जनवरी, 1997 को आग लग गयी थी;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) जी हां। 18.1.1997 को मध्य रेल के नई दिल्ली-आगरा खंड पर अझाई स्टेशन पर 2002 नई दिल्ली-भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस के जनरेटर-कम-लगेज-वैन के अंडर फ्रेम में आग लग गई थी। आग की घटना की जांच मध्य क्षेत्र के रेल संरक्षा कमिश्नर द्वारा की जा रही है जिसके निष्कर्ष की प्रतीक्षा है।

(ग) ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(1) ओवरहालिंग के समय सभी सवारी डिब्बों की विद्युत फिटिंग का उचित अनुरक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है।

(2) उपयुक्त बिजली फिटिंग तथा यात्री गाड़ियों में अलार्म चेन उपस्कर के सुचारू कार्य संचालन को सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण डिपुओं में जांच की जाती है।

(3) गाड़ियों में यात्रियों को ज्वलनशील पदार्थ ले जाने की अनुमति नहीं दी जाती है।

(4) आग पर तत्काल काबू पाने के लिए रेल इंजनों, ब्रेक वैनों, वातानुकूलित शयनयानों, पैंट्रीकारों तथा जनरेटर वैनों में सुवाह्य अग्निशमक मुहैया कराए जाते हैं।

(5) अग्निशमन तकनीक में कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

(6) यात्री गाड़ियों में ज्वलनशील और विस्फोटक सामग्रियों को ले जाने से संबंधित खतरों के बारे में विभिन्न मीडिया से यात्रियों को सजग कराना। इस संबंध में समय-समय पर जांच की जाती है।

महाप्रबंधकों को जरूरी शक्तियां

864. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाप्रबंधकों को ट्रेन सेवाओं को सुचारू बनाने हेतु सवारी डिब्बे खरीदने की और अपने सम्बद्ध जोनों में रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ाकर न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करने की जरूरी शक्तियां देने का तथा इसके लिए उन्हें आवश्यक वित्तीय अधिकार प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय रेलों पर सवारी डिब्बों की आवश्यकता अधिकांशतः सवारी डिब्बा कारखाना एवं रेल कोच फैक्टरी द्वारा पूरी की जाती है। यात्री वाहनों की खरीद और विभिन्न क्षेत्रीय रेलों पर उनका आवंटन समग्र आधार पर रेलवे बोर्ड द्वारा किया जाता है तथा क्षेत्रीय रेलों को स्थानीय तौर पर सवारी डिब्बों की खरीद के लिए प्राधिकृत करना वांछनीय नहीं समझा जाता है।

असम में दूरदर्शन ट्रांसमीटर

865. डा॰ प्रवीन चंद्र शर्मा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष असम में उच्च क्षमता, निम्न क्षमता तथा अति निम्न क्षमता वाले कितने ट्रांसमीटर स्थापित किए गए;

(ख) क्या असम के सीमावर्ती जिले पड़ोसी देशों द्वारा अपने उच्च क्षमता वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटरों तथा रेडियो ट्रांसमीटरों के माध्यम से चलाए जा रहे दुष्प्रचार से प्रभावित है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार किया है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) हालांकि 1994-95 के दौरान 4 अल्प शक्ति ट्रांसमीटर तथा 1995-96 के दौरान 6 अल्प शक्ति ट्रांसमीटर तथा एक अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित किए गए थे तथापि, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कोई ट्रांसमीटर स्थापित नहीं किया गया है।

(ख) हालांकि पड़ौसी देशों से असम के कुछ भागों में टी॰वी॰/रेडियो संकेत प्राप्त होते हैं, तथापि, इन देशों द्वारा प्रचार संबंधी कोई रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ग) आकाशवाणी और दूरदर्शन की असम के सीमावर्ती क्षेत्रों की कवरेज को सुदृढ़ करने की योजना है। वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन आकाशवाणी परियोजनाओं के पूरा होने पर असम राज्य में जनसंख्यावार रेडियो कवरेज मौजूदा 83 प्रतिशत से 99 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी। दूरदर्शन का तेजपुर, जोरहाट तथा कोकराझार में उच्च शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित करने का प्रस्ताव है जो धनराशि, आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता तथा पारस्परिक प्राथमिकताओं के अधीन है।

हवाई यातायात वृद्धि

866. श्री अनन्त गुढ़े : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगले तीन वर्षों के दौरान देश में प्रमुख हवाई अड्डे-वार हवाई यातायात में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है;

(ख) देश में तेजी से बढ़ रहे हवाई यातायात का सामना करने के लिए प्रस्तावित उन्नयन विस्तार आधुनिकीकरण योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में अगले तीन वर्षों के दौरान हवाई यातायात के बुनियादी ढांचे के विकास पर किए गए निवेश का ब्यौरा क्या है; और

(घ) हवाई यातायात में तीव्र वृद्धि को व्यवस्थित करने के लिए हवाई अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने और उसका आधुनिकीकरण करने के लिए क्या नीतियां और प्राथमिकताएं तैयार की गई हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) अगले तीन वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्देशीय यात्री यातयात में क्रमशः 8 प्रतिशत और 12.5 प्रतिशत की वृद्धि होने की सम्भावना है।

(ख) नौवीं योजना अवधि में निम्नलिखित विमानपत्तनों का स्तरोन्नयन किया जाएगा :-

सीमित अंतर्राष्ट्रीय प्रचालनों के लिए : अहमदाबाद, औरंगाबाद, अमृतसर, भुवनेश्वर, कालीकट, कोयम्बतूर, गुवाहटी, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, मंगलौर, मदूरै और वाराणसी।

अंतर्देशीय प्रचालनों के लिए : अगरतला, बागडोगरा, (सिविल एन्क्लेव), भोपाल, भुज (सिविल एन्क्लेव), भावनगर, डिब्रूगढ़, गया, हसन, इंफाल, जबलपुर, जम्मू, कानपुर, कारगिल, लीलाबाड़ी, पोरबंदर, पोर्टब्लेयर (सिविल एन्क्लेव) रायपुर, सिल्चर, (सिविल एन्क्लेव) तेजपुर (सि॰ ए) तिरूपति और विजयवाड़ा। इसके अतिरिक्त, हुबली और बेलगाम विमानपत्तनों का स्तरोन्नयन तथा गुलबर्ग और कैन्नौर में नए विमानपत्तनों के निर्माण पर विचार किया जा रहा है।

(ग) और (घ) अगले तीन वर्षों के लिए विमान यातायात संबंधी आधारभूत ढांचे के विकास के लिए अनुमान निम्नवत हैं :-

वर्ष	करोड़ रुपयों में
1997-98	609.15
1998-99	666.37
1999-2000	753.29

वैमानिक आधारभूत ढांचे का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है।

विशाखापत्तनम में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

867. **डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी एजेन्सियों के सहयोग से विशाखापत्तनम में एक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकसित करने का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ अध्ययन करने तथा सम्भाव्यता रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु रेल इंडिया टेम्पों इकोनामिक सर्विसेज को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया है;

(ग) यदि हां, तो विशाखापत्तनम में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कब तक स्थापित कर दिये जाने की संभावना है;

(घ) क्या विशाखापत्तनम में विद्यमान हवाई अड्डे को विकसित करने की कोई गुंजाइश नहीं है तथा इसीलिए सरकार ने अन्ततः एक अलग हवाई अड्डा विकसित करने का निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) से (ग) आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार की गैर-सरकारी हिस्सेदारी के साथ विशाखापत्तनम में एक नये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे के निर्माण की योजना है। इसके लिए विशाखापत्तनम के दक्षिण-पश्चिम से 45 कि॰मी॰ पर अच्युतपुरम के निकट एक स्थान उपयुक्त पाया गया है। राज्य सरकार ने मैसर्स राईट्स को अच्युतपुरम के निकट हवाई अड्डे के निर्माण के लिए आर्थिक तकनीकी तथा व्यवहार्यता अध्ययन के लिए नियुक्त किया है।

(घ) और (ङ) जी, हां। विशाखापटनम हवाई अड्डा भारतीय नौ-सेना का है तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की मौजूदा हवाई अड्डे के विकास की कोई योजना नहीं है।

बर्दवान, पश्चिम बंगाल में टेलीफोन कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची

868. **श्री बलाई चन्द्र राय :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले में टेलीफोन कनेक्शन हेतु प्रतीक्षा सूची में कितने व्यक्ति हैं तथा तत्संबंधी केन्द्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन कब तक मिल जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) 31.1.97 की स्थिति के अनुसार पश्चिम बंगाल में बर्दवान जिले में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या 12482 है। एक्सचेंज-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) तकनीकी तौर पर अव्यवहार्य मामलों को छोड़कर, मार्च, 1998 तक टेलीफोन कनेक्शन प्रदान कर दिए जाएंगे।

विवरण

31.1.97 की स्थिति के अनुसार बर्दवान जिले में एक्सचेंज-वार प्रतीक्षा सूची

क्र॰सं॰	एक्सचेंज का नाम	प्रतीक्षा सूची
1	2	3
1.	अंडल	57
2.	आसनसोल	1276
3.	बगूरा	50
4.	बहुला	46
5.	बारकर	292
6.	बर्नपुर	410
7.	धिन्धुरिया	2
8.	धितरंजन	631
9.	डोमोहनी	14
10.	जमुरियाहाट	52
11.	कजोरा	46
12.	नेमतपुर	117
13.	नूतनडांगा	34

1	2	3
14.	पांडवेश्वर	95
15.	पानुरिया	17
16.	रानीगंज	264
17.	उखरा	124
18.	अगरडबिप	48
19.	अंगुना	2
20.	बाडल	30
21.	पैडयापुर	25
22.	बलगोना	45
23.	बरडीघी	13
24.	भातर	58
25.	भेडिया	17
26.	बोनपास	50
27.	बुलबुलोताला	6
28.	बर्दवान	2276
29.	चाकडीघी	79
30.	चंद्रपुर	7
31.	चुरपुनी	50
32.	दैनहाट	38
33.	देवीपुर	6
34.	धरतीग्राम	67
35.	डिगनगर (आई)	40
36.	गालसी	73
37.	गंगाटीकुरी	4
38.	गुसकारा	67
39.	हटकोबिंदपुर	80
40.	जमालपुर	120
41.	जौग्राम	45
42.	कैचर	27
43.	कालना	334
44.	कमरपारा	40
45.	कंद्रा	10
46.	कनरालाघाट	12
47.	कसेमनगर	64
48.	कटवा	472
49.	केटुग्राम	3
50.	खुदरन	103
51.	कुंचटी	10
52.	कुरमुन	12
53.	मंतेश्वर	80
54.	मेमारी	228
55.	मोंडलग्राम	6
56.	नावाग्राम (आई)	10
57.	नदनघाट	13
58.	नूतनहाट	5
59.	पालसिट	44
60.	पंचाननताला	60
61.	पारज	33
62.	परूलिया	36
63.	पटूली	5
64.	रामगोपालपुर	7
65.	रसूलपुर-II	71
66.	साहिबगंज	8
67.	शक्तिगढ़-I	15
68.	समुद्रगढ़	70
69.	सतगछिंया	363
70.	सेहराबाजार	77
71.	श्यामसुन्दर	99
72.	सिमलोन	31
73.	श्रीखंडा	45
74.	बिधाननगर	186
75.	बडबड	210
76.	दुर्गापुर (सीसी)	557
77.	दुर्गापुर (आई)	467
78.	दुर्गापुर (एस)	1484
79.	पानागढ़ बाजार	345
80.	राजबंध	60
	जोड़	12482

हरियाणा में टेलीफोन सुविधा

869. श्री आई॰डी॰ स्वामी : क्या संचार मंत्री हरियाणा के गांवों में टेलीफोन सुविधा के बारे में 12 सितम्बर, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5493 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब तक सूचनाएं एकत्र कर ली गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण-I, II और III में दिए गए हैं।

(ग) (1) गांवों में टेलीफोन सुविधा उत्तरोत्तर रूप से प्रदान की जा रही है।

(2) टेलीफोन देकर प्रतीक्षा सूचियों का उत्तरोत्तर निपटान किया जा रहा है। और लगभग 60,000 नए टेलीफोन कनेक्शन चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रदान किए जाने की संभावना है।

(3) वर्ष के दौरान दो एक्सचेंजों को इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में बदला जा रहा है और दूसरे दो एक्सचेंजों को वर्ष 1997-98 में इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में परिवर्तित किए जाने की योजना है।

विवरण-I

ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा विहीन पंचायतों की जिला-वार संख्या

क्र॰सं॰	एसएसए का नाम	पंचायतों की संख्या जिन्हें अभी टेलीफोन सुविधा प्रदान की जानी है।
1	2	3
1.	अंबाला	33
2.	भिवानी	96
3.	फरीदाबाद	60
4.	गुड़गांव	217
5.	हिसार	3
6.	जींद	17
7.	कैथल	22
8.	करनाल	102
9.	कुरूक्षेत्र	139
10.	मोहिन्दरगढ़	83
11.	पानीपत	45
12.	रेवाड़ी	80
13.	रोहतक	27
14.	सिरसा	-
15.	सोनीपत	2
	कुल	1102

विवरण-II

हरियाणा में एक्सचेंजों की जिला-वार संख्या

क्र॰सं॰	एसएसए का नाम	एक्सचेंजों की संख्या
1.	अंबाला	88
2.	भिवानी	57
3.	फरीदाबाद	34
4.	गुड़गांव	37
5.	हिसार	88
6.	जींद	68
7.	कैथल	31
8.	करनाल	47
9.	कुरूक्षेत्र	34
10.	मोहिन्दरगढ़	25
11.	पानीपत	19
12.	रेवाड़ी	28
13.	रोहतक	56
14.	सिरसा	56
15.	सोनीपत	39
	कुल	750

विवरण-III

31.3.96 की स्थिति के अनुसार जिलावार प्रतीक्षा सूची

क्र॰सं॰	एसएसए का नाम	31.3.96 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची
1	2	3
1.	अंबाला	3859
2.	भिवानी	3528
3.	फरीदाबाद	9416

1	2	3
4.	गुड़गांव	13274
5.	हिसार	8157
6.	जींद	949
7.	कैथल	2235
8.	करनाल	6048
9.	कुरूक्षेत्र	6077
10.	मोहिन्दरगढ़	165
11.	पानीपत	7601
12.	रेवाड़ी	1868
13.	रोहतक	3333
14.	सिरसा	2010
15.	सोनीपत	5252
	कुल	76452

सरायघाट एक्सप्रैस को रोजाना चलाया जाना

870. **श्री उधव बर्मन** : क्या रेल मंत्री 21 नवम्बर, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 178 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरायघाट एक्सप्रैस को सप्ताह में तीन दिन के स्थान पर रोजाना चलाए जाने में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलंब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) भारतीय रेलों पर लाइन क्षमता तथा टर्मिनल क्षमता सहित परिचालनिक कठिनाइयों को दूर करना एक सतत् प्रक्रिया है बशर्ते कि व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता हो। हावड़ा में टर्मिनल और अनुरक्षण सुविधाओं का विस्तार एक स्वीकृत कार्य है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेलवे द्वारा विज्ञापनों पर खर्च की गई धनराशि

871. **श्री विजय गोयल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून 1996 से आज तक रेलवे द्वारा विज्ञापनों पर कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ख) उन शीर्षों का ब्यौरा क्या है जिनके अंतर्गत विज्ञापनों पर खर्च की गई धनराशि को दर्शाया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) रेलों ने 1.6.96 से आज तक की अवधि के दौरान विज्ञापनों पर लगभग 8,18,62,877 रु॰ की राशि खर्च की है।

(ख) बजट आबंटन के अन्तर्गत खर्च को बनाए रखते हुए प्रत्येक विभाग/परियोजना की तुलना में रेल विज्ञापनों पर खर्च की गई राशि प्रत्येक विज्ञापन के संगत विषयों से संबंधित विभागों/परियोजनाओं के नाम खाते में डाली जाती है।

[अनुवाद]

कालना, पश्चिम बंगाल में दूरदर्शन रिले केन्द्र का खोला जाना

872. **श्री महबूब जहेदी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में विद्यमान दूरदर्शन रिले केन्द्र का स्थल-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य में विशेषकर कालना में नए रिले केन्द्रों की स्थापना करने का है;

(ग) यदि हां, तो स्थल-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन्हें कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) से (घ) जबकि कालना में एक अल्प शक्ति टेलीविजन ट्रांसमीटर पहले ही चालू किया जा चुका है, तथापि राज्य में इस समय कार्यान्वयनाधीन/स्थापित करने हेतु परिकल्पित टेलीविजन ट्रांसमीटर परियोजनाओं का स्थलवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। एक अल्प शक्ति ट्रांसमीटर/अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर तथा उच्च शक्ति ट्रांसमीटर परियोजना के कार्यान्वयन में सामान्यतया स्कीम को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित करने के बाद लगभग क्रमशः 1-2 वर्ष और 3-4 वर्ष का समय लगता है।

विवरण-I

पश्चिम बंगाल में विद्यमान टेलीविजन ट्रांसमीटरों का स्थलवार ब्यौरा (20.2.97 की स्थिति के अनुसार)

उ॰श॰ट्रा॰	अ॰श॰ट्रा॰	अ॰अ॰श॰ट्रा॰
1	2	3
आसनसोल	अलीपुरदुआर	एगरा
कलकत्ता	बलूरघाट	झालदा
कलकत्ता (डी॰डी॰-II)	बर्द्धमान	

1	2	3
कलकत्ता (डी॰डी॰-3)	कोन्तेई	
कुर्सियोंग	दार्जिलिंग	
मुर्शिदाबाद	झारग्राम	
	कलिम्पोंग	
	खड़गपुर	
	कालना	
	कृष्णनगर	
	मालदा	
	मेदिनीपुर	
	पुरूलिया	
	राणाघाट	
	शांतिनिकेतन	

उ॰श॰ट्रा॰—उच्च शक्ति टेलीविजन ट्रांसमीटर

अ॰श॰ट्रा॰—अल्प शक्ति टेलीविजन ट्रांसमीटर

अ॰अ॰श॰ट्रा॰—अति अल्प शक्ति टेलीविजन ट्रांसमीटर

विवरण-II

पश्चिम बंगाल के स्थल जहां वर्तमान में टेलीविजन ट्रांसमीटर परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन/स्थापित करने हेतु परिकल्पित हैं

(31.1.1997 की स्थिति के अनुसार)

कार्यान्वयनाधीन	परिकल्पित
अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	**उच्च शक्ति ट्रांसमीटर**
फरक्का	बलूरघाट
रायना	खड़गपुर
मुर्शिदाबाद (डी॰डी॰ 2)	कृष्णनगर
बसनाती	शांतिनिकेतन
विशनपुर	
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर/अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
	गढ़बेटा
	बलरामपुर
	कूचबिहार
	बाघमंडी

"पैलेस ओन व्हील्स" रेलगाड़ी को चलाये जाने संबंधी प्रस्ताव

873. **डा॰ असीम बाला :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न राज्य पर्यटन निगमों को शामिल कर पूर्वी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों के लिए "पैलेस ओन व्हील्स" जैसी रेलगाड़ी चलाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) से (ग) मई 1994 में, रेलवे मंत्रालय ने लोकप्रिय परिपथों पर पांच पर्यटक गाड़ियों के स्वामित्व, विपणन तथा प्रबन्धन के लिए विश्वव्यापी स्तर पर बोलियां आमंत्रित की थीं। जिनमें कलकत्ता-गया (राजगीर/नालंदा)-वाराणसी (सारनाथ)-गोरखपुर (लुम्बिनी/कुशीनगर)-भुवनेश्वर-पुरी-कलकत्ता को शामिल करते हुए पूर्वी परिपथ शामिल हैं। केवल एक ही बोली प्राप्त हुई है और वह भी निविदा के नियम व शर्तों को पूरा नहीं करती तथा इसीलिए उसे स्वीकृत नहीं किया गया था।

ई॰एम॰यू॰ लोकल गाड़ियां चलाने हेतु सर्वेक्षण

874. **श्री तरित बरण तोपदार :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा दमदम रेलवे स्टेशन के प्लेट फार्म संख्या-5 से व्यस्त समय में विभिन्न दिशाओं के लिए ई॰एम॰यू॰ लोकल गाड़ियां चलाने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) दमदम के प्लेटफार्म संख्या 5 से उपलब्ध रेलपथ सम्पर्क केवल बोंगांव तथा सर्कुलर रेल (गैर-विद्युतीकृत) के संचलन के लिए है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अगरतला से बागडोगरा के लिए उड़ान

875. **श्री बाबू बन रियान :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अगरतला से बागडोगरा तक विमान सुविधा शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी•एम• इब्राहीम) : (क) से (ग) इस समय अपर्याप्त यातायात संबंधी मांग के कारण इंडियन एयरलाइन्स की अगरतला से बागडोगरा के लिए सेवाएं प्रचालित करने की कोई योजना नहीं है। तथापि, ऐसे गैर-सरकारी प्रचालकों को, जिनके पास उपयुक्त विमान हैं, अपने नेटवर्क में अगरतला और बागडोगरा सहित और अधिक स्टेशन जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

गंगटोक के लिए उड़ान

876. श्री बादल चौधरी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गंगटोक के लिए विमान-सुविधा उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी•एम• इब्राहीम) : (क) से (ग) गंगटोक में प्रचालनात्मक विमान-क्षेत्र उपलब्ध न होने के कारण, इंडियन एयरलाइन्स अथवा एलाइंस एअर की वहां से विमान सेवा प्रचालित करने की कोई तत्कालिक योजना नहीं है।

[हिन्दी]

टेलीफोन एक्सचेंज का चालू होना

877. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हजारीबाग जिले के बारकाट्टा खण्ड (जी•टी• रोड) में वर्ष 1992 में स्थापित टेलीफोन एक्सचेंज ने अब तक कार्य करना आरम्भ नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वहां पर पर्याप्त संख्या में नियुक्त किए गए कर्मचारी वर्ष 1992 से वेतन प्राप्त कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा दोषी पाए गए अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (घ) जी, नहीं। हजारीबाग जिले के बारकाट्टा में 31.3.92 को एक 128 पोर्ट सी-डॉट एक्सचेंज खोला गया था, जो सन्तोषजनक ढंग से काम कर रहा है। बारकाट्टा एक्सचेंज में 41 कनेक्शन चालू हैं। यह एक्सचेंज बरही एस डी सी ए क्षेत्र में आता है और यह बरही के 512 पोर्ट सी-डॉट एक्सचेंज में 3 चैनल जी-। प्रणाली से जुड़ा हुआ है। बरही एवं बारकाट्टा के बीच 25 कि•मी• की दूरी है। यहां के घने वन क्षेत्र में ऊपर से गुजरती हुई (ओवरहैड) टेलीफोन लाइनों की चोरी हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप एस टी डी सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है।

[अनुवाद]

खनन संभावनाओं संबंधी सम्मेलन

878. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में नागपुर में खनन संभावनाओं संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (इंटरनेशनल कान्फ्रेस आन माइनिंग) हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में हुई चर्चा का सार क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य) : (क) जी, हां। मध्य भारत में खनन संभावनाओं संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 18 तथा 19 जनवरी, 1997 को नागपुर, महाराष्ट्र में भारतीय उद्योग परिसंघ (पश्चिम क्षेत्र) तथा विदर्भ आर्थिक विकास परिषद के तत्वावधान में हुआ था।

(ख) और (ग) इस सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श में अन्य बातों के साथ-साथ जरूरतमंद आवेदकों को शीघ्र खनिज रियायतें देने के अलावा, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की प्रथम अनुसूची के भाग "ग" में निर्दिष्ट खनिजों के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस तथा खनन पट्टों के नवीकरण के लिए राज्य सरकारों को शक्तियों का प्रत्यायोजन शामिल था। केन्द्र सरकार इस अधिनियम की धारा 8(2) के तहत खनन पट्टों तथा धारा 7(2) के तहत पूर्वेक्षण लाइसेंसों के नवीकरण संबंधी अधिकार राज्य सरकारों को प्रदान कर चुकी है। जरूरतमंद आवेदकों को खनिज रियायतें देने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के अलावा, राज्य सरकारों को अधिकार देने के लिए खान सचिव की अध्यक्षता में राज्य सरकारों के खनन और भूविज्ञान सचिवों की एक समिति भी गठित की गई है।

वर्दी की आपूर्ति

879. प्रो• जितेन्द्र नाथ दास : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि टी•एस•/टी•एम•/डी•टी•एस•/डी•टी•एम•/ए•सी• स्टाफ, टी• एक्स• आर• स्टाफ, खानपान निरीक्षक पूर्व रेलवे के तहत राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस जैसी प्रतिष्ठित गाड़ियों में बिना वर्दी के अपनी ड्यूटी कर रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि पूर्व रेलवे प्राधिकारी उनको वर्दियां उपलब्ध कराने में असफल रहे हैं, जबकि अन्य जोनल रेलों ने ऐसे कर्मचारियों को वर्दियां उपलब्ध करा दी हैं;

(ग) यदि हां, तो इन कर्मचारियों को समय पर वर्दी न उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) इन कर्मचारियों को वर्दियां उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(ङ) इन कर्मचारियों को कब तक वर्दियां उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

रेलवे बुकिंग के लिए यात्री सेवा एजेंट

880. श्री एन॰जे॰ राठवा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बुकिंग के लिए विशेषतः गुजरात के पिछड़े/ग्रामीण/जनजातीय क्षेत्रों में कितने सेवा एजेंट कार्यरत हैं;

(ख) क्या इस क्षेत्र में और अधिक एजेंटों को प्राधिकृत करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और इनमें से कितने आवेदन स्वीकृत किए गए हैं; और

(ङ) शेष आवेदन पत्रों को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) इस समय रेलों पर गुजरात राज्य में 22 यात्री सेवा एजेंटों सहित 481 रेल यात्री सेवा एजेंट कार्यरत हैं। गुजरात के पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों में कोई यात्री सेवा एजेंट नियुक्त नहीं किया गया है।

(ख) से (ङ) जब कभी किसी स्टेशन विशेष पर सम्हाले जाने वाले आरक्षण कार्य के कार्यभार के आधार पर क्षेत्रीय रेलों को यात्री एजेंट की नियुक्ति की आवश्यकता महसूस होती है तब क्षेत्रीय रेलें "प्राधिकृत रेल यात्री सेवा एजेंट अधिनियम, 1985" के संबैधानिक नियमों के अनुसार रेल यात्री सेवा एजेंटों की नियुक्ति करती है। इस उद्देश्य के लिए प्रेस विज्ञापनों के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं और किसी विशेष स्थान के लिए रेलों द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार एजेंटों का चयन किया जाता है।

[अनुवाद]

बीड़ी कामगार

881. श्री टी॰ गोविन्दन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बीड़ी उद्योग में लगे लोगों को राजसहायता/वित्तीय राहत देने पर विचार कर रही है जो सरकार की इस लघु उद्योग के प्रति अवैज्ञानिक नीति के कारण अपनी जीविका को बचाने के प्रति गंभीर खतरे का सामना कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री एम॰ अरुणाचलम) : (क) और (ख) सरकार ने बीड़ी कर्मकारों को उनके आवास, अस्पताल में भर्ती करने सहित इलाज, शैक्षणिक और मनोरंजनात्मक आवश्यकताओं के लिए आर्थिक सहायता और ऋण प्रदान करने हेतु विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं। इसके अलावा, बीड़ी विनिर्माता इकाईयां जो लघु उद्योगों के रूप में पंजीकृत हैं, केन्द्रीय/राज्य सरकार प्रोत्साहनों, रियायतों और सुविधाओं को पाने की भी हकदार हैं जैसा कि लघु इकाईयों के लिए उपलब्ध हैं।

सरकार ने बीड़ी और सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 आदि जैसे अनेक श्रम कानून अधिनियमित किए हैं जो बीड़ी कर्मकारों पर लागू हैं और उनके हितों की रक्षा करते हैं। इसके अलावा, बीड़ी कर्मकारों सहित ग्रामीण और शहरी गरीबों के लिए सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही अनेक गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन योजनाएं हैं।

[हिन्दी]

बिहार में बसिया में टेलीफोन सुविधा प्रदान करना

882. श्री ललित उरांव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार के गुमला जिले में बसिया मंडलीय मुख्यालय में टेलीफोन सेवा प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई आवेदन/अभ्यावेदन प्राप्त किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1997-98 के दौरान बसिया में 128-पी सी-डॉट एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है।

(ग) जी हां।

(घ) उपर्युक्त (ख) के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

[अनुवाद]

बालाडीला खान

883. **श्री सुशील चन्द्र** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स निप्पन डेनरो द्वारा बालाडीला क्षेत्र में लौह अयस्क की खनन के संबंध में अद्यतन स्थिति क्या है;

(ख) क्या एन•एम•डी•सी• के एक लौह अयस्क खान को इस निजी कम्पनी को सौंपने संबंधी प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक अन्तिम निर्णय लिया जाएगा?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) से (ग) निक्षेप II–बी के संबंध में सरकार की मंजूरी के आधार पर एन•एम•डी•सी• ने एन•डी•आई•एल• के साथ एक संयुक्त उद्यम करार पर हस्ताक्षर किए और बैलाडिला मिनरल डेवलपमेंट कंपनी लि• (बी•एम•डी•सी•) नामक एक नई संयुक्त उद्यम कंपनी 31 जुलाई, 1995 को निगमित की गई। इस बात को सुनिश्चित करने का ध्यान रखा गया है कि संयुक्त उद्यम करार में वे सभी अपेक्षित प्रावधान किए जाएं जिनसे न केवल एन•एम•डी•सी• के अपितु स्थानीय आदिवासियों के हितों की रक्षा हो। इसके अतिरिक्त, एन•एम•डी•सी• ने निक्षेप–II–बी के खनन पट्टे का हस्तान्तरण संयुक्त उद्यम कम्पनी के पक्ष में करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को अपना आवेदन प्रस्तुत किया था।

खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकारें भावी लाइसेंसों और साथ ही विभिन्न खनिजों के लिए खनन पट्टों को देने, नवीनीकरण या हस्तान्तरित कर सकती हैं चूंकि उन्हें खनिज सम्पदा का स्वामी माना गया है। तथापि, अधिनियम की प्रथम अनुसूची में सूचीबद्ध खनिजों के संबंध में जिनमें लौह अयस्क शामिल है, अनुसूचित खनिजों हेतु भावी लाइसेंस या खनन पट्टे देने, नवीनीकरण या हस्तान्तरित करने से पूर्व राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी प्राप्त करनी आवश्यक होती है।

मध्य प्रदेश सरकार ने अपने 6.1.96 के पत्र के तहत प्रस्ताव की सिफारिश की थी और बैलाडिला निक्षेप–II–बी के खनन पट्टे का हस्तान्तरण संयुक्त उद्यम कंपनी के पक्ष में करने के लिए खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के तहत केन्द्र सरकार की यथा अपेक्षित पूर्व मंजूरी खान मंत्रालय से मांगी थी। केन्द्र सरकार की मंजूरी मांगते समय राज्य सरकार ने कतिपय शर्तें जैसे एक इस्पात संयंत्र स्थापित करना, संयुक्त उद्यम कंपनी की साम्या में 20 प्रतिशत तक की राज्य सरकार की भागीदारी, राज्य विशेष रूप से बस्तर जिले से श्रमशक्ति की भर्ती करना, संयुक्त उद्यम कंपनी आदि द्वारा इस क्षेत्र में स्कूल/अस्पताल स्थापित करना आदि भी शामिल करने का प्रस्ताव किया है। खान मंत्रालय ने खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 और खनिज रियायत नियम, 1960 के प्रावधानों के अनुपालन की शर्त पर और इस शर्त पर कि राज्य सरकार प्रस्तावित संयुक्त उद्यम कंपनी अर्थात् बैलाडिला मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि• और एन•एम•डी•सी• इन शर्तों पर एकमत हों तथा हस्तान्तरण के लिए सहमत हों और दोनों पक्षों के बीच होने वाले अनुबंध या अन्य किसी उचित वैधानिक दस्तावेज में उन्हें शामिल करें, उस प्रस्ताव को 21 मार्च, 1996 को मंजूरी दे दी थी।

खान मंत्रालय ने अपने दिनांक 13.6.96 के पत्र के तहत मध्य प्रदेश सरकार से यह सूचित करने का अनुरोध किया था कि क्या एन•एम•डी•सी• ने खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 27(3) के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित शर्तों के संबंध में अपनी स्वीकृति दे दी है।

मध्य प्रदेश सरकार ने अपने दिनांक 19.6.96 और 3.8.96 के पत्रों के तहत इस्पात मंत्रालय से यह अनुरोध किया है कि वह राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित शर्तों पर अपनी स्वीकृति देने के संबंध में एन•एम•डी•सी• को सलाह दे।

लौह अयस्क खान II–बी के खनन पट्टे का हस्तान्तरण संयुक्त उद्यम कंपनी के पक्ष में करने के बारे में संसद सदस्य, गुरूदास दास गुप्ता और जीवन राय द्वारा दायर की गई जनहित याचिका पर माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दिनांक 16.4.96 को स्थगन आदेश दिया था। कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार के आधार पर रिट याचिका 10.5.96 को खारिज कर दी गई थी। तथापि, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश का पालन करने पर 31.5.1996 तक 3 सप्ताह की अवधि हेतु रोक लगा दी गई थी। इस आदेश के विरूद्ध संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा दायर की गई याचिका पर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि विद्वान न्यायाधीश द्वारा दिया गया अन्तरिम स्थगन आदेश कंपनी द्वारा और श्री गुरूदास दास गुप्ता द्वारा (क्षेत्राधिकार के आधार पर मूल याचिका को खारिज करने के विरूद्ध) अधिमत अपील का निपटान होने तक निलंबित रहेगा। ये अपीलें नियमित खण्डपीठ के समक्ष प्रस्तुत की जानी हैं।

बैलाडिला निक्षेप II–बी के हस्तान्तरण के विरूद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में भी जुलाई, 1996 में एक जनहित मुकदमा (पी•आई•एल•) दायर किया गया है। याचिका पर सुनवाई दिनांक 14.10.96 को हुई। दूसरी बैंच के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए इस मामले को 29.10.96 तक स्थगित कर दिया गया। तथापि, मामला कथित तारीख की सूची में शामिल नहीं था। पुनः इसे 6.11.96 की सूची में रखा गया। मैसर्स बैलाडिला मिनरल डेवलपमेंट कंपनी लि• ने स्वंय को एक पक्षकार बनाने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। आवेदन मंजूर कर लिया गया। 18.2.97 को मामले पर सुनवाई के बाद अब इसे 26.3.97 तक अगली सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया गया।

सरकार द्वारा लिया गया निर्णय यह है कि यह विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण है और विभिन्न पहलुओं की विस्तृत जांच करने की आवश्यकता है। चूंकि यह मामला न्यायाधीन है अतः सरकार को न्यायिक फैसले की प्रतीक्षा करनी होगी।

औद्योगिक प्रतिष्ठानों में दुर्घटना

884. श्री थामस हंसदा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में औद्योगिक प्रतिष्ठानों में हुई दुर्घटनाओं की संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार ने बिहार में औद्योगिक प्रतिष्ठानों को पर्याप्त सुरक्षा उपाय करने तथा इनमें होने वाली ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु निर्देश दिए हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन औद्योगिक प्रतिष्ठानों के नाम क्या हैं जिन्होंने इन सुरक्षा उपायों को अपनाया है?

श्रम मंत्री (श्री एम॰ अरुणाचलम) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1993, 1994 के दौरान बिहार में औद्योगिक प्रतिष्ठानों में हुई दुर्घटनाओं की संख्या निम्नानुसार है:—

वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या
1993	2674
1994	1532

1995 के संबंध में सूचना अभी उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) दुर्घटनाओं को घटने से रोकने के लिए किये जाने वाले सुरक्षा उपाय कारखानाि अधिनियम 1948 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्धारित किये गये हैं। सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए इनका अनुपालन करना आवश्यक है।

[हिन्दी]

बाल श्रम

885. श्री चिन्तामन वानगा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 दिसम्बर, 1996 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "गवर्नमेंट स्लीपिंग ऑवर मोइंग चाइल्ड लेबर मिनेस" शीर्षक से छपे समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) बाल श्रम समाप्त करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है?

श्रम मंत्री (श्री एम॰ अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार ने 11.9.95 को अपंजीकृत आतिशबाजी इकाई अर्थात् एम॰पी॰ आतिशबाजी, बेगनान, हावड़ा में हुई दुर्घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। राज्य सरकार द्वारा बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत नियुक्त निरीक्षकों को (1) पंजीकृत कारखानों द्वारा खामियों/उल्लंघन का पता लगाने (2) ऐसी घटनाओं के लिए संवेदनशील अपंजीकृत इकाइयों का पता लगाने तथा सांविधिक उपबंधों के अंतर्गत तत्काल दंडात्मक कार्रवाई किए जाने के उद्देश्य से और अधिक सतर्क रहने के निदेश दिए गए हैं।

(ग) जोखिमकारी व्यवसायों में कार्यरत बालकों (जिनमें बीड़ी और आतिशबाजी उद्योग में कार्यरत बालक शामिल हैं) को कार्य से हटाने और पुनर्वास के लिए उठाए गए कदमों में (1) बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 तथा अन्य श्रम कानूनों में बाल बाल श्रम से संबंधित उपबंधों के कार्यान्वयन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना, (2) बाल श्रम की अधिकतम वाले राज्यों में लगभग 1.5 लाख बालकों को शामिल करने के लिए 76 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान किया जाना, और (3) 123 जिलों में सर्वेक्षण करवाए जाने तथा 133 जिलों में जागरूकता सृजन कार्यकलाप शुरू किए जाने के लिए निधियों की मंजूरी प्रदान किया जाना शामिल है। पश्चिम बंगाल में जोखिमकारी व्यवसायों में कार्यरत बालकों को पुनर्वासित किए जाने के उद्देश्य से, 12,000 बालकों को शामिल किए जाने के लिए 6 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गयी है। इसके अलावा, बाल श्रम की बुराई के संबंध में सर्वेक्षण किए जाने तथा जागरूकता सृजन कार्यकलाप प्रारम्भ किए जाने के लिए 7 जिलों के लिए निधियां जारी की गयी हैं। बाल श्रम पर उच्चतम न्यायालय के हाल ही के निर्णय के अनुसार, राज्य सरकार के लिए भी जोखिमकारी व्यवसायों में कार्य करने वाले बालकों को कार्य से हटाए जाने और पुनर्वासित किए जाने की रीति तथा गैर-जोखिमकारी व्यवसायों में कार्यरत बालकों की कार्य दशाओं को विनियमित किए जाने तथा बेहतर बनाए जाने संबंधी रीति के बारे में व्यापक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

[अनुवाद]

धारावाहिकों का प्रसारण बन्द किया जाना

886. श्री मुख्तार अनीस : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन और इसके विभिन्न निर्माता केन्द्रों द्वारा 1 अप्रैल, 1996 के बाद कुछ धारावाहिकों का प्रसारण बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन धारावाहिकों के कितने भाग प्रसारित किए जा चुके हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राजस्व में कमी

887. श्री नारायण अठावले : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल सेवा लाइसेंस धारकों द्वारा भुगतान में गलती करने के कारण वर्ष 1996-97 के दौरान राजस्व में 1500 करोड़ रुपए तक की भारी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) लाइसेंस शुल्क के रूप में 2074.72 करोड़ रु॰ की कुल अनुमानित राशि की तुलना में अभी तक केवल 19.20 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। कुल आठ आशय-पत्र धारकों में से चार ने उनकी बयाना राशि की बैंक गारण्टी को भुनाने के विरूद्ध, दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया है।

(ग) आशय-पत्र धारकों ने लाइसेंस तथा इन्टरकनेक्ट से संबंधित कुछ मुद्दे उठाए हैं जिनके शीघ्र ही हल हो जाने की आशा है।

रेलवे स्टेशनों के नए भवनों का निर्माण

888. श्री अनंत कुमार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कर्नाटक में रेलवे स्टेशनों के नए भवनों के निर्माण पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन रेलवे स्टेशनों के नाम क्या है जिनका 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान आधुनिकीकरण/नवीकरण किया गया और चालू वर्ष के दौरान किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) स्टेशनों का आधुनिकीकरण/नवीकरण यात्री यातायात के भार में अपेक्षित वृद्धि और आयु-एवं-हालात के आधार पर शुरू किया जाता है। इस संबंध में स्टेशनों पर जब कभी ऐसे कार्य अपेक्षित होते हैं तो रेलवे के वार्षिक निर्माण कार्यक्रम में उपयुक्त निर्माण कार्य शामिल करके शुरू किए जाते हैं। रेलों द्वारा स्टेशनों का राज्यवार ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

ई॰ एम॰ यू॰ ट्रेनों का चलाया जाना

889. डा॰ अरविंद शर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सेटेलाइट टाउनों से दैनिक यात्रियों के लिए इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (ई॰ एम॰ यू॰) ट्रेन चल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली/नई दिल्ली से सौ किलोमीटर की दूरी तक स्थित अलीगढ़, पलवल और पानीपत जैसे कई स्थानों के लिए ई॰ एम॰ यू॰ ट्रेन चल रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या बहादुरगढ़, जींद, रेवाड़ी रेलवे स्टेशन के दैनिक यात्रियों के लिए ऐसी कोई सुविधा नहीं है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ) जी हां। इस समय दिल्ली/नई दिल्ली-गाजियाबाद-अलीगढ़, दिल्ली/नई दिल्ली/निजामुद्दीन-पलवल-मथुरा खण्डों पर ई एम यू गाडियां और दिल्ली/नई दिल्ली-पानीपत-अंबाला खण्ड पर एम ई एम यू सेवाएं चल रही हैं।

(ङ) से (च) दिल्ली-बहादुरगढ़-रोहतक-जींद और दिल्ली-रेवाड़ी खण्ड विद्युतीकृत नहीं है। अतः इन खण्डों पर इस समय ई एम यू गाडियां चलाना परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है। फिलहाल इन खंडों पर यात्रियों की आवश्यकताओं को पर्याप्त संख्या में परम्परागत यात्री गाडियां (दिल्ली-रोहतक-जींद खण्ड पर पुशपुल सेवाएं सहित) पूरा कर रही हैं।

देश में रेल यात्रा-एजेन्सियां

890. श्री सौम्य रंजन : क्या रेल मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय जोन-वार कितनी रेल-यात्रा एजेन्सियां कार्य कर रही है; और

(ख) भुवनेश्वर में कितनी यात्रा एजेन्सियों को ठेका दिया गया था तथा उन्होंने कार्य कब से शुरू किया?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) विभिन्न क्षेत्रीय रेलों पर कार्यरत रेल यात्री सेवा एजेंटों की संख्या निम्न प्रकार से है :-

मध्य रेलवे	-	42
पूर्व रेलवे	-	20
उत्तर रेलवे	-	193
पूर्वोत्तर रेलवे	-	7

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	–	28
दक्षिण रेलवे	–	104
दक्षिण मध्य रेलवे	–	21
दक्षिण पूर्व रेलवे	–	21
पश्चिम रेलवे	–	45

(ख) भुवनेश्वर पर कोई रेल यात्री सेवा एजेंट कार्य नहीं कर रहा है।

[हिन्दी]

टेलीफोन एक्सचेंजों/सेवाओं का विस्तार

891. श्री जयसिंह चौहान : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टेलीफोन एक्सचेंजों तथा टेलीफोन सेवाओं के विस्तार हेतु कोई विशेष योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार वर्ष 1997–98 के दौरान कोई विस्तार कार्य शुरू करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग) टेलीफोन एक्सचेंजों/सेवाओं के विस्तार के लिए कोई विशेष स्कीम नहीं है। तथापि टेलीफोन एक्सचेंजों/सेवाओं के विस्तार के लिए हर साल वार्षिक योजनाएं बनाई जाती हैं जिसमें नए टेलीफोन एक्सचेंजों का निर्माण विस्तार, एस॰ टी॰ डी॰ और समाकालित सेवा, डिजिटल नेटवर्क सेवाएं शुरू करना शामिल है।

(घ) से (च) जी, हां। 1997–98 के दौरान किए जाने वाले विस्तार कार्य के ब्यौरे को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

[अनुवाद]

म्यानमार से लौटे विस्थापित भारतीयों को लाइसेंस/परमिट

892. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को म्यानमार से लौटे विस्थापित भारतीयों को मानवीय आधार पर प्राथमिकता पर लाइसेंस/परमिट देने संबंधी प्रावधानों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या म्यानमार से विस्थापित किसी भारतीय ने नई दिल्ली/दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर टेलीफोन बूथ/बुक स्टाल इत्यादि के लिए लाइसेंस/परमिट के लिए आवेदन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) 1965 में गृह मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों के अनुदेश जारी किए गए थे कि बर्मा से स्वदेश लौटे व्यक्तियों को व्यापार ऋण के अलावा उन्हें लाइसेंस, परमिट आदि, जहां कहीं इनकी किसी व्यवसाय और व्यापार में आवश्यकता हो, दिए जाने के मामलों में उन्हें तरजीह भी दी जाए।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

केरल में ट्रेवल सर्किट

893. श्री टी॰ गोविन्दन : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य के मालाबार क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए एक ट्रेवल सर्किट के अनुमोदनार्थ कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार ने उस पर क्या कार्रवाई की है और इस प्रयोजन हेतु कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है अथवा कराए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) चूंकि प्रत्येक यात्रा परिपथ की पर्यटन विभाग, भारत सरकार से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए राज्य सरकार को इसे अनुमोदित करने और राज्य पर्यटन परियोजना के रूप में मानने की सलाह दी गई।

[हिन्दी]

रेलवे स्टेशनों पर स्टॉलों तथा टेलीफोन बूथों का आवंटन

894. श्री थावर चन्द गेहलोत :

डा॰ अरुण कुमार शर्मा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे तथा पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के अन्तर्गत आने वाले रेलवे स्टेशनों पर स्टॉल तथा टेलीफोन बूथ स्थापित करने

के लिए 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान कितने व्यक्तियों को अनुमति दी गई है और उन रेलवे स्टेशनों के क्या नाम हैं तथा वहां पर कितने स्टॉल एवम् टेलीफोन बूथ स्थापित किए गए/किए जाने का विचार है;

(ख) अलीपुर डिवीजन में उन रेलवे स्टेशनों के क्या नाम हैं जहां उक्त अवधि के दौरान स्टॉलों तथा ट्रालियों का आवंटन किया गया, तथा उनके आवंटियों के क्या नाम हैं;

(ग) ऐसे कितने मामले हैं जिनमें नियमों के अनुसार विज्ञापनों के माध्यम से निविदा मांग कर उक्त आवंटन किए गये तथा ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्हें उन जोनों में बिना विज्ञापन जारी किए ही सीधे आवंटन किए गए;

(घ) क्या सरकार ऐसे मामलों की जांच करेगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) पूर्वोत्तर सीमा रेल पर आवेदन आंमत्रित करके 10 व्यक्तियों को स्टॉलों का आवंटन किया गया था। पश्चिम रेलवे में 54 व्यक्तियों को सीधे ही आवंटन किया गया था।

(घ) और (ङ) जी नहीं। कुछ आवंटनों को न्यायालय में चुनौती दी गई थी। न्यायालय के निर्देशों के अनुसार आपवादिक मामले में सीधे आवंटन के लिए नीति संबंधी दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

विवरण

रेलवे स्टेशनों के नाम	1993-94			1994-95			1995-96		
	व्यक्तियों की संख्या	स्टॉल	टेलीफोन बूथ	व्यक्तियों की संख्या	स्टॉल	टेलीफोन बूथ	व्यक्तियों की संख्या	स्टॉल	टेलीफोन बूथ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पूर्वोत्तर सीमा रेल									
चापरमुख	1	1	–	–	–	–	–	–	–
खोरधा	1	1	–	–	–	–	–	–	–
कटिहार	1	2	–	–	–	–	–	–	–
मोरैनी	1	1	–	–	–	–	–	–	–
जोरहाट टाउन	1	1	–	–	–	–	–	–	–
छबुआ	1	1	–	–	–	–	–	–	–
जलपाइगुडी रोड	–	–	–	–	–	–	1	1	–
बिजनी	–	–	–	–	–	–	1	1	–
पथशाला	–	–	–	–	–	–	1	1	–
तागला	–	–	–	–	–	–	1	1	–
पश्चिम रेल									
चित्तौड़गढ़	1	–	–	–	–	–	–	–	–
वडोदरा	2	1	1	1	1	–	–	–	–
विरार	1	1	–	–	–	–	–	–	–
सूरत	1	1	–	1	1	–	4	4	–
अहमदाबाद	2	1	1	2	2	–	1	1	–
अंधेरी	1	1	–	1	1	–	–	–	–
भिलाड	1	1	–	–	–	–	–	–	–
मुंबई सेंट्रल	1	1	–	1	1	–	–	–	–
ग्रांट रोड	1	1	–	–	–	–	–	–	–
नीमच	1	1	–	–	–	–	–	–	–
लोअर परेल	1	1	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
एल्फिस्टन रोड	1	1	–	–	–	–	–	–	–
वसई	2	2	–	–	–	–	–	–	–
दहिसर	1	1	–	–	–	–	–	–	–
पालघर	1	1	–	–	–	–	–	–	–
कोटा	–	–	–	1	1	–	–	–	–
अलवर	–	–	–	3	3	–	–	–	–
उज्जैन	1	1	–	1	1	–	–	–	–
जयपुर	–	–	–	3	2	1	1	1	–
आबू रोड	–	–	–	1	1	–	–	–	–
कांदीवली	–	–	–	1	1	–	–	–	–
बोरीविली	–	–	–	2	2	–	1	–	1
ओणद	–	–	–	1	1	–	–	–	–
मैरीन लाइन	–	–	–	1	1	–	–	–	–
वापी	–	–	–	2	2	–	2	2	–
भिलडी	–	–	–	1	1	–	–	–	–
अजमेर	–	–	–	1	1	–	2	–	2
वलसाड	–	–	–	2	2	–	1	1	–
जामनगर	–	–	–	1	–	1	–	–	–
नन्दूरवाड	–	–	–	1	–	1	–	–	–
सवाईमाधोपुर	–	–	–	1	–	1	–	–	–
भरूच	–	–	–	1	–	1	1	1	–
गांधीधाम	–	–	–	–	–	–	1	–	1
रानी	–	–	–	–	–	–	1	–	1
उदयपुर सिटी	–	–	–	–	–	–	1	–	1
डापा	–	–	–	–	–	–	1	–	1

प्रस्तावित स्टाल/टेलीफोन बूथ स्थापित किए जाने हैं

रेलवे स्टेशनों के नाम	स्टाल	टेलीफोन बूथ
दार्जिलिंग	2	–
सोनादा	1	–
तिनसुकिया	1	–
न्यू कूच बिहार	–	1
न्यू अलीपुरद्वार	–	1
धूपगुड़ी	–	1
अलीपुरद्वार जं॰	–	1
न्यू बोंगाईगांव	–	1
रोंगिया	–	1
कोकराझार	–	1

(ख) 1993-94 और 1994-95 के दौरान अलीपुरद्वार मंडल में किसी भी स्टाल/ट्रॉली का आवंटन नही किया गया। बहरहाल 1995-1996 के दौरान निम्नलिखित आवंटन किए गए :-

स्टेशन का नाम	ठेके की प्रकृति	व्यक्ति का नाम
बिजनी	टी स्टाल	श्री अशोक कुमार महतो
न्यू अलीपुरद्वार जं॰	ट्रॉली	श्री श्यामल कुमार राय
न्यू अलीपुरद्वार जं॰	ट्रॉली	श्रीमती देवी कांता रॉय
पथशाला	टी स्टाल	श्री अलकरायजान रहमान
धूपगुडी	ट्रॉली	श्री जगानाथ धर
टांगला	टी स्टाल	श्री दीपक दास
न्यू कूच बिहार	ट्रॉली	श्री उमा कांता रॉय
जलपाईगुडी रोड़	टी काउंटर	श्री दयामूई वैष्णव
जलपाईगुडी रोड़	टी ट्राली	श्री ज्वाय गोविन्दा बरमन

[अनुवाद]

दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र

895. श्री मंगत राम शर्मा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में राज्यवार और स्थानवार कितने दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या इनमें से कुछ केन्द्र भलीभांति कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो गत दो वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) प्रत्येक मामले में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या पाकिस्तान दूरदर्शन प्रसारण केन्द्रों की तुलना में जम्मू और कश्मीर स्थिति दूरदर्शन प्रसारण केन्द्रों की क्षमता कम है; और

(छ) यदि हां, तो स्थिति में सुधार लाने हेतु अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) से (ङ) हालांकि पूरे देश में टी॰वी॰ ट्रांसमीटरों का समग्र कार्य-निष्पादन संतोषजनक होने की सूचना मिली है तथापि, जब भी विद्युत अथवा किसी घटक में खराबी के कारण ट्रांसमीटर के ठीक तरह से कार्य न करने की शिकायतें प्राप्त होती हैं तो संबंधित दूरदर्शन अनुरक्षण केन्द्र द्वारा तत्परता से कार्रवाई की जाती है तथा दोषी को यथा समय दूर किया जाता है। तथापि, ऐसे शिकायतों के ब्यौरे केन्द्रीय तौर पर नहीं रखे जाते हैं।

(च) और (छ) सीमापार से जम्मू तथा कश्मीर के सीमा क्षेत्रों में प्राप्त टी॰वी॰ संकेतों को रोकने के विचार से चार उच्च शक्ति टी॰वी॰ ट्रांसमीटरों सहित भिन्न-भिन्न क्षमता के कई टी॰वी॰ ट्रांसमीटर राज्य में पहले ही स्थापित कर दिए गए हैं। इसके अलावा, क्षेत्र में टी॰वी॰ सेवा को और सुदृढ़ करने के लिए नौशेरा तथा कथुवा में उच्च शक्ति ट्रांसमीटर तथा राज्य में बड़ी संख्या में अल्प शक्ति ट्रांसमीटर/अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने का भी विचार है।

विवरण

देश में मौजूदा टी॰वी॰ ट्रांसमीटर (31.1.97 की स्थिति के अनुसार)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उ॰श॰ट्रां॰	अ॰श॰ट्रा॰	अ॰अ॰श॰ट्रां॰	ट्रांसपोजर
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	अनन्तपुर हैदराबाद तिरूपति विजयवाड़ा विशाखापत्तनम नान्दयाल	आदिलाबाद अदोनी अलगड्डा अमलापुरम अतमाकुर भद्राचलम भीमादोलू भीमावरम चित्तूर कुड्डापाह	इच्छापुरम पडेरू श्रीसेलम चिन्तापल्ली पार्वतीपुरम	विजयवाड़ा

1	2	3	4	5
		एमीग्नूर		
		गडवाल		
		गिद्दलूर		
		गुंटकल		
		हिंदपुर		
		जगतियाल		
		काकिनाडा		
		कामारेड्डी		
		करीमनगर		
		कवाली		
		खम्माम		
		कोसगी		
		कोथागुडम		
		कुप्पम		
		एल॰आर॰		
		पल्ली		
		मधीरा		
		मदनापल्ली		
		मंदास्सा		
		मेडक		
		महबूबनगर		
		नगर कर्नूल		
		नारायणपेट		
		नेल्लूर		
		निर्मल		
		निजामाबाद		
		ओंगोल		
		प्रोदुत्तुर		
		रामगुण्डम		
		सिद्दीपेट		
		सिरीकाकुलम		
		तन्दूर		
		विशाखापत्तनम		
		वानापार्थी		
		वारंगल		
		येल्लान्दू		
		हैदराबाद		

1	2	3	4	5
अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर	पासीघाट	अलोंग	
		तेजू	अनीनी	
		ईटानगर	बसार	
		(डीडी-2)	बोम्डीला	
			चांगलांग	
			छांगताजो	
			डापोरिजो	
			दीरंग	
			हूलियंग	
			कलकटंग	
			खोंसा	
			मियाओ	
			नामसई	
			रागा	
			रोइंग	
			सीप्पा	
			तवंग	
			जीरो	
असम	डिब्रूगढ़	बोंगईगांव	डिग्बोई	गुवाहाटी
	गुवाहाटी	धुबरी		
	सिल्चर	दीफू		
		गोयलपारा		
		गोलाघाट		
		हाफ्लांग		
		हाथसिंगमारी		
		होजई		
		जोरहाट		
		कोकराझार		
		लुम्डिंग		
		मरघेरिटा		
		नागांव		
		नाजिरा		
		उ॰ लखीमपुर		
		सोनारी		
		तेजपुर		
		तिनसुकिया		
		गुवाहटी		
		(डीडी-2)		

1	2	3	4	5
बिहार	डाल्टनगंज	औरंगाबाद		रामगढ़ हिल
	पटना	बेगूसराय		
	कटिहार	बेतियाह		
	मुजफ्फरपुर	भागलपुर		
	रांची	बोकारो		
		बक्सर		
		चैबासा		
		दरभंगा		
		देवगढ़		
		धनबाद		
		डुमका		
		फोरबेसगंज		
		गया		
		घाटशिला		
		गिरिडीह		
		गोड्डा		
		गोपालगंज		
		गुमला		
		हजारीबाग		
		जमशेदपुर		
		जामुई		
		खगड़िया		
		लोहारदागा		
		माधेपुरा मधुबनी		
		मोतीहारी		
		मुंगेर		
		नवादा		
		फूलपारस		
		रक्सौल		
		सहरसा		
		सासाराम		
		शेखपुरा		
		सीतामढ़ी		
		सिवान		
		सुपौल		
		पटना (डीडी-2)		
गोवा	पणजी			

1	2	3	4	5
गुजरात	अहमदाबाद	आहवा	काकरापार	
	भुज (अंतरिम)	अम्बाजी	नेतरंग	
	द्वारका	अमरेली		
	राजकोट	भाव्वर		
	अहमदाबाद	बहराइच		
	(डीडी-2)	भावनगर		
		छोटा उदयपुर		
		दान्डी		
		देदियापारा		
		देवगढ़-बरिया		
		धरंगधारा		
		धोराजी		
		दोहाद		
		गोधरा		
		ईंदर		
		जामनगर		
		जूनागढ़		
		केवडिया कालोनी		
		खम्भात		
		कोसम्बा		
		महुआ		
		मंगरोल (जूनागढ़)		
		मेहसाना		
		नवसारी		
		पालनपुर		
		पालिताना		
		पतन		
		पोरबन्दर		
		रापड़		
		संजेली		
		श्यामलाजी		
		सोनगढ़		
		सूरत		
		सुरेन्द्रनगर		
		थराड		
		वडोदरा		
		वल्साद		
		वेरावल		
		गांधीनगर (डीडी-2)		

1	2	3	4	5
हरियाणा		भिवानी		
		हिसार		
		जिंद		
		मेहम		
		नारनौल		
		रेवाड़ी		
		सिरसा		
		मंडी डबवाली		
		(डीडी-2)		
हिमाचल प्रदेश	कसौली	बिलासपुर	अजू फोर्ट	राजगढ़
	शिमला	धर्मशाला	बैजनाथ	सोलन
		कुल्लू	चम्बा	
		मनाली	हमीरपुर	
		मण्डी	जोगिन्दर नगर	
		शिमला	काल्पा	
		(डीडी-2)	खड़ा पत्थर	
			केलोंग	
			पालमपुर	
			सरकाघाट	
			थाणेदार	
			उना	
			बादला	
			भारथी	
			दियार	
			शिवबादर	
			वीर	
जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू	कारगिल	अर्ध कुमारी	सूरनकोट
	लेह	कथुआ	बारामुल्ला	
	पूंछ	जम्मू	बटोट	
		(डीडी-2)	भदरवा	
		लेह	बुध्धल	
		(डीडी-2)	दासकिट	
		श्रीनगर	डोडा	
		(डीडी-2)	दरास	
		श्रीनगर	गुरेज	
		(कश्मीर	कालाकोट	
		चैनल)	किल्होटून	
		रियासी	किश्तवार	

1	2	3	4	5
			कूद	
			कुपवाड़ा	
			किश्ना	
			पदम	
			पहलगाम	
			पूंछ	
			राजौरी	
			रामबाण	
			साम्बा	
			संकू	
			थानामण्डी	
			टिथवाल	
			उधमपुर	
			उरी	
कर्नाटक	बंगलौर	अथनी	शकलेशपुर	
	धारवाड़	बागलकोट		
	गुलबर्गा	बन्तवाल		
	शिमोगा	बेलगाम		
		बेल्लारी		
		बीदर		
		बीजापुर		
		चिकमंगलूर		
		चिकोडी		
		चित्रदुर्ग		
		देवनगिरी		
		गडग बेतगरी		
		गंगावती		
		हसन		
		हॉस्पेट		
		करवार		
		कोलार गोल्ड फील्ड		
		मंडया		
		मंगलौर		
		मेडीकेरी		

1	2	3	4	5
		मुडीगीर		
		मैसोर		
		पावगडा		
		रायचूर		
		रामदुर्ग		
		रानीबेन्नूर		
		संदूर		
		सिरसी		
		तिप्तूर		
		उड़ीपी		
		बंगलौर (डीडी-2)		
		अरसीकेर		
		भत्कल		
		हुगोद		
		कुम्ता		
		पुत्तुर		
केरल	कोचीन	चेन्नानूर		
	त्रिवेन्द्रम	चगनाकरी		
	कालीकट	इदुक्की		
	(आन्तरिक)	कलपेट्टा		
		कासरगोड		
		कायमकुलम		
		मल्लापुरम		
		पालघाट		
		पथनम थिट्टा		
		पुनालूर		
		शोरतपुर		
		तेल्लीचरी		
		त्रिचूर		
		कोचीन (डीडी-2)		
		त्रिवेन्द्रम (डीडी-2)		
		चेंगान्नूर		
		कान्हागढ़		
		घोड़ूपुजा		
		कालीकट (डीडी-2)		
मध्य प्रदेश	भोपाल	अलीराजपुर	बूडहनी	सीगरोली
	ग्वालियर	अशोक नगर	पारसीया	

1	2	3	4	5
	इन्दौर	अम्बिकापुर	पाकचानजोर	
	जबलपुर	बैलाडिला	जसपुर नगर	
	जगबलपुर	बालाहाट	कोनडर्गज	
	रायपुर	बेतुल		
		भींड		
		बीजापुर		
		बिलासपुर		
		बुहहानपुर		
		चेचेरी		
		छतरपुर		
		छिंदवाड़ा		
		दामोह		
		दातिया		
		दुगडगढ़		
		गुना		
		हरदा		
		इटारसी		
		जाओरा		
		झाबुआ		
		केकेर		
		खण्डवा		
		खडगांव		
		खुरई		
		कोटबा		
		कुरासिया		
		कुरवई		
		लहर		
		मैहर		
		मंडला		
		मंदसौर		
		मनिंदरगार		
		मुख्वारा		
		नागदा		
		नरसिंहपुर		
		नीमच		
		पंचमधर्मी		
		पन्ना		

1	2	3	4	5
		राघोगढ़		
		रायागढ़		
		राजगढ़		
		राजरा झारींदेली		
		रतलाम		
		रेवा		
		सागर		
		सतना		
		स्योणी		
		राहडौल		
		शाजापुर		
		शिमपुर		
		शिवपुरी		
		सिंधी		
		सिंगरौली		
		सिरौम		
		टीकमगढ़		
		उज्जैन		
		भोपाल (डीडी-2)		
		भान्देर		
		कुकदेश्वर		
महाराष्ट्र	अम्बाजोगई	अचलपुर		
	औरंगाबाद	आकोट		
	पुणे	अहमटगा		
	बम्बई	अकलुज		
	बम्बई (डीडी-2)	आकेमा		
	नागपुर	अमरावती		
	बम्बई (डीडी-3)	अरवी		
		बरसी		
		भुसवाल		
		बिड		
		ब्रह्मपुरी		
		बुलदना		
		चन्द्रपुर		
		चिखली		
		चिमलुन		
		देवसख		

1	2	3	4	5
		थुले		
		गढ़चिरौली		
		गोदिया		
		हिगनघाट		
		हिंगौली		
		इयलकरंजी		
		जमगांव		
		जालना		
		कंकौली		
		कारद		
		कारंजा (अकेला)		
		खामगांव		
		किनवत		
		कोमहापुर		
		जपार		
		मालेगांव		
		मानमद		
		मेहकर		
		म्हास्ले		
		मोरसी		
		नान्देड		
		नन्दूरबार		
		नाणिक		
		उस्मानाकार		
		पंडारपुर		
		परमनी		
		पुसद		
		राजपुर		
		रत्नागिरी		
		रिस्सोद		
		सगमनेर		
		सांगली		
		सतारा		
		शाहद		
		शामापुर		
		उमेरगा		
		वानी		
		वारदा		

1	2	3	4	5
		वासिम		
		भवन्तमाल		
		नागपुर (डीडी-2)		
मणिपुर	इमफाल	उखसम	चन्देल	
		इम्फाल (डीडी-2)	सनापति	
			तमेन्गलांग	
			मोरेह	
मेघालय	शिलांग	जोवई	नागस्टाइन	
	तुरा	विलियमनगर	बागमारा	
		शिलांग (डीडी-2)		
		तुरा (डीडी-2)		
मिजोरम	एजवाल	एजवाल (डीडी-2)	सैया	
	लुगलेई			
नागालैण्ड	कोहिमा	डीमापुर	मौन	कोहिमा
		तुइनसेगंज	वोखा	
		कोहिमा	जुन्हेबोटो	
		(डीडी-2)		
उड़ीसा	भवानी पटना	आनन्दपुर	खनाबेडा	
	कटक	अगंल	ललितगढ़ (डीडी-2)	
	समलपुर	अधमालिक	राउरकेला (डीडी-2)	
		बालनगीर	बड़ा बरबोल	
		बालेश्वर	नयागढ़	
		बाभीपाल	थुमल रामपुर	
		बालीगुड़ा		
		बानापुर		
		बारगढ़		
		बरीपाड़ा		
		बेरहमपुर		
		मदरक		
		भजनगढ़		
		भुबन		
		बोनई		
		बौध		
		ब्रजराजनगर		
		दशरथपुर		
		देवगढ़		
		धेनकनाल		

1	2	3	4	5
		जी उदयपुर		
		जैपोर		
		जोड़ा		
		कामाख्या नगर		
		खांडपारा		
		केन्द्रापरा		
		क्योम्मरगढ़		
		कोरापत		
		लुथरपंक		
		मलकांगिरी		
		नरसिंहपुर		
		नारंगपुर		
		नौपरा		
		पदमपुर		
		पदमपुरम		
		पालाहारा		
		पारादीप		
		पारलाखेमुदी		
		फूलबनी		
		पुरी		
		रैरंगपुर		
		राज राणापुर		
		रायगढ़		
		रेधाखोल		
		राऊरकेला		
		सुंदरगढ़		
		तलचेर		
		तिरथोल		
		दुर्गापुर		
		कुर्थिदा		
		भुवनेश्वर (डीडी-2)		
		धेनकनाल (डीडी-2)		
		दुदुरकोट (डीडी-2)		
		संबलपुर (डीडी-2)		
पंजाब	अमृतसर	अबोहर	तलवाड़ा	
	भटिंडा	फाजिल्का		
	जालंधर	फिरोजपुर		

1	2	3	4	5
		गुरदासपुर		
		पठानकोट		
		जालंधर (डीडी-2)		
राजस्थान	बूंदी	अजमेर		
	जयपुर	अलवर		
		अनूपगढ़		
		बांसवाड़ा		
		बरान		
		बासवा		
		बाडमेर		
		बेवर		
		भद्रा		
		भीलवाड़ा		
		बीकानेर		
		चिरावा		
		चित्तौड़गढ़		
		चुरू		
		डीग		
		डुगरपुर		
		गंगानगर		
		गंगापुर (सवाई माधोपुर)		
		जैसलमेर		
		हनुमानगढ़		
		जालौर		
		ज्वालावर		
		झुनझुन		
		जोधपुर		
		कर्णपुर		
		खेतरी		
		कोटपुतली		
		नागौर		
		नोखा		
		नाथवाड़ा		
		पाली		
		पिलानी		
		रायसिंहनगर		

1	2	3	4	5
		रतनगढ़		
		राघतसर		
		सलमबेर		
		सरदारशहर		
		सवाई माधोपुर		
		सीकर		
		सिरोही		
		श्रीडुगरगढ़		
		सुजानगढ़		
		सूरतगढ़		
		टोंक		
		उदयपुर		
		वल्लभ नगर		
		बांसी		
		नीमच		
		जयपुर (डीडी-2)		
सिक्किम	गंगटोक	गंगटोक (डीडी-2)	ग्यालशिंग	
			मंगन	
			नामची	
तमिलनाडु	कोडाइकनाल	अरकोट	उदमलपेट	दिंदिगुल
	मद्रास	कोयम्बतूर	वल्लियूर	कांचीपुरम
	मद्रास (डीडी-2)	कुन्नूर	वलपराई	
	मद्रास (डीडी-3)	कुर्तुलाम	वाजदापाडी	
	रामेश्वरम	कुड्डालूर		
		धर्मपुरी		
		कुंबाकोनम		
		मयूरम		
		मर्थादम		
		नागापत्तनम		
		नगरकोएल		
		नेवेली		
		पुडुक्कोट्टाई		
		राजायलयम		
		सेलम		
		तजाकूर		
		तिंदीवनम		
		तिरूचेंदूर		

1	2	3	4	5
		तिरूचिरापल्ली		
		तिरून्नेवेली		
		तिरूपत्तर		
		तिरूवन्नामलाई		
		तूतीकोरिन		
		उद्गमंदलम		
		वनमयबडी		
		बेल्लूर		
		वेल्लुपुरम		
		अरानी		
		गुडियत्तम		
		कृष्णगिरी		
त्रिपुरा	अगरतला	अगरतला (डीडी-2)		बेलोनिया
उत्तर प्रदेश	आगरा	अकबरपुर	अलमोड़ा	चुरूक
	इलाहाबाद	अलीगढ़	भटियारी	मसूरी
	बरेली	आजमगढ़	धरचुला	न्यू टेहरी
	गोरखपुर	बहराइच	गोपोश्वर	श्रीनगर
	कानपुर	बलिया	हलद्वानी	
	लखनऊ	बलरामपुर	कासोनी	
	माऊ	बान्दा	मनकापुर	
	मसूरी	बस्ती	मुनसियारी	
	वाराणसी	चम्पावत	रानीखेत	
		देवरिया	उत्तरकाशी	
		एटा	बागेश्वर	
		इटावा	देवप्रयाग	
		फैजाबाद	दीदीहाट	
		फर्रुखाबाद	गज्जा	
		फतेहपुर	घंडयाल	
		गोरीगंज	जोशीमठ	
		गोन्डा	कलजीखाल	
		हरदोई		
		हरिद्वार		
		जगदीशपुर		
		झांसी		
		काशीपुर		
		कासगंज		
		कोटद्वार		

1	2	3	4	5
		लखीमपुर		
		लालगंज (प्रतापगढ़)		
		लालगंज (रायबरेली)		
		ललितपुर		
		महोबा		
		मैनपुरी		
		मथुरा		
		मुरादाबाद		
		मुहम्मदाबाद		
		नैनीताल		
		ओबरा		
		ओरई		
		पोडी		
		पीलीभीत		
		पिथौरागढ़		
		पुरनपुर		
		रायबरेली		
		रामपुर		
		रासरा		
		सम्बल		
		शाहजहांपुर		
		सिकन्दरपुर		
		सीतापुर		
		सुल्तानपुर		
		टनकपुर		
		तिरवा		
		माऊ रानीपुर		
		कानपुर (डीडी-2)		
		लखनऊ (डीडी-2)		
		आजमगढ़ (डीडी-2)		
पश्चिम बंगाल	आसनसोल	अलीपुरद्वार	एगरा	
	कलकत्ता	बलुरघाट	झालदा	
	कलकत्ता (डीडी-2)	वर्धमान		
	कलकत्ता (डीडी-3)	कोनटई		
	कुरसियांग	दार्जिलिंग		
	मुर्शिदाबाद	झारग्राम		
		कलिमपोग		

1	2	3	4	5
		खरगपुर		
		कृष्णानगर		
		कोलना		
		मालदा		
		मेदिनीपुर		
		पुरूलिया		
		रानीघाट		
		शांतिनिकेतन		
अण्डमान एण्ड निकोबार	कार निकोबार	कैम्पबैल बै		
द्वीप समूह	पोर्ट ब्लेयर	डिगलीपुर		
		हटबे		
		मायाबुन्देर		
		नानकावरी		
		रानघाट		
		वारातांग		
		हेवलोक		
		कच्छल		
चण्डीगढ़	चण्डीगढ़			
	चण्डीगढ़ (डीडी-2)			
दादरा और		सिलवासा		
नागर हवेली				
दमन तथा द्वीव	दमन	द्वीव		
दिल्ली	दिल्ली	दिल्ली (लोक सभा)		
	दिल्ली (डीडी-2)	दिल्ली (राज्य सभा)		
	दिल्ली (डीडी-3)			
लक्षद्वीप	कावारत्ती	अगत्ती		
		अमिनी		
		अन्दरोट		
		चेललाट		
		कदमत		
		कालपेनी		
		किनटोन		
		मिनीकाय		
		कावारत्ती (डीडी-2)		
पांडिचेरी	कराईकल	माहे		
	पांडिचेरी	यानम		

[हिन्दी]

खानों की पहचान

896. श्रीमती शीला गौतम : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1995-96 से आज तक राज्य-वार कितनी खानों का पता लगाया गया है; और

(ख) इनमें से कितनी खानों में से खनिज और धातु निकाली जा रही है और कितनी मात्रा में निकाली जा रही है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 22 के अंतर्गत नए खनन पट्टे देने के लिए भारतीय खान ब्यूरो ने वर्ष 1995-96 और 1996-97 (20.1.1997 तक) के दौरान क्रमशः 402 और 313 खनन योजनायें अनुमोदित की हैं।

(ख) भारतीय खान ब्यूरो द्वारा एम॰सी॰डी॰आर॰, 1988 के अंतर्गत प्राप्त सांविधिक रिटर्नों के अनुसार बताया गया है कि अप्रैल, 1995 से नवम्बर, 1996 के दौरान देश में विभिन्न खनिजों के लिए 103 नई खानें खुल गई हैं। भारतीय खान ब्यूरो को इनमें से इसी अवधि के दौरान 71 खानों में उत्पादन की खबर मिली है। अप्रैल, 1995 से नवम्बर, 1996 की अवधि में उत्पादन और खोली गई नई खानों में सूचित उत्पादन की राज्यवार/खनिजवार संख्या के संबंध में ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सारणी : अप्रैल, 1995 से नवम्बर, 1996 के दौरान खोली गई नई खानों की राज्यवार संख्या और इन खानों से खनिजों का उत्पादन दर्शाने वाली सारणी

राज्य : खनिज	नई खोली गई खानों की सं॰	संचित उत्पादन, खानों की संख्या	कुल उत्पादन (टनों में)
1 2	3	4	5
आंध्र प्रदेश			
बैरसाइट्स	1	1	–
बालक्ले	1	1	780
फैलेस्पर	3	–	–
फायरक्ले	2	2	2,553
लाइमस्टोन	1	1	19,195
लाइमकनकर	2	2	1,768 *
माइका (क्रूड)	1	1	1
क्वार्ट्ज	3	–	–
कुल	14	8	–
बिहार			
बाक्साइट	4	–	–
फैलेस्पर	5	2	884
फायरक्ले	1	1	349
ग्रेफाइट	4	2	10
लौह अयस्क	1	1	2,000
लाइमस्टोन	1	1	1,752
माइका	5	5	155
क्वार्ट्ज	**	**	595
कुल	21	12	–
गुजरात			
बॉक्साइट	4	2	12,899
चॉक	3	3	1,062
लाइमस्टोन	2	2	761,105
क्वार्ट्ज	1	–	–
कुल	10	7	–
हरियाणा			
कोइलिन	1	1	240
क्वार्ट्ज	1	–	–
सिलिका सैंड	1	1	5,472
कुल	3	2	–
हिमाचल प्रदेश			
जिप्सम	1	1	–
कुल	1	1	–
कर्नाटक			
लाइमसैल	1	1	9,425
मैग्नीज अयस्क	3	1	25
क्वार्ट्ज	2	–	–
सिलिका सैंड	1	1	2,600
कुल	7	3	–

1	2	3	4	5
केरल				
	कोयलिन	1	1	1,352
	क्वार्ट्ज	1	–	–
	सिलिका सैंड	4	4	15,966
	कुल	6	5	–
मध्य प्रदेश				
	कलसाइट	1	1	1,992
	डोलोमाइट	2	2	9,384
	लौह अयस्क	2	2	1,542,000
	कोयलिन	2	2	2,768
	लाइमस्टोन	1	–	–
	मैग्नीज अयस्क	2	2	540
	पाइरोफाइलाइट	2	2	22,238
	कुल	12	11	–
महाराष्ट्र				
	लाइमस्टोन	1	1	1
	कुल	1	1	–
उड़ीसा				
	क्रोमाइट	3	1	2,142
	फायरक्ले	1	1	4,713
	ग्रेफाइट	1	–	–
	लौह अयस्क	2	2	30,000
	मैग्नीज अयस्क	2	2	3,060
	टिन अयस्क	1	–	–
	कुल	10	6	–
राजस्थान				
	जिप्सम	3	3	1,40,286
	लाइमस्टोन	1	1	2,87,968
	सीसा एवं जस्ता	1	–	–
	कुल	5	4	–
तमिलनाडु				
	गारनेट	3	3	67,530
	लाइमस्टोन	5	5	2,08,209
	क्वार्ट्ज	1	1	1,693
	कुल	9	9	–
उत्तर प्रदेश				
	स्टीटाइट	4	4	1,068
	कुल	4	4	1,068
समस्त भारत : कुल		103	71	–

* अप्रैल, 1996 से नवम्बर, 1996 से संबंधित आंकड़े

** फलैस्पर के अधीन ढकी हुई खानों की संख्या

[अनुवाद]

बोकारो इस्पात संयंत्र में कार्य का रूकना

897. प्रो॰ रीता वर्मा : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र में 12 जून, 1996 को उक्त संयंत्र में स्लैबिंग मिल की बियरिंग टूटने के कारण कार्य रुक गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे;

(ग) क्या इस दुर्घटना के पूर्व उक्त मिल की नींव हिल गई थी;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे;

(ङ) स्लैबिंग मिल की नींव को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) स्लैबिंग मिल में कार्य बन्द हो जाने के कारण विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत बोकारो इस्पात संयंत्र को कितना घाटा हुआ है तथा उक्त अवधि के दौरान कार्य रुक जाने के परिणामस्वरूप स्लैब उत्पादन में प्रति घंटे कितने टन का कितना नुकसान हुआ;

(छ) क्या इससे पूर्व जुलाई, 1996 में भी कार्य ठप्प हो गया था; और

(ज) यदि हां, तो कितने घंटों के लिए कार्य रुका था?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) और (ख) ड्राइविंग शाफ्ट और स्लैबिंग मिल का एण्ड साइड बियरिंग 12/06/1996 को गर्म हो गया जिससे मिल बन्द करनी पड़ी। संयंत्र की अन्य इकाइयों ने सामान्य ढंग से कार्य किया।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) उपरोक्त (ग) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(च) 12.6.1996 को स्लैबिंग मिल बन्द होने के कारण संयंत्र के उत्पादन में लगभग 6910 टन स्लैब की हानि हुई।

(छ) और (ज) जी, हां। जुलाई, 1996 में 28 घंटे 30 मिनट के लिए ब्रेकडाउन हुआ था।

गुजरात में डाक सेवाएं

898. **श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में विशेषकर भड़ोच तथा बडौदा में डाक सेवा सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रही है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) गुजरात के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में, विशेष रूप से भरूच और बड़ौदा में डाक सेवाएं संतोषजनक हैं और डाक का प्राय: समय पर वितरण होता है। तथापि डाक ले जाने वाली बसों, रेलों, हवाई जहाजों का रद्द हो जाना/देरी से चलना तथा बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं और कारपोरेट मेल तथा ग्रीटिंग्स मेल जैसी डाक की आपवादिक रूप से अत्यधिक मात्रा जैसे विविध कारणों से विलंब की घटनाएं हो जाती हैं।

(ग) राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में डाक सेवाओं की विभिन्न स्तरों पर निरंतर मानीटरिंग की जाती है और जहां कहीं कमियां ध्यान में आती हैं, सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

[हिन्दी]

राज्यों में आकाशवाणी केन्द्रों में एफ•एम• स्टीरियो उपकरण लगाना

899. **श्री अनन्त कुमार हेगड़े :**
श्री के•सी• कोंडय्या :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के सभी राज्यों के आकाशवाणी केन्द्रों में एफ•एम• स्टीरियो उपकरण लगाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्य पर राज्य-वार कितनी धनराशि व्यय होने की सम्भावना है;

(घ) इस उपकरण के लगाने से क्या लाभ होगा; और

(ङ) इस संबंध में कार्य कब तक आरंभ करने की सम्भावना है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी•एम• इब्राहीम) : (क) जी, हां। सरकार की देश के सभी राज्यों की राजधानियों में चरणबद्ध रूप से एफ•एम• स्टीरियो उपस्कर स्थापित करने की योजना है।

(ख) से (ङ) जैसाकि संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) एफ•एम• स्टीरियो उपस्कर की स्थापना से ध्वनि प्रसारण की गुणवत्ता में सुधार होगा जो मोनो प्रसारण की तुलना में कहीं अधिक जीवंत, सुस्पष्ट और श्रेष्ठ होगा।

विवरण

पहले से चालू एफ•एम• स्टीरियो चैनलों का ब्यौरा

क्र•सं•	स्थल	राज्य	ट्रांसमीटर क्षमता
1.	मुंबई	महाराष्ट्र	10 कि•वा• एफ•एम•
2.	कलकत्ता	प• बंगाल	10 कि•वा• एफ•एम•
3.	कटक	उड़ीसा	6 कि•वा• एफ•एम•
4.	दिल्ली	दिल्ली	10 कि•वा• एफ•एम•
5.	पणजी	गोवा	6 कि•वा• एफ•एम•
6.	चेन्नई	तमिलनाडु	10 कि•वा• एफ•एम•

अनुमोदित और स्थापनाधीन एफ॰एम॰ चैनलों का ब्यौरा

क्र॰सं॰	स्थल	राज्य	ट्रांसमीटर क्षमता	पूंजीगत लागत (लाख रु॰ में)	स्थिति
1.	बैंगलौर	कर्नाटक	10 कि॰वा॰ एफ॰एम॰	397.20	1997–98 के दौरान चालू करने हेतु तकनीकी रूप से तैयार होने की संभावना है।
2.	त्रिवेन्द्रम (सी॰बी॰एस॰)	केरल	10 कि॰वा॰ एफ॰एम॰	294.13	,,
3.	जम्मू (सी॰बी॰एस॰)	जम्मू तथा कश्मीर	10 कि॰वा॰ एफ॰एम॰	282.40	,,
4.	गुवाहाटी (सी॰बी॰एस॰)	असम	10 कि॰वा॰ एफ॰एम॰	314.30	,,
5.	आइजोल	मिजोरम	6 कि॰वा॰ एफ॰एम॰	351.80	9वीं योजना दौरान पूरा होने की संभावना।
6.	जयपुर	राजस्थान	6 कि॰वा॰ एफ॰एम॰	285.30	
7.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	10 कि॰वा॰ एफ॰एम॰	312.00	
8.	शिलांग	मेघालय	10 कि॰वा॰ एफ॰एम॰	304.50	

[अनुवाद]

महाराष्ट्र से खनिजों का उत्खनन

900. श्री कचरु भाऊ राउत :
श्री नारायण अठावले :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन खानों से बहुमूल्य खनिजों/पत्थरों का उत्खनन किया जा रहा है उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष राज्यवार निकाले गए खनिजों/पत्थरों का मूल्य क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र स्थित खनिज सर्वेक्षण विभाग द्वारा कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो राज्य में इन खनिजों के उत्खनन की कितनी संभावनाएं हैं; और

(ङ) चालू योजनावधि के दौरान सरकारी क्षेत्र और गैर सरकारी क्षेत्र द्वारा खान में निवेश के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं और चालू वर्ष के लिए कितना धन आवंटित किया गया है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बाल मजदूर

901. श्री डी॰पी॰ यादव :
श्री नारायण अठावले :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में देश के विभिन्न राज्यों के श्रम मंत्रियों का कोई सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) क्या देश में बाल मजदूरी को समाप्त करने के लिए किसी योजना पर विचार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इन योजनाओं के लिए कितनी राशि की सहायता उपलब्ध करायी जा रही है?

श्रम मंत्री (श्री एम॰ अरुणाचलम) : (क) से (ग) जोखिमकारी व्यवसायों में कार्यरत बालकों के पुनर्वास और गैर-जोखिमकारी व्यवसायों में कार्यरत बालकों के संबंध में कार्यदशायें विनियमित किए जाने तथा बेहतर बनाए जाने संबंधी उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को प्रभावी करने के लिए एक ठोस कार्य योजना को अन्तिम रूप देने हेतु 22.1.97 को राज्यों/संघ क्षेत्रों के श्रम मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि प्रथम चरण में शहरी और अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में, सभी प्रतिष्ठानों में और ग्रामीण क्षेत्रों में जोखिमकारी व्यवसायों में ऐसे बालकों की पहचान

करने के लिए सर्वेक्षण कराया जाएगा। नियम का उल्लंघन करने वाले नियोजक से 20,000/-रु॰ की राशि वसूल करने के लिए साथ-साथ कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकारों के लिए प्रवर्तन और प्रबोधन तन्त्र को उचित रूप से मजबूत बनाना और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पूरी तरह से अनुपालन सुनिश्चित करना भी अपेक्षित है।

[अनुवाद]

आमान परिवर्तन

902. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इंदौर-रतलाम रेल लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में कोई निर्णय लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) जी हां। महू-इंदौर-रतलाम खण्ड के आमान परिवर्तन के लिए एक सर्वेक्षण कार्य 2.8 लाख रुपये की लागत पर शुरू किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन कनेक्शन

903. श्री उत्तम सिंह पवार : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान स्व-विवेकाधिकार के अंतर्गत बिना बारी के प्राथमिकता के आधार पर आवंटित की गई टेलीफोन कनेक्शनों की क्या संख्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान जम्मू तथा कश्मीर में कितने टेलीफोन स्थापित किए गए;

(ग) क्या सरकार का ध्यान 13 दिसंबर, 1996 के "फ्रन्टलाइन" में पृष्ठ संख्या 31-33 पर "फोन्स टू किल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या लक्ष्य है;

(ङ) क्या सरकार का विचार आगे जांच करने हेतु इस मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, विवेकाधिकार के अंतर्गत बिना बारी के कुल 39880 टेलीफोन मंजूर किए गए।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जी हां।

(घ) तत्कालीन माननीय संचार राज्य मंत्री द्वारा दिनांक 24.1.1991 की डायरी संख्या 13742 से 13753 के तहत जम्मू और कश्मीर सर्किल के लिए टेलीफोन कनेक्शनों की एक सूची के 26 अनुरोधों वाली सूची से 12 बिना बारी के टेलीफोन कनेक्शन मंजूर किए गए थे।

(ङ) और (च) दूरसंचार विभाग का सतर्कता स्कंध मामले की जांच कर रहा है। आगे आवश्यकतानुसार समुचित कार्रवाई आरंभ की जाएगी।

खनिजों की रायल्टी दरें

904. श्री पी॰एस॰ गढ़वी :
श्री विजय पटेल :
श्री दिलीप संघानी :
श्री बी॰के॰ गढ़वी :
श्री काशीराम राणा :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1996 में नई दिल्ली में अखिल भारतीय खनिज तथा भूवैज्ञानिक सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस अधिवेशन में किन-किन मुद्दों पर विचार हुआ;

(ग) क्या सरकार का विचार खनिजों के रायल्टी दरों में संशोधन करने का है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकारों से सलाह ली गयी है; और

(ङ) प्रत्येक वर्ग में खनिजों के रायल्टी में संशोधन का ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) और (ख) जी, हां। नई दिल्ली में दिसम्बर, 1996 में हुए राज्य मंत्रियों/सचिवों के खनन और भू-विज्ञान संबंधी सम्मेलन में जिन मुख्य मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया, वे थे—(1) बड़े क्षेत्रों की अनुमति के लिए नए दिशा-निर्देश (2) पूर्वेक्षण लाइसेंस और खनन पट्टे देने के लिए प्रक्रिया को सरल बनाना (3) खनन संबंधी रियायतें प्राप्त करने में विदेशी कंपनियों द्वारा झेली जाने वाली समस्याएं (4) नई खनिज नीति, 1993, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957, एम॰सी॰आर॰, 1960 और एम॰सी॰डी॰आर॰, 1988 में संशोधन (5) पर्यावरण और वन संबंधी मंजूरी (6) संभावित निवेशकों को आंकड़ों की आपूर्ति (7) राज्य सरकारों के साथ गवेषण कार्य करने में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय खान ब्यूरो द्वारा झेली जाने वाली समस्यायें (8) ग्रेनाइट संसाधनों का विकास।

(ग) से (ङ) सरकार ने प्रमुख खनिजों (कोयला, लिग्नाइट और निर्माण के लिए बालू को छोड़कर) पर लागू रायल्टी की दरों और डेड रेंट की विस्तृत समीक्षा करने के लिए 30.1.1995 को एक अध्ययन दल गठित किया। इस अध्ययन दल ने नवम्बर, 1995 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी और दरों में संशोधन करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

लाइसेंस शुल्क में रियायत

905. **श्री देवी बक्स सिंह :**
डा॰ रमेश चन्द तोमर :
श्री राधा मोहन सिंह :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बुनियादी टेलीफोन सेवा देने वाली कंपनियों को लाइसेंस शुल्क के भुगतान पर आयकर प्रावधानों में रियायत देने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा आयकर प्रावधानों में विशेष रियायत देने के क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) वित्त मंत्रालय ने दूरसंचार विभाग से यह सिफारिश की है कि भावी ऑपरेटरों द्वारा प्रदत्त लाइसेंस शुल्क को, आयकर अधिनियम की धारा 37(1) के तहत, घटाये जाने योग्य व्यय के रूप में माना जाए, क्योंकि संभवतः लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना उक्त अधिनियम की उक्त धारा के तहत परिकल्पित शर्तों को पूरा करना होगा।

(ग) चूंकि प्रदत्त लाइसेंस फीस की आयकर अधिनियम की पहले से ही मौजूद धारा के तहत घटाए जाने योग्य मानने के लिए संस्तुत किया गया है, अतः किसी विशेष ढील का अनुरोध नहीं किया जा रहा है।

पर्यटन के लिए विमान सेवाएं

906. **श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्याप्त और बेहतर विमान सेवाएं उपलब्ध न होने के कारण देश में पर्यटन के विकास और विस्तार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) और (ख) विमान परिवहन सेवाओं में सुधार एक सतत प्रक्रिया है जिसमें बेड़ा जुटाने, विमानपत्तनों के निर्माण तथा अन्य आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं के लिए भारी निवेश करना होता है।

(ग) अन्तर्देशीय सेक्टर को गैर-सरकारी विमानकंपनियों के लिए खोलने से, विमानन-उद्योग में प्रतिस्पर्धा का भाव पैदा हो गया है और इससे देश में विमान सेवाओं की गुणवत्ता तथा आवृत्ति में सुधार हुआ है। इंडियन एयरलाइन्स ने अपनी क्षमता तैनाती 15 प्रतिशत तक बढ़ा दी है और वह भूमि पर तथा विमान में दोनों तरफ सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कदम उठा रही है। एयर इंडिया भी और अधिक यात्रियों को आकर्षित करने और राजस्व में सुधार करने के लिए अपने उत्पाद, छवि तथा समयबद्ध कार्यनिष्पादन में सुधार लाने की दृष्टि से कदम उठा रहा है। यात्री संतोष में सुधार लाने के लिए पीछे हाल ही में नए गंतव्य-स्थलों को शामिल कर लिया गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण विभिन्न हवाई अड्डों का उन्नयन करने के लिए 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 3490 करोड़ रु॰ व्यय करने की योजना बना रहा है। सरकार की उदार चार्टर नीति के परिणामस्वरूप विभिन्न पर्यटक गंतव्य-स्थलों पर अनेक चार्टर उड़ानें अवतरण कर रही हैं।

[अनुवाद]

पर्यटन संबंधी परिव्यय में वृद्धि

907. **श्री येल्लैया नंदी :**
डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय द्वारा योजना आयोग से नौवीं पंचवर्षीय योजना में पर्यटन संबंधी आवंटन व्यय में संशोधन करने का अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो नौवीं पंचवर्षीय योजना में कुल कितनी धनराशि शामिल करने का सुझाव दिया गया है;

(ग) मंत्रालय के प्रस्ताव से योजना आयोग कितना सहमत हो गया है;

(घ) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना में पर्यटन संवर्धन को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) जी, हां।

(ख) 5780.00 करोड़ रुपए।

(ग) से (ङ) योजना आयोग ने नौवीं योजना को अंतिम रूप नहीं दिया है।

[हिन्दी]

पिछड़े क्षेत्रों में रेलों के विकास हेतु सर्वेक्षण

908. **श्री तारा चन्द भगोरा :**
श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय :
श्री शिवराज सिंह :
श्री शान्तिलाल पुरूषोत्तम दास पटेल :
श्री सनत मेहता :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े, पर्वतीय, जनजातीय और रेगिस्तानी क्षेत्रों में रेलवे के विकास/विस्तार के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसका जोन-वार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

रेलवे कालोनियों का रखरखाव

909. **डा॰ अरूण कुमार शर्मा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुवाहाटी तथा मालीगांव स्थित रेलवे कालोनियों का समुचित रखरखाव न किए जाने तथा वहां बुनियादी सुविधाओं का अभाव होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन रेलवे कालोनियों के उचित रखरखाव तथा वहां बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार किया गया है;

(घ) क्या गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ धनराशि जारी की गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त धनराशि का उपयोग कैसे किया गया?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) गुवाहटी और मालीगांव में रेलवे कालोनियों का रख-रखाव उचित रूप से किया जा रहा है और मूलभूत सुविधाओं में कोई कमी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रेल प्रशासन के कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रतिनिधियों की एक "कालोनी केयर समिति" बनाई गई है जो रेलवे कालोनियों की आवश्यकताओं की देखभाल करती है तथा मरम्मत/अनुरक्षण कार्य समिति के निर्णय के अनुसार निष्पादित किए जाते हैं। इसके अलावा, विभिन्न स्तरों पर कालोनियों का निरीक्षण किया जाता है और यदि कोई कमी पाई जाती है तो उसे दूर किया जाता है।

(घ) जी हां।

(ङ) अनुरक्षण संबंधी कार्यों को करने तथा कालोनी को साफ सुथरा रखने के लिए निधियों का उपयोग किया जाता है।

बेइमान एस॰टी॰डी आपरेटर्स

910. **डा॰ एम॰ जगन्नाथ :**
श्री के॰एस॰ रायुडू :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 जनवरी, 1997 के न्यूज टाइम में "अनस्क्रप्लुअस एस॰टी॰डी॰ आपरेटर्स लूट पब्लिक" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) बेइमान आपरेटरों द्वारा सार्वजनिक दूरभाष के प्रयोगकर्त्ताओं को लूटे जाने से रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश में एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण

911. **श्री रामसागर** : क्या **संचार मंत्री** उत्तर प्रदेश में एक्सचेंजों के आधुनिकीकरण के बारे में 5.12.1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2014 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जानकारी अब तक एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1996-97 के दौरान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और इसके उपनगरीय क्षेत्रों में प्रस्तावित टेलीफोन एक्सचेंजों के आधुनिकीकरण के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। 1996-97 के दौरान उपरोक्त राज्यों में प्रस्तावित विस्तार कार्य के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) उपरोक्त (ख) के अनुसार कार्रवाई की गई।

विवरण-I

वर्ष 1996-97 के दौरान टेलीफोन एक्सचेंजों के आधुनिकीकरण के लिए प्रस्ताव :—

क्र-सं॰	एक्सचेंज का नाम	किस्म	क्षमता
1	2	3	4
उत्तर प्रदेश			
1.	कानपुर-कृष्णनगर	स्ट्रोजर	3000
2.	कानपुर-लाजपतनगर	क्रासबार	4000
3.	लखनऊ-भडेवां	"	3000
4.	लखनऊ-महानगर	"	10000
5.	वाराणसी-कैन्ट	स्ट्रोजर	5100
6.	मुरादाबाद	"	7800
7.	बरेली	"	10000
8.	देहरादून	"	8100
9.	गाजियाबाद	क्रासबार	6000
10.	संबल	स्ट्रोजर	1500
11.	अकराबाद	"	25
12.	बेसवां	"	50
13.	बिजोली	"	25
14.	कहनाडप्पा	"	50
15.	गोरई	"	25
16.	करोगंज	"	25
17.	मनमहो	"	25
18.	पार्चो	"	25
19.	सलेमपुर	"	25
20.	टप्पल	"	25
21.	वाजिदपुर	"	25
मध्य प्रदेश			
1.	भोपाल-अरेरा	"	1664
2.	इंदौर-नेहरू पार्क-III	"	2800
3.	ग्वालियर-सिटि-I	क्रासबार	10000
4.	राऊ	स्ट्रोजर	400
5.	डबरा	"	700
6.	रायपुर	"	6900
7.	बिलासपुर	"	5000
8.	उज्जैन	"	3200
गुजरात			
1.	अहमदाबाद-सेवपुरा	स्ट्रोजर	7000
2.	अहमदाबाद-रेलवेपुरा	"	3000
3.	अहमदाबाद-नारंगपुरा	क्रासबार	10000
4.	भावनगर-पनवाडी	स्ट्रोजर	2700
5.	सूरत-महिदापुरा	"	4800
6.	जामनगर	"	1500
7.	जामनगर	"	2000
8.	नडियाड	"	4500
9.	गोधरा	"	1500

विवरण-II

1996-97 के दौरान एक्सचेंजों के विस्तार के लिए प्रस्ताव

क्र-सं॰	एक्सचेंज का नाम	किस्म	क्षमता
1	2	3	4
उत्तर प्रदेश			
1.	लखनऊ-आलमबाग	ईडब्ल्यूएसडी	2000
2.	लखनऊ-भडेवां	ई-10बी, आरएलयू	4000
3.	लखनऊ-केसरबाग	ई-10बी	1000
4.	लखनऊ-टीपी नगर	ईडब्ल्यूएसडी	3000
5.	लखनऊ-महानगर	ई-10 बी	1000
6.	लखनऊ-जानकीपुरम	ई-10बी, आरएलयू	1000
7.	लखनऊ-महानगर	ईडब्ल्यूएसडी	5500
8.	बाराबंकी	ई-10बी, आरएलयू	2000
9.	झांसी-केन्ट	"	2000
10.	गाजीपुर	"	1000
11.	लखीमपुर	सी-डॉट	128
12.	राय बरेली	"	1000
13.	गोरखपुर-रापती नगर	ई-10बी, आरएलयू	1000
14.	फैजाबाद	"	1000
15.	वाराणसी-केन्ट	"	1000
16.	कानपुर-बेनाझाबार	ईडब्ल्यूएसडी	1120
17.	गाजियाबाद-डी 2/75 लेवल	ई-10 बी	2000
18.	गाजियाबाद-पटेल मार्ग	ई-10 बी	1000
19.	गाजियाबाद-नोएडा	ईडब्ल्यूएसडी	5000

1	2	3	4
20.	गाजियाबाद-राजेन्द्र नगर	ईडब्ल्यूएसडीआरएस	2000
21.	आगरा-ताज नगरी	ई-10बी, आरएलयू	1000
22.	आगरा-संजय प्लेस	ई-10बी	1000
23.	आगरा-टीएएक्स-भवन	"	1000
24.	अलीगढ़	"	2000
25.	अलीगढ़-हाथरस	ई-10बी, आरएलयू	1000
26.	देहरादून-ऋषिकेश	"	1000
27.	देहरादून-क्लीमिनटाऊन	"	1000
28.	देहरादून-मसूरी	"	1000
29.	बरेली	ई-10 बी	1000
30.	मुज्ज़फर नगर-गांधी कालोनी	ई-10बी, आरएलयू	1000
31.	हरिद्वार	ई-10बी	500
32.	हरिद्वार-ज्वालापुर	ई-10बी, आरएलयू	500
33.	सहारनपुर-किशन-कम्पाउंड	ई-10 बी	1000
34.	रूड़की	ई-10 बी, आरएलयू	1000
35.	मेरठ-बरौत	ई-10 बी, आरएलयू	1000
36.	मथुरा-वृंदावन	"	1000
37.	मथुरा	ई-10 बी	1000
38.	बाराबंकी-हैदरगढ़	सी-डॉट	256
39.	बाराबंकी-आर॰एस॰ घाट	"	256
40.	बाराबंकी-बरेथी	"	128
41.	बाराबंकी-सतरिख	"	128
42.	बाराबंकी-दरियाबाद	"	128
43.	बाराबंकी-रामनगर	"	128
44.	बाराबंकी-टिकैतनगर	"	128
45.	बहराइच-कैसरगंज	"	320
46.	बहराइच-फखरपुर	"	192
47.	बहराइच-पयागपुर	"	64
48.	बहराइच-मिहिनपुरवा	"	128
49.	बस्ती-भावनान	"	128
50.	देवरिया-बारहज	"	128
51.	प्रतापगढ़-रानीगंज	"	128
52.	सुल्तानपुर-सुरापुर	"	128
53.	सीतापुर	"	1000
54.	आजमगढ़	सी-डॉट	2000
55.	बलियां	"	1000
56.	फर्रूखाबाद	"	1000
57.	मिर्जापुर	"	1000
58.	जौनपुर	"	1000
59.	सुल्तानपुर	"	1000
60.	रायबरेली	"	1000
61.	शाहजहांपुर	"	1500
मध्य प्रदेश			
1.	भोपाल-बिट्ठल मार्केट	ई-10बी	1000
2.	दुर्ग-भिलाई	"	1000
3.	जबलपुर-मिलोनोगंज	"	1000
4.	उज्जैन	सी-डॉट	2000
5.	बुरहानपुर	"	2000
6.	खांडवा	"	1500
7.	रतलाम	"	2800
8.	बिलासपुर	"	2000
9.	कोरबा	"	2000
10.	कटनी	"	1800
11.	इंदौर-टीपीनगर	ई-10बी	1000
12.	रायपुर	"	1000
13.	ग्वालियर	"	2000
14.	भोपाल-अरेरा	ओसीबी	2000
15.	इंदौर-नेहरू पार्क	ईडब्ल्यूएसडी	2000
16.	दिल्लोड	सी-डॉट	256
17.	मोलर रोड	"	256
18.	निओसनिया जाट	"	"
19.	खाने	"	"
20.	दोराहा	"	"
21.	शाहगंज	"	"
22.	असथा	"	"
23.	बगेर	"	"
24.	बिलकिसगंज	"	"
25.	भांडेर	"	"
26.	डाकच्या	"	"
27.	विधोलीमरदाना	"	"

1	2	3	4
28.	हसलपुर	सी-डॉट	256
29.	जमली	"	"
30.	गणेशनगर	"	"
31.	अजनोड	"	"
32.	तोसगांव	"	"
33.	रिंगनोड	"	"
34.	राजोड	"	"
35.	कुकशी	"	"
36.	निमरानी	"	"
37.	शामगढ़	"	"
38.	डेगेओनमाली	"	"
39.	रानापुर	"	"
40.	रायपुरिया	"	"
41.	हटपिपलिया	"	"
42.	कांटापहोड	"	"
43.	बरोथा	"	"
44.	सोनकच्छ	"	"
45.	बहादुरपुर	"	"
46.	मुंगाओली	"	"
47.	सुथलिया	"	"
48.	खुजनेर	"	"
49.	राजगढ़	"	"
50.	अजयगढ़	"	"
51.	बदलिया माताजी	"	"
52.	बेगमगंज	"	"
53.	सांची	"	"
54.	गंज बसोड	"	"
55.	बरेथ	"	"
56.	सिनगोट	"	"
57.	दरियापुर	"	"
58.	सरायघोला	"	"
59.	गंगीवाड़ा	"	"
60.	बागरा	"	"
61.	जुन्नरदेव	"	"
62.	मनधार	"	"
63.	बीसापुर	"	"
64.	पालखाड	सी-डॉट	256
65.	रामकोना	"	"
66.	गोदावरी	"	"
67.	पथाखेडा	"	"
68.	लाल बरी	"	"
69.	लामटा	"	"
70.	गरहा सराय	"	"
71.	भुआ बिछिया	"	"
72.	साली चौका	"	"
73.	साईखेडा	"	"
74.	काराकबेल	"	"
75.	डोंगी धाना	"	"
76.	बनडोल	"	"
77.	धुमा	"	"
78.	बांकी मोगरा	"	"
79.	परसीड	"	"
80.	कोनी	"	"
81.	मस्तुरी	"	"
82.	गोंडा डोह	"	"
83.	फास्तरपुर	"	"
84.	डाली राजहारा	"	"
85.	नोवबस्ता	"	"
86.	गानगाओ	"	"
87.	जयंत	"	"
88.	कलेरा	"	128
89.	नीलबाद	"	"
90.	बरखेड़ा	"	"
91.	भानुखादी	"	"
92.	खादी	"	"
93.	लसुदिया	"	"
94.	हकिमबाद	"	"
95.	पनोड	"	"
96.	शाहनगर	"	"
97.	मैनपुर	"	"
98.	चांदबास	"	"
99.	जाओरा	"	"

1	2	3	4
100.	रिंगनोड	सी-डॉट	128
101.	सारंगी	"	"
102.	प्रतापपुर	"	"
103.	थांडला	"	"
104.	बिजुरी	"	"
105.	सावां	"	"
106.	भयाना	"	"
107.	सेसाई	"	"
108.	गारतगंज	"	"
109.	सिलवानी	"	"
110.	गंधवा	"	"
111.	बडचोचली	"	"
112.	टीगांव	"	"
113.	डोंगरमाली	"	"
114.	कल्याणपुर	"	"
115.	तरोड	"	"
116.	पखानजोर	"	"
117.	असना	"	"
118.	अडावल	"	"
119.	खाटखेरी	"	"
120.	डगहोरा	"	"
121.	कथा	"	"
122.	नादन	"	"
123.	बिसरामपुर	"	"
124.	रामानुजगंज	"	"
125.	डतरा	"	512
126.	सनवार	"	"
127.	हटोड	"	"
128.	नवपाड़ा रजिम		"
129.	अनजाड	"	"
130.	मालनपुर	"	"
131.	बालको	"	"
132.	सोयतकालन	एमआईएलटी	64
133.	निसनिया	"	"
134.	रानीपुरा	"	"

1	2	3	4
गुजरात			
1.	राजकोट जेबी एक्सचेंज	ओसीबी	7000
2.	सूरत-नानपुरा	एफआईएक्स, आरएसयू	3000
3.	सूरत-रनडेर	"	4000
4.	वडोडरा-मकरपुरा	एफटीएक्स,	5000
5.	वडोडरा-पानीगटी	एफटीएक्स, आरएसयू	2000
6.	अहमदाबाद-वासना	ई-10बी	2000
7.	अहमदाबाद-वस्त्रपुर	ई-10बी, आरएलयू	1000
8.	अंकलेश्वर, जीआईडीसी	"	1000
9.	अंकलेश्वर, टाउन	"	3000
10.	भडुंच, जीआईडीसी	ई-10बी	1000
11.	भडुंच, टाउन	"	2000
12.	भावनगर	"	3500
13.	गांधीनगर	"	2000
14.	गोधरा	ई-10बी, आरएलयू	1000
15.	जूनागढ़	ई-10बी	1000
16.	जूनागढ़-सरदार मंच	ई-10बी, आरएलयू	1000
17.	मेहसाणा	ई-10बी	500
18.	नवसारी	"	2000
19.	राजकोट	"	112
20.	राजकोट-अजी	ई-10बी, आरएलयू	300
21.	राजकोट-भक्ति नगर	"	3500
22.	राजकोट के॰आर॰ एक्सचेंज	ई-10बी	2200
23.	सूरत-महीधारपुर	"	1000
24.	सूरत-कटाग्राम	"	2000
25.	सूरत-पंडेसरा	"	1500
26.	सूरत-उधाना	"	1000
27.	सुरेन्द्रनगर	"	2000
28.	वडोडरा-गोरवा	ई-10बी, आरएलयू	750
29.	वडोडरा-कोयली	"	250
30.	वडोडरा-फतेहगंज	"	1000
31.	वडोडरा-पानीगटे	"	1000
32.	कामबे	सी-डॉट	500
33.	काडो	पीआरएक्स	72

बिहार में स्वचालित एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण

912. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के दुमका, गोड्डा, देवघर, बांका और जमुई जिलों में कितने डिजीटल ट्रंक और स्वचालित एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण किया गया है;

(ख) कितने एस॰टी॰डी॰ टेलीफोनों को ठीक किया गया है तथा कितने नये एस॰टी॰डी॰ टेलीफोन लगाये गये हैं;

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में एस॰टी॰डी॰/आई॰एस॰डी॰ और पी॰सी॰ओ॰ सुविधा प्रदान करने हेतु क्या प्रक्रिया है;

(घ) उपर्युक्त जिलों में स्थापित किये गये उन सौर ऊर्जा टेलीफोनों की संख्या क्या है जो काम कर रहे हैं; और

(ङ) ऐसे कितने टेलीफोन लगाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) बिहार के दुमका, देवघर, बांका और जमुई में कोई डिजिटल ट्रंक एक्सचेंज नहीं है। उपर्युक्त जिलों में आधुनिकीकृत स्वचालित एक्सचेंजों की संख्या इस प्रकार है :—

दुमका : 13, गोड्डा : 8, देवघर: 7, बांका : 10, और जमुई : 11

(ख) एस॰टी॰डी॰ फोनों के निष्पादन की सावधानीपूर्वक निगरानी की जाती है। उपर्युक्त स्थानों पर संस्थापित फोनों की संख्या इस प्रकार से है :—

दुमका : 32, गोड्डा : 10, देवघर : 67, बांका : 5 और जमुई : 9

(ग) एस॰टी॰डी/आई॰एस॰डी॰ फोन, इस प्रयोजन के लिए संस्थापित समिति की सिफारिशों के आधार पर आवंटित किए जाते हैं। ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन जनता की सुगम पहुंच के भीतर आने वाले स्थानों पर लगाए जाते हैं।

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित तथा कार्यरत सौर ऊर्जा टेलीफोनों की जिलेवार संख्या इस प्रकार से है :—

दुमका : 95, गोड्डा : 24, देवघर : 20, बांका : 129 और जमुई : 90

(ङ) वर्ष 96-97 के दौरान संस्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित सौर ऊर्जा टेलीफोनों की संख्या इस प्रकार से है :—

दुमका : 12, गोड्डा : 7, देवघर : 24, बांका : 102 और जमुई : 12

कन्याकुमारी और चेन्नई के बीच एक और एक्सप्रैस रेलगाड़ी चलाना

913. **श्री के॰ परसुरामन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लोगों तथा विभिन्न संगठनों से अभ्यावेदन मिले हैं जिनमें कन्याकुमारी तथा चेन्नई के बीच एक और एक्सप्रैस रेलगाड़ी चलाने का अनुरोध किया गया है ताकि यात्री उत्तरी पश्चिमी तथा देश के पूर्वी भागों के लिए विभिन्न गाड़ियां पकड़ने के लिए समय पर चेन्नई पहुंच सकें;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक शुरू हो जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) इस संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) परिचालनिक कठिनाई और संसाधनों की तंगी के कारण।

[हिन्दी]

जयपुर दूरदर्शन केन्द्र की प्रसारण क्षमता में विस्तार

914. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजस्थान में जयपुर दूरदर्शन केन्द्र की प्रसारण क्षमता में विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसका कब तक विस्तार करने की संभावना है;

(ग) क्या जयपुर दूरदर्शन केन्द्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को सम्पूर्ण राज्य में देखा जा सकता है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) और (ख) जयपुर में मौजूदा उच्च शक्ति टी॰वी॰ ट्रांसमीटर की शक्ति बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) हालांकि दूरदर्शन केन्द्र, जयपुर से प्रसारित क्षेत्रीय सेवा उपर्युक्त डिश एंटिना प्रणाली के प्रयोग से उपग्रह के जरिए सम्पूर्ण राजस्थान राज्य सहित सारे देश में उपलब्ध है तथापि, राज्य में इस सेवा के सभी उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों एवं अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों द्वारा स्थलीय रूप से रिले किया जा रहा है।

[अनुवाद]

खनिज अधिनियम का संशोधन

915. **श्री बीर सिंह महतो** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खान अधिनियम में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य) : (क) से (घ) राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 के अनुसार इस अधिनियम के प्रावधानों तथा नियमों की देश में औद्योगिक तथा सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित नीतियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए समय-समय पर समीक्षा करनी होती है। खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों में इस संबंध में इससे पहले 1994 में संशोधन किये गए थे। विभिन्न राज्य सरकारें खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 के तहत और अधिक अधिकारों के हस्तांतरण की मांग कर रही हैं। इस संदर्भ में हाल ही में अन्य बातों के साथ-साथ खनिजों के विनियमन तथा विकास से संबंधित मौजूदा नियमों तथा पद्धतियों की समीक्षा तथा उन्हें बदली हुई नीतियों के और अधिक अनुकूल बनाने हेतु उपाय सुझाने के लिए खान सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जिसमें प्रमुख खनिज उत्पादक राज्यों के खनन और भूविज्ञान सचिव सदस्य हैं।

तांबे का उत्पादन

916. **श्री विश्वेश्वर भगत :**
श्री के॰ प्रधानी :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार तांबे के भंडार क्षेत्र कहां-कहां हैं;

(ख) तांबे के खनन और प्रसंस्करण से संबंधित विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को हाल ही में तांबे का उत्पादन करने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है;

(ङ) क्या सरकार ने तांबे के आयात को कम करने और इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य) : (क) देश में 1.4.94 की स्थिति के अनुसार तांबा अयस्क के कुल 431 मिलियन टन प्राप्तियोग्य भंडार हैं। प्राप्तियोग्य भंडारों का राज्यवार विवरण निम्न प्रकार है :—

	यूनिट 000 टन
आंध्र प्रदेश	12028.60
बिहार	116627.00
गुजरात	8124.20
कर्नाटक	5856.10
मध्य प्रदेश	192704.00
महाराष्ट्र	606.40
मेघालय	616.00
उड़ीसा	3226.50
राजस्थान	89335.70
सिक्किम	722.00
उत्तर प्रदेश	1120.00
वेस्ट बंगाल	79.10

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, हिन्दुस्तान कॉपर लि॰ देश में एकमात्र इकाई है जो तांबे के खनन और शोधन के कार्य में लगा हुआ है।

(ग) और (घ) वर्ष 1991 में घोषित औद्योगिक नीति में यह कहा गया है कि देश में तांबा उत्पादन के लिए किसी औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

राष्ट्रीय खनिज नीति 1993 द्वारा तांबे का खनन, जो सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित था, निजी क्षेत्र के लिए भी खोल दिया गया है। उदारीकरण नीति के मद्देनजर निम्नलिखित नई/अतिरिक्त उत्पादन क्षमताएं कार्यान्वयनाधीन हैं/नियोजित की जा रही हैं :—

स्टरलाइट इण्डस्ट्रीज (आई) लि॰	60,000 टीपीए
इण्डो गल्फ फर्टीलाइजर एण्ड केमिकल्स कारपोरेशन लि॰	100,000 टीपीए
मैट-डिस्ट लि॰	150,000 टीपीए
एस डब्ल्यू आई एल लि॰	50,000 टीपीए
एच॰सी॰एल॰ विस्तार	70,000 टीपीए
	4,30,000 टीपीए

(ङ) और (च) उदारीकरण नीति अपनाने के फलस्वरूप तांबे के आयात का असरीकरण कर दिया गया था ताकि यह स्वदेशी उद्योग को मुक्त रूप से उपलब्ध हो सके।

आमान परिवर्तन

917. श्री के॰ प्रधानी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में कुछ छोटी लाइनों का बड़ी लाइनों में परिवर्तन संबंधी प्रस्ताव काफी लम्बे समय से लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों के कार्यान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन परियोजनाओं को नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पूरा कर लिए जाने की सम्भावना है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं। उड़ीसा में दो छोटी लाइनें हैं :—

1. रूपसा–बंगरीपोसी आमान परिवर्तन के लिए पहले ही स्वीकृत है।
2. नौपाडा–गुनुपुर को 1997–98 के बजट में शामिल किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां। संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन।

(घ) आने वाले वर्षों में आवश्यक निधियां मुहैया कराई जाएंगी।

केरल में टेलीफोन कनेक्शन हेतु प्रतीक्षा

918. श्री कोडीकुनील सुरेश :
श्री एन॰एस॰वी॰ चित्त्यन :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किये जाने हेतु आज तक राज्य–वार, श्रेणी–वार कितने आवेदन लंम्बित हैं;

(ख) इन्हें तेजी से निपटाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या टेलीफोन परिचालन का निजीकरण किए जाने का भी विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) 31.1.1997 की स्थिति के अनुसार, टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए लंबित आवेदनों के राज्य–वार तथा श्रेणीवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) 1996–97 के दौरान, 24.5 लाख टेलीफोन कनेक्शन और 1997–98 के दौरान, 29 लाख टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) टेलीफोन प्रचालनों का निजीकरण करने के संबंध में सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, दूरसंचार विभाग/ महानगर टेलीफोन निगम लि॰ के साथ प्रतिस्पर्द्धा में निजी क्षेत्र को देश में बुनियादी टेलीफोन सेवा प्रदान करने की अनुमति दी गई है।

विवरण

31.1.1997 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए लंबित आवेदनों की राज्यवार तथा श्रेणीवार संख्या

क्र॰सं॰	राज्य का नाम	ओवाईटी	गैर ओवाईटी
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	367	2,22,244
2.	असम	180	28,856
3.	बिहार	78	61,041
4.	गुजरात (दादरा, दीव, दमन और नागर हवेली सहित)	2,784	2,89,821
5.	हरियाणा	326	1,02,059
6.	हिमाचल प्रदेश	8	46,710
7.	जम्मू तथा कश्मीर	828	296,16
8.	कर्नाटक	1,299	2,10,690
9.	केरल (संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप सहित)	32,178	6,01,996
10.	मध्य प्रदेश	29	64,367
11.	महाराष्ट्र (गोवा तथा मुंबई सहित)	2,104	3,43,483

1	2	3	4
12.	उत्तर-पूर्व (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड और त्रिपुरा सहित)	38	16,074
13.	उड़ीसा	42	25,184
14.	पंजाब (चंडीगढ़ सहित)	1,119	2,27,351
15.	राजस्थान	945	1,92,265
16.	तमिलनाडु (मद्रास तथा संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी सहित)	9,238	4,28,647
17.	उत्तर प्रदेश	442	1,71,212
18.	पश्चिम बंगाल (सिक्किम, अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह और कलकत्ता सहित)	295	1,59,370
19.	दिल्ली	69	38,872
	अखिल भारतीय	52,450	32,59,858

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स का विलय

919. **श्री वी॰ प्रदीप देव** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया के निदेशक मंडल ने एअर इंडिया तथा इंडियन एयर लाइंस के विलय संबंधी प्रस्ताव मंत्रालय को 12 अगस्त, 1996 को प्रस्तुत किया है;

(ख) क्या निदेशक मंडल ने इस विलय की सिफारिश करते हुए सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या नीति है;

(घ) क्या सरकार ने निदेशक मंडल की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) जी, हां।

(ख) एयर इंडिया के बोर्ड ने सितम्बर, 1996 में हुई अपनी बैठक में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के विलय के पक्ष में एक मत से प्रस्ताव पारित किया।

(ग) से (ङ) सरकार ने दोनों एयरलाइनों को कुछ सैक्टरों में एकीकृत कार्यकरण की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कहा है। निदेशकों के एक साझे बोर्ड की नियुक्ति इसी दिशा में एक कदम है।

दूरदर्शन द्वारा एम॰एम॰डी॰ प्रणाली प्राप्त करना

920. **श्री के॰एच॰ मुनियप्पा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन की माइक्रोवेव मल्टीप्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (एम॰एम॰डी॰एस॰) जिसके अन्तर्गत सिग्नलों को 2.7 जी॰एच॰जेड॰ से रूप की फ्रीक्वेंसी पर भेजे जाने का अनुमान है, को शुरू करने की कोई योजना है;

(ख) क्या दूरसंचार विभाग ने एम॰एम॰डी॰एस॰ उपभोक्ताओं के लिए 2.7 और 2.8 जी॰एच॰जेड॰ के बीच फ्रीक्वेंसी निर्धारित की है;

(ग) यदि हां, तो कितने उपभोक्ताओं ने अब तक लाइसेंस के लिए आवेदन किया है;

(घ) क्या आवश्यक वायरलेस टी॰वी॰ हार्डवेयर उपभोक्ताओं को न्यूनतम लागत पर पूर्ति करने की पेशकश की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) इस संबंध में विभिन्न एजेंसियों से समय-समय पर प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं परन्तु इन पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि इसमें प्रसारण हेतु रेडियो तरंगों का विकिरण निहित है।

[हिन्दी]

दक्षिण अफ्रीका के लिए एयर इंडिया की सेवाओं को रद्द करना

921. **श्री अन्नासाहिब एम॰के॰ पाटिल** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण अफ्रीका के लिए एयर इंडिया की सेवाओं को रद्द करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त निर्णय को कब से लागू किये जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) से (ग) एयर इंडिया ने सूचित किया है कि कम भार तथा प्रचालनों की अलाभकारी प्रकृति के कारण, उन्होंने फरवरी, 1997 के मध्य से दक्षिण अफ्रीका के लिए अपनी सेवाएं अस्थायी रूप से बन्द कर दी हैं।

[अनुवाद]

केरल में टेलीफोन का बैकलाग

922. **श्री रमेश चेन्नित्तला** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में टेलीफोन कनेक्शन हेतु जिला-वार कुल बैकलाग कितना है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान मांग की तुलना में प्रतिवर्ष कितने टेलीफोन कनेक्शन दिए गए;

(ग) क्या इस बैकलाग को समाप्त करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) 31.1.1997 की स्थिति के अनुसार केरल में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कुल लंबित आवेदन-पत्रों की जिला-वार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिए गए टेलीफोन कनेक्शनों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) जी हां।

(घ) 31.1.1997 तक प्राप्त 6.34 लाख आवेदन पत्रों में से लगभग 70,000 का निपटान फरवरी-मार्च, 1997 के दौरान किए जाने की संभावना है। शेष आवेदन पत्रों का निपटान उत्तरोत्तर रूप से वर्ष 2000 तक किए जाने का प्रस्ताव है बशर्ते कि पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों।

विवरण-I

भाग (क) 31.1.1997 की स्थिति के अनुसार केरल में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए लंबित आवेदन पत्र

क्र॰सं॰	जिले का नाम	प्रतीक्षा सूची
1	2	3
1.	त्रिवेन्द्रम	52,475
2.	क्विलॉन	47,221
3.	पठानमथि	35,126
4.	अल्लेप्पी	38,058
5.	कोट्टायम	48,969
6.	एर्नाकुलम	69,547
7.	इडुक्की	22,068
8.	त्रिचूर	67,340
9.	पालघाट	31,704
10.	पालाप्पुरम	64,051
11.	कालीकट	56,451
12.	वयनाड	14,343
13.	कन्नानूर	55,972
14.	कासरगोड़	27,039
	केरल राज्य के लिए कुल	6,30,364
	संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी (माहे)	2,591
	संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप	1,219
	केरल सर्किल के लिए कुल	6,34,174

विवरण-II

भाग (ख) : पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान किए गए जिला-वार टेलीफोन कनेक्शन

क्र॰सं॰	जिले का नाम	प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शन		
		1993-94	1994-95	1995-96
1.	त्रिवेन्द्रम	6,794	10,442	15,507
2.	क्विलॉन	4,642	5,308	15,356
3.	पठानमथिट्टा	2,658	4,068	6,610
4.	अल्लेप्पी	2,805	4,252	8,691
5.	कोट्टायम	5,119	7,575	14,046
6.	एर्नाकुलम	10,007	21,166	20,897
7.	इडुक्की	1,758	1,998	3,972
8.	त्रिचूर	5,273	10,564	20,093
9.	पालघाट	3,030	3,421	9,322
10.	मालाप्पुरम	3,261	4,654	8,148
11.	कालीकट	5,661	6,958	13,808
12.	वयनाड	1,122	593	2,248
13.	कन्नानूर	3,459	5,089	11,171
14.	कासरगोड़	3,062	2,884	2,655
	केरल राज्य के लिए कुल	58,651	88,972	1,52,531
	संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी (माहे)	39	648	352
	संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप	246	840	1,150
	केरल सर्किल के लिए कुल	58,936	90,460	1,54,033

[हिन्दी]

खनिजों पर प्राप्त रायल्टी

923. श्री महाबीर लाल विश्वकर्मा : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और जनवरी, 1997 तक उत्तरी छोटा नागपुर बिहार से खनिजों पर कितनी रायल्टी प्राप्त की गई; और

(ख) सरकार द्वारा इस क्षेत्र की खानों के विकास पर कितनी धनराशि खर्च की गई है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

अहमदाबाद विमानपत्तन का विस्तार

924. श्री सनत मेहता :
श्री विजय पटेल :
श्री एन-जे- राठवा :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद विमानपत्तन को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने अहमदाबाद विमानपत्तन में सुविधाओं के उन्नयन संबंधी प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजे हैं;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में अब तक का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उनमें से स्वीकृत,अस्वीकृत और विचाराधीन/लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(च) लंबित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति किए जाने की संभावना है;

(छ) क्या उपरोक्त विमानपत्तन का विस्तार और विकास योजना संबंधी कार्य शुरू हो गया है;

(ज) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है और वर्ष 1997-98 हेतु कितना प्रावधान किया गया है; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी-एम- इब्राहीम) : (क) और (ख) 7 दिसम्बर, 1996 को अहमदाबाद हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित कर दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) भेजे गए प्रस्ताव (1) धावनपथ के 9000 फुट से 11500 फुट तक विस्तार (2) टर्मिनल भवन का स्तरोन्नयन तथा (3) कार्गो परिसर के विकास से संबंधित हैं।

(ङ) और (च) धावनपथ के विस्तार से संबंधित कार्य आरंभ किया गया है। टर्मिनल भवन का स्तरोन्नयन तथा कार्गो परिसर का निर्माण विचाराधीन है।

(छ) और (ज) जी, हां। अहमदाबाद हवाई अड्डे के विकास के लिए आबंटन निम्न प्रकार किया गया है:—

(1) 1996-97 में 1 करोड़ रुपए,

(2) 1997-98 में 4.72 करोड़ रुपए, तथा

(3) नौवीं योजना में 26.17 करोड़ रुपए।

(झ) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बेरोजगारी की समस्या

925. श्री गुलाम रसूल कार : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश बेरोजगारी की गम्भीर समस्या का सामना कर रहा है जिसके परिणामस्वरूप इस शताब्दी के अन्त तक लगभग 380 मिलियन लोग बेरोजगार हो जाएंगे जैसाकि 21 जनवरी, 1997 के "हिन्दुस्तान टाइम्स", में "बिग बैग" शीर्षक के अन्तर्गत रिपोर्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस शताब्दी के अन्त तक बेरोजगारी की स्थिति पर काबू पाने के लिए कोई समयबद्ध कार्ययोजना तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उन्हें खाड़ी के देशों में भेजा जा रहा है। बहुत सारे श्रमिकों, लड़कों, बच्चों तथा महिलाओं के साथ कुछ एजेंसियों द्वारा धोखा किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) खाड़ी के देशों में श्रमिकों और महिलाओं की संख्या क्या है?

श्रम मंत्री (श्री एम- अरुणाचलम) : (क) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन एस एस ओ) द्वारा किए गए रोजगार एवं

बेरोजगारी के व्यापक सर्वेक्षण के अनुसार उनके 50वें दौर (1993-94) में, सामान्य सिद्धांत स्थिति (यूपीएस) के अनुसार 9 मिलियन बेरोजगार व्यक्ति होने का अनुमान है तथा यह वर्तमान दैनिक स्थिति (सी डी एस) के अनुसार 20.4 मिलियन स्पष्ट अल्परोजगारी को दर्शाता है।

(ख) और (ग) 9वीं योजना में पर्याप्त उत्पादक रोजगार का सृजन करने तथा गरीबी का उन्मूलन करने के उद्देश्य से कृषि तथा ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देने की परिकल्पना की गई है। उत्पादक रोजगार, राज्य नीति का एक महत्वपूर्ण आयाम है जिसमें इक्विटी के साथ वृद्धि होना अपेक्षित है। श्रम सघन क्षेत्रों, उप-क्षेत्रों तथा प्रौद्योगिकियों, बेरोजगारी एवं अल्परोजगारी की उच्च दरों की विशेषताओं से युक्त क्षेत्रों में संकेन्द्रण करते हुए विकास प्रक्रिया में ही अपेक्षाकृत अधिक उत्पादक रोजगार का सृजन किया जाएगा। सरकार द्वारा कई केन्द्र प्रवर्तित/केन्द्रीय क्षेत्रक विशिष्ट रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण हैं : एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी), जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई), रोजगार आश्वासन योजना (ई ए एस), नेहरू रोजगार योजना (एन आर वाई) प्रधानमंत्री की रोजगार योजना (पी एम आर वाई) तथा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के वी आई सी) की दो मिलियन रोजगार योजना। 1997-2002 की अवधि के दौरान 8वीं योजना की रोजगार नीति को चालू रखने से देश में लगभग सम्पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त होने की सम्भावना है।

(घ) से (च) विदेशों में रोजगार हेतु कामगारों को धोखा देने के संबंध में भर्ती करने वाले एजेंटों के विरूद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जैसे ही शिकायतें प्राप्त होती हैं, पुलिस प्राधिकारियों तथा विदेश में सम्बद्ध भारतीय मिशनों की सहायता से इनकी जांच की जाती है तथा उत्प्रवासन अधिनियम, 1983 के प्रावधानों तथा उनके तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप प्रत्येक मामले में, जो भी उपयुक्त हो, कार्रवाई की जाती है। उपयुक्त मामलों में पंजीकरण प्रमाण-पत्र को आस्थगित/रद्द करने संबंधी कार्रवाई की जाती है। गैर-पंजीकृत भर्ती एजेण्टों के विरूद्ध शिकायतें, जांच हेतु सम्बद्ध पुलिस प्राधिकारियों को भेज दी जाती हैं। खाड़ी देशों में महिलाओं की नियुक्ति संबंधी सूचना पृथक रूप से नहीं रखी जाती है।

[अनुवाद]

रेलवे स्टेशनों को नया रूप देना

926. **श्री छीतुभाई गामीत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में रेलवे स्टशनों और प्लेटफार्मों को नया रूप देने का कार्य शुरू किया है;

(ख) यटि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) गुजरात में अभी तक नया रूप दिए गए रेलवे स्टेशनों और प्लेटफार्मों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य में अगले तीन वर्षों के दौरान रेलवे स्टेशनों और प्लेटफार्मों को नया रूप दिए जाने संबंधी भावी कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ) रेलवे स्टेशनों और प्लेटफार्मों के ढांचे में परिवर्तन करना एक सतत् प्रक्रिया है तथा यातायात की आवश्यकताओं के अनुसार इन्हें शुरू किया जाता है। इस संबंध में विभिन्न स्टेशनों पर निर्माण कार्यों को क्षेत्रीय रेलों के वार्षिक निर्माण कार्यक्रम में शामिल कर लिया जाता है तथा इन्हें पूरा करने में साधारणतः दो से तीन वर्ष लग जाते हैं। ऐसे स्टेशनों का राज्यवार ब्यौरा नहीं रखा जाता है। इस संबंध में भावी योजनाओं का विनिश्चय वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर किया जाएगा, जो प्रत्येक वित्त वर्ष में निधियों की समग्र उपलब्धता पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

बाल श्रमिक

927. **श्री सोहन वीर :**
श्री दत्ता मेघे :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाल श्रमिकों तथा बाल शिक्षुओं में कोई अंतर है;

(ख) यदि हां, तो इन दोनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है; और

(ग) सरकार द्वारा देश के परम्परागत कला का विकास करने हेतु क्या योजना तैयार की गयी है?

श्रम मंत्री (श्री एम॰ अरुणाचलम) : (क) और (ख) शिक्षुता अधिनियम, 1961 और बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 में कोई विशेष अन्तर नहीं किया गया है। तथापि, बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 में कतिपय व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बालकों का नियोजन प्रतिषिद्ध है।

(ग) विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय देश के परम्परागत शिल्प के विकास और प्रोत्साहन तथा परम्परागत कला के संरक्षण के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है। इनमें शामिल हैं : (1) कौशल की शिक्षा देने के लिए शिल्पियों को प्रशिक्षण (2) डिजाइन और तकनीकी विकास (3) प्रदर्शनियों, शिल्प मेलों, हस्तशिल्प प्रदर्शनियों आदि जैसे क्रियाकलापों के लिए विपणन विकास सहायता (4) शिल्प विकास केन्द्रों की स्थापना करने के लिए सहायता और (5) प्रतिभा सम्पन्न शिल्पकारों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करना आदि। इसके अलावा, देश की परम्परागत कला को संरक्षित रखने और समस्याओं की पहचान, प्रशिक्षण, डिजाइन, आदि जैसे अनेक उपायों के माध्यम से मृतप्राय शिल्पों के पुनरूज्जीवन के लिये हस्तशिल्प म्यूजियम की स्थापना करने के लिए सहायता प्रदान की जा रही है।

[अनुवाद]

होर्डिंग व्यवसाय में बेरोजगार कर्मचारियों के अभ्यावेदन

928. श्रीमती मीरा कुमार : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि होर्डिंग कारोबार में लगे 35 हजार कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं;

(ख) क्या इन कर्मचारियों द्वारा सरकार को कोई अभ्यावेदन दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

श्रम मंत्री (श्री एम॰ अरुणाचलम) : (क) से (ग) यह सूचित किया गया है कि दिल्ली पेन्टर्स एसोसिएशन द्वारा नए विज्ञापन उप-नियमों की कड़ाई का विरोध करते हुए संबंधित नगरीय प्राधिकारियों को अनेक अभ्यावेदन दिये गये थे। ऊपर दी गयी एसोसिएशन द्वारा उठाए गए मुद्दों में से एक मुद्दा यह है कि नए विज्ञापन उप-नियम, होर्डिंगों की संख्या को कम करके इस कार्य में लगे लगभग 35,000 व्यक्तियों को बेरोजगार कर देंगे। सरकार के पास किए गए इस आकलन के आधार की कोई सूचना नहीं है। विज्ञापन स्थलों की संख्या को मूलरूप से शहर के सौन्दर्य को बेहतर बनाए जाने, यातायात को सुविधाजनक बनाए जाने और नागरिकों के लिए और अधिक सुरक्षा को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से कम किया गया है। उक्त मान्यता को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने विज्ञापन स्थलों की संख्या को प्रतिबंधित करने के लिए दिल्ली शहर कला आयोग के परामर्श से एक समझदारीपूर्ण निर्णय लिया था।

खराब वायु सेवाओं के कारण भारतीय पर्यटन पर प्रतिकूल असर

929. श्री सुब्रह्मण्यम नेलावाला :
डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 अक्तूबर, 1996 के "इंडियन एक्सप्रेस" के दिल्ली संस्करण में "इंडिया टूरिज्म हिट बाई पुअर एयर सर्विस-सेज स्टडि" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत में पर्यटन की भरपूर सम्भावनाएं निहित हैं परन्तु मुख्यतः खराब वायु सेवाओं के कारण उनका प्रभावी रूप से दोहन नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ङ) क्या एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स अपने हिस्से के केवल 41.6 प्रतिशत का ही उपयोग करती है जबकि विदेशी ऑपरेटर अपने हिस्से के 66 प्रतिशत से भी अधिक का उपयोग करते हैं; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी॰ एम॰ इब्राहीम) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) विमान परिवहन सेवाओं में सुधार एक सतत् प्रक्रिया है जिसमें बेड़ा प्राप्त करने, हवाई अड्डों के निर्माण तथा अन्य आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं के लिए विपुल निवेश की आवश्यकता होती है। गैर-सरकारी विमान कम्पनियों के लिए अन्तर्देशीय सैक्टर खोलने से विमानन उद्योग में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा हुई है जिससे विमान सेवाओं की आवृत्तियों और गुणवत्ता में सुधार हुआ है। इंडियन एयरलाइन्स ने अपनी क्षमता विकास में 15 प्रतिशत की वृद्धि की है और उसने सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हेतु कदम उठाए हैं। एयर इंडिया भी अपनी छवि/सेवाओं में सुधार लाने की दिशा में कदम उठा रह है। पीछे हाल ही में नए गंतव्य-स्थलों को शामिल किया गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण विभिन्न हवाई अड्डों का दर्जा बढ़ाने के लिए 9वीं योजना अवधि के दौरान 3490 करोड़ रूपए व्यय करने की योजना बना रहा है।

(ङ) और (च) जी, नहीं। एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स हकदारियों का 44.6 प्रतिशत उपयोग कर रहें हैं। राष्ट्रीय वाहकों द्वारा जिन कठिनाइयों का सामना किया जा रहा है उनमें मुख्य विमानक्षमता, प्रशिक्षित कार्मिकों की कमी तथा औद्योगिक संबंधों विषयक समस्या शामिल हैं।

उलूबेरिया में इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज

930. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उलूबेरिया में एक बड़ा नया इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इस परियोजना के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या है;

(घ) सरकार को पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के उलूबेरिया उपमंडल में किन-किन क्षेत्रों में नये एक्सचेंज स्थापित करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) इन एक्सचेंजों की स्थापना कब तक कर दी जाएगी?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) सालिकया प्रमुख ओ सी बी एक्सचेंज से जुड़ा 1000 लाइनों वाला दूरस्थ उपभोक्ता यूनिट (आर एस यू) उलूबेरिया में स्थापित किए जाने की योजना है। एक्सचेंज उपस्कर और आधारभूत अवसंरचना उपलब्ध है। माइक्रोवेव उपस्कर को जोड़ने वाला उपस्कर आंशिक रूप से उपलब्ध है, राज्य विद्युत बोर्ड से तीन फेज की इलेक्ट्रिक सप्लाई अभी प्रदान की जानी है।

(ग) मार्च 1997

(घ) उलूबेरिया उप-डिवीजन के बैरिया, बक्शीरहट, कल्याणपुर, श्यामपुर और उदयनारायणपुर में नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ङ) (1) बोरिथा में नया एक्सचेंज 1997-98 में स्थापित किये जाने की संभावना है।

(2) बक्शीरहट में नया एक्सचेंज 31.3.97 तक स्थापित किए जाने की संभावना है।

(3) जहां तक कल्याणपुर का संबंध है, योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(4) श्यामपुर में एक सी-डॉट 128 पोर्ट एक्सचेंज पहले ही संस्थापित किया जा चुका है।

(5) उदयनारायणपुर में एक सी-डॉट 256 पोर्ट एक्सचेंज पहले ही संस्थापित किया जा चुका है।

[हिन्दी]

कंटेनर सेवा

931. **श्री भेरूलाल मीणा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे नगरों की संख्या क्या है जहां कंटेनर सेवा उपलब्ध है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस सेवा को जयपुर में उपलब्ध कराने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस सेवा को जयपुर में कब से उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) देश के तेईस शहरों में भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड, जो रेल मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का यूनिट है, द्वारा कंटेनर सेवा मुहैया कराई गई है।

(ख) और (ग) जयपुर के सांगानेर में राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा एक इनलैंड कंटेनर डिपो पहले से परिचालित किया जा रहा है।

[अनुवाद]

"सेल" में हानि

932. **श्री रामकृपाल यादव :**
प्रो॰ अजित कुमार मेहता :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "सेल" को कुछ निजी पार्टियों/व्यक्तियों को साख पत्र के बिना गैर जमानती ऋण दिए जाने तथा सामग्री की आपूर्ति किए जाने के कारण भारी नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) से (ग) जी, नहीं। 'सेल' के अनुसार 'सेल' कतिपय मानदण्डों के आधार पर स्वीकृत वाणिज्यिक प्रक्रिया के अनुसार गैर जमानती ऋण मंजूर करता है। जहां भी विलम्ब होता है, 'सेल' लागू ब्याज सहित राशि वसूलता है और इस प्रकार 'सेल' को इस प्रकार के लेन-देन में भारी हानि नहीं हो रही है।

इंटरनेट चालू खाता

933. **श्री पृथ्वीराज दा॰ चौहान** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्पावधि के लिए भारत आने वाले विदेशी व्यापारियों को विदेश व्यापार निगम लिमिटेड के यहां अस्थायी इन्टरनेट चालू खाता खोलने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन्टरनेट चालू खाता खोलने की प्रक्रिया को सरल बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विदेश संचार निगम लिमिटेड की एकाधिकारिता और इसकी घटिया सेवा से विदेशी निवेश के नुकसान की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं, इंटरनेट खाता खोलने के लिए मौजूदा प्रक्रिया सरल है।

(घ) उपरोक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी नहीं, इंटरनेट सेवा वीएसएनएल के माध्यम से 6 नगरों में और दूरसंचार विभाग के माध्यम से 10 नगरों में उपलब्ध है।

भारत में इंटरनेट सेवा की गुणवत्ता अन्तर्राष्ट्रीय इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के समतुल्य है।

(च) उपरोक्त भाग (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पलियाडी में पुल का निर्माण

934. **श्री एन॰ डेनिस** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी रेल लाइन पर पलियाडी में रेलवे फाटक और रेलवे स्टेशन के निकट मौजूदा पैदल मार्ग के साथ एक पुल बनाने या रेलवे फाटक पर चौकीदार तैनात करने की लम्बे अर्से से चली आ रही मांग पर सरकार की क्या कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) इस स्थल पर समपार बनाना व्यवहार्य नहीं है और एक ऊपरी सड़क पुल के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई प्रस्ताव प्रायोजित नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नई दिल्ली और मुरादाबाद के बीच रेलगाड़ी शुरू करना

935. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नई दिल्ली और मुरादाबाद के बीच एक नई शताब्दी एक्सप्रेस चलाने के लिए हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद् से कोई सुझाव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) जी हां। नई दिल्ली और मुरादाबाद के बीच शताब्दी एक्सप्रेस शुरू करने के लिए सुझाव प्राप्त हुआ है।

(ग) परिचालनिक कठिनाई और संसाधनों की तंगी के कारण नई दिल्ली और मुरादाबाद के बीच शताब्दी चलाना व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

आमान परिवर्तन

936. **श्री काशीराम राणा :**
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अहमदाबाद-वेरावल रेल लाइन के परिवर्तन का काम आरंभ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो कब और अभी तक इस परियोजना पर कितनी राशि खर्च की गई है; और

(ग) इस कार्य के कब तक पूरा होने की सम्भावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां। प्रस्तावित लाइन के राजकोट-वेरावल खंड की लाइन के आमान परिवर्तन कार्य को पहले ही शुरू कर दिया गया है। अहमदाबाद-राजकोट खंड पहले से ही बड़ी लाइन है।

(ख) राजकोट-वेरावल के आमान परिवर्तन कार्य को 1994-95 के बजट में शामिल किया गया था और 31.3.97 तक 3 करोड़ रुपये की राशि खर्च होने की प्रत्याशा है।

(ग) नौवीं योजना के दौरान।

संकरी रेल लाइनों का विकास

937. **श्री आर॰एल॰पी॰ वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार की संकरी रेल लाइनों का क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन संकरी रेल लाइनों के विकास हेतु कोई योजना तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) बिहार में छोटी रेल लाइन 31.3.96 को मार्ग किलोमीटर की लंबाई 69 किलोमीटर है। रेल लाइनों के क्षेत्रवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन और टोरी तक विस्तार करने के लिए यह लाइन 1996-97 के पूरक बजट में शामिल कर ली गई है। आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है और कार्य शुरू किया जा रहा है।

बंगलौर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना

938. **श्री विजय कुमार खण्डेलवाल :**
श्री सत्यजीत सिंह दलीपसिंह गायकवाड़ :
डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :
श्री संतोष मोहन देव :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 फरवरी, 1997 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "टाटा एग्री टु बिल्ड बंगलौर एअरपोर्ट ऑन

बी ओ टी बेसिस" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इससे सम्बन्धित तथ्य क्या हैं;

(ग) इस समझौते की शर्तें और वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या टाटा बंगलौर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को इक्विटी धारक के रूप में शामिल करने के लिए भी सहमत हो गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी•एम• इब्राहीम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) बंगलौर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक नये हवाई अड्डे के निर्माण से संबंधित नियमों तथा शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए दिनांक 21 फरवरी, 1997 को एक समिति गठित की गयी है। समिति में केन्द्र सरकार, कर्नाटक राज्य सरकार तथा मैसर्स टाटा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रतिनिधि शामिल हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की "की कन्वेंशन–1987"

939. **श्री पी•सी• चाक्को** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की "की कन्वेंशन–1987" का अनुमोदन कर दिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वे मुख्य मुद्दे कौन से हैं जिन्हें सात "की कन्वेंशन" में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा ध्यान दिया गया है और उन पर भारत का क्या दृष्टिकोण है?

श्रम मंत्री (श्री एम• अरुणाचलम) : (क) से (ग) 1987 में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 74 वें सत्र में नाविकों से संबंधित निम्नलिखित 4 अभिसमय अंगीकार किए गए :–

(1) 163 – नाविक कल्याण अभिसमय, 1987

(2) 164 – स्वास्थ्य संरक्षण एवं चिकित्सा देखरेख (नाविक) अभिसमय, 1987

(3) 165 – सामाजिक सुरक्षा (नाविक) अभिसमय (संशोधित), 1987

(4) 166 – नाविकों का स्वदेश प्रत्यावर्तन अभिसमय (संशोधित), 1987

भारत ने अभी तक इनमें से किसी भी अभिसमय का अनुसमर्थन नहीं किया है। तथापि, इन अभिसमयों को कोर श्रम मानकों के रूप में नहीं माना जाता है।

अं•श्र• संगठन ने कोर श्रम मानकों के रूप में निम्नलिखित सात अभिसमयों की पहचान की है :–

(1) बलात् श्रम (संख्या 29)

(2) संघ बनाने की स्वतंत्रता (संख्या 87)

(3) सामूहिक सौदेकारिता का अधिकार (संख्या 98)

(4) समान पारिश्रमिक (संख्या 100)

(5) बलात् श्रम का उन्मूलन (संख्या 105)

(6) भेदभाव (संख्या 111)

(7) न्यूनतम आयु संबंधी अभिसमय (संख्या 138)

भारत ने अभिसमय संख्या 29, 100 और 111 का पहले ही अनुसमर्थन कर दिया है। बलात् श्रम के उन्मूलन से संबंधित अं•श्र• संगठन अभिसमय संख्या 105 अनुसमर्थन प्रक्रिया की अग्रिम अवस्था में है।

अभिसमय संख्या 87 और 98 के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को औद्योगिक कर्मकारों के समान कतिपय अधिकार प्रदान किया जाना अपेक्षित है। चूंकि भारतीय कानून के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को औद्योगिक कर्मकारों से अलग श्रेणी के रूप में माना जाता है अतः इस अवस्था पर अं•श्र•सं• के अभिसमय संख्या 87 और 98 का अनुसमर्थन किया जाना संभव नहीं होगा। इसी प्रकार, भारतीय कानून में नियोजन के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित किए जाने का कोई सर्वरचना संग्रह प्रावधान नहीं है। अभिसमय संख्या 138 के अंतर्गत आर्थिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्र तथा सभी प्रकार के नियोजन, इस बात को ध्यान में रखे बिना कि उनके मजदूरी पर बालक नियोजित हैं अथवा नहीं, शामिल हैं। यह अभिसमय प्राथमिकताएं भी निर्धारित नहीं करता है। अतः इस अवस्था पर अभिसमय संख्या 138 का अनुसमर्थन कर पाना संभव नहीं है।

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्रों के लिए विश्वव्यापी निविदायें

940. **श्री चन्द्र भूषण सिंह** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र ने विश्वव्यापी निविदा आमंत्रित किए बगैर ही कोयला आयात करने हेतु 100 करोड़ रुपए का ठेका दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जाच की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) और (ख) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र) ने कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित शर्तों और न्यून राख युक्त धातुकर्मीय कोककर कोयले की विशिष्टताओं के अनुसार आस्ट्रेलिया के विभिन्न स्रोतों से कोयले का आयात करने के लिए वर्ष 1995 में 3 वर्ष की अवधि हेतु एक दीर्घावधिक करार किया है।

(ग) और (घ) उपरोक्त (क) और (ख) को मद्देनज़र रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

प्रमुख शहरों में पेजर सेवाएं

941. **श्री नामदेव दिवाथे** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रमुख शहरों में पेजर सेवा शरू किए जाने पर यहां कैसी प्रतिक्रिया रही, इस संबंध में अब तक हुई प्रगति की वर्तमान स्थिति क्या है और चालू वित्तीय वर्ष के लिए इसका क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा इसके निवेश के लिए क्या वित्तीय लक्ष्य रखा गया है;

(ख) पेजर सेवाओं की विस्तार योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय भाषाओं में शीघ्र ही पेजर सेवा शुरू किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी भाषावार और शहरवार ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) (i) दूरसंचार विभाग ने देश के 27 प्रमुख शहरों में रेडियो पेजिंग प्रचालनों हेतु 106 लाइसेंस जारी किए हैं। किसी एक शहर में लाइसेंस धारकों की संख्या 2 से 5 के बीच है, जो शहर के आकार पर निर्भर करती है।

(ii) यह सेवा सभी 27 शहरों में एक अथवा अधिक प्रचालकों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। इन 27 शहरों में 31.12.96 की स्थिति के अनुसार इस सेवा के उपभोक्ताओं की संख्या 4,21,721 है।

(iii) लाइसेंस करार के अनुसार, लाइसेंसधारकों को लाइसेंस की प्रभावी तारीख से एक वर्ष के भीतर यह सेवा चालू करनी अपेक्षित है।

(iv) वित्तीय निवेश लाइसेंसधारक कंपनी द्वारा किया जाना है, जो मांग तथा कंपनी के विस्तार-कार्यक्रम पर निर्भर करता है।

(ग) और (घ) भारतीय भाषाओं में पेजर शुरू करने के लिए किसी लाइसेंसधारक कंपनी से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ कंपनिया बहुभाषी पेंजिग सेवाओं हेतु तैयार हो रही हैं।

एक्सचेंजों का विस्तार

942. **श्री पी॰सी॰ थामस :**
श्री वी॰एम॰ सुधीरन :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1997 तथा 1998 के दौरान टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो जिलावार, स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य में नये टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का भी है; और

(घ) यदि हां, तो जिला-वार, स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (घ) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए टेलीफोन एक्सचेंजों और नये टेलीफोन एक्सचेंजों के विस्तार की योजना बनाई जाती है। वर्ष 1997-98 के ब्यौरों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया।

रेलवे प्लेटफार्मों का उन्नयन

943. **श्री सिद्दया कोटा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुंटूर से मधेरला तथा गुंटूर से नान्दयाल के बीच आमान परिवर्तन के बाद रेलवे प्लेटफार्मों के उन्नयन का है;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में आमान परिवर्तन के बाद अभी तक कितने प्लेटफार्मों का उन्नयन किया गया है; और

(ग) शेष प्लेटफार्मों के उन्नयन के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं। आमान परिवर्तन के पश्चात सिवाय एक प्लेटफार्म के जिसे पहले ही ऊंचा कर दिया गया है।

(ख) गुन्टूर-माधरेला खण्ड पर तीन प्लेटफार्म और गुन्टूर-नंदयाल खण्ड पर दो प्लेटफार्म ऊंचे किए गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

काजू उत्पादन में लगे कामगारों हेतु कर्मचारी राज्य बीमा योजना

944. **श्री वी॰एम॰ सुधीरन** : *क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :*

(क) क्या सरकार काजू उत्पादन में लगे कामगारों हेतु कर्मचारी राज्य बीमा योजना के बंद हो जाने के कारण केरल में काजू उत्पादन में लगे कामगारों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों से अवगत है;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे मजदूर विरोधी निर्णय को समाप्त करने तथा केरल में काजू उत्पादन में लगे कामगारों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना का लाभ सुनिश्चित कराने हेतु तत्काल कोई कदम उठाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री एम॰ अरुणाचलम) : (क) से (ग) कर्मचारी राज्य बीमा योजना अधिनियम की परिधि में आने वाले काजू कारखानों में कार्यरत काजू कर्मकार योजना के अन्तर्गत प्रदान किए जाने वाले क॰रा॰बी॰ लाभों के हकदार हैं। तथापि, काजू कर्मकारों का एक वर्ग योजना के अन्तर्गत निर्धारित अंशदायी शर्तों को पूरा न करने के कारण रुग्णता लाभ प्राप्त कर पाने में सक्षम नहीं है। ऐसे काजू कर्मकारों की समस्याओं की कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा जांच की जा रही है। इस बीच इन कर्मकारों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत अन्य लाभ यथा, चिकित्सा लाभ, अपंगता लाभ, आश्रित लाभ और प्रसूति लाभ दिये जा रहे हैं।

[हिन्दी]

खान दुर्घटनाएं

945. **प्रो॰ ओमपाल सिंह "निडर"** :
श्री दत्ता मेघे :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खान दुर्घटनाओं में अत्यधिक वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष के दौरान आज तक कितनी खान दुर्घटनाएं हुई हैं और उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) इन दुर्घटनाओं में कितने लोग मारे गये;

(घ) मृतकों के परिवारों को मुआवजे के तौर पर कितनी राशि दी गई;

(ङ) क्या अधिक संसाधन जुटा कर और बेहतर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके खनन प्रणाली को अधिक कारगर बनाने के संबंध में कोई योजना बनाई गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री एम॰ अरुणाचलम) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सरकार द्वारा अर्जित राजस्व

946. **श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह** : *क्या पर्यटन मंत्री यह बताने* की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा पर्यटन क्षेत्र से कुल कितना राजस्व अर्जित किया गया;

(ख) क्या बिहार में पर्यटन स्थलों के विकास के संबंध में कोई भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) जनवरी, 1997 तक वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, पर्यटकों से व्यय कर के रूप में केन्द्रीय सरकार ने 226.93 करोड़ रु॰ कर राजस्व अर्जित किया।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

संचार में निवेश करने हेतु इच्छुक बहुराष्ट्रीय कम्पनियां

947. **श्री दत्ता मेघे** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ बहुराष्ट्रीय कम्पनियां देश में संचार क्षेत्र में निवेश करने के लिए इच्छुक हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उनके निवेश प्रस्तावों पर अपनी रूचि दिखाई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (घ) सरकार ने दूरसंचार विनिर्माण, मूल्यवर्धित सेवाओं और बुनियादी दूरसंचार सेवाओं में विदेशी निवेश की अनुमति दी है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों सहित कई विदेशी कंपनियों ने दूरसंचार क्षेत्र में निवेश करने की अपनी रूचि दिखाई है।

सरकार ने 1.1.91 से 30.11.96 तक की अवधि के दौरान 21770.653 करोड़ रु॰ के आदेश के सीधे विदेशी निवेश से संबंधित 303 प्रस्तावों का अनुमोदन किया है। अब तक निपटाए गए विदेशी निवेश

प्रस्तावों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

क्र॰सं॰	क्षेत्र	प्रदान किए गए अनुमोदनों की संख्या			अनुमोदित एक डीआई राशि करोड़ रु॰ में
		तकनीकी	वित्तीय	कुल	
1.	बुनियादी और सेल्यूलर सचल टेलीफोन सेवा	1	80	81	18073.60
2.	रेडियो पेजिंग	1	36	37	438.355
3.	दूरसंचार उपस्कर का विनिर्माण और अन्य मूल्यसंवर्धित सेवाएं	74	111	185	3258.698
		76	227	303	21770.653

[अनुवाद]

ग्राम पंचायतों को टेलीफोन कनेक्शन

948. श्री बी॰एल॰ शंकर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 31 दिसम्बर, 1996 को राज्यवार कितनी ग्राम पंचायतों को टेलीफोन कनेक्शन दिए गए हैं और कितनी ग्राम पंचायतों को टेलीफोन कनेक्शन नहीं दिए गए हैं;

(ख) इस संबंध में 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य-वार निर्धारित लक्ष्य क्या है;

(ग) क्या ये लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश में सभी ग्राम पंचायतों को टेलीफोन कनेक्शन कब तक दे दिए जाएंगे?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जिलावार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) से (ङ) 8वीं योजना में सभी ग्राम पंचायतों को सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किये जाने थे। तत्पश्चात राष्ट्रीय दूरसंचार नीति (एनटीपी), 1994 में यह निर्धारित किया गया था कि सभी गांवों में वर्ष 1997 तक सार्वजनिक टेलीफोन लगा दिया जाना चाहिए। चूंकि पंचायतों को भी गांवों में ही शामिल किया गया था, इसलिए उन्हें भी यह सुविधा प्रदान की जानी थी।

लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका। यह लक्ष्य बुनियादी दूरसंचार सेवा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी से प्राप्त किया जाना था, जिसमें विलम्ब हुआ। दूरसंचार विभाग भी अपने वार्षिक लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका।

सभी गांवों, जिसमें ग्राम पंचायतें भी शामिल हैं, को प्रगामी रूप से ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किये जा रहे हैं। नौवीं योजना के दौरान सभी गांवों को एक ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) प्रदान किया जाना है।

विवरण

क्र॰सं॰	सर्किल	टेलीफोन कनेक्शन सुविधायुक्त ग्राम पंचायतों की संख्या।	टेलीफोन कनेक्शन सुविधारहित ग्राम पंचायतों की संख्या
1.	अंडमान निकोबार	45	22
2.	आन्ध्र प्रदेश	17007	2526
3.	असम	2080	405
4.	बिहार	8907	2885
5.	गुजरात	12163	1347
6.	हरियाणा	5338	608
7.	हिमाचल प्रदेश	2480	442
8.	जम्मू एवं कश्मीर	740	721
9.	कर्नाटक	5340	331
10.	केरल	982	शून्य
11.	मध्य प्रदेश	19226	11696
12.	महाराष्ट्र	22249	2600
13.	उत्तर पूर्व	2286	2061
14.	उड़ीसा	4973	288
15.	पंजाब	8974	2769
16.	राजस्थान	8208	970
17.	तमिलनाडु	12994	181
18.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	18493	32769
19.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	10116	29063
20.	पश्चिम बंगाल	3189	30
21.	कलकत्ता टेलीफोन्स	51	50

[हिन्दी]

विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि

949. कुमारी उमा भारती : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1996 के दौरान खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों को देखने के लिए भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1995 की तुलना में वर्ष 1996 में इनकी संख्या में कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) खजुराहो मन्दिर आने वाले विदेशी पर्यटकों से मध्य प्रदेश सरकार को कितनी आय हुई;

(घ) क्या और अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने की दृष्टि से सरकार ने उन्हें और सुविधायें प्रदान करने हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) और (ख) राज्य सरकार से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार खजुराहो आने वाले पर्यटकों की संख्या में गत वर्ष की तुलना में वर्ष 1996 के दौरान लगभग 15.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

(ग) पर्यटकों से हुई आय को स्थान-वार अनुमानित नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) किसी विशेष जगह पर पर्यटक सुविधाओं का विकास करना मुख्यतः राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तथापि केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने खजुराहो में पर्यटक स्वागत केन्द्र का निर्माण करने के लिए वर्ष 1990-91 के दौरान 30.79 लाख रु॰ की राशि स्वीकृत की है।

पारिश्रमिक भुगतान अधिनियम के अंतर्गत सेवाओं का समाप्त किया जाना

950. श्री हरिवंश सहाय :
श्री सुख लाल कुशवाहा :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रमिकों/श्रमिकों के प्रतिनिधियों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के नोएडा औद्योगिक केन्द्र के श्रम कार्यालय में पारिश्रमिक भुगतान अधिनियम, 1948 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 तथा श्रमिक मुआवजा अधिनियम, 1923 के अंतर्गत सेवाएं समाप्त किये जाने के मामले दर्ज कराए गए हैं; और

(ख) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम मंत्री (श्री एम॰ अरुणाचलम) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशी पर्यटकों के लिए विशेष आरक्षण सुविधा

951. श्री शिवराज सिंह : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी पर्यटकों को विशेष आरक्षण सुविधा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) और (ख) इंडियन एअरलाइंस द्वारा विदेशी पर्यटकों को अन्तर्राष्ट्रीय सेक्टरों और पोर्ट ब्लेयर, लेह, स्वदेशी नेटवर्क पर उत्तर पूर्वी सेक्टर को छोड़कर भारत में उनकी यात्रा के लिए विशेष आरक्षण सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं जिसमें सभी विदेशी पर्यटक समूहों तथा जो व्यक्ति अपनी पहली उड़ान के प्रस्थान से 60 दिन पहले तक आरक्षण चाहते हैं, उनके लिए 400 सीटों की सीमा तक बुकिंग की पुष्टि शामिल है।

भारतीय रेलवे भी भारत की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों को विशेष आरक्षण सुविधाएं प्रदान करता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में आमान परिवर्तन

952. श्री एन॰एस॰वी॰ चित्तन :
श्री ए॰जी॰एस॰ राम बाबू :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में बड़ी लाइन में बदली जा रही रेल लाइनों का परियोजनावार ब्यौरा क्या है;

(ख) तमिलनाडु में आमान परिवर्तन के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई;

(ग) परियोजनावार अब तक कुल कितनी धनराशि का उपयोग किया गया तथा कुल कितनी रेल लाइन का बड़ी लाइन में परिवर्तन किया गया;

(घ) तंजावूर तथा चेन्नई बीच की रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) पूरी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में कब तक बदल दिये जाने की संभावना है; और

(च) इस उद्देश्य के लिए कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) से (च) मद्रास बीच-तिरूच्चिरापल्ली तथा तिरूच्चिरापल्ली-तंजावूर-नागोर-कराइकल रेल लाइनों के आमान परिवर्तनों का कार्य शुरू कर दिया गया है। इन कार्यों के क्रमशः मार्च 98 तथा दिसम्बर 98 में पूरा होने की संभावना है। इन कार्यों के लिए वर्ष 96-97 में 100 करोड़ रु॰ का परिव्यय था तथा 97-98 में 144 करोड़ रु॰ का परिव्यय है।

विवरण

क्र॰सं॰	परियोजना	कि॰मी॰	लागत	1996-97 के लिए परिव्यय	31.3.96 तक निधि का उपयोग	आमान परिवर्तित दूरी
1.	मद्रासबीच-तिरूच्चिरापल्ली-दिंडिगुल	340	300.00 करोड़ रु॰	75.00 करोड़ रु॰	100.40 करोड़ रु॰	मद्रासबीच-ताम्बरम (27 कि॰मी॰)
2.	तिरूच्चिरापल्ली-तंजावूर-नागोर-कराईकल	200	109.00 करोड़ रु॰	23.00 करोड़ रु॰	17.00 करोड़ रु॰	-
3.	तूतीकोरिन-दिंडिगुल (मदुरै-दिंडिगुल समानान्तर ब॰ला॰)	198	-	-	-	पूरा हो गया है।
4.	यशवंतपुर-होसूर (46 कि॰मी॰)	26	-	-	-	पूरा हो गया है।
5.	होस्सूर-सेलम	151	-	-	-	पूरा हो गया है।

[हिन्दी]

उपरि पुल का निर्माण

953. श्री सुख लाल कुशवाहा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के सतना जिले में कुल कितने रेल क्रासिंग हैं;

(ख) ऐसे कितने क्रासिंग हैं जिस पर "अण्डर ब्रिज" अथवा उपरि पुल बनाये जाने का विचार है; और

(ग) ऐसे पुल को न बनाये जाने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) 57 अदद।

(ख) 2 अदद।

(ग) वे समपार जो रेलवे और राज्य सरकार के बीच लागत में हिस्सेदारी के आधार पर बदलने के योग्य हो जाते हैं उनको राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित किया जाना होता है। अन्यों को निक्षेप शर्तों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित किया जाना होता है। ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

धारावाहिक

954. श्री शान्तिलाल पुरषोत्तम दास पटेल :
श्री सनत मेहता :
श्री विजय गोयल :
श्री मुख्तार अनीस :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार/दूरदर्शन द्वारा प्रसारण के लिए स्वीकृत किए गए धारावाहिकों का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रकार से स्वीकृत और राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित धारावाहिकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन स्वीकृत धारावाहिकों का ब्यौरा क्या है जिनका प्रसारण नहीं किया गया है;

(घ) स्वीकृति के लिए लंबित धारावाहिकों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) सभी लंबित धारावाहिकों को कब तक अनुमोदित किए जाने तथा प्रसारित किए जाने की संभावना है;

(च) क्या इस वर्ष के लिए धारावाहिकों का चयन भी कर लिया गया है;

(छ) क्या धारावाहिकों की स्वीकृति के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी•एम• इब्राहीम) : (क) से (ज) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

एयर इंडिया के पास बकाया धनराशि

955. **श्री के•डी• सुल्तानपुरी** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पेट्रोलियम तथा भारतीय तेल कम्पनियों से गत छह माह के दौरान एयर इंडिया द्वारा कितनी मात्रा में तथा किस मूल्य पर तेल उधार लिया गया है तथा पूर्व की अवधि कैलिसौएन एयर इंडिया द्वारा उक्त कम्पनियों को एयर इंडिया द्वारा कितनी बकाया राशि दी जानी है; और

(ख) इन कम्पनियों को कब तक उक्त राशि का भुगतान कर दिया जाएगा?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी•एम• इब्राहीम) : (क) और (ख) मई से अक्तूबर, 1996 तक एअर इंडिया ने इंडियन आयल से 79379 के एल एस विमान टरबाईन ईंधन और भारत पेट्रोलियम से 35792 के एल एस एटीएफ लिया था। इंडियन आयल और भारत पेट्रोलियम को 24.2.97 की स्थिति के अनुसार देय राशि क्रमशः 58.21 करोड़ रुपये और 23.09 करोड़ रुपये है। एअर इंडिया द्वारा लगभग अगले आठ महीनों में इन बकाया राशि के भुगतान करने की संभावना है।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में कमालपुर डाकघर

956. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में कानपुर शहर में कमालपुर डाकघर लगातार एक महीने से प्रतिदिन बंद रहता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पोस्टमास्टर हर रोज डाकघर नहीं खोल पाते हैं क्योंकि उन्हें जिलाधीशों से मिलने जाना होता है जिससे गांव के लोगों को बहुत असुविधा होती है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त स्थिति से निपटने के लिए की जाने वाली कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

सिविल विंग के अधिकारियों की तैनाती

957. **डा• बलिराम** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार के सिविल विंग और महानगर टेलीफोन निगम लि• के उत्तरी दूरसंचार क्षेत्र में मुख्य महाप्रबंधक अनुरक्षण के कार्यालय में कार्यरत अधिकांश अधिकारी अपने वैयक्तिक संबंधों के कारण दिल्ली में स्थायी रूप से तैनात हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) दिल्ली केन्द्र में विभिन्न पदों पर लम्बे समय से कार्यरत अधिकारियों को अन्य केन्द्रों पर कब तक स्थानान्तरित किया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) अधिकारियों का स्थानान्तरण तथा तैनाती फिलहाल प्रशासनिक आधार पर ही किए जाते हैं। अधिकारियों की दिल्ली से बाहर या दिल्ली में तैनाती न केवल सेवा-काल को देखते हुए की जाती है बल्कि दूसरे मानदंडों जैसे उनके ग्रेड, प्रशासनिक तथा तकनीकी आवश्यकताओं इत्यादि को देखते हुए भी की जाती है। अतः कोई भी निश्चित समय सीमा का उल्लेख नहीं किया जा सकता है।

[हिन्दी]

बिहार के सहरसा तथा सुपौल को टेलीफोन सेवा

958. **श्री दिनेश चन्द्र यादव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में सहरसा तथा सुपौल जिलों में ग्रामीण टेलीफोन सेवा (एम ए आर आर प्रणाली) खराब पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या खराब पड़े रहने की अवधि के दौरान उपभोक्ताओं को टेलीफोन बिलों में छूट प्रदान करने की कोई योजना है;

(च) क्या ग्रामीण टेलीफोन सेवा (एम ए आर आर) प्रणाली के अंतर्गत लगाए गए शुल्क/बिल सामान्य टेलीफोन की तुलना में कम होता है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) जी हां। बिहार के सहरसा एवं सुपौल राजस्व क्षेत्रों में 7 एम ए आर आर बेस स्टेशन काम नहीं कर रहे हैं।

(ग) और (घ) जी हां। एम ए आर आर टेलीफोनों के काम न करने से संबंधित कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन खराबियों को अभी तक ठीक नहीं किया जा सका है क्योंकि इन्हें स्थानीय रूप से ठीक करना सम्भव नहीं है। उपस्कर विनिर्माताओं से दोषपूर्ण यूनिटों को ठीक करने के संबंध में कार्रवाई की गई है।

(ङ) जी हां। यदि विभागीय कारणों से उपभोक्ता की टेलीफोन सेवा में लगातार 7 दिन या उससे अधिक समय तक व्यवधान रहे तो ऐसे मामले में टेलीफोन के किराये में छूट दिये जाने की योजना है।

(च) से (ज) सभी ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों, जिनमें एम ए आर आर प्रणाली पर उपलब्ध कराए गए टेलीफोन भी शामिल हैं, से की गई स्थानीय तथा ट्रंक कॉलों पर सामान्य शुल्क (टैरिफ) के 50 प्रतिशत की दर से प्रभार लिया जाता है।

बीड़ी श्रमिक

959. श्री दादा बाबूराव पराजंपे : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उन बीड़ी श्रमिकों के लिए जो भविष्य निधि के सदस्य नहीं हैं, सामूहिक बीमा योजना शुरू की है जिसके अंतर्गत बीमाशुदा व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को 3000 से 25000 रु॰ तक की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाती है;

(ख) क्या इन बीड़ी श्रमिकों को पहचान पत्र जारी न किए जाने के कारण लाखों श्रमिकों को भारतीय जीवन बीमा निगम, कल्याण आयोग और श्रम मंत्रालय द्वारा जानबूझकर उक्त लाभ से वंचित रखा गया है; और

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त समस्या को सुलझाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

श्रम मंत्री (श्री एम॰ अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, नहीं। वास्तव में, बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि नियम, 1978 के नियम 41 के अंतर्गत, बीड़ी कर्मकारों के लिए पहचान पत्र जारी किए जाने का दायित्व नियोजकों पर डाला गया है। तथापि, चूंकि नियोजक सामान्यतया इस दायित्व को पूरा करने के लिए आगे नहीं आते हैं अतः श्रम मंत्रालय के श्रम कल्याण संगठन ने बीड़ी कर्मकारों के लिए प्राथमिकता के आधार पर पहचान पत्र जारी करने का कार्य शुरू कर दिया है और प्रत्येक औषधालय द्वारा 250 पहचान पत्र जारी किए जाने का मासिक लक्ष्य भी निर्धारित किया है। इसके अलावा, राज्य सरकारों से भी यह अनुरोध किया गया है कि वे कल्याण आयुक्तों के सहयोग से विशेष अभियान चलाएं ताकि सभी बीड़ी कर्मकारों की उचित रूप से पहचान की जा सके जिससे वे सामूहिक बीमा योजना और अन्य कल्याण योजनाओं के भी लाभ प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। इसके परिणामस्वरूप, देश में बीड़ी कर्मकारों की अनुमानित संख्या अर्थात् 42.50 लाख में से, अभी तक 32,92,974 बीड़ी कर्मकारों के लिए पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं।

[अनुवाद]

विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में प्रकाशित सामग्रियों का वितरण

960. श्री हरिन पाठक : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान आपके मंत्रालय द्वारा प्रकाशित सामग्रियों के नाम क्या-क्या हैं;

(ख) इनके उचित वितरण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या इन प्रकाशित सामग्रियों की आपूर्ति विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में भी की जाती है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में इनकी आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) और (ख) प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित किए गए समूल्य प्रकाशनों की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई हैं। इन प्रकाशनों को देशभर में फैले प्रकाशन विभाग द्वारा सभी केन्द्रों के नेटवर्क तथा संपूर्ण देश में फैले कई एजेंटों/पुस्तक विक्रेताओं के माध्यम से बेचा जाता है।

(ग) से (ङ) प्रकाशन विभाग द्वारा कुछ स्कूलों, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालय को सीधे डाक सूचना सहित इन प्रकाशनों का पर्याप्त प्रचार उपलब्ध करवाया जाता है जिससे ये संस्थाएं मांग पर पुस्तकें प्राप्त कर सकें। प्रकाशन विभाग नियमित पुस्तकालय भी आयोजित करता है और सूचना/अनुरोध प्राप्त होने पर स्कूलों आदि द्वारा आयोजित पुस्तक मेलों में भाग लेता है।

विवरण

अंग्रेजी

1. पी॰वी॰ नरसिंह राव : सलेक्टेड स्पीचेज खंड III
2. फारगोटन मानुमेंट्स ऑफ उड़ीसा-खंड I

3.	एनसिएंट इंडिया	
4.	गांधी : दि मैन एंड हिज थॉट	(पुनःमुद्रण)
5.	नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया	
6.	इंडिया-1994	
7.	एम॰ ए॰ अंसारी (बीएमआई)	
8.	आंध्र केसरी टी॰ प्रकासम (बीएमआई)	
9.	टुवार्ड्स फुड फॉर आल-आइडियाज फॉर ए न्यू पीडीएस	
10.	"1857"	(पुनः)
11.	सी॰डब्ल्यू॰एम॰जी॰-खंड 44	(पुनः)
12.	गांधी-ए पिक्टोरियल बायोग्राफी	(पुनः)
13.	सी॰डब्ल्यू॰एम॰जी॰-खंड 18	(पुनः)
14.	सी॰डब्ल्यू॰एम॰जी॰-खंड 84	(पुनः)
15.	गांधी-आर्डेण्ड इन साउथ अफ्रीका	
16.	एनसिएंट इंडिया	(पुनः)
17.	चैलेंज टु द एंपायर-ए स्टडी ऑफ नेताजी	(पुनः)
18.	सरदार पटेल मेमोरियल लेक्चर्स 1993-94	
19.	फोक टेल्स ऑफ केरला	
20.	सी॰डब्ल्यू॰एम॰जी॰-खंड 12	(पुनः)
21.	मास मीडिया इन इंडिया 1994-95	
22.	दि इयर्स ऑफ एंडेवियर : सलेक्टेड स्पीचेज ऑफ इंदिरा गांधी	(पुनः)
23.	इंडियन ट्राइब्स थ्रू दि एजेस	(पुनः)
24.	पी॰वी॰ नरसिंह राव्स सलेक्टेड स्पीचेज-खंड 4	
25.	एन आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ इंडियन पीपल	(पुनः)
26.	सी॰डब्ल्यू॰एम॰जी॰-खंड 20	(पुनः)
27.	इंडिया-1995	
28.	यूनाइटेड नेशंस इन दि सर्विस ऑफ दि कामन मैन	
29.	सी॰डब्ल्यू॰एम॰जी॰-खंड 13	(पुनः)

हिंदी

1.	राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन	(पुनःमुद्रण)
2.	जे॰एल॰ नेहरू के भाषण खंड I	(पुनः)
3.	भारतीय विज्ञापन में नैतिकता	
4.	बुद्ध गाथा	
5.	संयुक्त राष्ट्र बच्चों के लिए	
6.	सुरों का साधक	
7.	दूरदर्शन : दशा और दिशा	
8.	भारत के समाचार पत्र 1994	
9.	चिड़ियों की दुनिया	(पुनः)
10.	ग्रामीण जीवन में विज्ञान	(पुनः)
11.	पौराणिक बाल कथाएं	(पुनः)
12.	राजकुमारी निहालदे	(पुनः)
13.	धरती का सपना	(पुनः)
14.	दस्त रोग	(पुनः)
15.	कालगुरू आनंद कुमार स्वामी	(पुनः)
16.	दक्षिण भारत के मंदिर	(पुनः)
17.	सुंचर काचौ	(पुनः)
18.	हिंदी और उसकी उपासना	
19.	भारतीय संस्कृति की झांकी	(पुनः)
20.	प्रेमचंद की विचार यात्रा	
21.	सी॰के॰ नायडू	
22.	डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद-सचित्र जीवन	(पुनः)
23.	लघु उद्योग-विकास के लिए प्रोटेशन और सुविधाएं	
24.	जी॰वी॰ मावलंगर (बीएमआई)	(पुनः)
25.	केशव चन्द्र सेन (बीएमआई)	(पुनः)
26.	मणिपुर की लोक कथाएं	(पुनः)
27.	सन सत्तावन के भूले बिसरे शहीद	(पुनः)
28.	कस्तूरबा गांधी	(पुनः)
29.	भोजपुरी लोक कथाएं	(पुनः)
30.	भारत की मस्जिद	(पुनः)
31.	अपनी हिंदी सुधारें	(पुनः)
32.	उत्तर प्रदेश लोक कथाएं	(पुनः)
33.	योग सचित्र	
34.	सरोजिनी नायडू	(पुनः)
35.	संत गाडगे बाबा	(पुनः)
36.	रवीन्द्र नाथ टैगोर की बाल कहानियां	(पुनः)
37.	मदन मोहन मालवीय (बीएमआई)	(पुनः)
38.	हमारे बहादुर बच्चे	पुनः मुद्रित
39.	रोचक एतिहासिक कहानियां	पुनः मुद्रित
40.	प्राचीन भारत	पुनः मुद्रित
41.	ईश्वर चन्द विद्यासागर (बी॰एम॰आई॰)	पुनः मुद्रित
42.	मैन जिसका मजबूत खण्ड-2	
43.	करतबी जानवर	पुनः मुद्रित
44.	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस	पुनः मुद्रित
45.	बज्जाका की लोक कथाएं	पुनः मुद्रित
46.	बुन्देल खण्ड की लोक कथाएं	पुनः मुद्रित
47.	सी डब्ल्यू एम जी खण्ड-2	पुनः मुद्रित

48.	सी डब्ल्यू एम जी खण्ड-23	पुनः मुद्रित
49.	कुटेबल कोट्स-विनोबा भावे	
50.	कुटेबल कोट्स-सुब्रमणियम भारती	
51.	कुटेबल कोट्स-जय शंकर प्रसाद	
52.	सी डब्ल्यू एम जी खण्ड-20	पुनः मुद्रित
53.	सी डब्ल्यू एम जी खण्ड-25	पुनः मुद्रित
54.	अवध की बेगम	पुनः मुद्रित
55.	बेताल कथाएं	पुनः मुद्रित
56.	सी डब्ल्यू एम जी खण्ड-24	पुनः मुद्रित
57.	सी डब्ल्यू एम जी खण्ड-10	पुनः मुद्रित
58.	सी डब्ल्यू एम जी खण्ड-4	पुनः मुद्रित
59.	आजकल अनुक्रमणिका	
60.	प्रेमचन्द कोटेबल कोट्स	पुनः मुद्रित
61.	लोह पुरुष सरदार पटेल	पुनः मुद्रित
62.	बुद्ध कथाएं	पुनः मुद्रित
63.	कुमांयू की लोक कथाएं	पुनः मुद्रित
64.	सी डब्ल्यू एम जी खण्ड-3	पुनः मुद्रित
65.	सी डब्ल्यू एम जी खण्ड-8	पुनः मुद्रित
66.	सी डब्ल्यू एम जी खण्ड-7	पुनः मुद्रित
67.	डॉ॰ जाकिर हुसैन (बी॰एम॰आई॰)	पुनः मुद्रित
68.	भीमराव अम्बेडकर (बी॰एम॰आई॰)	पुनः मुद्रित
69.	भारत-1995	पुनः मुद्रित
70.	सी डब्ल्यू एम जी खण्ड-6	पुनः मुद्रित
71.	सी डब्ल्यू एम जी खण्ड-22	पुनः मुद्रित

क्षेत्रीय भाषाएं

1.	बी॰आर॰ अम्बेडकर (बी॰एम॰आई)	गुजराती
2.	आर॰एन॰ टैगोर	गुजराती
3.	बाल गंगाधर तिलक	गुजराती
4.	मौलाना अब्दुल कलाम आजाद	गुजराती
5.	सारी सार्प की कहानी	गुजराती
6.	काका साहिब गाडगिल	मराठी
7.	मंत्रिका पट्टी (टेलीविजन)	मलयालम
8.	बेवर डेविल्स	मलयालम
9.	दी ग्राउया एण्ड हॉर्सिस	मलयालम
10.	दी अर्थ एण्ड स्काई	मलयालम
11.	टैक्नीक्स ऑफ प्लानिंग	मलयालम
12.	दी इमोरटल फ्लोवर	मलयालम
13.	के॰ कामराज	तमिल
14.	वी॰ओ॰ चिदम्बरम पिल्लई	तमिल
15.	इंडिया स्ट्रूजाल-इथिल नन्दू पंगू	तमिल
16.	अबुल कलाम आजाद (बी॰एम॰आई॰)	उर्दू
17.	हमारी तहजीबी विरासत	उर्दू
18.	हिन्दुस्तान तहजीब का मुसलमान पर आसार	उर्दू
19.	आइने ए॰ गालिब	उर्दू

1996-97 के दौरान प्रकाशित प्रकाशन
(अप्रैल, 1996-जनवरी, 1997)

अंग्रेजी

1.	कलैक्टिव वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी खण्ड-84	पुनःमुद्रित
2.	इंडियन शिपिंग ए हिस्टोरीकल सर्वे	
3.	जवाहरलाल नेहरू : सिलेक्टिव स्पीचीज खण्ड-1	,,
4.	जवाहरलाल नेहरू : सिलेक्टिड स्पीचीज, खण्ड-2	,,
5.	जवाहरलाल नेहरू : सिलेक्टिड स्पीचीज, खण्ड-3	,,
6.	जवाहरलाल नेहरू : सिलेक्टिड स्पीचीज, खण्ड-4	,,
7.	जवाहरलाल नेहरू : सिलेक्टिड स्पीचीज, खण्ड-5	,,
8.	पावर्टी एण्ड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया	,,
9.	जवाहर लाल नेहरू-ए पिक्टोरियल बायोग्राफी (संशोधित संस्करण)	
10.	ग्रेट मैन ग्रेट डीड्स	
11.	प्रेस इन इण्डिया-1995	
12.	प्रिसीडेंन्ट शंकर दयाल शर्मा, स्पीचिज खण्ड-I	
13.	रीग्रिनिंग ऑफ आवर अर्थ	
14.	सुफीस ऑफ सिन्ध (पुनः मुद्रित)	
15.	प्रेमचन्द : लाइफ एण्ड वर्क्स (पुनः मुद्रित)	
16.	कलैक्टिव वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी-खण्ड-9 (पुनः मुद्रित)	
17.	फारगोटन मान्यूमेंट ऑफ उड़ीसा खण्ड-II	
18.	फारगोटन मान्यूमेंट ऑफ उड़ीसा खण्ड-III	
19.	ए॰ मूमेंट इन टाइम विद लीजेन्डस ऑफ इण्डियन आर्ट्स।	

1996-97 के दौरान प्रकाशित प्रकाशन
(अप्रैल, 1996-जनवरी, 1997)

हिंदी

1.	सीता	(पुनः मुद्रित)
2.	गगांधर राव देशपांडे (बीएमआई)	
3.	पन्नाधे (पुनः मुद्रित)	
4.	बी॰डी॰ चिदम्बरम पिल्लई (बीएमआई)	

5. गोपाल कृष्ण गोखले (बी॰एम॰आई) (पुनः मुद्रित)
6. राजा राम मोहन राय (बी॰एम॰आई) (पुनः मुद्रित)
7. कलैक्टिव वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी खण्ड-68 (पुनः मुद्रित)
8. रानी लक्ष्मीबाई (पुनः मुद्रित)
9. बच्चे का विकास (पुनः मुद्रित)
10. कौरवी लोक कथाएं (पुनः मुद्रित)
11. भारत की वीर गाथाएं
12. सेकुलराबाद भारतीय परिकल्पना
13. भारत के समाचारपत्र-1995
14. रोचक एतिहासिक कहानियां
15. हिंदी मत अभिमत
16. भारत और मानव संस्कृति खण्ड-I
17. भारत और मानव संस्कृति खण्ड-II
18. लक्ष्यगृह पार्ट-III
19. कलैक्टिव वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी-खण्ड-14 (पुनः मुद्रित)

हिंदी

20. कलैक्टिव वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी-खण्ड-3 (पुनः मुद्रित)
21. कलैक्टिव वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी-खण्ड-26 (पुनः मुद्रित)
22. कलैक्टिव वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी-खण्ड-39 (पुनः मुद्रित)
23. कलैक्टिव वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी-खण्ड-19 (पुनः मुद्रित)
24. गोपालकृष्ण गोखले (पुनः मुद्रित)
25. मराठा शक्ति का उदय (पुनः मुद्रित)
26. हिंदी विकास और सम्भावना
27. भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास भाग-I
28. भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास
29. कलैक्टिव वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी-खण्ड-70 (पुनः मुद्रित)
30. उस्ताद भूरे लाल (पुनः मुद्रित)
31. महाबली रूस्तम
32. मुस्तक अली
33. वेदान्त और विश्वचेतना
34. कलैक्टिव वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी-खण्ड-18 (पुनः मुद्रित)
35. बंगाल की लोक कथाएं (पुनः मुद्रित)
36. चेतक और प्रताप
37. राष्ट्रपति डा॰ शंकर दयाल शर्मा चुने हुए भाषण-खण्ड-I
38. इन्दिरा गांधी, चुने हुए भाषण और लेख
39. भारतीय संस्कृति का मुसलमान पर प्रभाव

1996-97 के दौरान प्रकाशित प्रकाशन
(अप्रैल, 1996-जनवरी, 1997)

क्षेत्रीय भाषाएं

1.	मि॰ जमकर	(मराठी)
2.	गणजिना गालिब	(उर्दू)
3.	फ्रीडम मूवमेंट इन आन्ध्र प्रदेश	(तेलुगु)
4.	गलोरी ऑफ विजयनगरम	(तेलुगु)
5.	फिडले नायडू गास	(तेलुगु)
6.	ग्लोरी ऑफ कोकटियास	(तेलुगु)
7.	दूर नेशनल सॉंग	(गुजराती)
8.	सी॰एफ॰ एन्ड्रूज	(गुजराती)
9.	बालमिकी और व्यास	(गुजराती)
10.	वैज्ञानिकी	(गुजराती)
11.	रवीन्द्रनाथ टैगोर	(गुजराती)
12.	विश्व की श्रेष्ठ लोक कथाएं	(गुजराती)
13.	बापू के साथ	(गुजराती)
14.	हिन्दुस्तां में स्लामिक उलम के मारकिज	(उर्दू)
15.	ए॰पी॰ जियोग्राफी एण्ड रिर्सोसिस	(तेलुगु)
16.	गालिब और हन्ड्रैड मूड्स	(बहुभाषी)

टेलीफोन लगाने के लिए निर्धारित लक्ष्य

961. **श्री सुखराम :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष टेलीफोन लगाने के क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या इन लक्ष्यों में संशोधन किया गया था;

(ग) यदि हां, तो इन वर्षों के संशोधित लक्ष्य क्या हैं और इन संशोधित लक्ष्यों की तुलना में क्या उपलब्धियां रहीं;

(घ) क्या मूल/संशोधित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) पिछले तीन सालों के दौरान टेलीफोन के संस्थापन के लिए निर्धारित लक्ष्य निम्नानुसार हैं :—

1993-94	11.05 लाख
1994-95	14.26 लाख
1995-96	20.00 लाख

(ख) ये लक्ष्य संशोधित नहीं थे। तथापि 1995-96 के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि समुचित योजना तथा सभी प्रकार के

प्रयासों द्वारा विभाग 29 लाख टेलीफोन कनेक्शन को प्राप्त करने में सक्षम होगा।

(ग) पिछले तीन सालों के दौरान प्राप्त उपलब्धियां इस प्रकार हैं:—

1993-94	12.40 लाख
1994-95	17.70 लाख
1995-96	21.83 लाख

(घ) मूल लक्ष्य की प्राप्ति हो गई है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

मेले और उत्सवों को प्रोत्साहन

962. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा विदेशी पर्यटकों के साथ-साथ स्वदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए मेलों और उत्सवों को प्रोत्साहन देने के लिए कोई कदम उठाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां अब तक इस प्रकार के मेलों और उत्सवों का आयोजन किया जा चुका है;

(ग) क्या सरकार का विचार मेलों और उत्सवों को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न राज्यों को आवंटन निधि में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) जी, हां।

(ख) पर्यटन विभाग राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए अभिनिर्धारित उत्सवों के प्रस्तावों पर उनके गुण-दोष, पारस्परिक प्राथमिकता और धन की उपलब्धता के आधार पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। देश के भिन्न-भिन्न संघ राज्य क्षेत्रों/राज्यों में इस प्रकार के 80 से अधिक अभिनिर्धारित किए गए उत्सव हैं। उत्सव सामान्यतया प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं।

(ग) और (घ) वर्ष 1996-97 के दौरान मेलों और उत्सवों को मनाने और ग्रामीण शिल्प मेलों का आयोजन करने के लिए 1.3 करोड़ रुपए राज्यों को आवंटित करने के लिए रखे गए हैं।

छः विमानों के लिए इंडियन एयरलाइन्स द्वारा विश्व स्तर पर निविदा देना

963. **श्री संदीपान थोरात** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 फरवरी, 1997 के "पायनियर" में "आई-ए-टू प्लॉट फ्लोर ग्लोबल टेंडर फॉर सिक्स एयर-क्राफ्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इसे कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की आशा है; और

(घ) प्रस्ताव के वित्तीय अवरोधों के संबंध में ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी•एम• इब्राहीम) : (क) से (घ) वर्ष 1997-98 के दौरान अपनी क्षमता में वृद्धि करने की दृष्टि से, इंडियन एयरलाइन्स का तीन ए-300 बी4 तथा दो ए-320 विमान कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए "ड्राई लीज" पर लेने हेतु विश्व-व्यापी टेंडर देने का प्रस्ताव है, जिसके लिए आवश्यक ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

[हिन्दी]

रिक्शा चलाने के धंधे में श्रमिकों के कल्याण संबंधी उपाय

964. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, विशेषकर दिल्ली में, रिक्शा चलाने के धंधे में लगे श्रमिकों के उत्थान के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन सी कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं/किए जाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री एम• अरुणाचलम) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

देश में रात्रिकालीन डाकघर

965. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर 1996 की स्थिति के अनुसार देश में कार्यरत रात्रिकालीन डाकघरों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में ऐसे और अधिक डाकघर खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो इन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ये डाकघर खोले जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) देश में दिसम्बर, 1996 की स्थिति के अनुसार कार्य कर रहे रात्रिकालीन डाकघरों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) सरकार का उत्तर प्रदेश में और अधिक रात्रिकालीन डाकघर खोलने का विचार नहीं है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र॰सं॰	राज्य	रात्रि डाकघरों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	2
2.	असम	1
3.	बिहार	9
4.	दिल्ली	13
5.	गुजरात	11
6.	हरियाणा	2
7.	हिमाचल प्रदेश	1
8.	जम्मू एवं कश्मीर	1
9.	कर्नाटक	7
10.	केरल	6
11.	महाराष्ट्र	17
12.	मध्य प्रदेश	8
13.	उत्तर-पूर्व	3
14.	उड़ीसा	7
15.	पंजाब	3
16.	राजस्थान	7
17.	तमिलनाडु	13
18.	उत्तर प्रदेश	16
19.	पश्चिम बंगाल	10
20.	गोवा	शून्य
21.	मेघालय	1
22.	मणिपुर	1
23.	मिजोरम	शून्य
24.	नागालैंड	शून्य
25.	त्रिपुरा	1
26.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य
27.	सिक्किम	शून्य

संघ राज्य क्षेत्र

क्र॰सं॰	संघ राज्य क्षेत्र	रात्रि डाकघरों की संख्या
1.	पाण्डिचेरी	1
2.	दमन एवं दीव	शून्य
3.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	शून्य
4.	चंडीगढ़	1
5.	लक्षद्वीप	शून्य

देश में रात्रि डाकघरों की कुल सं॰ 142

[अनुवाद]

दिल्ली के गोविन्दपुरी में डाकघर

966. श्री थामस हंसदा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्थित गोविन्दपुरी में डाकघर न होने के कारण गोविन्दपुरी, रामपुरी तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों तथा अन्य निकटवर्ती कालोनियों के निवासियों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गोविन्दपुरी के उप डाकघर को कुछ वर्ष पूर्व बंद कर दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो इसे बंद किए जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार उक्त उप डाकघर को पुनः खोलने का विचार कर रही है;

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी नहीं। गोविन्दपुरी उप डाकघर के नाम से एक उप डाकघर उस क्षेत्र में पहले ही कार्यरत है जो गोविंदपुरी, रामपुरी तथा साथ लगे अन्य डी॰डी॰ए॰ फ्लैट्स की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) यह डाकघर बंद नहीं किया गया था बल्कि इसे यहां पर उपयुक्त स्थान उपलब्ध न होने के कारण, गोविंदपुरी से स्थानांतरित करना पड़ा था।

(ङ) से (छ) उपर्युक्त (ग) और (घ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

जम्मू कश्मीर में जिला-वार टेलीफोन उपभोक्ता

967. श्री चमन लाल गुप्त : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू कश्मीर में जिला-वार कुल कितने टेलीफोन उपभोक्ता हैं;

(ख) डोडा, उधमपुर और कठुआ जिलों में लाइन बिछाने और नये एक्सचेंज आरम्भ करने के संबंध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या सरकार का विचार जम्मू-कश्मीर में सेल्यूलर फोन और पेजर जैसी मूल्य-वर्द्धित सेवाएं प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्य के उन शहरों और गांवों की संख्या क्या है जिन्हें एसटीडी सुविधा से जोड़ा गया है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) 31.1.1997 की स्थिति के अनुसार जम्मू और कश्मीर में टेलीफोन उपभोक्ताओं की जिलावार कुल संख्या विवरण-I में दी गई है।

(ख) जिला डोडा, उधमपुर और कठुआ में लाइनें बिछाने और नए एक्सचेंज खोलने में अब तक हुई प्रगति विवरण-II में दी गई है।

(ग) जी हां।

(घ) मूल्य वर्धित सेवाओं के संबंध में ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(1) आई नेट सेवा : जम्मू और कश्मीर में पहले ही उपलब्ध है।

(2) पेजर : दो निजी प्रचालकों को लाइसेंस दे दिया गया है।

(3) सेल्यूलर फोन : अब तक किसी निजी प्रचालक को लाइसेंस नहीं दिया गया है।

(ङ) जम्मू और कश्मीर में एसटीडी सुविधा के साथ जोड़े गए नगरों और ग्रामों की जिला-वार संख्या विवरण-III में दी गई है।

विवरण-I

31.1.97 की स्थिति के अनुसार जम्मू और कश्मीर दूरसंचार सर्किल में जिलावार टेलीफोन उपभोक्ता

क्र॰सं॰	जिले का नाम	उपभोक्ताओं की संख्या
1.	अनन्तनाग	1000
2.	बदगाम	208
3.	बारामुला	1656
4.	कुपवारा	268
5.	पुलवामा	1004
6.	श्री नगर	14463
7.	डोडा	1478
8.	जम्मू	30467
9.	कठुआ	2242
10.	पुंछ	900
11.	राजौरी	1606
12.	उधमपुर	4045
13.	लेह	1190
14.	कारगिल	522
	कुल	61057

विवरण-II

1996-97 के दौरान कार्यरत कनेक्शन और खोले गए नए एक्सचेंज

जिले का नाम	डोडा	उधमपुर	कठुआ
कार्यरत कनेक्शनों की संख्या	1478	4045	2242
(31.1.97 की स्थिति के अनुसार)	एक (256 सी-डॉट)	तीन दो एम आई एल टी 64 और एक 2 हजार सी डॉट	एक (एम आई एल टी-64)

विवरण-III

एस टी डी सुविधा युक्त नगरों/गावों का ब्यौरा

1. **अनन्तनाग**
   अनन्तनाग और पहलगाम
2. **बदगाम**
   बदगाम
3. **बारामुला**
   बारामुला, गुलमर्ग और सोपोर
4. **कुपवारा**
   कुपवारा
5. **पुलवामा**
   पुलवामा, मालगपुरा और पांपुर
6. **श्रीनगर**
   श्रीनगर और गांदेरबल
7. **डोडा**
   डोडा,भादरवा, किश्तावर, बाटोट, रामबन और बनिहाल
8. **जम्मू**
   जम्मू, अखनूर, बारीब्रह्माना, साम्बा, विजयपुर, जाख, आरएसपुर भिरानसाहिब, गादीगढ़, बनतालाब, विश्नाह, सिधरा, दोमाना मंडल रायपुर, सतवारी, नागरोटा, संग्रीरा और धोमाऊ।
9. **कठुआ**
   कठुआ, हिरानगर चादपाल, लाकहनपुर, बखाल, नागरी फारोल, और बानी।
10. **पुंछ**
    पुंछ

11. **राजौरी**

राजौरी, बुधाल

12. **उधमपुर**

उधमपुर, कुड पटनीटॉप, कटरा, अर्धकुमारी, वैष्णोदेवी, रियासी, मानतालई, ज्योतिपुरम, चेनानी

13. **लेह**

लेह और खालसी

14. **कारगिल**

कारगिल और द्रास।

रेल लाइन बिछाया जाना

968. **श्री प्रभु दयाल कठेरिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा को आगरा, फतेहाबाद तथा बाहां, जैतपुर, उदीमोर और इटावा होकर रेल लाइन से जोड़ने के लिए वर्ष 1990-91 में कोई सर्वेक्षण कराया था;

(ख) यदि हां, तो इस रेल लाइन को बिछाने में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) इस रेल लाइन को शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा इस सम्बन्ध में विलम्ब होने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) यह अनुमोदित कार्य नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

महानगर टेलीफोन निगम लि॰ द्वारा बकाया राशि की वसूली

969. **श्री जय प्रकाश (हरदोई)** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 फरवरी, 1997 के "टाइम्स ऑफ इंडिया" में "एम टी एन एल इज गोइंग स्लो ऑन रिकवरी ऑफ ड्यूस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या महानगर टेलीफोन निगम लि॰ ने अप्रचालित प्रौद्योगिकी "पीडीएच" खरीदी है जबकि विश्वभर में "एस डी एच" प्रौद्योगिकी खरीदी जा रही है;

(घ) क्या महानगर टेलीफोन निगम लि॰ ने भी आवश्यकताओं से अधिक मूल्य के उपकरण खरीदे हैं और उनमें से अधिकांश उपकरण अप्रयुक्त पड़े हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) तथ्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) पी डी एच प्रौद्योगिकी पुरानी नहीं है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) उपर्युक्त भाग (ग) तथा (घ) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

(ख) तथ्य इस प्रकार हैं :—

महानगर टेलीफोन निगम लि॰ ने मई से अक्तूबर, 1994 की अवधि के दौरान खुली निविदा के माध्यम से नौ भिन्न-भिन्न विक्रेताओं को 140 एमबीपीएस के 234 ओ एफ सी उपस्कर और 565 एम बी पी एस के 84 ओ एफ सी उपस्कर के लिए आदेश (ऑर्डर) दिए थे। चूंकि लगभग इसी समय दूरसंचार विभाग ने भी ओ एफ सी उपस्कर के लिए एक निविदा आमंत्रित की थी, अत: अपनी निविदा के आधार पर महानगर टेलीफोन निगम लि॰ द्वारा खरीद आदेश देते समय, इस विशेष शर्त के साथ अनंतिम दरों की पेशकश (ऑफर) की गई थी कि यदि "बिल्कुल समान आकार के उपस्कर" के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारित कीमतें कम होंगी, तो महानगर टेलीफोन निगम लि॰ के खरीद आदेशों के लिए भी यही दरें लागू होंगी। यह अतिरिक्त शर्त महानगर टेलीफोन निगम लि॰ के हित-रक्षा हेतु शामिल की गई थी। दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारित कीमतें महानगर टेलीफोन निगम लि॰ की अनंतिम दरों की अपेक्षा 30 से 40 प्रतिशत कम थीं और मूल्य अंतर का प्रमुख कारण एक विशेष मद अर्थात् डी डी एफ थी। दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर, महानगर टेलीफोन निगम लि॰ ने समय-समय पर आपूर्तिदाताओं को भुगतान को विनियमित किया और सितम्बर, 1995 में अनंतिम दरों के स्थान पर कीमतें निर्धारित कीं। आपूर्तिदाताओं ने महानगर टेलीफोन निगम लि॰ द्वारा निर्धारित कीमत को चुनौती दी क्योंकि, उनके अनुसार, महानगर टेलीफोन निगम लि॰ और दूरसंचार विभाग द्वारा जिन उपस्करों के आदेश दिए गए थे वे एक समान नहीं थे। तथापि, यहां उल्लेखनीय है कि दूरसंचार विभाग को अपने अनुमोदित आपूर्तिदाताओं में से किसी भी आपूर्तिदाता से इस मद की आपूर्ति प्राप्त नहीं हुई और अंतत: उसने आदेश रद्द कर दिए और चूककर्ता आपूर्तिदाता की निष्पादन बैंक गारंटी जब्त (इन्वोक) कर ली। महानगर टेलीफोन निगम लि॰ ने भारत के अपर सॉलिसीटर जनरल से कानूनी सलाह ली, उसके बाद तत्काल कार्रवाई की और संदेय रकम की वसूलियों के लिए आदेश दिया। इस प्रक्रिया में एमटीएनएल ने संबंधित आपूर्तिदाताओं

द्वारा दी गई बैंक गारंटियों को जब्त करने का आदेश दिया और आपूर्तिदाताओं ने इस कार्रवाई को अदालत में चुनौती दी है। वसूली की राशि केवल 2.46 करोड़ रु॰ बैठती है, न कि 9 करोड़ रु॰ जैसा कि समाचार-पत्रों की कुछ कतरनों में कहा गया है।

2. तथापि, आपूर्तिदाताओं ने एमटीएनएल द्वारा निर्धारित कीमत का विरोध किया है और एक आपूर्तिदाता ने माध्यस्थम की मांग की है। भारतीय माध्यस्थम परिषद (आईसीएआर) ने भारत के दो पूर्व मुख्य न्यायमूर्तियों को मध्यस्थों के रूप में नामित किया है और माध्यस्थम कार्यवाही शीघ्र ही शुरू हो जाएगी।

उपग्रह चैनल

970. **श्री रूप चन्द पाल :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार "डाइरेक्ट टू होम सर्विस" सहित उपग्रह चैनलों को विनियमित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) से (ग) उपग्रह चैनलों सहित डायरेक्ट-टू होम सेवाओं के प्रभावी विनियमन हेतु संसद के चालू सत्र में एक प्रसारण विधेयक प्रस्तुत किए जाने का प्रस्ताव है।

कर्नाटक में भारत पर्यटन विकास निगम के होटल/मोटल

971. **श्री एस॰डी॰एन॰आर॰ वाडियार :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों और मोटलों की संख्या कितनी है;

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम के बंगलौर और मैसूर में स्थित होटलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मैसूर स्थित "ललिता महल" होटल का संचालन भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो उसे कब शुरू किया गया था और क्या मौजूदा भवन का स्वामित्व केन्द्र सरकार के पास है; और

(ङ) यदि हां, तो उपर्युक्त भवन का अभिग्रहण करने संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम कर्नाटक में निम्नलिखित तीन होटलों का संचालन कर रहा है :—

1. होटल अशोक, बंगलौर
2. होटल हसन अशोक, हसन
3. ललिता महल पैलेस होटल, मैसूर

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम के बंगलौर और मैसूर शहरों में स्थित होटलों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:—

एकक का नाम	स्टार श्रेणी	क्षमता	
		कमरे	शय्याएं
1. होटल अशोक, बंगलौर	5-सितारा	181	362
2. ललिता महल पैलेस होटल, मैसूर	5-सितारा	54	108

(ग) से (ङ) जी, हां। भारत पर्यटन विकास निगम मैसूर में ललिता महल पैलेस होटल चला रहा है। पैलेस की परिसम्पत्ति जिसमें मुख्य किला, अन्य भवन और परिसर में आने वाले बगीचे शामिल हैं, को 50 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर लिया गया था। पैलेस को होटल में परिवर्तित कर दिया गया था और सितम्बर, 1974 से प्रारम्भ कर दिया गया था।

बिदार-होस्पेट रेल लाइन का सर्वेक्षण

972. **श्री के॰सी॰ कोंडय्या :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा बिदार-होस्पेट के बीच कलबरगी, जीवरगी, शाहपुर तथा सोरापुर के रास्ते नई रेल लाईन बिछाने हेतु कोई सर्वेक्षण संबंधी कार्य शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त कार्य कब तक शुरू कर दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) जी हां। 1997-98 के बजट में सर्वेक्षण शामिल किया गया है। बजट पारित हो जाने पर सर्वेक्षण कार्य शुरू किया जाएगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अवैध रूप से इनाम की मांग

973. **श्री मंगल राम प्रेमी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ता विवाद निवारक मंच ने महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के मुख्य महाप्रबंधक की खराब पड़े टेलीफोनों को लाइनमैनों द्वारा ठीक किए जाने के संबंध में अवैध रूप से इनाम की मांग करने की शिकायतों को अनदेखी करने हेतु फटकार लगाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या खराब पड़े टेलीफोन उपकरणों के संबंध में टेलीफोन नम्बर 198 पर शिकायतों का तत्परतापूर्वक निपटान नहीं किया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के दक्षिण जिला क्षेत्र-I में कितनी शिकायतें लम्बित हैं तथा खराब पड़े टेलीफोन उपकरणों को नहीं बदले जाने के क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग) जी नहीं, तथापि श्री एम॰पी॰ राजबंशी के मामले में फोरम ने मुख्य महाप्रबंधक, एम॰टी॰एन॰एल॰ को निर्णय संबंधी आदेश की प्रतिलिपि पृष्ठांकित कर अनुपालन के आदेश दिए हैं। हर्जाने के रूप में 2,000/- रु॰ की क्षतिपूर्ति और 27 दिनों के किराये की छूट के अतिरिक्त, एम॰टी॰एन॰एल॰ को उपभोक्ता द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करके दिनांक 3.3.97 तक इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। एम॰टी॰एन॰एल॰ ने राज्य आयोग (स्टेट कमीशन) में याचिका दायर की है, जिसे दिनांक 20.3.97 हेतु सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। मामले के न्यायाधीन होने के कारण इस स्तर पर आगे कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

(घ) जी नहीं, उन पर तुरंत ध्यान दिया जाता है।

(ङ) एम॰टी॰एन॰एल॰ के दक्षिण-I जिले में 198 पर खराब टेलीफोन उपकरण संबंधी कोई शिकायत विचाराधीन नहीं है।

लौह अयस्क

974. **श्री पुन्नू लाल मोहले** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के किन-किन जिलों में लौह अयस्क निकाला जाता है और प्रत्येक जिले में इस कार्य में कितने कामगार लगे हुए हैं;

(ख) विलासपुर में "स्पंज आइरन" की उत्पादन क्षमता कितनी है और क्या यह कम्पनी सरकारी या निजी भूमि में से किस भूमि पर स्थापित की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त कम्पनी रोजगार में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देती है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार मध्य प्रदेश के तीन जिलों अर्थात् बस्तर, दुर्ग और जबलपुर में लौह अयस्क का खनन किया गया था। 1995-96 के दौरान प्रत्येक जिले में औसत दिहाड़ी रोजगार क्रमशः 2403, 9116 और 54 थे।

(ख) स्पंज आयरन, विलासपुर नामक कोई इकाई नहीं है।

(ग) से (ङ) उपरोक्त (ख) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

देश में टेलीफोन लगाना

975. **श्री सुखराम** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जनवरी, 1992 के दौरान और जनवरी, 1993 से मार्च, 1993 तक लगाए गये टेलीफोनों की संख्या संबंधी निर्धारित लक्ष्य और उनकी उपलब्धि क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में दूर-संचार विभाग को कुल कितनी आय हुई है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) 1991-92 और 1992-93 के दौरान टेलीफोन कनेक्शनों की संस्थापना के लिए निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:-

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धियां
1991-92	7 लाख	7.36 लाख
1992-93	8.50 लाख	9.87 लाख

उपलब्धियां

1992 के दौरान	- 8.35 लाख
जनवरी, 93 से मार्च, 93 तक	- 6.10 लाख

(ख) इस अवधि के दौरान दूरसंचार विभाग (महानगर टेलीफोन निगम लि॰ को छोड़कर) को हुई कुल आय नीचे दी गई है:-

1992 के दौरान	- 3677 करोड़ रु॰
जनवरी, 93 से मार्च, 93 तक	- 1068 करोड़ रु॰

कांडला बन्दरगाह में सक्रिय यूनियनें

976. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने हाल ही में कांडला बंदरगाह में सक्रिय विभिन्न यूनियनों की सदस्यता की जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक संघ की सदस्य संख्या क्या है?

श्रम मंत्री (श्री एम॰ अरुणाचलम) : (क) जी, हां। यह कार्य 31.12.92 को गणना की तारीख मानकर 1996 में किया गया था।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र॰सं॰	संघ का नाम	केन्द्रीय संगठन/परिसंघ से सम्बन्धने	पत्तन न्यास में कार्यरत कर्मकारों की सत्यापित सदस्यता	गोदी श्रम बोर्ड में कार्यरत कर्मकारों की सत्यापित सदस्यता
1.	परिवहन और गोदी कर्मकार संघ (कच्छ)	हिन्द मजदूर सभा (हि॰म॰स॰)	3095	746
2.	काण्डला पत्तन कर्मकार संघ (कच्छ)	अखिल भारतीय व्यवसाय संघ कांग्रेस (एटक)	983	–
3.	काण्डला पत्तन कर्मचारी संघ गांधीधाम	भारतीय राष्ट्रीय व्यवसाय संघ कांग्रेस (इंटक)	1568	233
4.	काण्डला पत्तन और गोदी कर्मचारी संघ, गांधीधाम	हिन्द मजदूर सभा (हि॰म॰स॰)	05	53
5.	काण्डला पत्तन और गोदी मजदूर संघ, गांधीधाम	राष्ट्रीय श्रम संगठन (रा॰श्र॰सं॰)	13	–
6.	काण्डला महाबन्दर मजदूर संघ, गांधीधाम	भारतीय मजदूर संघ (भा॰म॰स॰)	रिकार्ड नहीं दिए गए	
7.	काण्डला स्टेवेडोर्स और गोदी कर्मकार संघ, गांधीधाम	केन्द्रीय भारतीय व्यवसाय संघ (सीटू)	-यथोक्त-	

बौद्ध पर्यटन स्थलों का विकास

977. **श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार के बोधगया, राजगीर तथा वैशाली को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने, उत्तर प्रदेश और बिहार में बौद्ध यात्रा परिपथ की पहचान करने के साथ-साथ आधारभूत संरचना का विकास करने के लिए दिसम्बर, 1988 में विदेशी आर्थिक सहयोग कोष (ओ ई सी एफ), जापान के साथ आसान ऋण समझौता किया है। 7.76 बिलियन जापानी येन के रूप में वित्तीय सहायता मिली है। बिहार में बोधगया, नालंदा, राजगीर और वैशाली स्थल शामिल हैं। परियोजना की समयावधि 20 जनवरी, 1999 तक है। विदेशी आर्थिक सहयोग कोष से अग्रिम रूप में ऋण उपलब्ध नहीं है। कार्यान्वयन एजेंसियों को पहले अपने स्वयं के संसाधनों से खर्च करना होता है उसके बाद विदेशी आर्थिक सहयोग कोष से प्रतिपूर्ति के लिए दावा करना होगा। परियोजना के मुख्य घटक-राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों को सुदृढ़ बनाना, स्थानीय सड़कों का सुधार करना, भूदृश्यांकन, जल और विद्युत आपूर्ति में वृद्धि तथा मार्गस्थ सुख-सुविधाओं को स्थापित करना है।

हीराकुंड एक्सप्रेस की समय सारणी में परिवर्तन

978. **श्री शरत पटनायक :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 8301-हीराकुंड एक्सप्रेस की समय सारणी में परिवर्तन करने संबंधी कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) 8301/8302 हीराकुंड एक्सप्रेस के पुराने समय की बहाली हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे, जिसे 10.2.97 से कर दिया गया है।

नए डाकघर खोलना

979. **श्री मुरलीधर जेना :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में और अधिक डाकघर खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में चालू वर्ष के दौरान राज्यवार कितना लक्ष्य रखा गया है और क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) डाकघर खोलने के मानदंड तथा चालू वर्ष (1996-97) के लिए निर्धारित डाक सर्किलवार लक्ष्य क्रमशः विवरण-I और II में दिए गए हैं।

विवरण–I

डाकघर खोलने के लिए मानदंड

1. **नए शाखा डाकघर खोलने के लिए मानदंड**

1.1 **जनसंख्या :**

(क) **सामान्य क्षेत्रों में**

एक ग्राम समूह की आबादी 3000 (इसमें उन गांवों की आबादी भी शामिल है जहां डाकघर खोला जाना है)

(ख) **पहाड़ी, जनजातीय रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में**

किसी एक गांव की आबादी 500 अथवा गांवों के एक समूह की आबादी 1000

1.2 **दूरी :**

(क) **सामान्य क्षेत्रों में :**

नजदीकी डाकघर से न्यूनतम दूरी 3 कि॰मी॰ होगी।

(ख) **पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में :**

दूरी की सीमा वही होगी सिवाय पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर। निदेशालय द्वारा ऐसे मामलों में न्यूनतम दूरी की सीमा में छूट दी जा सकती है। विशेष परिस्थितियों में ऐसी छूट अपेक्षित है जिसका प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

1.3 **प्रत्याशित आय :**

(क) **सामान्य क्षेत्रों में :**

न्यूनतम प्रत्याशित राजस्व लागत का 33–1/3 प्रतिशत होना चाहिए।

(ख) **पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में :**

न्यूनतम प्रत्याशित आय लागत की 15 प्रतिशत होनी चाहिए।

2. **नए विभागीय उप डाकघर खोलने के लिए मानदंड :**

2.1 **ग्रामीण क्षेत्रों में :**

अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर का न्यूनतम कार्यभार पांच घंटे प्रतिदिन होना चाहिए। सामान्य ग्रामीण क्षेत्र में अनुमेय वार्षिक घाटा 2400 रु॰ प्रतिवर्ष तथा जनजातीय व पहाड़ी क्षेत्र में 4800 रु॰ प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

शहरी क्षेत्र में :

2.2.1 शहरी क्षेत्र में डाकघर को आरंभ में आत्मनिर्भर होना चाहिए तथा प्रथम वार्षिक पुनरीक्षा के समय इसे 5 प्रतिशत लाभ दर्शाना चाहिए ताकि यह आगे बनाए रखे जाने हेतु पात्र हो सके।

2.2.2. 20 लाख और उससे अधिक की जनसंख्या वाले शहरों में दो डाकघरों के बीच की न्यूनतम दूरी 1.5 कि॰मी॰ तथा अन्य शहरी क्षेत्रों में 2 कि॰मी॰ से कम नहीं होनी चाहिए। यदि यह एक वितरण डाकघर है तो निकटतम डाकघर से इसकी दूरी 5 कि॰मी॰ से कम नहीं होनी चाहिए।

सर्किल अध्यक्षों को 10 प्रतिशत मामलों में दूरी की शर्त में छूट देने का अधिकार है।

2.2.3. शहरी क्षेत्र में एक वितरण डाकघर में कम से कम 7 पोस्टमैन बीट्स होनी चाहिए।

विवरण–II

वार्षिक योजना, 1996–97 के दौरान विभागीय उप डाकघर तथा अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने के लिए डाक सर्किलवार लक्ष्य

क्र॰सं॰	सर्किल का नाम	विभागीय उप डाकघर	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	5	2
2.	असम	4	2
3.	बिहार	11	10
4.	दिल्ली	10	1
5.	गुजरात	12	5
6.	हरियाणा	10	4
7.	हिमाचल प्रदेश	10	4
8.	जम्मू एवं कश्मीर	2	2
9.	कर्नाटक	10	2
10.	केरल	9	1
11.	मध्य प्रदेश	9	9
12.	महाराष्ट्र	12	9
13.	उत्तर–पूर्व	4	2
14.	उड़ीसा	4	4
15.	पंजाब	4	2
16.	राजस्थान	10	5

1	2	3	4
17.	तमिलनाडु	4	2
18.	उत्तर प्रदेश	16	12
19.	पश्चिम बंगाल	4	2
	कुल :	150	80

टिप्पणी : उत्तर-पूर्व सर्किल में मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम और अरूणाचल प्रदेश राज्य आते हैं। इसी प्रकार, गोवा, महाराष्ट्र डाक सर्किल का भाग है और सिक्किम राज्य पश्चिम बंगाल डाक सर्किल का भाग है। निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्र प्रत्येक के सामने उल्लिखित सर्किल के अंतर्गत आते हैं।

अंडमान एवं निकोबार	पश्चिम बंगाल सर्किल
चंडीगढ़	पंजाब सर्किल
दादर एवं नगर हवेली	गुजरात सर्किल
दमन एवं दीव	गुजरात सर्किल
लक्षद्वीप	केरल सर्किल
पांडिचेरी	तमिलनाडु सर्किल

एर्नाकुलम-कायमकुलम रेल लाइन का दोहरीकरण

980. **प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एर्नाकुलम-कायमकुलम रेल लाइन का रास्ता कोट्टायम तथा अलाप्पुजा के दोहरीकरण का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) एर्णाकुलम-कायमकुलम बरास्ता एलेप्पी और कोट्टायम रेल लाइन के दोहरीकरण के लिए सर्वेक्षण कार्य शुरू किया गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर परियोजना पर आगे विचार किया जाएगा।

कनिष्ठ लेखा अधिकारी के रिक्त पद

981. **श्री राजकेशर सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग में अपेक्षित योग्यता वाले कर्मचारी उपलब्ध होने के बावजूद भारी संख्या में लेखा अधिकारी के पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और 1990 के बाद अब तक इन पदों को न भरे जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या दूरसंचार विभाग ने डाक विभाग के कई कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियोजित कर लिया है;

(घ) क्या कनिष्ठ लेखा अधिकारी परीक्षा के केवल प्रथम भाग में उत्तीर्ण होने पर ही दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों को प्रोन्नति दी जा रही है;

(ङ) यदि हां, तो डाक विभाग में कार्यरत उन कर्मचारियों, जिन्होंने कनिष्ठ लेखा अधिकारी परीक्षा के दोनों भाग उत्तीर्ण कर लिए हैं, को उनके देय अधिकार न दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) जी हां। कनिष्ठ लेखा अधिकारियों की स्वीकृत संख्या 3490 है तथा इनमें से 196 पद रिक्त हैं। चूंकि, दूरसंचार विभाग और डाक विभाग अलग-अलग हैं, अतः डाक विभाग के अर्हता-प्राप्त कनिष्ठ लेखा-अधिकारी दूरसंचार विभाग में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं। रिक्तियों की वर्षवार स्थिति इस प्रकार है :—

1990	1009
1991	1024
1992	704
1993	306
1994	457
1995	497
1996	568
1997	196

(ग) जी हां, इस समय दूरसंचार विभाग में 263 कनिष्ठ लेखा अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे हैं।

(घ) अल्प अवधि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कनिष्ठ लेखा अधिकारी भाग-I परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थियों को स्थानीय रूप से स्थानापन्न आधार पर नियुक्त किया जाता है, लेकिन उन्हें कनिष्ठ लेखा अधिकारी का वेतनमान नहीं दिया जाता है। जैसा कि उपर्युक्त (क और ख) में बताया जा चुका है, कनिष्ठ लेखा अधिकारी की परीक्षा के दोनों भागों को पास कर चुके डाक विभाग के कर्मचारियों को दूरसंचार विभाग में नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं है।

(च) कनिष्ठ लेखा अधिकारी की परीक्षाएं नियमित रूप से हो रही हैं और नवम्बर 1996 तथा जनवरी 1997 में हुए कनिष्ठ लेखा अधिकारी भाग II परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के पश्चात इस कमी के दूर हो जाने की आशा है।

रेलगाडियों का विलंब से चलना

982. श्रीमती लक्ष्मी पनबाका : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण मध्य रेलवे में रेलगाड़ियों के समय पर न चलने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि हैदराबाद और चेन्नई के बीच चलने वाली रेलगाड़ियां प्रतिदिन अत्यधिक विलंब से चल रही हैं जिसका अनुभव यात्रा के दौरान यात्रियों को होता है;

(घ) यदि हां, तो क्या इसका मुख्य कारण संबंधित निगरानी कार्य में अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरतना है; और

(ङ) यदि हां, तो रेलगाड़ियों का समय पर चलाए जाने की स्थिति में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) जी नहीं। दक्षिण मध्य रेलवे पर गाड़ियों का समयपालन निष्पादन अप्रैल-दिसंबर 1996 की अवधि के दौरान (97.0 प्रतिशत) सुधार दर्शाता है जो पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि में (95.7 प्रतिशत) था।

(ग) और (घ) जी नहीं। बहरहाल, कई अवसरों पर गाड़ियां, तूफान, खराब मौसम, दुर्घटनाओं, प्रदर्शनों/बन्दों, उपस्कर की खराबी, ग्रिड की खराबी, खतरे की जंजीर खींचे जाने तथा शरारती गतिविधियों आदि के कारण विलंब से चलती हैं।

(ङ) गहन चेंजिंग तथा विभिन्न स्तरों पर निगरानी सहित सभी प्रयास नियमित रूप से किए जा रहे हैं। इसके अलावा, निरीक्षण तथा अधिकारी दोनों स्तरों पर समय पालन अभियान चलाए जा रहे हैं।

श्रमिक कल्याण

983. श्री ए.जी.एस. राम बाबू : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शिवाकाशी और अन्य स्थानों में आतिशबाजी बनाने के काम में लगे श्रमिकों की समस्याओं के बारे में जानकारी है;

(ख) क्या सरकार ने श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना को कब तक कार्यान्वित कर दिया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) आतिशबाजी के कारखानों में नियोजित कर्मकारों की सुरक्षा और कल्याण के लिए किये जाने वाले उपाय कारखाना अधिनियम, 1948 में निर्धारित किये गये हैं। अधिष्ठाताओं द्वारा अधिनियम के इन उपबंधों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कारखानों का तीन माह में एक बार निरीक्षण किया जाता है। यदि निरीक्षण के समय किसी प्रकार का उल्लंघन होते देखा जाता है तो कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत और बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत प्रबंधन के विरूद्ध दाण्डिक कार्रवाई की जाती है। आग की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, आतिशबाजी कारखानों में कर्मकारों को आतिशबाजी उत्पादों को उठाने रखने, संसाधन और लाने-ले जाने में सुरक्षा उपायों के संबंध में शिक्षित/प्रशिक्षित किया जाता है। इसके लिए तमिलनाडु सरकार ने शिवाकाशी में वर्ष 1993 से प्रशिक्षण केन्द्र आरम्भ किया है।

[हिन्दी]

विदेशी कंपनी को खनन पट्टे का आवंटन

984. श्री बुद्धसेन पटेल : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोने तथा बहुमूल्य पत्थरों की खोज तथा खनन हेतु किसी विदेशी कंपनी अथवा इसके भारतीय सहायक कंपनियों को खनन संबंधी पट्टा देने हेतु निर्धारित मार्गनिर्देश क्या हैं;

(ख) क्या मध्य प्रदेश में ऐसे पट्टे दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन मामलों में केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति ली गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य) : (क) खनन अधिकार, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों तथा उनके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा दिये जाते हैं। खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के अनुसार, खनन अधिकार कंपनी अधिनियम 1956 की धारा (3) की उपधारा (1) के तहत परिभाषित किसी भारतीय नागरिक या किसी कंपनी को ही दिये जा सकते हैं लेकिन खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट किसी खनिज के संबंध में कोई पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं दिया जाएगा।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में उपयोग में नहीं आ रहे हवाई अड्डे

985. **श्री हाराधन राय :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल के विभिन्न भागों में अनेक हवाई अड्डों पर उड़ानें संचालित न होने या उनका उपयोग न किए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उपयोग में नहीं आ रहे ऐसे हवाई अड्डे कौन-कौन से हैं;

(ग) क्या इन हवाई अड्डों का उपयोग किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल में चार हवाई अड्डे अर्थात् बालूरघाट, बेहाला, कूचबिहार और मालदा गैर-प्रचालनात्मक हैं।

(ग) से (ङ) ये हवाई अड्डे डोर्नियर 228 (20 सीट) विमान के प्रचालन के लिए उपयुक्त हैं। किसी भी विमान कम्पनी ने इन स्टेशनों पर इस प्रकार के विमानों के प्रचालन में रुचि नहीं दिखाई है। इस समय भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की इन हवाई अड्डों के स्तरोन्नयन की कोई योजना नहीं हैं।

इलाहाबाद में खराब टेलीफोन

986. **श्री जंग बहादुर सिंह पटेल :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलाहाबाद में कितने टेलीफोन खराब पड़े हैं;

(ख) उन्हें चालू करने में हो रहे अत्यधिक विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) इलाहाबाद में नए टेलीफोन कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची में कितने व्यक्ति हैं;

(घ) उन्हें कब तक नए कनेक्शन दे दिए जायेंगे;

(ङ) इलाहाबाद के लिए पिछली बार टेलीफोन डायरेक्टरी कब जारी की गई थी तथा नई डायरेक्टरी कब जारी की जायेगी; और

(च) इलाहाबाद में टेलीफोन सेवा को दुरुस्त करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) 21.2.97 की स्थिति के अनुसार 604।

(ख) 15 दिनों से अधिक समय तक लंबित रहने वाला कोई भी मामला नहीं है। कुछेक मामले ऐसे हैं जो केबलों की चोरी, केबलों में उत्पन्न विभिन्न एवं छिटपुट खराबियों के कारण एक सप्ताह से अधिक समय से लम्बित हैं। इन्हें तत्परता से ठीक किया जा रहा है।

(ग) 31.1.1997 की स्थिति के अनुसार 5556।

(घ) 31.1.1997 की स्थिति के अनुसार, भाग (ग) में दी गई प्रतीक्षा सूची का मार्च, 1998 तक निपटान कर देने की संभावना है।

(ङ) पिछली टेलीफोन डायरेक्टरी अप्रैल, 1995 में जारी की गई थी। नई डायरेक्टरी का मुद्रण-कार्य चल रहा है और इसे मार्च, 1997 तक उपभोक्ताओं को जारी कर दिए जाने की संभावना है।

(च) इलाहाबाद में टेलीफोन सेवाओं में सुधार करने के लिए निम्नलिखित उपचारात्मक उपाय किए गए हैं:—

(1) दोष मरम्मत सेवा का कम्प्यूटरीकरण।

(2) सिरोपरि संरेखणों (ओवरहैड अलाइनमेंट) के स्थान पर भूमिगत केबल लगाना।

(3) लोहे की खुली वायरों के स्थान पर इन्सुलेटेड वायरों/ड्राप वायरों का प्रयोग।

(4) स्थानीय लूप में केबल कन्डक्टरों की लम्बाई कम करने के लिए आरएलयू (दूरस्थ लाइन यूनिट) एक्सचेंज खोले जा रहे हैं।

(5) ग्रामीण एक्सचेंजों का उच्चतर क्षमता के डिजिटल एक्सचेंजों के रूप में दर्जा बढ़ाया जा रहा है।

(6) दोषों में और कमी लाने एवं सेवाओं में सुधार लाने के लिए, बाह्य संयंत्र के उन्नयन का कार्यक्रम शुरू किया जा चुका है।

भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में कमियां

987. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरुवनन्तपुरम में 10 जनवरी, 1997 को हुए 28 वें भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में कुछ कमियां देखने को मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस वर्ष भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में पिछले वर्ष की तुलना में बहुत कम भारतीय फिल्में दिखाई गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी•एम• इब्राहीम) : (क) और (ख) तिरुवनन्तपुरम में आयोजित 28वें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान कोई गंभीर कमी देखने में नहीं आई। समारोह में लगभग 47 देशों की फिल्मों को शामिल किया गया तथा एशिया, अफ्रीका तथा लेटिन अमेरिका की फिल्मों पर विशेष बल दिया गया।

(ग) और (घ) जी, हां। प्रत्येक वर्ष भारतीय पेनोरमा हेतु अधिकतम 21 फीचर तथा 21 गैर फीचर फिल्मों का चयन किया जा सकता है। चयन-पैनल द्वारा चयन किया जाता है जिसमें समग्र देश के प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होते हैं। चूंकि चयन-पैनल द्वारा गुणावगुण के आधार पर चयन किया जाता है अत: चयनित फिल्मों की संख्या हर वर्ष अलग-अलग होती है। इस वर्ष चयन-पैनल ने 14 फीचर फिल्मों तथा 16 गैर-फीचर फिल्मों को भारतीय पेनोरमा में शामिल किए जाने हेतु उपयुक्त पाया।

पेयजल की अपर्याप्त व्यवस्था

988. डा• प्रवीन चंद्र शर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि असम में न्यू बोंगइगांव, नालबाड़ी, बारपेटा रोड़, रांगिया और कोकराझार रेलवे स्टेशनों पर पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है जिसके परिणामस्वरूप यात्रियों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त रेलवे स्टेशनों पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) सभी स्टेशनों पर पीने के पानी की सुविधाएं संभाले जा रहे यात्री यातायात की मात्रा के अनुरूप से पहले ही मुहैया करा दी गई है।

आन्ध्र प्रदेश में उच्च प्रौद्योगिकी वाले रडार स्थापित करना

989. डा• टी• सुब्बारामी रेड्डी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के बंगमपेट हवाई अड्डे पर उच्च प्रौद्योगिकी वाले रडार लगाए गए थे;

(ख) यदि हां, तो इस रडार का मुख्य उद्देश्य क्या है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस रडार की स्थापना से सरकार विदेशी हवाई-जहाजों का पता लगाने की स्थिति में होगी;

(घ) क्या किसी अन्य हवाई अड्डे पर यह सुविधा प्रदान की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कब तक सभी हवाई-अड्डों पर ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी•एम• इब्राहीम) : (क) जी, हां। विमानपत्तन निगरानी राडार और गौण निगरानी राडार सितम्बर, 1995 में शुरू हो चुकी हैं।

(ख) और (ग) विमानपत्तन निगरानी राडार किसी भी ऐसे विमान का पता लगाएगा जो 60 नॉटीकल मील की चौतरफा दूरी के भीतर उड़ान भर रहा हो। गौण निगरानी राडार 250 नॉटीकल मील की चौतरफा दूरी तक ट्रांसपोंडर से सज्जित विमान का पता लगा सकता है।

(घ) और (ङ) विमानपत्तन निगरानी राडार/मोनोपल्स गौण निगरानी राडार सुविधाएं तिरुवनंतपुरम विमानपत्तन पर शुरू हो चुकी हैं। यह उपस्कर दिल्ली, गुवाहटी, कलकत्ता, मद्रास और मुम्बई विमानपत्तनों पर लगाया जा रहा है तथा मार्च, 1997 से अगस्त, 1997 के बीच शुरू हो जाएगा।

वर्द्धमान रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण

990. श्री बलाई चन्द्र राय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्धमान रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण तथा विस्तार पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) वर्धमान रेलवे स्टेशन पर यार्ड के ढांचे में परिवर्तन का कार्य, इंडोर और आउटडोर सिंगनलिंग गीयरों का बदलाव, यात्री आरक्षण प्रणाली का कंप्यूटरीकरण, बैटरी चार्जिंग सुविधाओं की व्यवस्था, विभिन्न प्लेटफार्मों पर शेडों का विस्तार/व्यवस्था, रोशनी में सुधार, अतिरिक्त नलकूप की व्यवस्था तथा गाड़ी संसूचक बोर्ड की व्यवस्था शुरू कर दी गई है।

रेल फाटकों पर उपरि पुल का निर्माण

991. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि केरल के कन्नानोर जिले के मुल्लीप्पीलानगड़, नाडाल और चोव्वा में राष्ट्रीय

राजमार्ग 17 पर स्थित रेल फाटक सड़क परिवहन हेतु बाधाएं पैदा करते हैं जिससे यात्रियों को विलम्ब और उनके समय की बर्बादी होती है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त रेल फाटकों पर उपरि पुलों के निर्माण हेतु रेलवे ने क्या कदम उठाये हैं;

(ग) क्या उपर्युक्त रेल फाटकों पर उपरि पुलों के निर्माण हेतु केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) केरल राज्य सरकार को कहा गया है कि वे वर्तमान नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित प्रस्ताव प्रायोजित करें जिसकी अभी प्रतीक्षा है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

प्रसार भारती विधेयक

992. **श्री विजय गोयल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूरदर्शन के कार्यकरण को कारगर बनाने के लिए प्रसारण प्राधिकरण की स्थापना करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने प्रसार भारती विधेयक के लिए गठित विशेषज्ञ दल की सिफारिशों पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों/राज्य सरकारों के साथ चर्चा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) जी, हां। सेनगुप्ता समिति द्वारा की गयी सिफारिशों पर विभिन्न राजनैतिक दलों के विचार जानने के लिए दिनांक 13 सितम्बर, 96 को एक बैठक की गयी। सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को एक प्रश्नावली भी भेजी गयी थी। रिपोर्ट परिचालित भी की गयी थी तथा 28 एवं 29 अक्तूबर, 1996 को हुए राज्य सूचना मंत्रियों के सम्मेलन में चर्चा की गयी थी।

इन बातों को ध्यान में रखते हुए संसद में एक संशोधित विधेयक शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा।

पश्चिम बंगाल में कंप्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र

993. **श्री महबूब जहेदी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल के कलना, कटवा, सुरी, रामपुरहाट, सीतारामपुर, बराकर, बैरकपुर, राणाघाट, श्रीरामपुर, मिदनापुर, उलुबड़िया तथा न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशनों में कंप्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र खोलने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त केन्द्रों के कब तक खोले जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) बैरकपुर स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधाओं की व्यवस्था को वर्ष 1997-98 के बजट में शामिल कर लिया गया है। अन्य स्थानों पर आरक्षण कार्यभार प्रतिदिन के लेन-देन से संबंधित आरक्षण के मानदंडों की तुलना में कम है तथा इस समय इन सुविधाओं की व्यवस्था करने का औचित्य नहीं बनता है। जब कभी आरक्षण कार्यभार में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि होगी, अन्य स्थानों पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा को शुरू करने पर विचार किया जाएगा।

हावड़ा स्टेशन पर "ट्रेन डिस्क्राइबर सिस्टम" का लगाया जाना

994. **डा॰ असीम बाला** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा स्टेशन पर ट्रेन नियंत्रण में सुधार तथा गाड़ियों की संख्या को देखते हुए उत्पादकता में वृद्धि करने हेतु "ट्रेन डिस्क्राइबर सिस्टम" लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस समय हावड़ा में प्रणाली स्थापित करना लागत-किफायती नहीं समझा जाता है।

उड़ीसा में टी॰वी॰ स्टूडियो/उच्च क्षमता वाले ट्रांसमीटर

995. **श्री भक्त चरण दास** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के विशेषकर भवानीपटना, जिला कालाहांडी में टी॰वी॰ स्टूडियो के निर्माण तथा उच्च क्षमता वाले टी॰वी॰ ट्रांसमीटर

से ट्रांसमीशन करने की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) कार्य की धीमी प्रगति के क्या कारण हैं;

(ग) क्या राज्य सरकार को तथा राज्य के संसद सदस्यों को इस बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी•एम• इब्राहीम) : (क) और (ख) हालांकि भवानीपटना स्थित उच्च शक्ति टी•वी• ट्रांसमीटर जनवरी, 1992 से परिचालन में हैं तथापि, भवानीपटना स्थित स्टूडियो परियोजनाओं तथा सम्बलपुर (स्थायी सेट अप) और सम्बलपुर तथा बालेश्वर स्थित उच्च शक्ति ट्रांसमीटर परियोजनाओं से संबंधित सिविल निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा इनको 1998 के दौरान पूरा किए जाने का लक्ष्य है बशर्ते उपकरण तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं की आपूर्ति समय से हो।

(ग) से (ङ) हालांकि इस संबंध में राज्य सरकार तथा संसद सदस्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं तथापि, दूरदर्शन सभी परियोजनाओं को यथासंभव निर्धारित समय में पूरा करने के लिए प्रयासरत है।

क्षिप्रा एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाना

996. श्री तरित बरण तोपदार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भोपाल, इंदौर तथा कलकत्ता के लोगों ने क्षिप्रा एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाने और उसके साथ पेन्ट्री कार तथा वातानुकूलित 3-टियर कोच लगाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इन मांगों को पूरा करने के लिए रेक को एयर ब्रेक में बदलने पर भी विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) और (ख) जी हां। इस संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) से (ङ) क्षिप्रा एक्सप्रेस सप्ताह में तीन दिन चल रही है तथा शेष चार दिन हावड़ा-आगरा/ग्वालियर चम्बल एक्सप्रेस चल रही है। बारम्बारता में वृद्धि करने तथा वातानुकूलित 3 टियर शयनयान के साथ वात ब्रेक की व्यवस्था करने पर विचार किया गया है परन्तु अतिरिक्त लाइन क्षमता टर्मिनल सुविधा और सवारी डिब्बा की कमी के कारण इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया है। इस गाड़ी में पेन्ट्री कार की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है।

घरेलू और विदेशी यात्री

997. श्री ए• सम्पथ : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान घरेलू और विदेशी यात्रियों की कुल संख्या क्या रही तथा उनसे विमानपत्तन-वार कितना राजस्व प्राप्त हुआ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी•एम• इब्राहीम) : विमान यात्रियों (अंतर्देशीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही) की कुल संख्या जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय हवाई अड्डों का उपयोग किया, निम्न प्रकार है :—

1993-94	3.25 करोड़
1994-95	3.57 करोड़
1995-96	3.70 करोड़

यात्री सेवा शुल्क को छोड़कर, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को यात्रियों से कोई प्रत्यक्ष राजस्व नहीं मिल पाता। यात्री सेवा शुल्क का हवाई अड्डा-वार विवरण नहीं रखा जाता है।

केरल में नेदूमबसेवेरी में अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन

998. श्री टी• गोविन्दन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा नेदूमबसेवेरी में अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन स्थापित करने के लिए केरल सरकार के सुझाव पर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कोई कार्यवाही की गई है कि केरल सरकार इस उद्देश्य हेतु सभी आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करने को तैयार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी•एम• इब्राहीम) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने केरल राज्य सरकार को निजी भागीदारिता के साथ कोचीन के समीप नेदूमबसेवेरी में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के एक नये हवाई अड्डे को विकसित करने हेतु मंजूरी दे दी है। इस प्रयोजनार्थ गठित मै• कोचीन इंटरनेशनल एक्सपोर्ट लिमिटेड कंपनी ने पहले ही निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया है।

मध्य प्रदेश के देवभोग में हीरा

999. श्री सुशील चन्द्र : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण ने मध्य प्रदेश के देवभोग क्षेत्र में खुदाई किए जाने पर वहां हीरे उपलब्ध होने के बारे में बताया है;

(ख) यदि हां, तो किए गए सर्वेक्षण और इसके निष्कर्ष का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में किसी व्यक्ति को पहले ही लाइसेंस दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य) : (क) और (ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने मध्य प्रदेश के देवभोग क्षेत्र में सर्वेक्षण किया है और पांच किम्बरलाइट पाइपों का पता लगाया है जो हीरे की स्रोत शैल है।

(ग) मध्य प्रदेश में सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में किसी भी पार्टी को पूर्वेक्षण लाइसेंस नहीं दिया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दूरसंचार क्षेत्र में उपस्कर की कमी

1000. **श्री अमर रायप्रधान** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य महाप्रबंधक, पश्चिम बंगाल दूरसंचार सर्किल, कलकत्ता को वर्ष 1996 के दौरान विभिन्न एसोसिएशनों से दूरसंचार के स्टोर में उपस्करों की भारी कमी के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) मुख्य महाप्रबंधक, पश्चिम बंगाल दूरसंचार सर्किल से तीन शिकायतें प्राप्त हुई थीं। मुख्य महाप्रबंधक ने भंडारों के प्रापण के संबंध में मुख्य महाप्रबंधक, दूरसंचार भंडार, कलकत्ता के साथ तत्परता से बातचीत की जिसके परिणामस्वरूप दूरसंचार भंडारों की स्थिति में सुधार हुआ है।

[हिन्दी]

दोहरी रेल लाइन का निर्माण

1001. **श्री चिन्तामन वानगा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बसई तथा दीवा के बीच दोहरी रेलवे लाइन के निर्माण का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निर्माण कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हा।

(ख) और (ग) 42 कि·मी· में से 20 किमी· में कार्य पहले से चल रहा है। 7 जोनों में मिट्टी संबंधी कार्य और पुल के लिए ठेके दिए गए थे। परियोजना को 1998-99 में पूरा करने का लक्ष्य है।

[अनुवाद]

रेल परियोजनाएं

1002. **श्री मुख्तार अनीस** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी रेल परियोजनाओं का वास्तविक/अनुमानित लागत और संबंध तारीखों सहित ब्यौरा क्या है, जिनका उद्घाटन अथवा शिलान्यास 1अप्रैल, 1996 के बाद किया गया है;

(ख) उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां 1 अप्रैल, 1996 के बाद कोई भी नई रेल परियोजना शुरू नहीं की गई है; और

(ग) इन राज्यों के लिए यदि कोई विचाराधीन परियोजनाएं हैं, तो उनका संक्षिप्त ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कर्नाटक के रेलवे स्टेशनों पर सुविधाओं में सुधार

1003. **श्री अनंत कुमार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा कर्नाटक के बंगलौर, मंगलौर, हुबली धारवाड़, मैसूर, तुमकूर, शिमोगा तथा हासन रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं में सुधार लाये जाने का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) यात्री सुविधाओं की व्यवस्था में सुधार करना एक सतत प्रक्रिया है और ऐसा स्टेशनों पर यात्री यातायात की मात्रा में वृद्धि होने से अपेक्षित होने पर किया जाता है जो संसाधनों उपलब्धता पर निर्भर करता है। तदनुसार बेंगलूरू सिटी में, प्लेटफार्मों पर विभिन्न सुधार संबंधी कार्य; ऊपरी पैदल पुल के लिए सीढ़ियों की व्यवस्था, और प्लेटफार्म लाइनों पर धुलनीय एप्रेन; मंगलोर में स्टेशन इमारत का सुधार और पानी की आपूर्ति में वृद्धि; मैसूर में प्लेटफार्म सायबानों का विस्तार और सतह बिछाना, अतिरिक्त प्रतीक्षालय सुविधाओं सहित स्टेशन का सौन्दर्यीकरण, परिचलन क्षेत्र का सुधार और प्लेटफार्म सं· 3 से 5 पर जलशीतकों और सवारी डिब्बों में पानी भरने की व्यवस्था; तुमकूर में ऊपरी पैदल पुल की व्यवस्था; हसन में स्टेशन इमारत में सुधार और प्लेटफार्मों पर सायबान का विस्तार संबंधी कार्य शुरू कर दिए हैं। अन्य स्टेशनों पर कोई कार्य नहीं चल रहा है।

रेलवे स्टेशन की स्थापना

1004. **डा॰ अरविन्द शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर रेलवे के रोहतक और गोहाना लाइन के बीच पड़ने वाले ठसका गांव में रेलवे स्टेशन का निर्माण किये जाने हेतु भारी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

इस्पात की सप्लाई

1005. **श्री सौम्य रंजन** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार इस्पात वितरण नीति की समीक्षा करने तथा घरेलू उपभोक्ताओं को इस्पात की सप्लाई का विकेन्द्रीकरण करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) इस्पात संबंधी वितरण नीति की समीक्षा करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। मौजूदा नीति के अनुसार इस्पात की सप्लाई नियंत्रण-मुक्त है। तथापि रक्षा, रेलवे, लघु उद्योगों, इंजीनियरी माल के निर्यातकों और पूर्वोत्तर क्षेत्र की आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाता है।

(ख) उपरोक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गुजरात में टेलीफोन कनेक्शन

1006. **श्री जयसिंह चौहान** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान अब तक जिला-वार कितने टेलीफोन कनेक्शन दिए गए;

(ख) दिसम्बर, 1996 तक जिला-वार कितने आवेदक प्रतीक्षा सूची में थे; और

(ग) इन प्रतीक्षा सूचियों को जिला-वार और स्थान-वार कब तक समाप्त कर दिया जाएगा?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) गुजरात में सभी जिलों एवं स्थानों को 31.12.96 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची का, तकनीकी रूप से अव्यवहार्य क्षेत्रों को छोड़कर मार्च, 1999 तक क्रमिक रूप से निपटान कर दिया जाएगा।

विवरण

क्र॰सं॰	जिले का नाम	निम्नलिखित अवधि के दौरान प्रदान किए किए गए टेलीफोन कनेक्शन			प्रतीक्षा सूची (31.12.96 की स्थिति के अनुसार)
		1994-95	1995-96	1996-97 (31.1.97 के अनुसार)	
1	2	3	4	5	6
1.	अहमदाबाद	18919	33279	16369	51090
2.	अमरेली	1747	2369	1197	6261
3.	बानसकांथा पीएनटी	2769	4298	2381	9245
4.	बड़ौदा	16000	19654	10987	33911
5.	भरूच	2510	5711	5616	9664
6.	भावनगर	4615	3549	2067	20242
7.	भुज	4368	2905	5099	14989
8.	गांधीनगर	4741	2891	587	3911

1	2	3	4	5	6
9.	पंचमहल	3300	2725	2371	6049
10.	जामनगर	4826	3504	2564	8155
11.	जूनागढ़	3686	1720	3873	15914
12.	राजकोट	9390	11070	8001	18379
13.	साबरकांता	2842	2786	1773	11360
14.	सूरत	20001	15114	14648	30141
15.	सुरेन्द्रनगर	2382	1802	2192	4088
16.	मेहसाना	8228	8021	5685	19805
17.	खेडा	4023	4121	2567	12800
18.	वल्साद	7303	8109	4349	15395
19.	डेंग आहवा	52	101	129	96
20.	संघ शासित क्षेत्र (दीव, दमन एवं दादर नगर हवेली)	805	1105	632	3264
		122507	134832	93187	294759

[अनुवाद]

खाड़ी देशों के लिए उड़ान

1007. डा॰ कृपासिंधु भोई :
श्री महेन्द्र सिंह भाटी :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कुछ खाड़ी तथा मध्य-एशिया देशों की नई उड़ानें शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा सहित उन देशों के नाम क्या हैं जिनके लिए ये उड़ानें शुरू किए जाने का विचार है; और

(ग) उपर्युक्त नई उड़ानों को कब तक शुरू किए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) से (ग) एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस ने वर्ष 1996-97 की अवधि में खाड़ी सेक्टर में 11 नयी उड़ानें आरंभ की हैं। खाड़ी देशों के लिए उड़ानों में और अधिक संवर्धन मार्किट आवश्यकताओं पर निर्भर करता है, जिसकी एयरलाइनों द्वारा यातायात सर्वेक्षण के माध्यम से निरन्तर मॉनीटरिंग की जाती है। एअर इंडिया/इंडियन एयरलाइंस से ताशकन्द तथा अल्माटि के लिए सीधी विमान सेवा आरंभ करने की व्यवहार्यता पर विचार करने के लिए यातायात सर्वेक्षण करने को भी कहा गया है।

नई विमानन नीति

1008. श्री बनवारी लाल पुरोहित :
श्री प्रमोद महाजन :
श्री बची सिंह रावत "बचदा" :
श्री प्रदीप भट्टाचार्य :
श्री संतोष मोहन देव :
श्री के॰पी॰ सिंह देव :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में नई विमानन नीति को मंजूर किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या-क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में विदेशी तथा निजी क्षेत्र की नई कंपनियों को चलाये जाने की अनुमति प्रदान करने का भी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इससे घरेलू विमान कंपनियों पर प्रतिकूल असर पड़ने की संभावना है;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्यात्मक स्थिति क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इससे अंतर्देशीय तथा विदेशी यात्रियों के लिए वायुयान सुविधाओं में कितना सुधार होगा?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी•एम• इब्राहीम) : (क) और (ख) हाल ही में अनुमोदित अंतर्देशीय विमान परिवहन सेवा से संबंधित नीति विषयक मुख्य-मुख्य बातें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) से (छ) अंतर्देशीय विमान परिवहन सेवा क्षेत्र में विदेशी इक्विटी और अनिवासी भारतीय इक्विटी भागीदारी संबंधी अनुमति देने के लिए पद्धतियां बनाई जा रही हैं।

विवरण

अंतर्देशीय विमान परिवहन सेवाओं के लिए हाल ही में अनुमोदित नीतिगत ढांचे की मुख्य-मुख्य बातें निम्नांकित हैं:—

1. इस सेक्टर में प्रवेश तथा निर्गम संबंधी रूकावटें हटा दी जानी चाहिए। आवेदन-पत्रों की केवल प्रवेश-पूर्व छानबीन की जानी चाहिए जिससे आवेदक द्वारा किए जाने वाली प्रस्तावित वित्तीय क्षमता, रख-रखाव, प्रचालनों की सुरक्षा तथा संरक्षा संबंधी पहलुओं और मानव संसाधन विकास की तस्दीक की जा सके।
2. विमानों के प्रकार और आकार का विकल्प प्रचालक पर छोड़ दिया जाना चाहिए।
3. जो उद्यमी अधिक गंभीर नहीं हैं, उनको निकालने के लिए तथा उत्पाद स्तर की बचतों को प्राप्त करने के लिए, किसी भी अनुसूचित प्रचालक के लिए न्यूनतम विमान बेड़े की संख्या मौजूद तीन (3) विमानों से बढ़ाकर पांच (5) विमान की जानी चाहिए तथा 40,000 किलोग्राम से कम के समूचे भार वाले विमानों के लिए शेयरधारकों की निधि की न्यूनतम राशि मौजूदा 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए और 40,000 किलोग्राम से अधिक समूचे भार के विमानों के लिए 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 30 करोड़ रुपए की जानी चाहिए।
4. विमान परिवहन सेक्टर में कुल क्षमता के नियोजन की मात्रा यातायात की संवृद्धि के रूख के आधार पर, पूर्व निर्धारित की जानी चाहिए और प्रक्षेपण वार्षिक आधार पर कम से कम पांच वर्षों की अवधि के लिए किया जाना चाहिए। इस सूचना का व्यापक रूप से प्रचार किया जाना चाहिए ताकि उद्यमी निवेश संबंधी निर्णय ले सकें।
5. नियोजन के लिए इस पूर्व निर्धारित क्षमता के वितरण में इंडियन एयरलाइंस को, प्रति वर्ष पैदा होने वाली अतिरिक्त क्षमता की भागीदारी को पूरा करने के लिए उसके बेड़े में वृद्धि करने की योजना के अनुसार तो तरजीह दी जाएगी बशर्ते उसमें ऐसा कर सकने की सामर्थ्य हो, परन्तु निजी प्रचालकों द्वारा क्षमता नियोजन के संबंध में कोई-पूर्व निर्धारित पाबंदी नहीं होगी।
6. मार्ग वितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की वर्तमान नीति को बनाये रखा जाये और उसे दृढ़तापूर्वक लागू किया जाये। इन मार्गदर्शी-सिद्धांतों के अनुसार, सभी अनुसूचित प्रचालकों के लिए निर्दिष्ट ट्रंक मार्गों पर उनके द्वारा नियोजित अपनी क्षमता का 10 प्रतिशत नियोजन पूर्वोत्तर, जम्मू तथा कश्मीर, अण्डमान निकोबार द्वीप-समूह तथा लक्षद्वीप में किया जाना अपेक्षित है।

विदेशी तथा भारतीय बैंकों से इंडियन एयरलाइंस तथा एयर इंडिया को ऋण

1009. श्री प्रमोद महाजन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान इंडियन एयरलाइंस तथा एयर इंडिया की देनदारियों सहित उनकी वित्तीय स्थिति क्या है;

(ख) 1994, 1995 तथा 1996 के दौरान भारतीय तथा विदेशी बैंकों से इंडियन एयरलाइंस तथा एयर इंडिया द्वारा लिए गए ऋण का ब्यौरा क्या है तथा चालू वर्ष के दौरान अपनी कार्य पूंजी की आवश्यकता के लिए कितने ऋण मांगे जाने का विचार है; और

(ग) इंडियन एयरलाइंस तथा एयर इंडिया की वित्तीय स्थिति में सुधार हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी•एम• इब्राहीम) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

(ग) इंडियन एयरलाइंस तथा एयर इंडिया और अधिक यात्रियों को आकर्षित करने के लिए अपने उत्पाद, छवि और समयबद्ध कार्यनिष्पादन में सुधार तथा राजस्व में वृद्धि के लिए कदम उठा रही हैं।

विवरण

(क) एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार है :—

(करोड़ रुपयों में)

	एयर इंडिया लिमिटेड			इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड		
	1993-94	1994-95	1995-96	1993-94	1994-95	1995-96
	1	2	3	4	5	6
पूंजी	79.47	153.84	153.84	55.15	55.15	105.19
संचय तथा अधिशेष	1230.54	1281.57	980.67	584.48	607.07	526.56

	1	2	3	4	5	6
रक्षित तथा अ-रक्षित ऋण	2845.19	2612.64	2612.95	2643.09	2928.55	2759.90
निर्धारित परिसम्पत्तियां	2946.83	3100.14	3408.36	3907.28	4593.23	4776.67
चालू परिसम्पत्ति, ऋण तथा अग्रिम	2194.24	2189.30	1854.62	1003.57	860.41	893.26
चालू देयताएं	1072.42	1424.00	1651.27	849.34	1059.67	1257.54
शुद्ध मूल्य	1310.01	1435.41	1134.51	276.27	111.41	25.01
लाभ/(हानि)	201.90	40.80	(271.84)	(258.46)	(188.73)	(109.98)

(ख) एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस द्वारा उधार लिये गये/लिए जाने की योजना वाले कार्य पूंजी ऋण का विवरण निम्न प्रकार है:—

एयर इंडिया लिमिटेड

वर्ष	ऋण की राशि	से
1993-94	शून्य	
1994-95	शून्य	
1995-96	शून्य	
1996-97	22.939 मिलियन अमरीकी डॉलर	बायर्स क्रेडिट फेसिलिटि
	200 करोड़ रुपए	भारतीय बैंक से रुपए ऋण

इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड

वर्ष	ऋण की राशि	से
1993-94	शून्य	
1994-95	शून्य	
1995-96	15 मिलियन अमरीकी डॉलर	इंडियन ओवरसीज बैंक, हांगकांग
1996-97 (प्रस्तावित)	15 मिलियन अमरीकी डॉलर	बैंक ऑफ इंडिया, हांगकांग
	3 मिलियन अमरीकी डॉलर	ए॰एन॰जेड॰ बैंक

[हिन्दी]

कलकत्ता, रांची और पटना के बीच विमान सेवा

1010. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कलकत्ता, रांची और पटना के बीच सप्ताह में तीन दिन चल रही विमान सेवा को प्रतिदिन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) से (ग) इंडियन एयरलाइन्स की कलकत्ता-रांची और पटना के बीच हफ्ते में तीन बार की सेवाओं को बढ़ाकर दैनिक करने की कोई योजना नहीं है क्योंकि वर्तमान प्रचालन आवृत्ति इस सैक्टर में मौजूदा यातायात संबंधी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। तथापि, कलकत्ता और पटना, इंडियन एयरलाइन्स/एलाइंस एयर द्वारा सप्ताह में 6 दिनों के लिए विमान सेवा से जुड़े हुए हैं।

इसके अलावा, एक नई विमान कम्पनी मैसर्स बंगाल सर्विसिज लिमिटेड का कलकत्ता और पटना के बीच दैनिक सेवा और कलकत्ता तथा रांची के बीच सप्ताह में 4 बार सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

गुजरात में आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्र

1011. **श्री गोरधन भाई जावीया :**
श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया :
श्री एन॰जे॰ राठवा :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात से टी॰वी॰ ट्रांसमीटरों/आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना, विस्तार, और उन्नयन हेतु 1996-97 के दौरान आज तक कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) अभी तक कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है और कितने प्रस्ताव लंबित हैं;

(ग) क्या सरकार को जूनागढ़ में एक एफ॰एम॰ रेडियो स्टेशन और उच्च शक्ति प्राप्त टी॰वी॰ ट्रांसमीटर की स्थापना हेतु भी अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) इन दोनों परियोजनाओं को कब तक शुरू किया जाएगा और कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) और (ख) आकाशवाणी/दूरदर्शन की स्थापना विस्तार तथा उन्नयन हेतु समय-समय पर विभिन्न क्षेत्रों से अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं। आकाशवाणी/दूरदर्शन परियोजनाओं को अंतिम रूप देते समय जो कि एक सतत् प्रक्रिया है, स्थान की उपयुक्तता, आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता, परिणामी कवरेज की सीमा तथा पारस्परिक प्राथमिकताओं जैसे अन्य तथ्यों के साथ-साथ ऐसे अनुरोधों को ध्यान में रखा जाता है।

(ग) से (ङ) जी, हां। हालांकि धनराशि की उपलब्धता तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं पर निर्भर करते हुए जूनागढ़ में उच्च शक्ति टी॰वी॰ ट्रांसमीटर स्थापित करने का विचार है तथापि, जूनागढ़ में फिलहाल एफ॰एम॰ रेडियो केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) स्कीम को मंजूरी मिलने के बाद ऐसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में 3-4 वर्ष का समय लग जाता है, जो अपेक्षित संसाधनों की उपलब्धता तथा पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

टेलीफोन किराया

1012. **श्रीमती केतकी देवी सिंह :**
कुमारी उमा भारती :
श्री पंकज चौधरी :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्विमासिक टेलीफोन किराया अथवा टेलीफोन कॉल की दर में वृद्धि करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

शक्ति नगर एक्सचेंज में खराबी ठीक करने की सुविधा

1013. **श्री मोहन रावले** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में शक्ति नगर स्थित टेलीफोन एक्सचेंज, जहां टेलीफोन की खराबियों से संबंधित शिकायतों पर कई दिनों तक ध्यान नहीं दिया जाता है, की खराबी ठीक करने संबंधी सेवा के कार्यकरण में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) क्या कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) दिल्ली में शक्ति नगर एक्सचेंज के दोष मरम्मत सेवा के कार्य को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:—

(1) दोष मरम्मत सेवा प्रणाली को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है।

(2) बुक किये गये दोषों की स्वतः जांच का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है।

(ख) टेलीफोन के दोषों की जांच करने में किसी अधिकारी द्वारा जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। तथापि, केबिल चोरी हो जाने पर तथा उनके ब्रेकडाउन हो जाने पर उनके सुधार में कुछ विलम्ब हो जाता है। दोष सुधार प्रक्रिया की निगरानी उच्च स्तर पर की जाती है।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

डाकघर में दुकानें

1014. **श्री मोहन रावले** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग ने डाकघर के परिसर में दुकानें खोलने के संबंध में कोई नीतिगत निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप सरकार को कुल कितनी वार्षिक आय होने की संभावना है;

(घ) अब तक कितनी दुकानें खोली गई हैं तथा ये किन-किन स्थानों पर हैं;

(ङ) क्या भविष्य में और ऐसी दुकानें खोले जाने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) इस स्कीम का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) सरकार को पहले ही खोली जा चुकी डाक दुकानों से लगभग 1654188 रु॰ की वार्षिक आय होगी।

(घ) अब तक 26 दुकानें खोली जा चुकी हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) और (च) विवरण-I में निरूपित मानदंडों की पूर्ति होने पर उत्तरोत्तर रूप से और डाक दुकानें खोली जा सकती हैं।

विवरण-I

डाक दुकान की योजना का ब्यौरा

1. डाक दुकानें विभागीय भवनों में कार्य कर रहे उन डाकघरों में खोली जा सकती हैं जहां पर्याप्त स्थान उपलब्ध होता है।
2. सर्वसाधारण से ऐसी डाक दुकानें खोलने के लिए प्रस्ताव/निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। इनकी जांच एक समिति करती है जिसमें मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, सर्किल आंतरिक वित्त सलाहकार और अधीक्षक अभियंता (सिविल) शामिल होते हैं।
3. सभी शर्तें समान होने पर डाक दुकान खोलने के लिए, जहां तक प्रस्तुत किए गए रिम्युनरेशन का संबंध है, अधिकतम बोली मंजूर की जाती है। डाक दुकान चलाने के लिए किसी काउंटर आदि की स्थापना का व्यय उसी आवेदक को वहन करना होगा, जिसका चयन हुआ हो।
5. डाक दुकान डाकघर के कार्य घंटों के दौरान कार्य करती है।

विवरण-II

क्र॰सं॰	सर्किल	स्थान	डाक दुकानों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	वारंगल हैड पोस्ट आफिस	2
2.	असम	गुवाहाटी जीपीओ	1
3.	दिल्ली	संसद मार्ग हैड पोस्ट ऑफिस नई दिल्ली-110001	2
		सरोजिनी नगर हैड पोस्ट ऑफिस नई दिल्ली-110023	2
		इन्द्र प्रस्थ हैड पोस्ट ऑफिस नई दिल्ली-110002	2
		करोल बाग, नई दिल्ली-110005	1
		दिल्ली जीपीओ, दिल्ली-110006	1
		चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110024	1
		ईस्टर्न कोर्ट, नई दिल्ली-110001	1
		गोल्फ लिंक्स डाकघर, नई दिल्ली-3	1
		लोदी रोड, हैड ऑफिस नई दिल्ली-3	1
		लाजपत नगर, नई दिल्ली-110024	1
		नई दिल्ली, जीपीओ नई दिल्ली-1	1
		कृष्णा नगर हैड ऑफिस, दिल्ली-51	1
		अशोक विहार हैड ऑफिस, दिल्ली-52	1
4.	कर्नाटक	बेंगलूर, जीपीओ	1
5.	महाराष्ट्र	आजाद नगर डाकघर	1
		माहिम हैड पोस्ट ऑफिस	1
		माटुंगा डाकघर	1
6.	तमिलनाडु	चेन्नई जीपीओ	1
		मदुरै हैड ऑफिस	1
		मदुरै पैलेस	1
	कुल		26

बोकारो और भिलाई इस्पात संयंत्र के ब्लास्ट फर्नेस को बन्द करना

1015. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने बोकारो और भिलाई इस्पात संयंत्रों के दो ब्लास्ट फर्नेस को बन्द कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) और (ख) बोकारो इस्पात संयंत्र में एक धमन भट्ठी बंद कर दी गई है और भिलाई इस्पात संयंत्र में एक अन्य फरवरी, 1997 में बंद की जानी है। इन धमन भट्ठियों में संयंत्रों का भारी मरम्मत आदि का कार्य किए जाने का प्रस्ताव है।

उधमपुर-जम्मू से कटरा-श्रीनगर तक रेलवे लाइन

1016. श्री मंगत राम शर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उधमपुर-जम्मू से कटरा-श्रीनगर तक रेल लाइन पूरी करने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्य के पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण हैं और इस संबंध में लागत में कितनी वृद्धि हुई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं। कटरा और श्रीनगर के रास्ते उधमपुर से बारामूला परियोजना को पूरा करने का अभी लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

महिला श्रमिकों की मजदूरी

1017. श्रीमती शीला गौतम : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश में महिला श्रमिकों की संख्या ज्ञात करने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार निष्कर्ष क्या है;

(ग) क्या महिला श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी दी जाती है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा उनके उत्थान तथा नियोजकों द्वारा उनके शोषण को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्री (श्री एम॰ अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) सर्वेक्षण के परिणामों को भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा संघीय प्राथमिक जनगणना सार, 1991 में प्रकाशित किया गया है। महिला कर्मकारों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

(ग) पुरुषों और महिलाओं को समान मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कानून अधिनियमित किये हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत विभिन्न रोजगारों में पुरुषों और महिलाओं के लिए समान न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करना विहित है। समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 में एक ही प्रतिष्ठान या रोजगार में और एक ही कार्य या एक समान प्रकृति के कार्य के लिए पुरुषों और महिलाओं के मध्य लिंग के आधार पर भेदभाव करना प्रतिषिद्ध करना है।

(घ) जब कभी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 या समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के उल्लंघन की कोई घटना सरकार की जानकारी में आती है तो स्थिति में सुधार लाने के लिए तुरन्त आवश्यक उपाय किये जाते हैं। प्रवर्तन क्रियाकलापों की आवधिक मॉनीटरिंग की जाती है। महिला श्रमिकों के उद्धार के लिए सरकार द्वारा भी अनेक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

विवरण

महिला श्रमिकों की राज्यवार संख्या (1991 जनगणना)

क्र॰सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सीमान्त कर्मकारों सहित कुल महिला कर्मकार
1	2	3
1.	भारत	89,767,563
1.	आन्ध्र प्रदेश	11,252,643
2.	अरुणाचल प्रदेश	149,789
3.	असम	2,324,535
4.	बिहार	6,116,974
5.	गोवा	117,977
6.	गुजरात	5,180,886
7.	हरियाणा	821,299
8.	हिमाचल प्रदेश	888,985
9.	कर्नाटक	6,472,816
10.	केरल	2,347,268
11.	मध्य प्रदेश	10,430,890
12.	महाराष्ट्र	12,617,454
13.	मणिपुर	350,34
14.	मेघालय	302,853
15.	मिजोरम	143,964
16.	नागालैंड	215,722
17.	उड़ीसा	3,241,901
18.	पंजाब	418,246
19.	राजस्थान	5,744,29
20.	सिक्किम	57,90
21.	तमिलनाडु	8,236,872
22.	त्रिपुरा	184,333
23.	उत्तर प्रदेश	8,019,310

1	2	3
24.	पश्चिम बंगाल	3,662,855
25.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	15,584
26.	चंडीगढ़	29,443
27.	दादर व नागर हवेली	32,94:
28.	दमन एवं दीव	1,584
29.	दिल्ली	314,076
30.	लक्षद्वीप	1,906
31.	पांडिचेरी	60,911

टिप्पणी : 1991 में जम्मू और कश्मीर में जनगणना आयोजित नहीं की गई थी।

[अनुवाद]

बोकारो इस्पात संयंत्र में बैटरियां और भट्टियां

1018. **प्रो॰ रीता वर्मा** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो इस्पात संयंत्र के कोक भट्टी संयंत्र में इस समय काम कर रही बैटरियों और भट्टियों की कुल संख्या क्या है;

(ख) इसके लिए प्रति-माह कितनी मात्रा में और किस ग्रेड के कोयले की आवश्यकता पड़ती है;

(ग) इससे एक वर्ष में उत्पादित हार्ड कोक की कुल मात्रा क्या है;

(घ) क्या भट्टी में रिसाव होने के कारण भट्टी गैस बेकार जाती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य) : (क) बोकारो इस्पात संयंत्र में कार्य रही बैटरियां और ओवनों की कुल संख्या क्रमशः 6 और 384 है।

(ख) उपरोक्त के साथ ओवन पुशिंग का वर्तमान स्तर 470/दिवस है। प्रति माह कोककर कोयले की अनुमानित आवश्यकता लगभग 3,16,000 टन है।

विभिन्न श्रेणियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

श्रेणी	मात्रा (अनुमानित)
उत्कृष्ट कोककर कोयला	63,000 टन
मध्यम कोककर कोयला	95,000 टन
कुल स्वदेशी कोयला	158,000 टन
आयातित कोयला	158,000 टन
कुल कोककर कोयला	316,000 टन

(ग) बोकरो इस्पात संयंत्र में 1995-96 के दौरान 2.189 एम॰टी॰ और अप्रैल, 1996 से जनवरी, 1997 के दौरान 2.048 एम॰टी॰ हार्ड कोक का उत्पादन हुआ।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपरोक्त (घ) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बंधुआ बाल मजदूर

1019. **श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कालीन उद्योग में बंधुआ बाल मजदूरों को लगाने की प्रथा चल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

श्रम मंत्री (श्री एम॰ अरुणाचलम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

डाक लिफाफे को बदले जाने संबंधी निर्णय

1020. **श्री अनन्त कुमार हेगड़े** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को डाक लिफाफे के डिजाईन में परिवर्तन किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषतायें क्या हैं;

(ग) क्या पर्यावरण मंत्रालय तथा अन्य एजेंसियों ने नये डिजाईन को अपनाये जाने की सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ङ) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) यह प्रस्ताव डाक विभाग में प्राप्त हुआ था तथा वित्त मंत्रालय को विचारार्थ भेज दिया गया है।

(ग) से (ङ) इस संबंध में आगे हुई प्रगति का पता लगाया जा रहा है।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अधीन खानें

1021. **श्री कचरु भाऊ राउत** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक राज्य में स्थान-वार राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अधीन खानों का ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य) : नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन के अधीन प्रत्येक राज्य में

खानों का स्थान-वार ब्यौरा निम्नानुसार है :—

	खान का नाम	स्थान-स्थिति
i.	**मध्य प्रदेश**	
(क)	बैलाडिला लोह अयस्क परियोजना निक्षेप सं॰ 14 और IIV सी	किरन्दुल, जिला-बस्तर
(ख)	बैलाडिला लौह अयस्क परियोजना निक्षेप सं॰ 5	बचेली, जिला-बस्तर
(ग)	बैलाडिला लौह अयस्क परियोजना निक्षेप सं॰ 10 और 11 ए (निर्माणाधीन)	बचेली, जिला-बस्तर
(घ)	मझगांव (हीरा) खान	मझगांव, जिला-पन्ना
ii.	**कर्नाटक**	
(क)	दौणिमलै लौह अयस्क परियोजना	दौणिमलै बस्ती, संदूर तालुक, जिला-बेल्लारी
(ख)	कुमारस्वामी लौह अयस्क खान	तालुक-संदूर, जिला बेल्लारी
iii.	**राजस्थान**	
(क)	चावंडिया लो सिलिका लाइमस्टोन परियोजना	जिला-नागौर
iv.	**हिमाचल प्रदेश**	
(क)	आर्की लो सिलिका लाइमस्टोन परियोजना (निर्माणाधीन)	आर्की, जिला-सोलन
v.	**जम्मू और कश्मीर**	
(क)	पैंथल मैग्नेसाइट परियोजना	पैंथल (कटरा के समीप) जिला-ऊधमपुर

ई॰एस॰आई॰ लाभ

1022. **श्री वी॰वी॰ राघवन :**
श्री के॰सी॰ कोंडय्या :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ प्रतिष्ठानों द्वारा अपने कर्मचारियों को ई॰एस॰आई॰ द्वारा दिए जाने वाली सुविधाओं की अपेक्षा बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का ऐसे प्रतिष्ठानों को ई॰एस॰आई॰ अधिनियम के क्षेत्राधिकार से बाहर रखने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (श्री एम॰ अरुणाचलम) : (क) से (ग) कर्मचारी राज्य बीमा योजना में एक वर्ष में 91 दिनों तक की अवधि के लिए अर्ध वेतन बीमारी छुट्टी प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। चिरकालिक बीमारी की दशा में दो वर्षों तक की अवधि के लिए 70 प्रतिशत वेतन पर बढ़ी हुई बीमारी छुट्टी भी प्रदान की जाती है। नौकरी में लगे रहने के दौरान लगी चोट के कारण हुई मृत्यु/अपंगता की दशा में योजना में मजदूरी के 70 प्रतिशत की दर से मासिक पेंशन की अदायगी की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त, कर्मचारी राज्य बीमा योजना में बीमित व्यक्तियों और उनके परिवारों के लिए पूर्ण चिकित्सा देखरेख और कतिपय अन्य लाभों की भी व्यवस्था की गई है। सामान्यतः कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन प्रदान किए गए लाभ कुल मिलाकर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अधीन शामिल किए जा सकने वाले विशिष्ट प्रतिष्ठान द्वारा देय लाभों में व्यापक और बेहतर है। तथापि, यदि कोई प्रतिष्ठान जो सदृश या बेहतर लाभ प्रदान कर रहा हो, इससे छूट प्राप्त करने का इच्छुक हो तो उस पर गुण-दोष के आधार पर समुचित सरकार द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम से परामर्श करके विचार किया जाता है।

चल स्टॉक का निर्यात

1023. **श्री अनंत गुढ़े** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चल स्टॉक के निर्यात का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी देशवार ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक कितना कार्यनिष्पादन किया गया है; और

(घ) चालू वर्ष तथा अगले पांच वर्षों के लिए निर्धारित लक्ष्यों तथा इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार की गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) इस संबंध में किए गए नियमित प्रयासों के परिणाम-स्वरूप अंतिम 3 वर्षों के दौरान निम्नलिखित चल स्टाक निर्यात किए गए :—

देश	इंजन	सवारी डिब्बे
बांग्लादेश	10 (मी॰ली॰)	–
वियतनाम	–	15 (मी॰ला॰)
श्रीलंका	2 (ब॰ला॰)	–
	5 (ब॰ला॰) (निष्पादनाधीन)	
नेपाल	4 (छो॰ला॰)	18 (छो॰ला॰)
तंजानिया	–	27 (मी॰ला॰) (निष्पादनाधीन)

(ग) भारत से निर्यातित चल स्टॉक का निष्पादन संतोषजनक रहा है, केवल बांग्लोदश को सप्लाई किए गए मी॰ला॰ डीजल रेल इंजनों पर कुछ प्रारंभिक कठिनाइयां थीं जिन्हें तत्काल राइट्स/डि॰पु॰का॰ द्वारा दूर कर दिया गया था।

(घ) भारतीय रेलवे ने चल स्टॉक निर्माण इकाइयों की स्थापना प्रमुख रूप से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की है। बहरहाल, मौजूदा क्षमता के अंतर्गत निर्यात आदेश दिए जाते हैं।

चूंकि निर्यात आदेशों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है और यह विदेशी रेलों के चल स्टॉक की आवश्यकता पर निर्भर करता है तथा भारतीय रेल अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के जरिए ठेके प्राप्त कर रही है। चल स्टॉक के निर्यात के लिए कोई लक्ष्य तय नहीं किए गए हैं।

[हिन्दी]

सम्भल–गजरौला मार्ग

1024. **श्री डी॰पी॰ यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सम्भल–गजरौला को रेल से जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ङ) 3.00 लाख रुपये की लागत पर सम्भल से गजरौला (50 कि॰मी॰) तक नई बड़ी लाइन के लिए सर्वेक्षण शुरू किया गया है।

[अनुवाद]

इन्दौर विमानपत्तन के विस्तार कार्य में अनियमितताएं

1025. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्दौर विमानपत्तन के विस्तार कार्य में हुई अनियमितताओं के संबंध में सरकार को कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) क्या निर्माणाधीन हवाई–पट्टी का कोई भाग टूट गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इन्दौर विमानपत्तन के हवाई–पट्टी की विस्तार योजना की समीक्षा की जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

बंगलादेश के लिये मालगाड़ी शुरू करना

1026. **श्री अजय मुखोपाध्याय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वी रेल के स्यालदाह मंडल में रानाघाट–गेडे लाइन से बंगलादेश तक व्यापक स्तर पर मालगाडियों की नियमित सेवाएं प्रारम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) पूर्व रेलवे के सियालदाह मंडल की राणाघाट–गेडे लाइन पर बंगलादेश तक नियमित मालगाड़ी सेवाएं पहले से मौजूद हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सुधार विधेयक

1027. **श्री उत्तम सिंह पवार** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिनांक 10 जनवरी, 1997 के "टाइम्स ऑफ इंडिया" में "वान्टेड, ए लेजिसलेशन टू कर्ब पोर्नोग्राफी

आन इन्टरनेट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार के अनुसार अमरीकी दूरसंचार सुधार विधेयक के पैटर्न पर कोई विधान बनाने का है, जिसके अंतर्गत इन्टरनेट पर पोर्नोग्राफी के ट्रांसमीशन में लिप्त लोगों को कड़ा दंड देने का प्रावधान हो;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक लागू कर दिया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) उपरोक्त भाग (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इंटरनेट अभिगम्यता भारत में एक नई सेवा है जहां इस सेवा का प्रयोग अधिकतर इंटरनेट के विभिन्न स्थलों से सूचना प्रदाता के बतौर सूचना संप्रेषित करने के स्थान पर सूचना प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय तार अधिनियम के अन्तर्गत भारतीय तार नियम, सार्वजनिक सुरक्षा तथा सार्वजनिक हित में किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त हैं।

डाक कर्मचारियों को आवास

1028. **श्री पी•एस• गढ़वी :**
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में जिला मुख्यालय में कार्यरत डाक कर्मचारियों को आवास प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या नीति है;

(ग) क्या गुजरात में कच्छ जिले के भुज जिला मुख्यालय में तैनात तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के डाक कर्मचारियों के लिए कोई आवास योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी श्रेणीवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) भुज में कार्यरत डाक कर्मचारियों को आवास कब तक प्रदान कर दिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) जहां आवश्यक होता है विभाग स्टाफ-क्वार्टरों का निर्माण करता है बशर्ते कि फंड, भूमि और अन्य संसाधन उपलब्ध रहें।

(ग) और (घ) भुज में डाक कर्मचारियों के लिए कोई आवासीय योजना नहीं है। केवल भुज डाकघर के पोस्टमास्टर को पोस्ट-अटैच्ड क्वार्टर दिया गया है।

(ङ) और (च) डाक कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का निर्माण फंड की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है।

अलाभकारी मार्गों पर इंडियन एयरलाइन्स की सेवा

1029. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है राष्ट्रीय एयरलाइन्स द्वारा अलाभकारी मार्गों पर सेवा प्रदान करने की सामाजिक जिम्मेदारी है;

(ख) यदि हां, तो इंडियन एयरलाइन्स तथा सहयोगी एयरलाइन्सों द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के किन-किन अलाभकारी मार्गों पर वायु सेवाएं प्रदान की जा रही हैं; और

(ग) सरकार के विचाराधीन ऐसे किसी अन्य प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी•एम• इब्राहीम) : (क) सरकार द्वारा जारी मार्ग वितरण संबंधी मार्गदर्शी-सिद्धान्तों के अनुसार सभी अनुसूचित प्रचालकों को उनके द्वारा ट्रंक मार्गों (श्रेणी-1 मार्ग) पर लगायी गई क्षमता का कम से कम 10 प्रतिशत पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह तथा लक्षद्वीप (श्रेणी-2 मार्ग) में लगाना अपेक्षित है। इस प्रकार श्रेणी-2 के मार्गों पर लगाई गई 10 प्रतिशत क्षमता विशेष रूप से श्रेणी-2 के भीतर ही प्रचालित की जानी है।

श्रेणी-1 के मार्गों पर लगाई गई क्षमता का 50 प्रतिशत श्रेणी-1 व 2 के अतिरिक्त अर्थात् श्रेणी-3 के मार्गों पर लगाई जानी है।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र से बाहर प्रचालित अलाभकारी अंतर्देशीय सेवाएं विवरण में सूचीबद्ध हैं।

(ग) कोई अन्य प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

विवरण

अप्रैल, 1996 से नवम्बर, 1996 तक की अवधि के लिए अनंतिम मार्ग अर्थशास्त्र के आधार पर इंडियन एयरलाइन्स द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के अलावा सेवित अलाभकारी अंतर्देशीय सेवाएं

क्र•सं•	सैक्टर
1	2
नकद लागत को पूरा न करने वाली सेवाएं	
1.	बंगलौर-कालीकट
2.	मुम्बई-हैदराबाद
3.	चेन्नई-मदुरै-कालीकट
4.	दिल्ली-लेह
5.	कालीकट-रांची-पटना-कालीकट
6.	दिल्ली-गोवा-कोचीन-त्रिवेन्द्रम
7.	दिल्ली-अमृतसर-श्रीनगर
8.	चेन्नई-मदुरै-कालीकट

1	2
9.	कालीकट-रांची-पटना-मुम्बई
10.	चेन्नई-कालीकट
11.	चेन्नई-बंगलौर-मंगलौर
12.	दिल्ली-जम्मू-लेह
13.	कलकत्ता-बंगलौर
14.	दिल्ली-वाराणसी
15.	श्रीनगर-लेह
16.	कोयम्बतूर-मुम्बई
17.	बंगलौर-कोचीन

नकद लागत को पूरा करने वाली किन्तु कुल लागत को पूरा न करने वाली सेवाएं

1.	कलकत्ता-भुवनेश्वर-नागपुर-हैदराबाद
2.	चेन्नई-कोयम्बतूर-कालीकट
3.	कलकत्ता-हैदराबाद
4.	दिल्ली-पटना-रांची-दिल्ली
5.	मुम्बई-त्रिवेन्द्रम
6.	दिल्ली-आगरा-खजुराहो-वाराणसी
7.	दिल्ली-वाराणसी-मुम्बई-दिल्ली
8.	दिल्ली-अहमदाबाद
9.	बंगलौर-हैदराबाद
10.	दिल्ली-जम्मू-लेह
11.	बंगलौर-हैदराबाद
12.	मुम्बई-हैदराबाद
13.	जयपुर-मुम्बई
14.	मुम्बई-बडोदरा
15.	चेन्नई-बंगलौर
16.	कलकत्ता-चेन्नई
17.	दिल्ली-लखनऊ-पटना-कालीकट
18.	मुम्बई-कोयम्बतूर-मदुरै-मुम्बई
19.	हैदराबाद-मुम्बई
20.	चेन्नई-मुम्बई
21.	कलकत्ता-बंगलौर
22.	दिल्ली-जम्मू-श्रीनगर
23.	मुम्बई-भावनगर
24.	चेन्नई-बंगलौर-पुणे
25.	चेन्नई-बंगलौर-कोयम्बतूर
26.	मुम्बई-वाराणसी-लखनऊ-मुम्बई
27.	दिल्ली-श्रीनगर
28.	चेन्नई-त्रिवेन्द्रम

1	2
29.	दिल्ली-लखनऊ
30.	चेन्नई-बंगलौर-गोवा
31.	दिल्ली-ग्वालियर-भोपाल-इन्दौर-मुम्बई
32.	दिल्ली-अहमदाबाद
33.	चेन्नई-हैदराबाद
34.	दिल्ली-लेह
35.	दिल्ली-लेह
36.	मुम्बई-दिल्ली
37.	कलकत्ता-जयपुर-अहमदाबाद-मुम्बई
38.	चेन्नई-बंगलौर-त्रिवेन्द्रम
39.	मुम्बई-चेन्नई
40.	दिल्ली-मुम्बई
41.	चेन्नई-पुट्टापार्थी-मुम्बई
42.	चेन्नई-कलकत्ता
43.	चेन्नई-विजाग-कलकत्ता
44.	दिल्ली-नागपुर-रायपुर
45.	मुम्बई-हैदराबाद
46.	बंगलौर-त्रिवेन्द्रम
47.	दिल्ली-जयपुर-उदयपुर-औरंगाबाद-मुम्बई
48.	दिल्ली-जयपुर-जोधपुर-उदयपुर-मुम्बई
49.	दिल्ली-भुवनेश्वर
50.	दिल्ली-जम्मू-श्रीनगर
51.	कलकत्ता-मुम्बई
52.	चेन्नई-हैदराबाद
53.	मुम्बई-कोयम्बतूर
54.	कलकत्ता-पोर्ट-ब्लेयर
55.	मुम्बई-जामनगर
56.	मुम्बई-चेन्नई
57.	चेन्नई-कोचीन
58.	चंड़ीगढ़-लेह
59.	मुम्बई-गोवा
60.	मुम्बई-भुज
61.	दिल्ली-भोपाल-इन्दौर-दिल्ली
62.	चेन्नई-हैदराबाद
63.	चेन्नई-तिरूपति-हैदराबाद
64.	मुम्बई-नागपुर
65.	चेन्नई-भुवनेश्वर-कलकत्ता
66.	हैदराबाद-मुम्बई
67.	मुम्बई-राजकोट

[हिन्दी]

इंडियन एयरलाइन्स/एयर इंडिया के लिए विमानों की खरीद

1030. श्री देवी बक्स सिंह :

डा॰ रमेश चन्द तोमर :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान इंडियन एयरलाइन्स/एयर इंडिया के लिए कितने विमान खरीदे गए और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं जिनसे उक्त विमान खरीदे गए और ऐसे प्रत्येक विमान का मूल्य कितना है;

(ग) क्या इन एयरलाइनों मे अब विमान की कमी पूरी कर ली गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइन्स ने वर्ष 1995-96 और वर्ष 1996-97 के दौरान कोई विमान नहीं खरीदा है।

एयर इंडिया ने वर्ष 1995-96 में अपने बेड़े में किसी विमान को शामिल नहीं किया। तथापि, वर्ष 1996-97 के दौरान लगभग अमरीकी डालर 131 मिलियन प्रति विमान की लागत पर बोइंग कामर्शीयल एयरप्लेन कम्पनी, यू॰एस॰ए॰ से दो बी 747-400 विमान खरीदे गए थे।

(ग) और (घ) एयर इंडिया विमानों की कमी का सामना कर रहा है। कमी को पूरा करने और बढ़ती हुई अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए कम्पनी ने वेटलीज पर विमान क्षमता प्राप्त की है।

[अनुवाद]

हैदराबाद में नया बना राजीव गांधी विमानपत्तन भवन

1031. श्री जी॰ए॰ चरण रेड्डी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद में नया बना राजीव गांधी विमानपत्तन भवन प्रचालन के लिए तैयार है;

(ख) यदि हां, तो यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय विमानों के संचालन के लिए यह कब से कार्य करना शुरू कर देगा;

(ग) यदि नहीं, तो नए विमानपत्तन को कब से शुरू कर दिये जाने की संभावना है; और

(घ) इसे अविलम्ब प्रचालित करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) नए विमानपत्तन टर्मिनल भवन के मार्च, 1997 में चालू किए जाने की संभावना है।

विदेशी सहायता से बौद्ध पर्यटक केन्द्रों का विकास

1032. श्री ललित उरांव : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार बिहार सरकार के माध्यम से उन बौद्ध पर्यटक स्थलों के विकास पर खर्च की गई राशि से संतुष्ट है जो विदेशी सहायता से विकसित किये जा रहे हैं;

(ख) यदि नहीं, तो क्या केन्द्र सरकार का इस संबंध में कोई निर्देश जारी करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) से (ग) दिनांक 31.1.1997 को विदेशी आर्थिक सहयोग कोष की ऋण सहायता द्वारा बिहार में बौद्ध परिपथ के साथ-साथ पर्यटक संरचना के विकास के लिए परियोजना की प्रगति 70 प्रतिशत है।

प्रगति की समीक्षा के लिए केन्द्र सरकार ने संचालन समिति की नियमित बैठकें आयोजित की हैं।

[हिन्दी]

बंधुआ श्रमिक

1033. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य विशेषकर आदिवासी, पिछड़े और पर्वतीय क्षेत्रों में बंधुआ श्रमिकों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ख) क्या उन्हें मुक्त कराने और उनका पुनर्वास करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) प्रत्येक राज्य, विशेषकर बिहार में अब तक मुक्त कराए गए/पुनर्वासित किए गए बंधुआ श्रमिकों की संख्या कितनी है;

(ङ) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य, विशेषकर बिहार में इस प्रयोजन के लिए कोई सहायता दी गई है;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में विशेषकर आदिवासी, पिछड़े क्षेत्रों के मामले में इसका ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं?

श्रम मंत्री (श्री एम॰ अरुणाचलम) : (क) से (घ) राज्य सरकारों ने 2,51,424 बंधुआ श्रमिकों की पहचान करने की सूचना दी

है जिनमें से बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत 2,30,915 बंधुआ श्रमिकों का पुनर्वास किया जा चुका है जिसके अंतर्गत 10,000/- रु॰ प्रति बंधुआ श्रमिक की अधिकतम सीमा तक पुनर्वास सहायता की परिकल्पना की गई है। यह व्यय केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा समान अनुपात (50:50) में वहन किया जाता है। पहचान किये गये/मुक्त करवाये गये और पुनर्वासित बंधुआ श्रमिकों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ङ) से (छ) बिहार सहित विभिन्न राज्यों को गत तीन वर्ष के दौरान जारी की गई निधि का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है। क्षेत्रवार विवरण नहीं रखा जाता है।

विवरण-I

बंधुआ श्रमिकों का राज्यवार विवरण

राज्य का नाम	बंधुआ श्रमिकों की संख्या	
	पहचान किये गये और मुक्त करवाये गये	पुनर्वासित
आन्ध्र प्रदेश	36,289	29,553
बिहार	12,986	12,270
कर्नाटक	62,708	55,231
मध्य प्रदेश	12,804	11,897
उड़ीसा	49,971	46,808
राजस्थान	7,478	6,217
तमिलनाडु	38,886	39,375
महाराष्ट्र	1,382	1,300
उत्तर प्रदेश	27,489	27,469
केरल	823	710
हरियाणा	544	21
गुजरात	64	64
कुल	2,51,424	2,30,915

विवरण-II

बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत जारी धनराशि

(लाख रुपये में)

राज्य	1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	101.41	31.25	79.37
बिहार	6.18	6.61	-
कर्नाटक	171.50	42.66	2.84
केरल	6.03	-	-
उड़ीसा	5.75	0.39	1.63
राजस्थान	1.69	3.28	5.70
तमिलनाडु	1.59	1.12	-
	294.15	85.31	89.54

बकाया टेलीफोन बिल

1034. **श्री कृष्ण लाल शर्मा :**

श्री रामसागर :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन टेलीफोन उपभोक्ताओं की राज्यवार संख्या कितनी है जिनके टेलीफोन बिल बकाया पड़े हैं;

(ख) जनवरी, 1997 तक उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की जाने वाली बकाया राशि कितनी थी;

(ग) क्या भूतपूर्व संसद सदस्यों के भी कोई बिल बकाया हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक भूतपूर्व संसद सदस्यों के विरूद्ध कितनी धनराशि बकाया है;

(ङ) क्या सरकार ने बकाया राशि की वसूली करने के लिए कोई व्यापक नीति तैयार की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) इकाइयों (यूनिटों) से, 31.1.97 तक की अपेक्षित सूचना मांगी गई है और इसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) जी हां।

(घ) सूचना सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) से (छ) बिल जारी करना एवं उनकी वसूली एक एतत् प्रक्रिया है और बकाया टेलीफोन बिलों की वसूली के लिए एक सुनिश्चित प्रक्रिया होती है। बिल संबंधी विवादों/न्यायालय मामलों के शीघ्र निपटान के प्रयास किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, पत्र-व्यवहार, व्यक्तिगत दौरे तथा कानूनी कार्रवाई करके भी वसूली संबंधी कार्रवाई की जाती है।

आमान परिवर्तन

1035. श्री ताराचन्द भगोरा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर-जैसलमेर-नागौर तथा बाड़मेर शहरों को किसी बड़ी लाइन से जोड़ने वाली कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो वे कौन-कौन से शहर हैं जहां बड़ी लाइन बिछाने का काम पहले चरण में शुरू किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) बीकानेर-नागौर-मेड़ता रोड, जोधपुर-जैसलमेर और मेडता रोड़-जयपुर-दिल्ली लाइनों का आमान परिवर्तन कार्य पूरा हो गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

असम में डाकघर

1036. डा॰ अरुण कुमार शर्मा :
डा॰ प्रवीन चन्द्र शर्मा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाकघर/ब्रांच पोस्ट आफिस खोलने हेतु असम से कितने प्रस्ताव/सिफारिशें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) असम में उन स्थानों के क्या नाम हैं जहां 1997-98 के दौरान नये डाकघर/ब्रांच पोस्ट आफिस स्थापित किये जाने का विचार है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान डाकघर/शाखा डाकघर खोलने के लिए असम डाक सर्किल से प्राप्त प्रस्तावों/सिफारिशों की संख्या इस प्रकार है :—

विभागीय उप डाकघर	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर
24	69

आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान अब तक असम सर्किल में 15 विभागीय उप डाकघर और 63 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर मंजूर किए जा चुके हैं।

(ख) डाकघर खोलने के लिए लक्ष्य वार्षिक योजनाओं के अंतर्गत सर्किलवार आबंटित किए जाते हैं और इन्हें वार्षिक आधार पर अंतिम रूप दिया जाता है।

नागर विमानन क्षेत्र में विदेशी निवेश

1037. डा॰ एम॰ जगन्नाथ :
श्री राम नाईक :
डा॰ मुरली मनोहर जोशी :
श्री चित्त बसु :
श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :
कुमारी उमा भारती :
श्री महेश कुमार एम॰ कनोडिया :
श्री पंकज चौधरी :
श्री आर॰ साम्बासिवा राव :
श्री मुनव्वर हसन :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने घरेलू नागर विमानन क्षेत्र में विदेशी निवेश और विदेशी एयरलाइनों/एयरपोर्ट कम्पनियों/निजी क्षेत्र को अनुमति दिए जाने से संबंधित नीति को अंतिम रूप दे दिया है अथवा इसे अंतिम रूप देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में किस सीमा तक विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है अथवा दिए जाने का विचार है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब लिए जाने की संभावना है; और

(घ) नागर विमानन क्षेत्र में आधारभूत परियोजनाओं इत्यादि में विदेशी निवेशकों के पूंजी निवेश को नियंत्रित करने के संबंध में उनके मंत्रालय द्वारा तैयार की गई और सरकार के विचाराधीन प्रारूप नीति का ब्यौरा क्या है तथा इस समय वह किस चरण में है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) से (घ) अंतर्देशीय विमान परिवहन सेवा सेक्टर में विदेशी इक्विटी तथा अनिवासी भारतीयों की इक्विटी में भागीदारिता की अनुमति देने संबंधी प्रकारताएं निसारणाधीन हैं।

हवाई अड्डा आधारभूत संरचना में गैर-सरकारी सेक्टर के निवेश संबंधी योजनाएं भी बनाई जा रही हैं।

अंतर्देशीय विमान परिवहन सेवा सेक्टरों में अनुमत विदेशी निवेश संबंधी ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गये हैं।

विवरण

वे कंपनियां जिनमें विदेशी/अनिवासी भारतीयों की इक्विटी की स्वीकृति दे दी गई है

क्र॰सं॰	कंपनी का नाम	विदेशी/अनिवासी भारतीयों की इक्विटी की प्रतिशतता	अभ्युक्तियां
1.	जेट एयरवेज (इंडिया) लि॰	20% विदेशी इक्विटी गल्फ एयर द्वारा 20% विदेशी इक्विटी कुवैत एयर द्वारा 60% एन आर आई इक्विटी	एक अनुसूचित निजी प्रचालक
2.	बंगाल एयर सर्विसेज लि॰	5% विदेशी इक्विटी मै॰ नेकान एयर, नेपाल द्वारा	अनुसूचित प्रचालन संबंधी अनापत्ति प्रमाण-पत्र धारक
3.	लुफ्थांसा कार्गो इंडिया प्रा॰लि॰	95% एन आर आई/ओसीबी इक्विटी (57% एन आर आई हिन्दुजा ग्रुप द्वारा) (36% लुफ्थांसा ए जी, जर्मनी द्वारा)	विमान कार्गो सेवा संबंधी अनापत्ति प्रमाण-पत्र धारक
4.	टी सी जी एविएशन प्रा॰लि॰	100% एन आर आई/ओसीबी इक्विटी टी सी जी एविएशन मॉरीशस द्वारा	विमान कार्गो सेवाओं के प्रचालन के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु आवेदक
5.	एल्बी एयरलाइन्स	55.84% एन आर आई/ओ सी बी सी एस एल बी एविएशन होल्डिंग (मॉरीशस) लि॰ द्वारा	एक गैर-अनुसूचित विमान कार्गो प्रचालक
6.	मोदीलुफ्त लि॰	जीडीआर के मार्फत 60.00 मिलियन अमेरीकी डालर का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जारी होता है।	पहले ही एक अनुसूचित निजी प्रचालक

ई॰एस॰आई॰ योजनाओं के अन्तर्गत निदान केन्द्र

1038. श्री एस॰डी॰एन॰आर॰ वाडियार : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में ई॰एस॰आई॰ योजना के अन्तर्गत बीमाकृत व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्यरत निदान केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या वेतन सीमा में वृद्धि होने के पश्चात कर्नाटक में और अधिक निदान केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मैसूर में भी नए निदान केन्द्र खोले जाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री एम॰ अरुणाचलम) : (क) से (ङ) कर्नाटक में 145 क॰रा॰बी॰ औषधालय, 7 क॰रा॰बी॰ अस्पताल और एक निदान केन्द्र हैं जहां क॰रा॰बी॰ योजना के अंतर्गत शामिल बीमित व्यक्तियों को ओ॰पी॰डी॰, इनडोर और विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इस समय राज्य में कोई नया निदान केन्द्र खोलने का कर्नाटक सरकार से कोई प्रस्ताव हमारे पास नहीं है।

[हिन्दी]

हिन्दी का प्रयोग

1039. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने आधुनिक मशीनें यथा कम्प्यूटर, टेलेक्स मशीन, टेलीप्रिंटर आदि लगाये हैं जो रोमन लिपि में हैं तथा इनको द्विभाषिक बनाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय द्वारा इन द्विभाषिक मशीनों को किस तरह प्रयोग में लाया जायेगा;

(ग) हिन्दी के प्रयोग को किस तरह बढ़ावा दिया जायेगा;

(घ) क्या मंत्रालय ने अपने "क" क्षेत्र में स्थित उन कार्यालयों को अंग्रेजी के प्रयोग से छूट दी है जहां शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में किया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसी छूट देने के क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) से (ग) पर्यटन विभाग के पास पहले से ही द्विभाषी कम्प्यूटर

तथा टेलेक्स मशीनें हैं जोकि कार्यालय में हिन्दी भाषा का संवर्धन करने के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आमान परिवर्तन

1040. प्रो॰ जितेन्द्र नाथ दास : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सिलीगुडी–अलीपुरद्वार–बोंगाई गांव रेल लाइन के आमान परिवर्तन का कार्य प्रारम्भ करने का है;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने भी केन्द्र सरकार से उपर्युक्त रेल लाइन के आमान परिवर्तन के कार्य को तत्काल किए जाने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस आमान परिवर्तन के कार्य को कब तक शुरू कर दिए जाने की सम्भावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) 1997–98 के दौरान बजट पास होने के पश्चात आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है।

[हिन्दी]

जयपुर हवाई अड्डे पर व्यय हुई धनराशि

1041. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जयपुर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में बदलने के लिए अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ख) क्या इस हवाई अड्डे के लिए पर्याप्त भूमि का अधिग्रहण किया गया है;

(ग) उपर्युक्त कार्य पर कितनी धनराशि व्यय होने की संभावना है; और

(घ) जयपुर हवाई अड्डे से किस किस्म के विमान उड़ान भरेंगे और कब से?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) जयपुर विमानपत्तन के उन्नयन के लिए 12.85 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है।

(ख) और (ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा इस विमानपत्तन के और विकास के लिए राजस्थान राज्य सरकार की 13.72 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 299 एकड़ भूमि के अर्जन की योजना है।

(घ) शुरू किए गए उन्नयन कार्य के पूरा होने से 1997 के मध्य से बिना किसी भार संबंधी प्रतिबंध के एयरबस 320 प्रकार के विमान प्रचालित किये जा सकेंगे। जयपुर विमानपत्तन से बड़े विमानों के प्रचालन के लिए इस समय कोई निश्चित समय सीमा नहीं बतायी जा सकती।

मध्य प्रदेश स्थित पर्यटक शहरों में फैक्स, एस॰टी॰डी॰, टेलेक्स सुविधाएं प्रदान करना

1042. श्री विश्वेश्वर भगत : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार मध्य प्रदेश स्थित खजुराहों, मांडु, ओरछा, महेश्वर, ओंकारेश्वर, अमरकंटक, चित्रकूट, पंचमढ़ी, जैसे प्रमुख पर्यटक शहरों में एस॰टी॰डी॰, फैक्स, टेलेक्स आदि सुविधाएं प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो इन सुविधाओं को कब तक प्रदान कर दिए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) खजुराहो, महेश्वर, ओंकारेश्वर, चित्रकूट तथा पंचमढ़ी में पहले से ही एस॰टी॰डी॰ सुविधा प्रदान कर दी गई है। 97–98 के दौरान ओरछा तथा अमरकंटक में भी यह सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है।

ब्यूरो फैक्स सुविधा फिलहाल पंचमढ़ी में उपलब्ध है। 1997–98 के दौरान खजुराहो, मांडु, ओरछा, महेश्वर, ओंकारेश्वर, चित्रकूट तथा अमरकंटक में यह सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

टेलेक्स सुविधा केवल खजुराहो में उपलब्ध है।

(ग) मांडु, ओरछा, महेश्वर, ओंकारेश्वर, अमरकंटक, चित्रकूट, पंचमढ़ी में टेलेक्स सुविधा की व्यवस्था हेतु कोई भी प्रस्ताव नहीं है चूंकि इन स्थानों में इसकी कोई मांग नहीं है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में चल रही रेल परियोजनाएं

1043. श्री के॰ प्रधानी :
श्री के॰पी॰ सिंह देव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में चल रही रेल परियोजनाओं और उन पर अब तक व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) उनके पूरा होने की क्या तिथि निर्धारित की गई है और इन परियोजनाओं की अद्यतन प्रगति क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं के लिए आठवीं योजना के दौरान वर्ष-वार कितनी राशि आवंटित की गई; और

(घ) इन परियोजनाओं के लिए नौवीं योजना के दौरान कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) ब्यौरा निम्नानुसार है :—

	परियोजना का नाम	आज तक किया गया खर्च (करोड़ रुपयों में)	पूरा होने का लक्ष्य	प्रगति	8वीं योजना के दौरान आबंटन (करोड़ रुपयों में)
1.	तालचेर-संबलपुर ब•ला• रेल लाइन	223.63	31.3.98	77%	201.75
2.	दैतारी (टोमका)-क्योंझर-बासपानी नई ब•ला•	99.89	31.12.99	21%	111.98
3.	खुर्दा रोड-बोलनगीर नई ब•ला•	2.59	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूर्ण होने वाला है और भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू किया जा रहा है।		3.53
4.	लॉजीगढ़ रोड़-जूनागढ़	6.00	भूमि-अधिग्रहण कार्य प्रगति में है।		10.48
5.	हरिदासपुर-पारादीप	0.05	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है।		3.00

(घ) नौंवी योजना के लिए निधि का आबंटन तय नहीं किया गया है।

शोरनूर-मंगलोर रेल लाइन का दोहरीकरण

1044. श्री कोडीक्कुनील सुरेश : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शोरनूर-मंगलोर रेल लाइन के दोहरीकरण के कार्य की अद्यतन स्थिति क्या है;

(ख) अब तक इस पर कितना व्यय किया जा चुका है; और

(ग) इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) कार्य पूरे जोर पर चल रहा है। पहले 4 नाजुक ब्लाक खंडों को जून 97 तक पूरा कर दिया जाएगा।

(ख) 31.3.96 तक 2.5 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं तथा 1996-97 के बजट में 37.01 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

(ग) इस कार्य का मौजूदा लक्ष्य मार्च, 99 है।

हैदराबाद हवाई अड्डे से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें

1045. श्री सुल्तान सलाहुद्दीन ओवेसी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हैदराबाद हवाई अड्डे से कुछ नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो उन देशों का ब्यौरा क्या है जहां के लिये ये उड़ानें शुरू की गई हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार हैदराबाद को कुछ और देशों से हवाई यातायात द्वारा जोड़ने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी•एम• इब्राहीम) : (क) और (ख) एअर इंडिया ने अक्तूबर, 1996 से हैदराबाद से जेद्दाह को सप्ताह में एक बार उड़ान शुरू कर दी है। इंडियन एयरलाइन्स ने वर्ष 1996-97 के दौरान शारजाह तथा मस्कट को सप्ताह में दो बार और हैदराबाद से कुवैत को सप्ताह में तीन बार उड़ान शुरू कर दी है।

(ग) से (ङ) हैदराबाद से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में और बढ़ोत्तरी यातायात में संवृद्धि पर आधारित होगी जिस पर विमान कंपनियों द्वारा निरंतर निगरानी रखी जा रही है।

[हिन्दी]

विमानपत्तनों का निर्माण

1046. श्री पदमसेन चौधरी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में बौद्ध तीर्थ स्थल, श्रावस्ती में विमानपत्तन का निर्माण पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो यह किस तारीख से कार्य करना आरंभ कर देगा?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी•एम• इब्राहीम) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रावस्ती हवाई अड्डे पर निर्माण कार्य पूरा कर लिया है तथा हवाई अड्डे से प्रचालन हो रहे हैं।

[अनुवाद]

मुआवजे के दावे

1047. श्री वी• प्रदीप देव :
श्री निहाल चन्द चौहान :
श्री मुख्तार अनीस :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा 12 नवम्बर, 1996 को हरियाणा में हुई दो विमानों की टक्कर में मारे गए लोगों के निकट संबंधियों को मुआवजे के दावों का तेजी से भुगतान सुनिश्चित करने की दृष्टि से उन्हें कानूनी सहायता देने के लिए किसी प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक इस प्रकोष्ठ द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धि क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी•एम• इब्राहीम) : (क) से (ग) विमान दुर्घटना में मारे गए लोगों के निकट संबंधियों को सऊदी एयरलाइंस के साथ मुआवजे के दावों के निपटान में कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में होने वाले व्यय के लिए एक करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

ग्रेनाइट के उत्खनन के लिए लाइसेंस देना

1048. श्री के•एच• मुनियप्पा : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में ग्रेनाइट के उत्खनन के लिए सर्वेक्षण कार्य करने और इसका उत्खनन करने के लिए विभिन्न एजेंसियों को लाइसेंस दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में राज्यों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) और (ख) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 3(ङ) के प्रावधानों के अनुसार ग्रेनाइट परम्परागत रूप से एक गौण खनिज है और ग्रेनाइट के लिए इस प्रकार की खनिज रियायतों की मंजूरी इस उद्देश्य के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार दी जाती है। केन्द्र सरकार गौण खनिजों के लिए खनिज रियायत देने की निगरानी नहीं करती।

(ग) और (घ) ग्रेनाइट विकास की अत्यधिक संभावनाओं को देखते हुए केन्द्र सरकार ने 1995 में ग्रेनाइट विकास परिषद का गठन किया। इस परिषद ने देश में ग्रेनाइट के विकास से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए एक उप-दल भी गठित कर दिया। ग्रेनाइट विकास संबंधी उप-दल की रिपोर्ट ग्रेनाइट विकास परिषद को सौंप दी गई है और दिसम्बर, 1996 में हुए खनन और भू-विज्ञान राज्य मंत्रियों/सचिवों के सम्मेलन में प्रस्तुत की जा चुकी है।

ए•बी•बी• विद्युत इंजन

1049. श्री बसुदेव आचार्य :
श्री तरित बरण तोपदार :
श्री हाराधन राय :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक कितने ए•बी•बी• विद्युत इंजन प्राप्त किए गए हैं;

(ख) क्या ये इंजन जोनल रेलवे को वितरित कर दिये गए हैं या नई दिल्ली में रखे गए हैं;

(ग) क्या इन इंजनों को पार-परीक्षण के रूप में चला लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ये इंजन हमारे जलवायु के अनुसार सुचारू रूप से चल रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) 10 सवारी तथा 20 मालगाड़ी रेल इंजन पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। इसके अलावा, अतिरिक्त सहायक पुर्जों के रूप में एक सवारी तथा 2 माल गाड़ी रेल इंजन प्राप्त हो चुके हैं।

(ख) सवारी रेल इंजनों को उत्तर रेल के विद्युत लोको शेड गाजियाबाद में रखा गया है तथा मालगाड़ी रेल इंजनों को पूर्व रेल के विद्युत लोको शेड, गोमो में रखा गया है।

(ग) जी हां।

(घ) सवारी रेल इंजन की 145 कि•मी• प्रति घंटा गति परीक्षण के दोलन परीक्षण को पूरा कर लिया गया है तथा रेल इंजनों को नियमित सेवा में लगा दिया गया है। मालगाड़ी रेल इंजन भी 60/65 कि•मी• प्रति घंटा की गति से नियमित परिचालन में है। 110 किमी• प्रति घंटा गति परीक्षण के दोलन परीक्षणों के लिए योजना शीघ्र ही बनाई जानी है।

(ङ) और (च) केवल मामूली प्रारंभिक समस्याओं को छोड़कर रेल इंजनों का निष्पादन संतोषजनक है जो किसी भी नई प्रौद्योगिकी के साथ सम्बद्ध होती है और इन समस्याओं का मैसर्स ए बी बी द्वारा निपटारा किया जा रहा है, इन रेल इंजनों के निष्पादन की गहन निगरानी की जा रही है।

नई दिल्ली-लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस की मेटाडोर से टक्कर

1050. **श्री आई॰डी॰ स्वामी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 26 दिसम्बर, 96 को गाजियाबाद के निकट दादरी में एक मेटाडोर की नई दिल्ली-लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस के साथ टक्कर हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देश में चौकीदार युक्त और चौकीदार रहित रेलवे फाटकों पर हुई दुर्घटनाओं की कुल संख्या कितनी है और इसमें कितने लोगों की जानें गईं; और

(घ) हाल ही में हुई फाटक दुर्घटनाओं के पश्चात सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) जी हां। 26.12.96 को लगभग 07.26 बजे उत्तर रेलवे के इलाहाबाद मंडल के गाजियाबाद-अलीगढ़ खंड पर मारीपत और दादरी स्टेशनों के बीच समपार सं॰ 148-सी पर एक मिनी बस प्रवेश कर रही थी और 2004 डाऊन नई दिल्ली-लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस से टकरा गई जो इस खंड पर चल रही थी।

इस दुर्घटना की जांच रेल संरक्षा आयुक्त, उत्तरी सर्किल द्वारा की गई जिसने निष्कर्ष निकाला है कि यह दुर्घटना, मिनी बस के किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चौकीदार से बलपूर्वक चाबी छीनने और आती हुई गाड़ी के सामने गेट के एक सिरे को खोल देने के कारण हुई थी।

इसके परिणामस्वरूप, मिनी बस के पांच यात्री दुर्घटनास्थल पर ही मारे गए।

(ग) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान चौकीदार वाले और बिना चौकीदार वाले समपारों पर हुई दुर्घटनाओं की संख्या तथा इन दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों की संख्या निम्नानुसार है :—

वर्ष	चौकीदार वाले समपार		बिना चौकीदार वाले समपार	
	दुर्घटनाओं की संख्या	मारे गए व्यक्तियों की संख्या	दुर्घटनाओं की संख्या	मारे गए व्यक्तियों की संख्या
1993-94	12	22	54	146
1994-95	19	52	54	147
1995-96	16	28	52	117

(घ) समपारों पर दुर्घटनाओं की रोकथाम करने के लिए किए गए उपायों में से कुछ उपाय निम्नलिखित हैं :—

1. सड़क पहुंच मार्ग से बिना चौकीदार वाले समपार तक गति अवरोधकों/रम्बल स्ट्रिप्स की व्यवस्था कर दी गई, ताकि सड़क वाहन अपनी गति कम कर सकें।
2. चौकीदार युक्त समपार पर दुर्घटना में दोषी पाए गए रेल कर्मचारियों को अनुशासनिक एवं अपील नियमों के तहत लिया जाना तथा उन्हें दंड देना।
3. बिना चौकीदार वाले समपारों पर सड़क उपयोगकर्त्ताओं की लापरवाही के कारण दुर्घटनाएं होती हैं, जो मोटर वाहन नियम के खंड 131 में अनुबंधित सावधानियों पर ध्यान नहीं देते। सड़क उपयोगकर्त्ताओं को गेट मैन के साथ सहयोग करने के लिए तथा कार्य करते समय उन्हें भयभीत न करने के लिए समय-समय पर अपील की जाती है।
4. रेल पथ के साथ-साथ सीटी बोर्डों की व्यवस्था कर दी गई है तथा रेलगाड़ी के समपार पर पहुंचने पर ड्राइवर को सड़क उपयोगकर्त्ताओं को गाड़ी के पहुंचने की चेतावनी देने के लिए सीटी बजाने की सलाह दी गई है।
5. बिना चौकीदार वाले समपार पर संरक्षा के बारे में सड़क ड्राइवरों को शिक्षित किया जाता है तथा दूरदर्शन पर क्विकीज, सिनेमा स्लाइड, रेडियो पर वार्ता, समाचार पत्रों में विज्ञापन एवं सामयिकों जैसे विभिन्न मीडिया के जरिए प्रचार अभियान चलाए जाते हैं।
6. चौकीदार की जागरूकता को परखने के लिए अचानक जांच की जाती है।
7. राज्य सरकारों से ड्राइविंग लाइसेंस, विशेषकर ट्रक, बस तथा अन्य भारी यातायात वाहनों के ड्राइवरों को लाइसेंस जारी करते समय राज्य सरकारों से समय-समय पर सख्त परीक्षण करने के लिए अनुरोध किया जाता है।

निजी एअर लाइन सहयोग

1051. **श्री रमेश चेन्नित्तला** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी एयरलाइनों के साथ सहयोग करने हेतु अनुमति चाहने वाली निजी एयरलाइनों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) सात अनुसूचित गैर सरकारी अंतर्देशीय विमानकम्पनियों में से केवल मैसर्स जेट एयरवेज में विदेशी विमानकम्पनियों/अनिवासी भारतीय की इक्विटी है। हाल ही में मैसर्स

मोदी लुफ्त लि॰ में जी डी आर इश्यू के माध्यम से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी गई है।

विमान परिवहन सेवा प्रचालित करने के लिए परमिट/अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त निम्नलिखित कम्पनियों के पास भी विदेशी/अनिवासी भारतीय इक्विटी है :—

1. मैसर्स एलबी एयरलाइंस (हवाई कार्गो सेवा हेतु परमिट धारी)
2. मैसर्स बंगाल एयर सर्विसेज लि॰ (अनुसूचित विमान सेवा हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र धारी)
3. मैसर्स लुफ्थांसा कार्गो इंडिया लि॰ (हवाई कार्गो सेवाएं प्रचालित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र धारी)
4. मैसर्स टी॰सी॰जी॰ एविएशन प्रा॰लि॰ (हवाई कार्गो सेवाएं प्रचालित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-प्रत्र के लिए आवेदन पत्र विचाराधीन है।)

अंतर्देशीय विमान सेवाएं प्रचालित करने हेतु निम्नलिखित कम्पनियों ने विदेशी/अनिवासी भारतीय इक्विटी के लिए प्रस्ताव रखे हैं :—

1. मैसर्स टाटा इंडस्ट्रीज लिमिटेड
2. मैसर्स अल्टिमाएसेट्स एण्ड इन्वेस्टमेंट (प्रा॰) लि॰
3. मैसर्स चॉयस एयरलाइंस
4. मैसर्स ट्रांस इंडिया एयरलाइंस प्रा॰लि॰
5. मैसर्स एश्योर्ड एयरवेज लि॰
6. मैसर्स डेक्कन एयरवेज लि॰

(ख) और (ग) अंतर्देशीय विमान परिवहन सेवा सेक्टर में विदेशी इक्विटी तथा अनिवासी भारतीय इक्विटी भागीदारी संबंधी अनुमति देने के तौर-तरीके तैयार किए जा रहे हैं।

इस्पात का उत्पादन

1052. श्री महाबीर लाल विश्वकर्मा : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन इस्पात संयंत्रों की संख्या कितनी है जिनमें स्थापित क्षमता के अनुसार उत्पादन हो रहा है;

(ख) क्या बर्नपुर इस्पात संयंत्र कारखाने का आधुनिकीकरण करने का विचार है अथवा नहीं;

(ग) यदि हां, तो आधुनिकीकरण का कार्य कब शुरू किये जाने तथा पूरा होने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) 1996-97 के दौरान जनवरी, 1997 तक अपरिष्कृत इस्पात का अनुमानित संयंत्र-वार उत्पादन और क्षमता उपयोग का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी लिमिटेड (इस्को) को जून, 1994 में बी॰आई॰एफ॰आर॰ को संदर्भित किया गया था। संयुक्त उद्यम कम्पनी में 51 प्रतिशत की अधिकांश शेयर धारिता "सेल" ने अपने पास रखते हुए संयुक्त उद्यम व्यवस्था के माध्यम से इस्को के पुनरूद्धार/आधुनिकीकरण में भागीदारी के लिए अगस्त, 1996 में पेशकश आमंत्रित की थी। सेल को 2 पार्टियों अर्थात् रूस की मैसर्स त्याजप्रोमेक्सपोर्ट (टी॰पी॰ई॰) तथा जापान की मैसर्स मित्सुई से प्रस्ताव प्राप्त हुए। जापान की मैसर्स मित्सुई ने साम्या भागीदारी जो कि संयुक्त उद्यम भागीदार के चयन के लिए अनिवार्य आवश्यकता है, के लिए अपनी अनिच्छा व्यक्त की है। इसके परिणामस्वरूप इस्को के पुनरूद्धार के लिए अभी केवल एक प्रस्ताव उपलब्ध है। इस बीच सेल ने औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी॰आई॰एफ॰आर॰) से 4 माह का समय बढ़ाने का अनुरोध किया है।

चूंकि "इस्को" को बी॰आई॰एफ॰आर॰ को संदर्भित कर दिया गया है। अतः आधुनिकीकरण के लिए शुरू की जाने वाली कोई भी योजना बी आई एफ आर के आदेशों के अनुरूप ही होगी।

विवरण

अप्रैल, 1996 से जनवरी, 1997 के दौरान अपरिष्कृत इस्पात का संयंत्रवार अनुमानित उत्पादन और क्षमता उपयोग

(हजार टन)

	उत्पादन	क्षमता उपयोग
1. प्रमुख उत्पादक		
(क) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि॰		
(1) भिलाई इस्पात संयंत्र	3470.7	106.1
(2) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	1009.6	67.3
(3) राउरकेला इस्पात संयंत्र	1016.0	78.6
(4) बोकारो इस्पात संयंत्र	3053.9	91.6
(5) इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड	292.2	97.4
(6) मिश्र इस्पात संयंत्र	206.2	95.2
(7) विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड	75.1	77.6 *
(ख) टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लि॰	2583.2	101.6
(ग) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	1831.5	81.4
2. गौण उत्पादक		
(1) विद्युत चाप भट्टी इकाइयां	3575.1	55.3
(2) प्रेरण भट्टी इकाइयां	2728.7	48.7

* विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड के लिए क्षमता को वार्षिक योजना माना गया है।

आमान परिवर्तन

1053. श्री सनत मेहता : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार राज्य में धरंगधारा-कुडा रेल लाइन के आमान परिवर्तन की एक तिहाई लागत वहन करने पर सहमत हो गई है;

(ख) क्या नमक संघ ने भी आमान परिवर्तन परियोजना की एक तिहाई लागत वहन करने की स्वीकृति भेजी है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त आमान परिवर्तन का कार्य कब शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) जी हां, सैद्धान्तिक तौर से।

(ग) आने वाले वर्षों में, संसाधनों की उपलब्धता और गुजरात सरकार और साल्ट एसोसिएशन के साथ लागत में भागीदारी की व्यवस्था को अंतिम रूप दिए जाने के अध्यधीन।

कश्मीर में दूरसंचार प्रणाली का विस्तार/उन्नयन

1054. श्री गुलाम रसूल कार : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कश्मीर में गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में दूर-संचार प्रणाली के विकास, विस्तार और उन्नयन के लिए, जिला-वार कितनी धनराशि आबंटित/खर्च की गई;

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार के विस्तार को प्राथमिकता दी गई है और परन्तु धनराशि और उपकरणों के अभाव में क्रियान्वयन की गति बहुत धीमी रही है;

(ग) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय चल रही परियोजनाएं और अधिक विलम्ब के बिना पूरी हों; और

(घ) राज्य में उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो अपने निर्धारित कार्यक्रम से पीछे चल रही हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) श्रीनगर गौण स्विचन क्षेत्र से संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। जिलावार सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) जी हां, यद्यपि निधि एवं उपस्कर उपलब्ध थे तथापि कश्मीर में कानून और व्यवस्था खराब होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार के विकास में विलम्ब हुआ है।

(ग) सभी परियोजनाओं की आवधिक पुनरीक्षा का कार्य उच्चतम स्तर पर किया जा रहा है और इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सभी प्रयास किये जा रहे हैं।

(घ) राज्य में निर्धारित समय से पिछड़ी हुई परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

श्रीनगर गौण स्विचन क्षेत्र के लिये आबंटित एवं प्रयोग में लाई गई निधियों का ब्यौरा

(सभी अंक रुपयों में)

वर्ष	आबंटित निधियां	प्रयोग में लाई गई निधियां		
		ग्रामीण	शहरी	कुल
1993-94	59624000	9201788	30030000	39231788
1994-95	133230000	7921235	32705343	40626578
1995-96	242604000	12050000	190708412	202758412

विवरण-II

निर्धारित समय से पीछे चल रही परियोजनाओं के ब्यौरे

क्र.सं.	परियोजना का विवरण
1.	संस्थापित किए जाने वाले 28 एम आई एल टी एक्सचेंजों में से केवल 13 एक्सचेंज संस्थापित किए गए हैं।
2.	तेरह 256 पोर्ट एक्सचेंजों में से केवल चार एक्सचेंज संस्थापित किए गए हैं।
3.	पांच 512 पोर्ट एक्सचेंजों में से केवल एक एक्सचेंज संस्थापित किया गया है।
4.	तीन मुख्य ओ सी बी 283 एक्सचेंजों में से केवल एक मुख्य एक्सचेंज की संस्थापना की गई है। अन्य दो के 1997-98 में पूरा होने की संभावना है। 31.3.1997 तक एक आर.एस.यू. पूरा किया जा रहा है।
5.	आई टी आर भू-केन्द्र (उपग्रह), अभी प्राप्त/संस्थापित होना है।
6.	चालीस पारेषण प्रणालियों में से छः पूरी होने वाली हैं।
7.	ओ एफ सी स्कीम :
	(क) 34 एम बी ओ एफ सी पूरी हो गई हैं और चालू करने के लिए तैयार हैं।
	(ख) 140 एम बी पी एफ दो प्रणालियों का काम चल रहा है।

[हिन्दी]

पवन हंस बेड़े द्वारा हेलीकाप्टरों का उपयोग

1055. श्री छीतू भाई गामीत : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पवन हंस लिमिटेड ने पिछले छह वर्षों के दौरान अपने उन्नीस हेलीकाप्टरों के बेड़े का उपयोग नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा धनराशियों के व्यर्थ खर्च पर रोक लगाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी•एम• इब्राहीम) : (क) और (ख) सुरक्षा कारणों से 19 वेस्टलैंड-30 हेलीकाप्टर 1991 में ग्राउंड कर दिए गए थे। तथापि, 27 हेलीकाप्टरों के शेष बेड़े का पवन हंस हेलीकाप्टर्स लिमिटेड द्वारा प्रयोग किया जा रहा है।

(ग) 19 वेस्टलैंड-30 हेलीकाप्टरों के निपटान संबंधी कार्रवाई शुरू की गई है।

मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर सुविधाएं

1056. श्री सोहन वीर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर और अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस रेलवे स्टेशन पर वर्ष 1997-98 के दौरान कौन सी अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) 25.02 लाख रु• की प्रत्याशित लागत पर मंडी साइड से ऊपरी पैदल पुल की व्यवस्था करने का कार्य 1997-98 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने के लिए अनुमोदित किया गया है।

[अनुवाद]

विभिन्न पदों का बैकलाग

1057. श्री तारीक अनवर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे में विभिन्न संवर्गों/पदों के आरक्षित रिक्तियों का कुल बैकलाग कितना है;

(ख) 1996-97 के दौरान कुल कितने पद भरे गए;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान बैकलाग रिक्तियों को भरने हेतु निर्धारित मानदण्डों का पालन किया गया था; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) भर्ती कोटियों में क्षेत्रीय रेलों की उत्पादन इकाइयों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 30.6.96 को आरक्षित रिक्तियों के बैकलाग की संख्या निम्नानुसार हैं:—

	अ•जा•	अ•ज•जा•
ग्रुप "ग"	941	950
ग्रुप "घ"	1183	1646

(ख) उपर्युक्त (क) के अलावा 31.1.97 को निम्नलिखित रिक्तियां भर दी गई हैं:—

	अ•जा•	अ•ज•जा•
ग्रुप "ग"	441	415
ग्रुप "घ"	518	344

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

महानगरीय परिवहन परियोजनाएं

1058. श्री सुब्रह्मण्यम नेलावाला : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों द्वारा महानगरीय परिवहन परियोजनाएं तैयार करने हेतु रेलवे से संपर्क किया था;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने यह स्वीकार किया है कि इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकारें धन देने के प्रति इच्छुक नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) धन उपलब्ध कराने का एक मुख्य कारण यह है कि जब तक राज्यों द्वारा इस संबंध में समान रूप से व्यय का वहन नहीं किया जाता है तब तक रेलवे इस परियोजना को शुरू करने की स्थिति में नहीं है;

(ङ) यदि हां, तो इसमें रुचि दिखाने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है तथा इनमें से कितने राज्य की भागीदारी व्यय का भार उठाने हेतु इच्छुक हैं;

(च) क्या राज्यों की प्रतिकूल प्रतिक्रिया के परिप्रेक्ष्य में मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव को बंद कर दिया गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां। कुछ राज्य सरकारों ने महानगर परिवहन परियोजनाओं का निर्माण करने के लिए रेलवे से संपर्क किया था।

(ख) कुछ राज्य सरकारों ने महानगर परिवहन परियोजनाओं के लिए धनराशि उपलब्ध कराने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है।

(ग) कलकत्ता मेट्रो के परिचालन और अनुरक्षण के लिए राज्य सरकार की भागीदारी से कलकत्ता मेट्रो रेल निगम की स्थापना करने हेतु 22.3.96 को शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय की पश्चिम बंगाल सरकार के साथ निर्माण भवन में बैठक बुलाई गई थी। पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि परिसंपत्तियों की लागत सहित ऐसी बड़ी परियोजनाओं की लागत में भागीदारी करने की स्थिति में नहीं है।

(घ) अपनी विकासात्मक योजनाओं के लिए तेजी से घटती बजटीय सहायता के कारण रेलों ने लागत में भागीदारी के आधार पर परियोजनाओं में भागीदारी करने के लिए राज्य सरकारों से संपर्क किया है क्योंकि रेलें महानगर परिवहन परियोजनाओं की पूरी लागत वहन करने की स्थिति में नहीं है जिनमें अत्यधिक पूंजी निवेश करना पड़ता है और इनकी प्रतिफल की दर बहुत ही कम होती है। इसके अलावा, अंत:शहरी परिवहन प्रणालियों पर आधारित ऐसी रेल का मुख्य लाभभोगी वह शहर है जहां ऐसी प्रणालियां संस्थापित की जाती हैं इसलिए यह तर्कसंगत है कि राज्य सरकारें ऐसी परियोजनाओं की लागत का बड़ा हिस्सा वहन करें।

(ङ) तमिलनाडु सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने मौजूदा उपनगरीय परियोजनाओं के विस्तार के लिए लागत में भागीदारी के आधार पर रेलों को प्रस्ताव भेजे थे।

(च) और (छ) संशोधित कार्य आबंटन नियम 1986 के अनुसार रेल आधारित शहरी परिवहन परियोजनाओं के लिए नए प्रस्तावों पर अब शहरी मामले और रोजगार मंत्रालय तथा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्रवाई की जाती है और उन्हें अनुमोदित किया जाता है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम में अधिकारियों का स्थानान्तरण

1059. **श्री भेरूलाल मीणा :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार द्वारा तीन वर्षों से संवेदनशील पदों पर कार्यरत अधिकारियों के क्रमवार स्थानान्तरण की नीति संबंधी अनुदेशों का कर्मचारी राज्य बीमा निगम में सख्ती से पालन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या ये अनुदेश कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सतर्कता अनुभाग में कार्य कर रहे कर्मचारियों पर भी लागू होते हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (श्री एम॰ अरुणाचलम) : (क) से (ग) कर्मचारी राज्य बीमा निगम एक कानूनी और स्वायित्त निकाय है जिसकी स्थापना कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अधीन की गई है। स्टॉफ के स्थानान्तरण/तैनाती से संबंधित मामलों में पूर्ण शक्तियां कर्मचारी राज्य बीमा निगम में निहित हैं। तथापि इस संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों का भी सामान्यत: क॰रा॰बी॰ निगम द्वारा अनुपालन किया जाता है। कतिपय क्षेत्रीय निदेशालयों और सतर्कता प्रभाग की दशा में, अधिकारियों की तैनाती उच्च क्षमता वाले और सत्यनिष्ठ व्यक्तियों में से की जाती है। इस तरह से ऐसे अधिकारियों की पदधारिता कार्यगत अपेक्षाओं और अन्य प्रशासनिक अपरिहार्यताओं के आधार पर परिवर्तनीय होती है।

[हिन्दी]

रेलवे पुलिस कर्मियों द्वारा रिश्वत लिया जाना

1060. **श्री राम कृपाल यादव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरने वाले यात्रियों से रेलवे पुलिस कर्मियों द्वारा एजेंटों के साथ मिलीभगत से रिश्वत लिए जाने के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि इन एजेंटों द्वारा रेलवे पुलिस के साथ मिलीभगत से यात्रियों को झूठे मामलों में फंसाया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) वर्ष 1996 के दौरान रेलों से इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

राडारों को अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता

1061. **श्री काशीराम राणा :**

श्री मुख्तार अनीस :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न विमानपत्तनों पर लगे राडारों को अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस संबंध में किसी व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

रेलवे अस्पताल

1062. श्री विजय कुमार खंडेलवाल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान खोले गए रेलवे अस्पतालों का वर्ष-वार तथा स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस समय निर्माणाधीन रेलवे अस्पतालों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन अस्पतालों के कब तक कार्यारंभ कर देने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) मध्य रेलवे पर निशातपुरा और आमला में प्रत्येक में एक और एक पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के तिनसुकिया में।

(ख) मध्य, उत्तर और दक्षिण पूर्व रेलों में क्रमशः पुणे, अंबाला छावनी और संभलपुर में प्रत्येक में एक।

(ग) पुणे में 1997-98 में, अंबाला छावनी में अप्रैल, 97 और संभलपुर में अप्रैल, 98 तक।

पेंशन योजना

1063. श्री चन्द्रभूषण सिंह : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार कितने भविष्य निधि अंशदाताओं ने कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत पेंशन पाने का विकल्प दिया है;

(ख) आज की तिथि के अनुसार उक्त योजना के अंतर्गत कितने व्यक्तियों को लाभ पहुंचा है;

(ग) आज की तिथि के अनुसार उक्त योजना के अंतर्गत सेवानिवृति/सेवा अवकाश के पश्चात् पेंशन लेने संबंधी कितने अभ्यावेदन संबंधित प्राधिकारियों के पास लम्बित हैं; और

(घ) पेंशन का भुगतान करने के लिए, संबंधित प्राधिकारियों द्वारा क्या योजनाएं शुरू की गई हैं?

श्रम मंत्री (श्री एम॰ अरुणाचलम) : (क) और (ख) कर्मचारी पेंशन योजना, 1995, 16.11.1995 से लागू की गई थी। यह योजना उन सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है जो समाप्त की गई परिवार पेंशन योजना, 1971 के सदस्य रहे हैं। वह उन व्यक्तियों के लिए भी अनिवार्य है जो 16.11.95 को अथवा उसके पश्चात् भविष्य निधि के सदस्य हैं। 14.2.1997 की स्थिति के अनुसार नई योजना के अंतर्गत 1,09,209 लाभानुभोगियों को पेंशन वितरित की गई है।

(ग) 15,684 (31.12.96 की स्थिति के अनुसार)

(घ) नियमित आधार पर पेंशन का वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ आवश्यक करार किया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि अंशदाताओं को तुरन्त सेवा मुहैया कराने के लिए एक व्यापक कंप्यूटरीकरण कार्यक्रम भी चलाया गया है।

अंगामलय-मुवत्तुपुझा-सबरीमाला रेल लाइन की सर्वेक्षण रिपोर्ट

1064. श्री पी॰सी॰ थामस : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अंगामलय-मुवत्तुपुझा-एरुमेली-सबरीमाला रेल लाइन की सर्वेक्षण रिपोर्ट मिल गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् इस कार्य को शुरू करने के लिए 97-98 के बजट में शामिल कर लिया गया है।

भविष्य निधि का निवेश

1065. श्री बी॰एम॰ सुधीरन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भविष्य निधि में जमा राशि को निजी क्षेत्र के चुनिंदा बाण्डों और डिवेंचरों में निवेश करने हेतु अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन कराया है और इस मामले में केन्द्रीय व्यापार यूनियनों के साथ विचार विमर्श भी किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री एम॰ अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

विमान दुर्घटनाएं

1066. श्री दत्ता मेघे : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष अब तक कितनी विमान दुर्घटनाएं हुई हैं;

(ख) उनमें कितने व्यक्तियों की जानें गई;

(ग) मृतकों के परिवार-जनों को कितना मुआवजा दिया गया;

(घ) दुर्घटनाओं में कितने मूल्य की सम्पत्ति का नुकसान हुआ; और

(ङ) सरकार ने भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए है।

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी•एम• इब्राहीम) : (क) 1997 के दौरान (आज तक) भारतीय सिविल पंजीकृत विमान की जो विमानन प्रशिक्षण केन्द्र, केरल का था, बंगलौर में 22.2.1997 को एक दुर्घटना हुई है।

(ख) दो।

(ग) मुआवजे की राशि का अभी तक निर्धारण नहीं हुआ है।

(घ) लगभग 8.8 लाख रुपए की लागत का विमान नष्ट हो गया है।

(ङ) प्रचालकों की सुरक्षा आडिट, विमान दुर्घटनाओं तथा खतरनाक घटनाओं की जांच से उद्भूत सिफारिशों का कार्यान्वयन फ्लाइट रिकार्डरों की मॉनिटरिंग, नागर विमानन संबंधी अपेक्षाएं जारी करना, सुरक्षा गोष्ठियां/बैठकें आयोजित करना, हवाई अड्डों का निरीक्षण आदि जैसे सुरक्षा कदम निरन्तर उठाए जाते हैं ताकि विमान दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचा जा सके।

दूरदर्शन के कार्यक्रमों में अश्लीलता

1067. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :**
श्री जय प्रकाश अग्रवाल :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बड़े पैमाने पर अश्लीलता का प्रदर्शन बिना रोक-टोक के हो रहा है तथा दूरदर्शन केन्द्र भी इससे बचे नहीं रहे;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) भारतीय दण्ड संहिता तथा स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिरोध) अधिनियम, 1996 और अन्य संबंधित अधिनियमों में कब तक संशोधन किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी•एम• इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कानूनों की समीक्षा एक सतत् प्रक्रिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग को महिलाओं से संबंधित ऐसे विभिन्न कानूनों की जांच करने का अधिकार प्राप्त है जो उन्हें संवैधानिक तथा कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं। संबंधित विभागों/मंत्रालयों को आयोग की सिफारिशें भेजी जाती हैं। फिलहाल मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) संबंधी विभागों/मंत्रालयों के परामर्श से "स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम 1986" संबंधी कानून की समीक्षा कर रहा है। इस काम में कुछ समय लगने की सम्भावना है।

[अनुवाद]

विदेशी पर्यटक

1068. **श्री बी•एल• शंकर** : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान 31 दिसम्बर, 1996 तक प्रतिवर्ष राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार कितने विदेशी पर्यटक भारत आए?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा आवास एककों से एकत्रित सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष अनुमानित विदेशी पर्यटक आगमन निम्न प्रकार से है:—

	राज्य	अनुमानित विदेशी पर्यटक आगमन		
		1994	1995	1996
	1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	48720	84092	69988
2.	असम	350	479	938
3.	बिहार	45543	49186	52873
4.	गोवा	210191	229218	232359
5.	गुजरात	6001	3005	5863
6.	हरियाणा	1284	2222	2315
7.	हिमाचल प्रदेश	51824	47903	50230
8.	जम्मू व कश्मीर	24683	20589	23787
9.	कर्नाटक	46654	59991	64788
10.	केरल	104568	142972	185863
11.	मध्य प्रदेश	75673	91934	99012
12.	महाराष्ट्र	786921	861351	949215
13.	मणिपुर	559	288	218
14.	मेघालय	577	1172	1604
15.	मिजोरम	115	119	90
16.	नागालैंड	194	39	54
17.	उड़ीसा	26024	28231	32828
18.	पंजाब	5309	5415	5831
19.	राजस्थान	436801	534749	575924
20.	सिक्किम	7132	5866	6901
21.	तमिलनाडु	496721	585751	609306

	1	2	3	4
22.	त्रिपुरा	–	–	–
23.	उत्तर प्रदेश	571000	617000	664509
24.	पश्चिम बंगाल	163208	181489	181781
25.	अण्डमान और निकोबार	3798	3849	5796
26.	चण्डीगढ़	8246	8559	9017
27.	दमन और दीव	3341	3682	3965
28.	दिल्ली	892007	1007967	1113803
29.	लक्षद्वीप	1743	664	715
30.	पांडिचेरी	11029	11697	12597
	जोड़	4030216	4609479	4962272

[हिन्दी]

छोटे विमानों की योजना

1069. कुमारी उमा भारती :
श्री पंकज चौधरी :
श्री नन्द कुमार साय :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वदेशी प्रौद्योगिकी से छोटे विमानों के विनिर्माण की कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इस विमान की अनुमानित लागत क्या होगी; और

(घ) इस योजना को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है और ऐसे विमानों का विनिर्माण कब तक शुरू हो जायेगा?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी•एम• इब्राहीम) : (क) और (ख) छोटे विमान औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही विनिर्मित किए जा सकते हैं। इस समय, नेशनल एयरोस्पेस प्रयोगशाला हल्के प्रशिक्षक विमान हंस-II तथा 14 सीटर उपयोगिता विमान सारस द्वैत विकसित कर रहा है। इसके अतिरिक्त भेल, हरिद्वार द्वारा 2 सीटों वाला प्रशिक्षक विमान स्वाति स्वदेशी रूप से विकसित कर विनिर्मित किया जा रहा है।

(ग) स्वाति विमान की लागत लगभग 36.00 लाख रुपए है। अन्य विमानों की लागत नहीं दी जा सकती क्योंकि वे अभी विकसित किए जा रहे हैं।

(घ) स्वाति विमान तो पहले ही विनिर्मित किया जा रहा है, परन्तु अन्य दो विमान अभी विकसित किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

दूरदर्शन/आकाशवाणी द्वारा वाणिज्यिक विज्ञापनों से अर्जित राजस्व

1070. श्री एन•एस•वी• चित्थन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1997 की स्थिति के अनुसार दूरदर्शन और आकाशवाणी द्वारा वाणिज्यिक विज्ञापनों के माध्यम से कितना राजस्व अर्जित किया गया;

(ख) प्रसारण करने के लिए अच्छे विज्ञापनों का चयन करने हेतु क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;

(ग) दूरदर्शन और आकाशवाणी के राजस्व में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या वाणिज्यीकरण के लिए विभिन्न उपग्रह चैनलों से शुल्क संबंधी कड़ी प्रतिस्पर्धा है; और

(ङ) दूरदर्शन की दरों को और उचित बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी•एम• इब्राहीम) : (क) आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा अप्रैल, 1996 से जनवरी, 1997 तक अर्जित कुल राजस्व क्रमशः 68.15 करोड़ रुपए और 405.12 करोड़ रुपए है।

(ख) दूरदर्शन पर प्रसारित करने हेतु विज्ञापनों को दूरदर्शन पर वाणिज्यिक विज्ञापन संबंधी संहिता के अनुसार सख्ती के साथ अनुमोदित किया जाता है।

(ग) आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों द्वारा राजस्व अर्जन के साथ-साथ कार्यकलाप में सुधार करने के लिए सतत् रूप से प्रयास किए जा रहे हैं जो एक सतत् प्रक्रिया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) दूरदर्शन बाजार प्रवृत्ति एवं शर्तों को ध्यान में रखकर समय-समय पर विज्ञापनों के लिए अपनी दरों को युक्तिसंगत बनाता है।

[हिन्दी]

श्रमिकों के स्वास्थ्य के संबंध में सर्वेक्षण

1071. श्री सुख लाल कुशवाहा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के सतना जिले में फैक्ट्रियों में कार्यरत श्रमिकों के स्वास्थ्य के संबंध में सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (श्री एम॰ अरुणाचलम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

गुजरात में दूरसंचार सेवाओं का निजीकरण

1072. श्री एन॰जे॰ राठवा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात में विशेषकर छोटा उदयपुर, जनजातीय, पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं का निजीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसमें शामिल/कार्यरत एजेन्सियों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन निजी एजेन्सियों पर कोई नियंत्रण लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगपतियों के हितों में टकराव रोकने हेतु क्या कदम उठाये गय हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) सरकार ने गुजरात सहित पूरे देश में बुनियादी टेलीफोन सेवाएं प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्र के प्रवेश को अनुमति दे दी है।

(ख) गुजरात सर्किल में बुनियादी टेलीफोन सेवाएं प्रदान करने के लिए मैसर्स रिलायन्स टेलीकॉम लिमिटेड को आशय-पत्र जारी किया गया है।

(ग) और (घ) निजी प्रचालकों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए निविदा शर्तों तथा लाइसेंस करार में विस्तार से दिशानिर्देश दिए गए हैं, उदाहरण के लिए वे दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारित किए गए टैरिफ से अधिक चार्ज नहीं कर सकते।

(ङ) इस मामले में सार्वजनिक क्षेत्र का कोई उद्योगपति नहीं है, अतः हितों के टकराव का प्रश्न नहीं उठता। जहां तक दूरसंचार विभाग का संबंध है, यहां पर्याप्त संरक्षण प्रदान किए गए हैं।

भारतीय टेलीकाम विनिर्माता उद्योग का कुल कारोबार

1073. श्री आर॰ साम्बासिवा राव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय टेलीकाम विनिर्माता उद्योग के कुल कारोबार में 10 प्रतिशत गिरावट होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो जिस उद्योग का कारोबार वर्ष 1991 में 2,600 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 1995-96 में 7,800 करोड़ रुपये हो गया था उसके कारोबार में बहुत भारी कमी आने की संभावना है;

(ग) क्या दूरसंचार उपस्कर विनिर्माता संघ ने यह बताया है कि इस उद्योग में निवेश किये गये पांच हजार करोड़ रुपये की राशि का पूरा-पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है;

(घ) क्या इस उद्योग की 1995-96 में निर्यात से अर्जित राजस्व 300 करोड़ रुपये से घटकर चालू वर्ष में 100 करोड़ रुपये हो गया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार का दूरसंचार विनिर्माण कारोबार में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) दूरसंचार विभाग में उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि चालू वर्ष का पण्यावर्त (टर्नओवर) पिछले वर्ष के बराबर होने की संभावना है।

(ग) दूरसंचार उपस्कर विनिर्माता संघ अपनी विनिर्माणकारी क्षमता के अल्प उपयोग का दावा कर रहे हैं।

(घ) और (ङ) निर्यात-आय की वास्तविक स्थिति वित्त वर्ष के समाप्त होने पर उपलब्ध होगी। उत्पादन उपलब्धि और क्षमता प्रयोग उत्पादन योजना पर निर्भर करता है, जिसे कंपनियां बाजार के मूल्यांकन के आधार पर वित्त वर्ष के प्रयोग प्रारंभ में कार्यान्वित करती हैं। दूरसंचार विभाग को क्षमता के अल्प उपयोग के ठीक-ठीक कारण मालूम नहीं हैं।

(च) इस संबंध में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

(1) निजी प्रचालकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए लाइसेंसों के मामलों को शीघ्र निपटाया जा रहा है।

(2) द्रुत प्रौद्योगिकी अंतरण, बाह्य वाणिज्यिक ऋणों में वृद्धि, नियंत्रक कंपनियों के माध्यम से विदेशी निवेश को अनुमति प्रदान करना, शुल्कों को युक्तिसंगत बनाना।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में कम शक्ति वाले/उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर

1074. श्री के॰डी॰ सुल्तानपुरी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में दूरदर्शन का विस्तार करने तथा संपूर्ण राज्य में दूरदर्शन के प्रसारण को सुनिश्चित कराने हेतु कितने कम शक्ति वाले तथा उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटरों की स्थापना करने का विचार है;

(ख) इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है और इस संबंध में गत छः महीनों के दौरान कितनी राशि खर्च की गई है;

(ग) क्या हिमाचल प्रदेश में उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर के रखरखाव हेतु आवश्यक कर्मचारी अब तक उपलब्ध करा दिये गये हैं;

(घ) शिमला में उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर हेतु कर्मचारियों की कमी संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त स्टाफ कब तक उपलब्ध करा दिये जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी•एम• इब्राहीम) : (क) वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में एक उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, 6 अल्प शक्ति ट्रांसमीटर और 23 अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर कार्यान्वयनाधीन/स्थापित किए जाने हेतु परिकल्पित हैं बशर्ते संसाधन तथा अन्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हों।

(ख) स्वीकृत परियोजनाओं की कुल पूंजीगत लागत 1941 लाख रु• है तथा दिसम्बर, 1996 तक कुल 554.43 रु• खर्च हुए हैं।

(ग) हिमाचल प्रदेश में उच्च शक्ति ट्रांसमीटर के लिए आवश्यक स्टाफ की मंजूरी दे दी गई है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

आमान परिवर्तन

1075. **डा• बलिराम** : क्या रेल मंत्री 16.7.96 के अतारांकित प्रश्न संख्या 737 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शाहगंज और मऊ रेलवे स्टेशन के बीच मीटर गेज लाइन को ब्रॉड गेज लाइन में परिवर्तित करने का कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उस पर कुल कितना व्यय आया है;

(ग) इस खंड पर चलाई जाने वाली प्रस्तावित लंबी दूरी की रेलगाड़ियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन रेलगाड़ियों को कब तक चलाए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) इस परियोजना की कुल लागत 43.83 करोड़ रुपए है।

(ग) और (घ) यह मामला विचाराधीन है तथा व्यावहारिक एवं औचित्य पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।

बिहार में नये टेलीफोन एक्सचेंज

1076. **श्री दिनेश चन्द्र यादव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1997-98 के दौरान बिहार में नये टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1997-98 की योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

हीरे की खनन संबंधी समिति

1077. **श्री दादा बाबूराव परांजपे** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने हीरे के खनन संबंधी विभिन्न पहलुओं पर निगरानी रखने और इस संबंध में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति गठित की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) और (ख) पूर्वेक्षण लाइसेंस और खनन पट्टे खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों और खनिज संरक्षण नियम, 1960 के अनुसार दिए जाते हैं। रियायत देने संबंधी आवेदन राज्य सरकार प्राप्त करती हैं और राज्य सरकारें इनमें पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कानून के प्रावधानों के अनुसार पूर्वेक्षण लाइसेंस/खनन पट्टे देने के लिए आवेदनों का मूल्यांकन करने हेतु इस प्रकार की समितियां गठित कर सकती हैं। केन्द्र सरकार इस प्रकार की समितियों के गठन की निगरानी नहीं करती और खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट खनिजों के संबंध में ही राज्य सरकारों को पूर्वेक्षण लाइसेंस/खनिज रियायत देने से पहले केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन लेना आवश्यक होता है।

[अनुवाद]

गुजराती में कार्यक्रम

1078. **श्री हरिन पाठक** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन के चैनल एक तथा दो पर गुजराती कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है;

(ख) इन चैनलों के माध्यम से गुजराती में समाचार प्रसारण के लिए कितने अनुपात में समय आवंटित किया गया है;

(ग) क्या इन चैनलों के माध्यम से प्रसारित सभी कार्यक्रमों की विषय सामग्री जिसमें समाचार की रिपोर्टिंग भी शामिल है, को नई दिल्ली में प्राधिकारियों द्वारा दोहराया जाना अपेक्षित होता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी•एम• इब्राहीम) : (क) दूरदर्शन केन्द्र, अहमदाबाद के चैनल I पर गुजराती में कार्यक्रमों के लिए उद्दिष्ट समय सप्ताह में 25 घंटे तथा दूरदर्शन केन्द्र, राजकोट हेतु सप्ताह में 3 घंटे 20 मिनट है। जहां तक चैनल II का संबंध है, ये केन्द्र केवल दिल्ली कार्यक्रमों को रिले करते हैं। तथापि, दूरदर्शन केन्द्र, मुंबई अपने सिंगल मैट्रो में महीने में गुजराती में 2 घंटे 30 मिनट के लिए कार्यक्रम प्रसारित करता है।

(ख) दूरदर्शन केन्द्र, अहमदाबाद से गुजराती समाचारों के प्रसारण हेतु आवंटित समय का अनुपात कुल प्रसारण घण्टों का 7 प्रतिशत है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

स्टील संयंत्रों की स्थापना

1079. श्री के•पी• सिंह देव : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के किसी भाग में इस्पात संयंत्रों को स्थापित करने के संबंध में आज तक कोई प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस्पात संयंत्रों द्वारा कब तक वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ कर लिए जाने की संभावना है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) से (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार उड़ीसा राज्य में विभिन्न स्थानों पर इस्पात संयंत्रों की स्थापना करने हेतु उड़ीसा सरकार को 12 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें से दो संयंत्रों में हुई प्रगति का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

क्र• सं•	इकाई का नाम और स्थान	क्षमता (एम•टी•पी•ए•)	परियोजना (करोड़ रुपए)	चालू होने की संभावित तिथि
1.	मिड-ईस्ट इंटीग्रेटिड स्टील लि• डबरी, जिला-जाजपुर	0.5 (चरण-I) (कच्चा लोहा) 1.2 (चरण-II) (इस्पात)	530 1680	जून, 1997 में चालू होने की संभावना है।
2.	नीलाचल इस्पात निगम लि• डबरी, जिला-जाजपुर	0.5 (कच्चा लोहा) 0.6 (इस्पात)	1525	कच्चे लोहे का उत्पादन जून, 99 तक तथा बिलेट और तार छड़ों का उत्पादन मार्च, 2000 तक शुरू हो जाने की संभावना है।

उच्च कीमतों वाले खनिज पर निवेश

1080. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उच्च कीमतों वाले खनिजों पर निवेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में उच्च कीमतों वाले खनिज उपलब्ध हैं;

(ग) क्या इन खनिजों के उपयुक्त खनन के लिए कोई योजनाबद्ध कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) से (घ) यद्यपि उच्च मूल्य खनिजों का गवेषण कार्य भारतीय भवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नियमित कार्यक्रम का एक हिस्सा है, फिर भी इस प्रकार के खनिजों का गवेषण और विदोहन राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 के तहत निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है। उपलब्ध सूचना के अनुसार इस प्रकार के खनिजों के राज्यवार प्राप्ति योग्य भंडार संलग्न विवरण में दर्शाये गये हैं।

विवरण

उच्च मूल्य खनिजों के राज्यवार प्राप्ति योग्य भण्डार

खनिज	राज्य	इकाई	कुल प्राप्ति योग्य भंडार
1	2	3	4
1. स्वर्ण (1.4.93 की स्थिति के अनुसार)	1. आंध्र प्रदेश	मिलियन टन	5.85
	2. बिहार	,,	0.007

1		2	3	4
		3. कर्नाटक	मिलियन टन	11.263
		4. मध्य प्रदेश	,,	0.57
2.	हीरा (1.4.94 की स्थिति के अनुसार)	1. आंध्र प्रदेश	कैरेट	89006
		2. मध्य प्रदेश	,,	976050
3.	अभ्रक (1.4.90 की स्थिति के अनुसार)	1. आंध्र प्रदेश	हजार टन	93.78
		2. बिहार	,,	13.55
		3. राजस्थान	,,	1.68
4.	टंगस्टन अयस्क (1.4.94 की स्थिति के अनुसार)	1. आंध्र प्रदेश	टन	14285053
		2. हरियाणा	,,	1674676.5
		3. महाराष्ट्र	,,	9837016.9
		4. राजस्थान	,,	13451842.4
		5. पश्चिम बंगाल	,,	493356.1
5.	कोरंडम (1.4.90 की स्थिति के अनुसार)	1. आंध्र प्रदेश	हजार टन	1.07
		2. कर्नाटक	,,	13.87
		3. मध्य प्रदेश	,,	0.02
		4. राजस्थान	,,	0.38
6.	चांदी अयस्क	1. आंध्र प्रदेश	टन	1222670.7
	(1.4.94 की स्थिति के अनुसार)	2. कर्नाटक	,,	4367041.9
		3. मेघालय	,,	660010.5
		4. उड़ीसा	,,	1940352.9
		5. राजस्थान	,,	129059763.2
		6. सिक्किम	,,	337509.4
		7. तमिलनाडु	,,	592519.4
		8. उत्तर प्रदेश	,,	987053.6
7.	कीमती पत्थर			
	(1.4.90 की स्थिति के अनुसार)			
	1.रुबी	उड़ीसा	कि॰ग्रा॰	469.5

कोयले की आपूर्ति हेतु माल डिब्बों की उपलब्धता

1081. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में विभिन्न ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति हेतु गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष उपलब्ध कराये गये माल डिब्बों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये माल डिब्बे मांग के अनुरूप उपलब्ध कराये गये थे;

(ग) यदि नहीं, तो दिल्ली में विभिन्न विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति हेतु मांग के अनुरूप माल डिब्बे उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) :

(आंकड़े प्रति माह में चौपहिया मालडिब्बा)

(क) *दिल्ली के बदरपुर, इन्द्रप्रस्थ और राजघाट के पावर हाउसों में कोयले का इनपुट*

वर्ष	कोल इंडिया लि॰ द्वारा की गई पेशकश	रेलों द्वारा आपूर्ति
1994	17504	22891
1995	15786	18761
1996	17756	17048

(ख) और (ग) जी हां, बहरहाल, चालू वर्ष के दौरान मुख्यतः दिल्ली के विभिन्न पावर हाउसों द्वारा भुगतान की समस्या के कारण आपूर्ति में मामूली कमी थी जिसे अब दूर कर लिया गया है।

(घ) से (च) दिल्ली के पावर स्टेशनों से कभी-कभार तंगी के बारे में अनुरोध प्राप्त हुए थे जिनके बारे में उपयुक्त निवारक कार्रवाई की गई थी।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के गांवों में डाक और तारघर

1082. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के गांवों में दिसंबर, 1996 तक जिला-वार डाक और तारघरों की संख्या कितनी थी;

(ख) राज्य में जिलावार कितने गांवों में डाक और तारघर नहीं हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार 1997-98 के दौरान राज्य में नये डाक और तारघर खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश में दिसम्बर, 1996 तक डाकघर व तारघर वाले तथा बिना डाकघर व तारघर वाले गांवों की जिलावार संख्या क्रमशः विवरण-I और II में दी गई है।

(ग) और (घ) जी हां। वर्ष 1997-98 में डाकघर खोलने के योजना लक्ष्यों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। वर्ष 1997-98 के दौरान अकबरपुर (अम्बेडकर नगर) तथा महोबा (महोबा) में दो तारघर खोलने का प्रस्ताव है।

विवरण-I

उत्तर प्रदेश में दिसंबर, 1996 तक डाकघर वाले और बिना डाकघर वाले गांवों की जिलावार संख्या का ब्यौरा।

क्र॰सं॰	जिले का नाम	गांवों की संख्या	
		डाकघर वाले	बिना डाकघर वाले
1	2	3	4
1.	आगरा	259	645
2.	अलीगढ़	419	1287
3.	बुलन्दशहर	330	1029
4.	एटा	283	1224
5.	इटावा	274	1187
6.	झांसी	172	588
7.	जालौन	221	721
8.	ललितपुर	142	547
9.	मैनपुरी	155	671
10.	फिरोजाबाद	135	660
11.	मथुरा	203	668
12.	इलाहाबाद	471	3068
13.	गाजियाबाद	356	2227
14.	जौनपुर	399	2870
15.	प्रतापगढ़	339	1842
16.	मिर्जापुर	176	1546
17.	सोनभद्रा	133	1213
18.	वाराणसी	346	2153
19.	भदोई	100	1103
20.	अल्मोड़ा	441	2583
21.	खीरी	366	1346
22.	हरदोई	287	1596
23.	बरेली	245	1606
24.	बदायूं	286	1494
25.	शाहजहांपुर	259	1871
26.	नैनीताल	121	916
27.	पीलीभीत	145	1065
28.	उधम सिंह नगर	81	681
29.	मुरादाबाद	291	2184
30.	रामपुर	105	993
31.	बिजनौर	259	1873
32.	पिथौरागढ़	392	1794

1	2	3	4
33.	चमोली	332	1237
34.	देहरादून	182	564
35.	गाजियाबाद	196	489
36.	मेरठ	310	590
37.	मुजफ्फरनगर	274	612
38.	पौड़ी	415	2790
39.	सहारनपुर	172	1106
40.	हरिद्वार	80	423
41.	टिहरी	256	1703
42.	उत्तर काशी	124	554
43.	आजमगढ़	379	3342
44.	मऊ	192	1280
45.	गोरखपुर	350	2530
46.	महाराजगंज	203	1004
47.	बस्ती	446	4058
48.	सिद्धार्थ नगर	222	2215
49.	देवरिया	260	1595
50.	पदरौना	208	1487
51.	गौंडा	465	2353
52.	बहराइच	356	1534
53.	बलिया	330	1462
54.	कानपुर सिटी	109	138
55.	कानपुर देहात	285	1337
56.	उन्नाव	255	1438
57.	फतेहपुर	238	1114
58.	फर्रूखाबाद	252	1319
59.	बांदा	167	537
60.	हमीरपुर	195	731
61.	फैजाबाद	301	580
62.	अम्बेडकर नगर	304	1462
63.	सीतापुर	378	1936
64.	बाराबंकी	348	1702
65.	रायबरेली	418	1319
66.	सुल्तानपुर	469	2026
67.	लखनऊ	238	586
68.	महोबा	75	425
	कुल :	17975	94829

विवरण–II

उत्तर प्रदेश में दिसंबर, 1996 तक तारघर वाले और बिना तारघर वाले गांवों की संख्या।

क्र॰सं॰	जिले का नाम	उन गांवों की संख्या जिनमें तारघर हैं	उन गांवों की संख्या जिनमें तारघर नहीं हैं
1	2	3	4
1.	इलाहाबाद	61	3478
2.	आजमगढ़	70	3651
3.	बलिया	148	1644
4.	बस्ती	47	4457
5.	बांदा	29	1175
6.	बहराइच	83	1807
7.	बाराबंकी	68	1982
8.	देवरिया	134	3416
9.	पदरौना	– (देवरिया में)	–
10.	इटावा	187	1274
11.	फैजाबाद	84	2563
12.	अम्बेडकर नगर	– (फैजाबाद में)	–
13.	फर्रूखाबाद	56	1515
14.	फतेहपुर	58	1294
15.	गोरखपुर	76	2804
16.	गौंडा	98	2720
17.	गाजीपुर	57	2526
18.	हरदोई	144	1739
19.	हमीरपुर	52	874
20.	महोबा	– (हमीरपुर में)	–
21.	जौनपुर	57	3212
22.	झांसी	45	715
23.	जालौन	65	877
24.	कानपुर (सिटी)	26	221
25.	कानपुर (देहात)	–	1622
26.	लखनऊ	113	711
27.	लखीमपुर	1250	1462
28.	ललितपुर	31	658
29.	मैनपुरी	118	708
30.	मिर्जापुर	13	1709
31.	मऊ	54	1418

1	2	3	4
32.	महाराजगंज	57	1150
33.	प्रतापगढ़	50	2131
34.	रायबरेली	217	1520
35.	सुल्तानपुर	67	2428
36.	सीतापुर	147	2167
37.	शाहजहांपुर	35	2095
38.	सिद्धार्थ	26	2411
39.	सोनभद्रा	–	1346
40.	उन्नाव	37	1656
41.	वाराणसी	56	3646
42.	भदोई	– (वाराणसी में)	–
43.	गाजियाबाद	20	768
44.	बुलन्दशहर	20	1394
45.	आगरा	3	901
46.	देहरादून	–	786
47.	मेरठ	–	898
48.	मुरादाबाद	–	2135
49.	सहारनपुर	–	781
50.	हरिद्वार	–	299
51.	मुजफ्फरनगर	89	797
52. और 53.	नैनीताल रुद्रपुर	73	1733
54.	अलीगढ़	–	1730
55. और 56.	रामपुर बरेली	–	2028
57. और 58.	अल्मोड़ा पिथौरागढ़	144	5298
59. और 60.	मथुरा एटा	–	575
61.	बिजनौर	–	2997
62. और 63.	बदायूं पीलीभीत	3	4302
64.	चमोली	163	1518
65.	टिहरी	58	1957
66.	उत्तर काशी	40	646
67.	पौड़ी	178	3356
68.	फिरोजाबाद	–	344
	कुल योग :	3710	108025

[अनुवाद]

रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण

1083. श्री बी॰एल॰ शर्मा "प्रेम" : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी के समीपवर्ती रेलवे स्टेशनों के विस्तार तथा आधुनिकीकरण करने संबंधी योजना क्या है;

(ख) इन योजनाओं का कार्य शुरू होने तथा पूरा होने की योजनावार तारीख क्या है; और

(ग) तत्संबधी योजनावार अनुमानित लागत क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) 12.46 लाख रु॰ की लागत से बल्लभगढ़ में प्लेटफार्म शेड के विस्तार का कार्य, 24.60 लाख रु॰ की लागत से फरीदाबाद में बुकिंग कार्यालय की व्यवस्था तथा प्लेटफार्मों के शेड का विस्तार और 6.18 लाख रु॰ की लागत से पलवल में शेड के विस्तार के कार्यों को शुरू किया गया था।

फरीदाबाद में बुकिंग कार्यालय का कार्य पूरा हो चुका है तथा शेष कार्य को मार्च, 98 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

कर्नाटक में बेलारी-विमानपत्तन का विकास

1084. श्री के॰सी॰ कोंडय्या : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने निजी क्षेत्र में बेलारी विमानपत्तन का विकास करने के लिए केन्द्र सरकार की स्वीकृति मांगी; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में यूरेनियम और दुर्लभ मृदा खनिजों की खोज

1085. **श्री नारायण अठावले** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में की गई प्रारंभिक खोजों से वहां यूरेनियम और अन्य दुर्लभ मृदा खनिजों के मिलने का संकेत मिलता है;

(ख) यदि हां,तो महाराष्ट्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान की गई खोजों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष हैं; और

(ग) महाराष्ट्र में खनिज संसाधनों का उपयोग करने के लिए तैयार की गई कार्ययोजना का ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या प्रोत्साहन दिया गया है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) और (ख) महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में प्रारम्भिक सर्वेक्षणों से इस बात का संकेत मिला कि विशेषकर भंडारा तथा नागपुर जिलों में दुलर्भ मृदा, दुलर्भ धातु तथा यूरेनियम खनिज की, अनुकूल भूवैज्ञानिक संभावनायें हैं। तथापि, इस क्षेत्र में यूरेनियम के किसी लाभकारी भंडार का पता नहीं चला है।

नागपुर जिले के पौनीनाला तथा सलाई क्षेत्र में दुलर्भ धातु तथा दुर्लभ मृदा खनिज के कुछ निक्षेप मिले हैं। लेकिन इनमें से कोई भी निक्षेप आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है।

(ग) चूंकि यूरेनियम का कोई लाभकारी भंडार नहीं मिला है इसलिए उसके विदोहन के लिए कोई विस्तृत कार्य योजना तैयार करना असामयिक है।

[हिन्दी]

बिलासपुर को विमान सेवा से जोड़ने संबंधी प्रस्ताव

1086. **श्री पुन्नू लाल मोहले** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के किन-किन जिलों को विमान सेवा से जोड़ा गया है;

(ख) क्या सरकार का मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले को विमान सेवा से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) मध्य प्रदेश में इन्दौर, भोपाल, रायपुर, खजुराहो तथा ग्वालियर विमान सेवा से जुड़े हुए हैं।

(ख) और (ग) इंडियन एयरलाइन्स/एलाइस एयर के विमान बेड़े में उपलब्ध जेट किस्म के विमानों के लिए बिलासपुर हवाई अड्डा उपयुक्त नहीं है। इसके अलावा बिलासपुर हवाई अड्डा फिलहाल प्रचालन में नहीं है क्योंकि, किसी भी विमान कम्पनी ने अपर्याप्त यातायात के कारण इस हवाई अड्डे के लिए उड़ानें प्रचालित करने में रूचि नहीं दिखाई है।

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी, सुदूर क्षेत्रों में टेलीफोन लाइनों का खराब होना

1087. **श्री बची सिंह रावत "बचदा"** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उत्तर प्रदेश के पर्वतीय तथा सुदूर क्षेत्रों में टेलीफोन लाइनें काफी लंबे समय से खराब पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस क्षेत्र की संवेदनशीलता तथा सामरिक महत्व को देखते हुए खराब टेलीफोन लाइनों तथा टेलीफोन सेवा को ठीक करने के लिए कोई विशेष प्रयास कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 में इस क्षेत्र में लागू की गई विशेष योजनाओं का क्या ब्यौरा है तथा वर्ष 1997-98 में इसे कार्यान्वित करने हेतु क्या-क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) सुदूर/संवेदनशील क्षेत्रों में नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां। भारी हिमपात एवं तूफान के कारण फिजिकल लाइनें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। ऐसा ही एक तूफान 19.1.97 को आया था जिससे कुछ टेलीफोन लाइनें टूट-फूट गई थीं।

(ख) और (ग) दोष मरम्मत का कौम युद्ध स्तर पर किया गया है। सभी जंक्शन लाइनों की मरम्मत की जा चुकी है। अधिकांश लाइनों की मरम्मत 28.2.97 तक हो जाने की संभावना है।

पहाड़ी दूरवर्ती क्षेत्रों में ऑप्टिकल फाइबर, माइक्रोवेव एवं उपग्रह प्रणालियों का प्रयोग करके विश्वसनीय दूरसंचार सेवा प्रदान करने के लिए कार्रवाई पहले से की जा रही है जिसके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) नौवीं योजना के दौरान विभाग, ऐसे दूरवर्ती क्षेत्रों में, जहां परम्परागत साधनों से टेलीफोन सेवाएं उपलब्ध कराना संभव नहीं है, उपग्रह आधारित संचार संस्थापित करने की योजना बना रहा है।

विवरण

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी/दूरवर्ती क्षेत्रों के लिये योजनाओं का ब्यौरा

वर्ष	माइक्रोवेव प्रणालियां	उपग्रह प्रणालियां	ओ एफ सी प्रणालियां
1995-96	12	08	-
1996-97	21	08	07
1997-98	20	22	03

[अनुवाद]

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गये पत्र

पवन हंस हैलीकॉप्टर लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन आदि

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी•एम• इब्राहीम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(1) (एक) पवन हंस हैलीकॉप्टर लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) पवन हंस हैलीकॉप्टर लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल•टी• 1387/97]

(3) (एक) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल•टी• 1388/97]

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 95 के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) दूसरा संशोधन नियम, 1996

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : महोदय, मैं श्री अरुणाचलम जी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 95 की उपधारा (4) के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) दूसरा संशोधन नियम, 1996 जो 23 दिसम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा•का•नि• 582(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल•टी• 1389/97]

(2) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 34 के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल•टी• 1390/97]

(3) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल•टी• 1391/97]

(4) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 36 के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल•टी• 1391क/97]

भारत पर्यटन विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : महोदय, मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:—

(एक) भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल•टी• 1392/97]

एम एस टी सी लिमिटेड और इसकी समनुषंगी फैरो स्क्रैप निगम लिमिटेड के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) एम एस टी सी लिमिटेड और इसकी समनुषंगी फैरो स्क्रैप निगम लिमिटेड के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एम एस टी सी लिमिटेड और इसकी समनुषंगी फैरो स्क्रैप निगम लिमिटेड के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल॰टी॰ 1393/97]

[हिन्दी]

भारतीय तार अधिनियम, 1985 की धारा 7 के अन्तर्गत रेडियो, टेलीविजन एण्ड वीडियो कैसेट रिकार्डर सैट (अनुज्ञापन अपेक्षाओं से छूट) संशोधन नियम, 1996

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) भारतीय तार अधिनियम, 1985 की धारा 7 के अन्तर्गत रेडियो, टेलीविजन एण्ड वीडियो कैसेट रिकार्डर सैट (अनुज्ञापन अपेक्षाओं से छूट) संशोधन नियम, 1996 जो 19 दिसम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 574(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल॰टी॰ 1394/97]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल॰टी॰ 1395/97]

[अनुवाद]

रेल इंडिया टेक्नीकल एण्ड इक्नोमिक सर्विसिज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन आदि

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) रेल इंडिया टेक्नीकल एण्ड इक्नोमिक सर्विसिज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रेल इंडिया टेक्नीकल एण्ड इक्नोमिक सर्विसिज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल॰टी॰ 1396/97]

(ख) (एक) इण्डियन रेलवे कंस्ट्रेक्शन कम्पनी, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इण्डियन रेलवे कंस्ट्रेक्शन कम्पनी, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल॰टी॰ 1397/97]

संघ सरकार (1996 का संख्यांक 5)—(वाणिज्यिक)—कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड के साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी के बारे में संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : महोदय, मैं श्री टी॰आर॰ बालू की ओर से संविधान के अनुच्छेद 151(1) के

अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन-संघ सरकार (1996 का संख्यांक 5)—(वाणिज्यिक)—कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड के साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल•टी• 1398/97]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कैकाला सत्यनारायण जी।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आप सब को बोलने की अनुमति दूंगा।

श्री सत्यनारायण कैकाला (मछलीपट्टनम) : महोदय, फिल्मों में, फील्ड कलाकार...*(व्यवधान)*

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : माननीय मंत्री महोदय, यहां मौजूद हैं। वे तुरन्त जवाब दे सकते हैं। वे सूची से इन विधेयकों को तुरन्त वापस ले सकते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री पी•आर• दासमुंशी (हावड़ा) : माननीय संसदीय कार्य मंत्री यहां मौजूद हैं। वे सूची से इन विधेयकों को तुरन्त निकाल सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : वे बोलना शुरू कर चुके हैं। वे नये सदस्य हैं। वे सदन में पहली बार बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें बोलने दीजिए। मैं आपको भी बोलने का अवसर दूंगा।

(व्यवधान)

श्री सत्यनारायण कैकाला : फिल्मों में, फील्ड कलाकार, निर्माता आदि जब वे अपने फिल्मी जीवनकाल के चरमोत्कर्ष पर होते हैं, और जब उनकी बहुत मांग होती है तब वे लाखों रुपयों का आयकर, सम्पत्तिकर आदि अदा करते हैं।...*(व्यवधान)* परन्तु जब उनका करिश्मा खत्म हो जाता है, जब उनकी मांग घट जाती है अथवा वे अपने फिल्मी जीवन के अन्तिम दौर में होते हैं तब वे अपनी जीविकोपार्जन की स्थिति में भी नहीं होते हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। वे कुछ पढ़ रहे हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें अपना भाषण पूरा करने दीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : एक नये सदस्य बोल रहे हैं। वे पहली बार बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप माननीय सदस्य को अपना पहला भाषण देने नहीं देंगे?

श्री सत्यनारायण कैकाला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं संकट के दौर से गुजर रहे वयोवृद्ध कलाकारों की सहायता संबंधी एक महत्वपूर्ण मामले को उठाना चाहता हूं।

अपने फिल्मी जीवन के चरमोत्कर्ष काल में फिल्म उद्योग के कलाकार, निर्माता और अन्य तकनीशियन आयकर, सम्पत्तिकर जैसे विभिन्न करों के रूप में लाखों रुपये राजकोष में जमा करते हैं। अपने फिल्मी जीवन के अन्तिम दौर में जब उनकी मांग घट जाती है तब वे सामान्यतः अपनी जीविकोपार्जन की स्थिति में भी नहीं होते हैं। ऐसे अनेकों मामले हैं जबकि कलाकारों के पास मृत्यु के पश्चात अन्तिम संस्कार के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं होती है। हममें से कई लोग मीना कुमारी, सावित्री और चित्तूर नागय्या जैसे मशहूर कलाकारों की मृत्यु के समय क्या स्थिति थी, जानते ही हैं। हमारे देश के विभिन्न भागों में ऐसे कई अन्य वयोवृद्ध कलाकार हैं, जो अत्यन्त निर्धनता की स्थिति में जी रहे हैं।

मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि मुफलिसी की हालत में जी रहे इन वयोवृद्ध कलाकारों की सहायता के लिए इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कोई हल ढूंढ़ निकाले कि इन कलाकारों ने अपनी कला के चरमोत्कर्ष काल में करों के रूप में सरकार को कई लाख रुपये अदा किए हैं। इस संबंध में, मेरा यह सुझाव है कि फिल्मी कलाकारों द्वारा अदा किये गये कर में से 10 प्रतिशत राशि को अलग निकालकर एक कोष बनाया जाये और कलाकारों, निर्माताओं और फिल्म उद्योग के अन्य लोगों को उनकी वृद्धावस्था में सहायता के लिए इस कोष का उपयोग किया जाये। यदि सरकार द्वारा कोई अन्य सहायता दी जाती है तो इससे उन कलाकारों का मनोबल बढ़ जाएगा जो देश की परम्पराओं और संस्कृति को बनाये रखने के लिए अपना जीवन त्याग देते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री पी•आर• दासमुंशी : उपाध्यक्ष महोदय, श्री श्रीकान्त जेना से अनुरोध करता हूं कि आज की कार्यसूची से मद सं• 16 और 17 को हटा दें। हम आज मद सं• 16 और 17 पर चर्चा की अनुमति नहीं दे सकते हैं। यह सम्पूर्ण राष्ट्र और कर्मचारियों के हितों के खिलाफ है, यह माननीय प्रधान मंत्री जी के वचन के खिलाफ है।...*(व्यवधान)* आप इन दो मदों को इस कार्यसूची में शामिल नहीं कर सकते। अध्यादेश की जगह पर आज आप यह विधेयक ला रहे हैं। जो श्री चिदम्बरम आज मद संख्या 16 और 17 के रूप में कार्यसूची में लाने की योजना बना रहे हैं उसे तुरंत निकाल दिया जाना चाहिए। यह मेरा अनुरोध है। इसे स्थाई समिति को भेजा जाना चाहिए। स्थाई समिति इसकी जांच करे। कृपया जल्दी मत कीजिए। श्री जेना जी, कृपया उठिए और सभा को आश्वस्त कीजिए कि आप इसे सभा के समक्ष नहीं लाएंगे।...*(व्यवधान)*

श्री निर्मल कांति चटर्जी : पहले एक अध्यादेश स्थाई समिति के समक्ष रखा गया था। हमने अपनी सिफारिशें दी थीं।

श्री ई॰ अहमद : महोदय, कुछ माननीय सदस्य संसद के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। हम भी उनकी भावनाओं से सहमत हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं आपकी बात समझ गया हूं।

(व्यवधान)

श्री ई॰ अहमद : महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि पिछले वर्ष के बजट में 127 करोड़ रुपये दिए थे तथा इस वर्ष 127 करोड़ रुपये से घटकर इसे 34 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यही प्रमुख मुद्दा है। केरल के लिए निवेश कम हुआ है। कोई परियोजना प्रारंभ नहीं की गई है। किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया गया है। केरल के बारे में कुछ नहीं हुआ है। हम कहां जाएं?

अपराह्न 12.09 बजे

इस समय श्री ई॰ अहमद और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा-पटल के निकट खड़े हो गए।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर जाईए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप सभी वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया अपने स्थान पर वापस जाईए। श्री बनातवाला आप अपने स्थान से बोलें। आप अपने स्थान से बोलें।

श्री जी॰एम॰ बनातवाला : महोदय, आप मंत्री महोदय से कहें कि वे सदस्यों से सदन में आने का अनुरोध करें और उन्हें आश्वासन दें कि वे मामले की जांच करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला, आप वरिष्ठ सदस्य हैं। आप अपने स्थान पर जाईए और तब बोलिए।

12.10 बजे

इस समय श्री ई॰ अहमद और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने स्थानों पर वापस चले गए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : महानुभावो, कृपया रेल मंत्री को बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार (फैजाबाद) : उत्तर प्रदेश को भी नहीं दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके प्रश्न काल को बचाने के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्री जी॰एम॰ बनातवाला : महोदय, मंत्री को सदस्यों से अन्दर आने को कहना चाहिए तथा उन्हें आश्वासन देना चाहिए कि वे मामले की जांच करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको इजाजत दूंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आपका कल का भी एटीट्यूड अच्छा नहीं था।

श्री ब्रह्मानन्द मंडल (मुंगेर) : इस सवाल को मैंने परसों भी उठाया था।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप किसी की बात सुनेंगे? आपने कल माननीय अध्यक्ष की बात नहीं सुनी। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : उपाध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने कहा कि गुजरात के हमारे माननीय सदस्य ने जब हमारी बात को सुना तो वह हमारी मजबूरी से संतुष्ट हो गए। उसी तरीके से कल भी यदि हमारे सभी माननीय सदस्य साथी सुन लेते तो वे चाहे गुजरात के हों या केरल के हों, उन्हें आज इस मामले को उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछली दफा जब हमारे तमाम केरल के साथी मिले थे, मैं वहां गया था और मेरे सामने तीन प्रोजेक्ट रखे गए थे। एक मामला आपको याद होगा, आप लोगों ने दिसम्बर 1996-97 में कुट्टीपुर के शोरनूर के संबंध में कहा था। उसको ऑलरेडी जोड़ दिया गया है। दूसरे, सबरीमलाई बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, उसको जोड़ना चाहिए। उसके दो रूट हैं। एक अन्नामलाई से सबरीमलाई है और दूसरा कोट्टायम से सबरीमलाई है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

आप क्यों नहीं सुनते हैं? आपके साथ यह समस्या है कि आप किसी की बात नहीं सुनते हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उसके दो रूट हैं। उसमें एक तो अन्नामलाई से सबरीमलाई है लेकिन वह ज्यादा एरिया कवर करता है। हमने अन्नामलाई से सबरीमलाई तक इस बार जोड़ने का काम किया है। दूसरे, कोट्टायम से सबरीमलाई का है, बीच में थोड़ी दूरी है। हम भविष्य में इसको कंसीडर कर लेंगे। लेकिन प्रत्येक चीज का नियम होता है। उसके बाद

डबलिंग के संबंध में मैंगलोर से शोरनूर का मामला उठाया गया था। हमने तीन सैक्टर, ब्लॉक का आश्वासन दिया था। हम चार सैक्टर पूरा करने जा रहे हैं। उसी तरीके से...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राम नाईक: महोदय, यह तरीका नहीं है...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : महोदय, यदि आपने मुझे इजाजत दी है तो कृपया मुझे कहने दो...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार : उपाध्यक्ष जी, इन्होंने बहुत बार आश्वासन दिया था। इनकी सरकार को जो समर्थन दे रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष जी, केरल के मेम्बर धरने पर बैठे हुए हैं। आज मैं उनसे अपील करने जा रहा हूं। लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि केरल के साथ कोई अन्याय नहीं किया गया है और इसलिए मैं उनसे अपील करता हूं कि इसके बावजूद भी यदि उनका मानना है कि उनके साथ अन्याय किया गया है तो मैं उनको शाम को बुलाऊंगा और आदर पूर्वक उनसे बात करूंगा। इसलिए मैं उनसे अपील करता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपने प्रश्न काल को कम कर रहे हैं। आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या उसे आपकी मदद की आवश्यकता है?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : वह स्वयं अपनी बात कह सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन (मुम्बई-उत्तर पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, यह लगता है कि हम सदन में बहुत ही अनुचित प्रथा का निर्माण कर रहे हैं। रेलवे मंत्री अपने बजट का भाषण करते हैं। उस बजट के भाषण पर हममें से सबको कुछ न कुछ आपत्ति हो सकती है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राम विलास पासवान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने मुझे बोलने की इजाजत दी है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : उपाध्यक्ष महोदय, आपत्ति सबको हो सकती है। फाइनेंसेस से हो सकती है, रेलवे गुड्स से हो सकती है, कन्वर्जन से हो सकती है। एक राज्य को ही नहीं, दूसरे राज्य को भी हो सकती है। लेकिन संसद में एक परिपाटी है, एक परम्परा है। हर बार जो बात हम कहें, रेल लाइन के बारे में अभी लिख लें, तो यह किसी भी रेल मंत्री के लिए संभव नहीं है। अगर हमें कोई आपत्ति है तो हम बाहर आन्दोलन कर सकते हैं और रेल मंत्री जी को जवाब देना है, तो वे बाहर दे सकते हैं। जब रेल बजट पर डिसकशन होगा, तब हम अपनी मांगों को जोरशोर से रख सकते हैं और उस समय रेल मंत्री को जो कहना है, वे कह सकते हैं। पसन्द न आए, तो दुनिया आन्दोलन के लिए पड़ी है। अभी हम जो प्रथा निर्माण कर रहे हैं, हर राज्य की जो भी आपत्ति है, सही भी हो सकती है, वे वैल में आकर सवाल करेंगे और रेल मंत्री जी जवाब देंगे, तो बजट पर दस स्पीच हो जायेंगी। कल जनरल बजट आने वाला है। किसी को लगेगा कि लोहे पर टैक्स क्यों लगा, टी॰वी॰ पर टैक्स क्यों लगा और वे वैल में आ जायेंगे तथा कहेंगे कि टी॰वी॰ पर टैक्स कम करो, तो क्या चिदम्बरम जी भी जवाब देंगे? संसद की एक परम्परा है। सभी सदस्यों को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसी बातों को टालना चाहिए। यही ठीक है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : भविष्य में ऐसी बातों का टाला जाना चाहिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे तीन विधेयकों पर बोलना है। कृपया मुझे बोलने दीजिए...

(व्यवधान)

श्री ई॰ अहमद : महोदय, माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है वह सही नहीं है। माननीय रेल मंत्री माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : महोदय, मैं इस परिपाटी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। यह परिपाटी ठीक नहीं है। प्रमोद महाजन जी ने जो बात कही है, वह ठीक है, दुरुस्त है। जब रेल बजट पर चर्चा हो, तब हम लोग अपनी शिकायतों के बारे में जवाब मांगें, जवाब लें

और जवाब न मिले, तो जो भी कार्रवाई करनी है, वह करें। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है, भविष्य में इसको एवायड किया जाए।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : इस प्रकार की परिपाटी आगे नहीं होनी चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है, मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे सकता हूं। कुछ तो सीमा होनी चाहिए। कृपया बैठ जाईए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नीतीश जी, कृपया बैठ जाईए। मुझे तीन विधेयकों के बारे में कहना है। 3 अप्रैल, 1997 से पहले ये तीनों विधेयक पारित होने हैं। अब मैं 1993 का पूर्वोदाहरण देता हूं :—

> "सातवें सत्र (दसवीं लोक सभा) के दौरान 5 अगस्त 1993 को बैंक और वित्तीय संस्थान विधेयक, 1993 के सभा में विचारार्थ होने के कारण ऋणों की वसूली बकाया थी, एक सदस्य (श्री जार्ज फर्नान्डीज) ने इस विधेयक पर वाद-विवाद के स्थगन की अनुमति मांगी ताकि विधेयक को विभागों से सम्बद्ध स्थायी समिति को भेजा जा सके। तत्कालीन उपाध्यक्ष महोदय जो उस समय पीठासीन थे, ने इसे नकार दिया चूंकि विधेयक अध्यादेश का स्थान लेने के लिए था तथा एक निश्चित तिथि तक पारित करना था इसलिए इसे स्थाई समिति को नहीं भेजा जा सका था। उन्होंने आगे कहा कि चूंकि अध्यक्ष महोदय ने वाद-विवाद के स्थगन हेतु अपनी अनुमति नहीं दी है इसलिए स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। तत्पश्चात् विधेयक पर आगे चर्चा प्रारंभ हुई और 10 अगस्त, 1993 को विधेयक पारित हो गया।"

[हिन्दी]

अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत समझेंगे तो बाद में कमेटी को रैफर कर देंगे। अभी वे एलाउड है। यह रूलिंग हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मेरा एक आग्रह है कि उस निर्देश के बाद ऐसा हुआ कि बीमा विनियामक विधेयक, जो अध्यादेश से आया था को स्थाई समिति को भेजा गया। मैं यह भी आग्रह करना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे बाद की स्थिति के बारे में मालूम नहीं।

(व्यवधान)

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : हां श्रीमान। वे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : निक्षेपागार विधेयक के बारे में एक अध्यादेश आया था तथा इस विधेयक पर स्थाई समिति द्वारा पूर्णतः विचार किया गया था। इसलिए मेरा विनम्र अनुरोध है कि कम से कम ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं सभी रिकार्ड को दोबारा देखूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार : महोदय, जीरो आवर में जिनके नाम हैं उनका क्या होगा?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं भी आप ही की बात कह रहा हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मेरा आग्रह है कि इन विधेयकों को आज वापस लिया जाए। हमने अभी इस पर चर्चा प्रारंभ नहीं की है। इन्हें आज की कार्यसूची से हटा दिया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभी संबंधित रिकार्ड को दोबारा देखूंगा।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन : उन्हें कार्यसूची में क्रमबद्ध किया गया है और इस कारण से ये विधेयक चर्चा के लिए आएंगे। उस समय, यदि सदस्य को कोई आपत्ति हो तथा यदि वे उसे समिति को भेजने को कहते हैं तो वे ऐसा कर सकते हैं लेकिन शून्य काल में कार्यसूची के बारे में बोलना और एक मद विशेष को निकालने के लिए कहना, मेरे विचार से हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : माननीय सदस्य, मैंने इसे प्रश्नकाल प्रारंभ होने से पहले उठाया था क्योंकि इसमें कार्यसूची का उल्लेख है। उसके लिए वे निर्देश देंगे। उन्होंने कार्यसूची का उल्लेख किया है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : महोदय, कल भी हम बोलने के लिए उठे थे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे?

कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। कृपया बैठ जाइए। आप क्यों नहीं बैठते? जब मैं आपको अनुमति दूंगा, केवल तभी आप बोल सकते हैं। अब कृपया शांत रहिए।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत "बचदा" (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के पूरे के पूरे पर्वतीय क्षेत्र में पिछले कई महीने से, यानि अगस्त, 1996 से राशन की, मुख्य रूप से गेहूं और चावल, मिट्टी का तेल और चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं हो रही है। भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में पर्याप्त गन्ने का भंडार भरा हुआ है लेकिन उनकी ओर से उसको पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं पहुंचाया जा रहा है। इससे विशेष रूप से धारचूला, मुन्सयारी, कपकोट, बागेश्वर, गरूड़, सोल्ट तथा और भी जो हिमालय के नजदीक हैं, ये जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र हैं वहां तक गेहूं और चावल उपलब्ध नहीं हो रहा है।

महोदय, वहां खेती नहीं है और वहां भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसा न हो जैसे कालाहांडी में तथा और अन्य जगहों पर जो परिस्थितियां विद्यमान हुई वैसी ही परिस्थिति यहां भी उत्पन्न हो। पर्वतीय क्षेत्र में हर तरह की विषमता है। वहां खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं हो रही है। वहां दस किलो पर यूनिट मिलना चाहिए था लेकिन इस समय दो-तीन किलो मिल रहा है। वहां हाहाकार मची हुई है, त्राहि-त्राहि मची हुई है। इस तरफ बार-बार सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के बाद भी सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि ये जो खाद्यान्न के घोटाले हो रहे हैं, उत्तरांचल क्षेत्र में खाद्यान्न की जो नियमित आपूर्ति नहीं की जा रही है उसकी विशेष जांच करवाएं और इसके साथ ही साथ पूरा का पूरा राशन का कोटा शीघ्रातिशीघ्र क्षेत्र में भिजवाया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।

श्री ब्रह्मानन्द मंडल (मुंगेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत गंभीर मामला उठाना चाहता हूं। 27 जनवरी को धनोड़ी और उरैन रेलवे स्टेशन के बीच दादर भागलपुर एक्सप्रेस में रात को आठ बजे डकैती हुई। नौ डिब्बे लूट लिए गए। उसमें चार आदमियों की हत्या हुई और जब महिलाओं के साथ छेड़-छाड़ शुरू हुई तो उसी छेड़-छाड़ की प्रक्रिया में इन चार आदमियों की हत्या हुई। जिसमें चितरंजन रेल कारखाने के कर्मचारी कमाल दास और उसकी पत्नी सुमित्रा देवी मारी गई। जमालपुर कारखाने का शंकर यादव मजदूर मारा गया तथा जमालपुर का एक व्यापारी उमेश बर्नवाल अस्पताल में मारा गया। इसके विरोध में जमालपुर बंद रहा। वहां जनता के आक्रोश की वजह से बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। वहां पुलिस फायरिंग हुई, जिसमें छः आदमी घायल हुए। मुंगेर, लखीसराय और पहलगाम बंद रहा एवं जमास्मपुर, भागलपुर भी बन्द रहा।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि आजादी के बाद आज तक इस तरह की डकैती नहीं हुई। अंग्रेजों के राज में भी हुई या नहीं हुई, मुझे पता नहीं। महोदय, लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है अंग्रेजों के राज में भी ऐसी घटना नहीं हुई थी। बलात्कार, हत्या और डकैती एक साथ हुई है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि यहां रेल मंत्री हैं। उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए लेकिन वे चुप हैं, बिहार में भी जनता दल की सरकार है और केन्द्र में भी जनता दल की सरकार है।

न बिहार सरकार ने मुआवजा दिया है और न रेल विभाग ने चार आदमियों की जो हत्या हुई है उनको एक पैसा भी मुआवजा नहीं दिया गया है। रेल मंत्रालय का तर्क है कि उनके नियम के अनुसार मुआवजा उसे देते हैं जो आतंकवादी गतिविधियों में मारे जाते हैं। लेकिन जो लोग ट्रेन में यात्रा करते हैं और उनकी हत्या हो जाती है या ट्रेन डकैती होती है, रेल मंत्रालय के पास उनको देने के लिए पैसा नहीं है इसका क्या औचित्य है? बिहार में आज पूरी तरह से आतंक फैला हुआ है। रेल मंत्री जी कहते हैं कि लॉ एंड आर्डर का मामला राज्य सरकार का है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि बिहार में राज्य सरकार किसकी है? वहां पर जनता दल का शासन है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह जीरो आवर है और इसमें बात छोटी करके आपको कहनी है।

श्री ब्रह्मानन्द मंडल : कृपया मुझे पूरी बात कहने दीजिए। ...*(व्यवधान)* 6 महीने में उसी खंड में 7 डकैतियां हुई हैं और एक पर भी कार्रवाई नहीं हुई है। जन-कार्रवाई के बाद भी एक भी आदमी को मुआवजा नहीं दिया गया है। लॉ एंड आर्डर का काम अगर बिहार सरकार का है और वहां इस तरह से लोगों की हत्याएं हो रही हैं और केन्द्र सरकार यह सब देख रही है तो मैं कहना चाहता हूं कि वहां की जनता को किसके भरोसे पर छोड़ा जा रहा है। धारा 356 किसलिए है? सिर्फ उत्तर प्रदेश और गुजरात के लिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मंडल जी, यह बजट स्पीच नहीं है, यह जीरो-आवर है।

[अनुवाद]

आप अपना भाषण समाप्त करें। दूसरों को भी बोलना है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री विनय कटियार, मैंने अब माननीय सदस्य श्री ब्रह्मानन्द मंडल को बोलने के लिए कहा है। कृपया बैठ जाइए।

श्री ब्रह्मानन्द मंडल : अगर बिहार सरकार वहां की जनता की सुरक्षा नहीं कर सकती है, ट्रेन की सुरक्षा की गारंटी नहीं कर सकती है तो केन्द्र सरकार को बिहार सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइये। श्री विनय कटियार। कृपया आप बैठ जाइये। कोई लिमिट तो होनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री ब्रह्मानन्द मंडल : इसमें कौन लोग दोषी हैं, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए।...*(व्यवधान)**

---

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

केन्द्र सरकार किसके सहारे लोगों को वहां छोड़ दिया है। ...*(व्यवधान)* मेरी मांग है कि गृह मंत्री जी बयान दें कि वहां इस बारे में क्या करने जा रहे हैं।...*(व्यवधान)* जनता को भाग्य के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता है। अगर गृहमंत्री जी की बात नहीं चल पाती है तो उन्हें त्याग पत्र दे देना चाहिए। मेरी मांग है कि (1) मृतकों और घायलों को मुआवजा दिया जाय (2) बिहार सरकार को बर्खास्त किया जाये और (3) ट्रेन डकैती काण्ड और जमास्मपुर पुलिस गोली काण्ड की न्यायिक जांच करायी जाय।

श्री नीतीश कुमार : जो कुछ भी माननीय सदस्य ने कहा है उसमें मुझे बहुत कुछ नहीं कहना है। लेकिन एक बात गंभीर हो रही है। पहले डकैती होती थी, एक-आध डिब्बा लूटा जाता था लेकिन आज स्थिति यह हो रही है कि पूरी ट्रेन को लूटा जा रहा है। महिलाओं की इज्जत महफूज नहीं है, शील हरण किया जा रहा है, ट्रेन डकैती के अलावा उनके साथ बलात्कार हो रहा है। यह गंभीर विषय है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस मसले पर वहां की राज्य सरकार के साथ आप बैठें, गृह मंत्रालय बैठे और कोई सुरक्षात्मक प्रबंध जरूर किया जाना चाहिए। हम किसी पर आरोप थोप करके अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह (बलिया) (बिहार) : ये जो हत्या और डकैती हुई हैं, इस बारे में रेल मंत्री जी क्या कहना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : मैं इस बात को रिकार्ड में लाना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले रेल मंत्री ने खुद बयान दिया था-ट्रेन के परिचालन की स्थिति पर, कानून और व्यवस्था की स्थिति पर और डकैती को लेकर इन्होंने बयान दिया था। अब सदन चल रहा है, ऐसी स्थिति में हम आपके माध्यम से रेल मंत्री से आग्रह करेंगे कि वे इस पूरी स्थिति पर वक्तव्य दें कि केन्द्र की क्या जवाबदेही है। ऐसी स्थिति में पीड़ित लोगों को मुआवजा देने के लिए सरकार की क्या नीति है?

वह इस पर खुलासा करते हुए एक वक्तव्य दें। पूरे देश में खास तौर से बिहार में रेल परिचालन में इस तरह की कठिनाइयां आ रही हैं। इसको देखते हुए यह क्या कदम उठाना चाहते हैं? बाहर सार्वजनिक रूप से कोई वक्तव्य देकर अपनी जिम्मेदारी से छुटकारा लेने से काम नहीं चलेगा। सख्ती से काम करना होगा। रेलवे स्टेशनों पर महात्मा गांधी जी के जगह-जगह बोर्ड लगे हुए हैं और वहां लिखा हुआ है कि अगर कोई बिना टिकट यात्रा करेगा तो रेल का परिचालन बंद कर दिया जाएगा। हम रेल मंत्री जी से पूछना चाहेंगे कि ऐसी स्थिति में जब सब लोगों की जान असुरक्षित है, महिलाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं रही, उनके साथ बलात्कार हो रहा है, फिश-प्लेट्स खोलकर लूटपाट करने के लिए ट्रेन को डीरेल कराया जा रहा है, आए दिन रोज-रोज यह घटनाएं घटती जा रही हैं तो उसको रोकने के लिए रेल मंत्रालय क्या करना चाहता है? रेल उनकी सम्पत्ति है और यह उनकी जवाबदेही है। हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप निर्देश दीजिए। आप मौन व्रत धारण न करें। वह मौन धारण करके इस मामले को छोड़ देना चाहते हैं। वह साफ-साफ बात करें।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : ट्रेन में डकैती होना एक सीरियस मैटर है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुझे भी चैलेंज करना चाहते हैं?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप मुझे भी बोलने नहीं देना चाहते? कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : हम इनकी बात का जवाब देना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप चिल्लाते जा रहे हैं। कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलिति नहीं किया जाएगा।

श्री राजेश पायलट (दौसा) : महोदय, यह ठीक नहीं है। आपको कुछ कार्यवाही करनी चाहिए...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : क्या अब पर्याप्त है? कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक गम्भीर मामला यहां उठाना चाहता हूं। पिछले दिनों जो हवाला कांड हुआ था...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए। यदि आप मुझे भी बोलने नहीं देंगे तो क्या होगा? कृपया शांत रहिए।

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन और सरकार का ध्यान एक गम्भीर मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले दिनों जो हवाला कांड हुआ था उसके कारण देश की आर्थिक व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। सीमा का उल्लंघन न करें।

(व्यवधान)

---

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जेना, क्या कोई सीमा भी होती है? आप अपने सदस्यों को नियंत्रित नहीं कर सकते?

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : एक सवाल माननीय सदस्य ने उठाया जो कि राज्य सरकार के बारे में प्रोवोकेटिव था। इसलिए माननीय सदस्य ने उसको क्लैरिफाई करना चाहा। अगर आप उन्हें एक मिनट का समय दें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह बिना अनुमति के सम्भव है। वह मुझे भी नहीं बोलने दे रहे हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें आज अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : महोदय, रेल मंत्री को कुछ कहना चाहिए। यह केवल राज्य सरकार का मामला नहीं है। पूरी गाड़ी लूटी जा रही है और महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है। उन्हें कुछ कहना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री श्रीकांत जेना : बात बहुत साधारण है। क्योंकि मामला श्री नीतीश कुमार और अन्य माननीय सदस्यों ने उठाया है, यदि यह मामला बिहार राज्य से सम्बन्धित महत्वपूर्ण मामला है तो बिहार राज्य के सदस्य को बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : यह मामला बिहार राज्य से संबंधित नहीं है। यह मामला गाड़ियों में डकैती के बारे में उठाया गया है जिनमें महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है और गाड़ी को एक घंटे तक खड़ा रखा गया।

[हिन्दी]

श्री श्रीकान्त जेना : आप एक बार रिकार्ड देख लीजिये और अगर रेलवे का सवाल है और अगर उसमें बिहार सरकार के बारे में ऐसा कुछ नहीं है तो इसको डिलीट कर दीजिये।

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया सुनिए।

[हिन्दी]

मैंने यह कहा था कि मामला सीरियस है। ट्रेन में डकैती और सब कुछ हुआ है तो इससे ज्यादा मामला सीरियस नहीं हो सकता।

[अनुवाद]

सरकार को इसे नोटिस में लेना चाहिए।

श्री श्रीकान्त जेना : बात केवल यह है कि बिहार सरकार के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। यही मैं कहना चाहता हूं।

श्री तिरूची शिवा (पुडुक्कोट्टई) : वे इस बारे में रेल मंत्री महोदय से क्यों नहीं पूछते...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक भ्रष्टाचार और घोटाले की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले दिनों देश के अंदर हवाला कांड हुआ था और उससे भी बड़ा हवाला कांड अब हुआ है। हमने यहां पर पिछले सत्र में इंडियन बैंक घोटाले का मामला उठाया। वह मामला कोर्ट में चला गया और अब अदालत ही उस मामले की सुपरविजन कर रही है। मुझे उस संबंध में तो कुछ नहीं कहना है लेकिन एक दूसरा मामला प्रकाश में आया है। यहां के कुछ व्यापारियों ने मिलकर तीन साल के अंदर अरबों रुपया विदेश में भेजा है। यह सब मैं नहीं कह रहा बल्कि भारतीय वित्त संस्थान के निदेशक श्री जय देव अग्रवाल द्वारा पिछले दिनों एक फरवरी के जनसत्ता में एक बयान आया कि आयात-निर्यात के माध्यम से 570 अरब रुपया विदेशों में भेजा गया है। अगर इस बात में सत्यता है तो मेरी भारत सरकार से मांग है कि इस मामले की गंभीरतापूर्वक जांच करवाये। जब 570 अरब रुपया अमरीका भेजा गया तो वहां के तीन अर्थशास्त्रियों ने उसकी समीक्षा की और उन्होंने पाया कि यह रुपया वहां के बैंकों में अवैध रूप से जमा हुआ है जो भारत से आयात-निर्यात के माध्यम से आया है। अगर यह रुपया अवैध रूप से अमरीका न जाता तो भारत पर जो विदेशी कर्जा 19 अरब डालर का है, वह घटकर 16 अरब डालर का रह जाता...*(व्यवधान)* आप भ्रष्टाचार को समर्थन दे रहे हैं। यह आपका मामला नहीं है, आप अपनी बात करिये। लेकिन विदेशी कर्ज 19 अरब डालर से घटकर 16 अरब डालर रह जाता अगर विदेशी में यह रुपया नहीं जाता और ब्याज की देनदारी की धनराशि 15 प्रतिशत कम हो जाती...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते। जीरो ऑवर में एकाध बात कहनी होती है।

श्री विनय कटियार : उपाध्यक्ष जी, बस एक मिनट में खत्म करता हूं। विदेशी मुद्रा कोष 25 अरब डालर से बढ़कर 40 अरब डालर हो जाते और डालर के मुकाबले में भारत में रुपया मजबूत हो जाता। इसलिये हमारी भारत सरकार से मांग है कि पिछले तीन सालों

में अवैध रूप से जो रुपया भेजा गया है, उन व्यापारियों के खिलाफ शीघ्र कार्यवाही करें और सरकार इस पर बयान दे।

[अनुवाद]

श्रीमती कृष्णा बोस (जादवपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सभा में पिछले आधे घंटे से जो हो रहा है उसे मैं देख रही हूं। इसलिए हमें सभा में और महिलाओं की आवश्यकता है। हम बोलने में अपने पुरुष साथियों का मुकाबला नहीं कर सकते। मैं एक महत्वपूर्ण मामला उठाने की कोशिश कर रही हूं। लेकिन मेरे चारों ओर पुरुषों के चिल्लाने के कारण मेरी आवाज सुनी नहीं जा रही है।

महोदय, मैं सभा का ध्यान खाद्यान्नों की दोहरी मूल्य नीति के खतरों की तरफ आकृष्ट करना चाहती हूं जो सरकार ने अभी शुरू की है। सरकार का समाज के गरीब वर्गों की सहायता करने का निर्णय बहुत नेक है। लेकिन क्या सरकार को इसके पैदा होने वाली गम्भीर और दूरगामी समस्याओं की जानकारी है? पहला, हम गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लाखों लोगों की पहचान कैसे करेंगे जो कि एक असम्भव काम है? दूसरा, गरीबों के लिए निर्धारित खाद्यान्न सामन्यतया आवांछनीय लोगों के हाथों में चला जाता है जहां से वह काला बाजार में पहुंच जाता है। गत वर्षों में यह हमारा अनुभव रहा है। अंतिम जो कम महत्वपूर्ण नहीं है। खाद्यान्न राजसहायता का बहुत बड़ा भार जो वित्त मंत्री खुद अपने ऊपर डाल रहे हैं उससे निश्चित रूप से मुद्रा स्फीति बढ़ेगी। इस तरह गरीब लोगों की सहायता करने की बजाए अन्ततः हम लोगों की मुसीबतों को ही बढ़ायेंगे। मैं सरकार से जानना चाहती हूं कि सरकार ने मेरे द्वारा उपरोक्त उठाई गई तीन बातों के लिए पर्याप्त सुरक्षा के उपाय किए हैं।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (सदर-दिल्ली) : दिल्ली में बम विस्फोट का मामला बहुत गम्भीर है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको पहले ही अनुमति दे दी है।

श्री द्वारका नाथ दास (करीमगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, असम खासतौर पर दक्षिण असम में कई रुग्ण और आर्थिक दृष्टि से कमजोर बागान हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र करीमगंज दक्षिण असम में रुग्ण और आर्थिक दृष्टि से कमजोर चाय बागानों की स्थिति बहुत गम्भीर है। अब तक कुछ चाय बागानों का परित्याग किया जा चुका है और कुछ का परित्याग किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : हमें भी मौका दीजिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले बोल चुके हैं। आपका नंबर नहीं आएगा।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : हम नहीं बोले हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री द्वारका नाथ दास : महोदय, मैंने कई अवसरों पर इस मामले पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। लेकिन रुग्ण चाय बागानों को पुनः शुरू करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया। यह और भी दयनीय है कि ऐसे चाय बागानों के मजदूर बिना साप्ताहिक मजदूरी और राशन के अमानवीय परिस्थितियों में रह रहे हैं और उनकी झोपड़ियां जिनमें वह रह रहे हैं, भी जर्जर अवस्था में हैं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : इस तरह से बोलना ठीक नहीं है। कृपया शांत रहिए।

[अनुवाद]

श्री द्वारका नाथ दास : महोदय, इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस मामले की गम्भीरता से छानबीन करे और रूग्ण और आर्थिक दृष्टि से कमजोर चाय बागानों के मजदूरों को बचाने के लिए कल्याणकारी उपाय करे और साथ ही इन चाय बागानों को पुनः शुरू करने के लिए अतिशीघ्र कदम उठाए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुकदेव पासवान

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया सभा में व्यवस्था बनाए रखें।

[हिन्दी]

पासवान जी को बोलने दीजिए। मैंने उनको अलाउ किया है।

श्री सुकदेव पासवान (अररिया) : उपाध्यक्ष महोदय, सुनिश्चित रोजगार योजना केन्द्र सरकार की योजना है। इसके जो दिशा-निर्देश हैं, उनका पालन नहीं हो पाता है। सुनिश्चित रोजगार योजना में संसद सदस्यों से जिले में कोई विचार-विमर्श नहीं किया जाता कि कौन इसमें लिया जाए और कौन नहीं लिया जाए। मेरा सुझाव है कि सुनिश्चित रोजगार योजना में दिशा-निर्देशों को बदलकर क्षेत्रीय सांसदों को चेयरमैन बनाया जाए और जिला-प्राधिकारियों को सचिव बनाया जाए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : उनको बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जो माननीय संसद सदस्य जिले में सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत अनुशंसा देंगे, उनकी कम से कम 75 प्रतिशत अनुशंसा को मान लिया जाए।

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : सब कुछ एम.पीज को ही दे देंगे तो पंचायतें क्या करेंगी?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आज हाऊस का मूड मेरी समझ में नहीं आ रहा है।

श्री सुकदेव पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह एम॰पीज॰ लोकल डेवलपमेंट एरिया की स्कीम है और जिस तरह से उसके फंड की जांच होती है, उसी तरह सुनिश्चित रोजगार योजना का भी एम॰पीज॰ लोकल डेवलपमेंट एरिया की तरह कंप्यूटर पर सीधे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, लोक सभा अपनी देख-रेख में काम करायें। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार के द्वारा त्वरित योजना चलायी जाती है। जैसे गांव में चापकल नहीं है, वह केन्द्र सरकार की स्कीम है, इसमें पहले संसद सदस्यों की राय ली जाती थी लेकिन अब उसमें संसद सदस्यों की राय नहीं ली जाती है कि हैंड पम्प उनको कहां-कहां पर दिये जाएं। इसलिए त्वरित योजना में भी संसद सदस्यों को प्रमुखता दी जाए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक अच्छा सुझाव है, जेना साहब आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं तो कहिये, मैं आपको रोकता नहीं हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, रोजगार सुनियोजित कार्यक्रम के संबंध में भारत सरकार पहले ही दिशानिर्देश जारी कर चुकी है। यह मांग की जा रही है कि उक्त दिशानिर्देशों को बदला जाय और स्थानीय संसद सदस्यों को परियोजनाओं की चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाय संसद सदस्य लगातार यह मांग करते रहे हैं। लेकिन इस परियोजना चयन प्रक्रिया में उन्हें कैसे शामिल किया जाए? इस पर हमें विभिन्न राजनीतिक दलों की राय लेनी होगी। तभी सरकार सभा के समक्ष आकर निश्चित तौर यह कह सकती है कि दिशा-निर्देश में क्या परिवर्तन लाया जाए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको इसके बाद अलाउ करूंगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, देश की सुरक्षा के साथ जुड़े एक मसले पर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूं कि सरकार उसका जवाब दे। इसी महीने की चार तारीख से 18 तारीख तक 14 दिनों में पड़ोसी देश चीन की सेना हिमाचल प्रदेश के इलाके में छः बार घुसी है और यह सेना हमारे देश के छः किलोमीटर भीतर तक आई है। यानी छः बार छः किलोमीटर तक अंदर आई है। हिमाचल प्रदेश में जो ट्रैक जंक्शन नामक स्थान है, वहां पर यह सेना आई है। उस सेना ने जो भी जांच करनी थी या जो भी उनके इरादे थे, वह पूरे करके वह वहां से लौट जाती है। अभी तक जो जानकारी आई है उसके अनुसार हिंदुस्तान की सेना उस इलाके में तैनात है और हमारी सेना ने ऐसा कोई भी व्यवहार चीनी सेना के साथ नहीं किया कि जिससे लगे कि वे हिंदुस्तान की जमीन पर आकर जांच या निगरानी नहीं कर सकते हैं। हमारी सेना का काम इतना ही रहा कि जब-जब चीनी सेना आई तो उन्होंने सफेद झंडी दिखायी, जैसे कि हमें उनसे कुछ नहीं कहना है, हमें अपनी जमीन के बारे में किसी भी प्रकार का विवाद पैदा नहीं करना है। तो इस प्रकार का हमारी सेना का व्यवहार रहा। मुझे अफसोस इस बात का है कि 14 दिन में छः बार यह घटना होने के बावजूद इस सदन में इस विषय पर अभी तक चर्चा नहीं हो पाई।

कुछ अखबारों में इस बारे में थोड़ी खबर जरूर छपी लेकिन इस सदन की नजर में, हमारे रक्षा मंत्री की नजर में, हमारे विदेश मंत्री की नजर में वह बात क्यों नहीं आई यह मैं समझ नहीं पा रहा हूं। यह संसद इस देश की सर्वोच्च पंचायत है। बाकी तमाम चीजों के बारे में यहां हम चर्चा करते हैं, हमारी नल और नाली ठीक हैं या नहीं, उसकी चर्चा हम सदन में खूब करते हैं लेकिन जब हमारी सीमाओं पर इस तरह का खतरा आता है तब इस सदन में ऐसे मुद्दों पर पता नहीं क्यों चर्चा खड़ी नहीं हो सकती।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से, सरकार का मतलब देश के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, दोनों से यह कहना है और प्रार्थना भी है कि हमारी सीमाओं पर क्या स्थिति बनी, क्यों चीनी सेनाएं हिन्दुस्तान में घुसी, इस बारे में पूरी जानकारी सदन के सामने आनी चाहिए।

अभी चीन के राष्ट्रपति हमारे यहां होकर गए हैं और उनके जाते ही यह सिलसिला शुरू हो गया। मैं जानता हूं कि हमारी समूची उत्तरी सीमाओं के बारे में चीन की अब तक जो दृष्टि रही है, कुछ दिनों के लिए अंदर घुसने की, आने-जाने की, हम लोगों द्वारा उसका मुकाबला न करने पर, उनके द्वारा कहना कि यहां हमारा हैलिपैड बन गया है, इसलिए यह जगह हमारी है और फिर लड़ाई का मुद्दा तैयार हो जाता है। इसमें केवल लड़ाई की ही बात नहीं, बल्कि उनका हमेशा की तरह कहना रहा है कि हिन्दुस्तान की उत्तरी सीमा आज भी स्पष्ट नहीं है, खुली सीमा है। इस खुली सीमा के नाम पर, उनके द्वारा हमारी जमीन पर कब्जा करने की स्थिति शुरू से चलती आ रही हैं। पंडित जी के जमाने से चली आ रही है। पंडित जी ने एक बार कहा था—

[अनुवाद]

"न वहां कोई आदमी रहता है न वहां कोई घास का तिनका उगता है।"

[हिन्दी]

उसका नतीजा यह हुआ कि सारा अक्साईचिन हमारे हाथ से चला गया।

आज हिमाचल की जमीन पर फिर से वही मामला हो रहा है। इसलिए उपाध्यक्ष जी, आप मेहरबानी करके सरकार को, रक्षा मंत्री जी को और विदेश मंत्री जी को आदेश दीजिए कि इस मामले पर सदन में आकर बयान दें ताकि सदन इस विषय पर गौर करे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कनौजिया।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : उपाध्यक्ष जी, मैं एक महत्वपूर्ण सवाल उठाना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री कनौजिया को अनुमति दी है।

श्री रूप चन्द पाल : महोदय, इस पक्ष के लोगों का क्या हुआ? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जी॰एल॰ कनौजिया (खीरी) : उपाध्यक्ष महोदय, समय देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और सामने जो सरकार बैठी है, जो अपने आपको गरीबों का मसीहा कहती है, आपके माध्यम से कुछ बातें इनके संज्ञान में लाना चाहता हूं। हमारे दुधवा नेशनल पार्क के आसपास लगभग 40,000 थारू जनजातियों के घर हैं, 70-80 हजार उनकी आबादी है, जिनके साथ भारी अन्याय हो रहा है। इस बारे में, कई बार मैं पत्र लिख चुका हूं और सदन की जानकारी में भी लाना चाहूंगा। थारू जनजाति के लोग आजादी मिलने के पहले से वहां बसे हुए हैं और जमीन काश्त कर रहे थे लेकिन आज उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं। दुधवा नेशनल पार्क को रिजर्व फौरेस्ट घोषित कर दिया गया है और बदले में उन्हें कोई जगह नहीं दी जा रही है। जिन जमीनों पर वे सैकड़ों साल से काम करते आ रहे हैं, वह जमीन उनके नाम दाखिल-खारिज है, म्यूटेशन हो चुका है, वे लोग रिवैन्यू देते हैं, लेकिन आज उन्हें जमीनों से हटाया जा रहा है। जबरन हटाने के अलावा उन पर मुकदमे भी दायर किए जा रहे हैं।

दूसरी बात यह है कि हमारे जहां जंगलों के बीच जो थारू जनजाति के लोग बसे हैं, रिजर्व फौरैस्ट के नाम पर उन्हें वहां से निकाला जा रहा है और उन्हें कोई आल्टरनेट जगह भी नहीं दी जा रही है। मेरी मांग है कि उन्हें बदले में कोई दूसरी जमीन देनी चाहिए। थारू जनजाति के लोग गरीब हैं। अगर उनके जानवर उस इलाके में चले जाते हैं, जंगल में कोई बाउंडरी न होने से, तार न होने से, उन जानवरों को पकड़ कर बंद कर लिया जाता है, उन पर जुर्माना किया जाता है। जंगली जानवर आकर उनके बच्चों को खा जाते हैं, पालतू जानवरों को मार जाते हैं, फसलें खा जाते हैं जिसके लिए उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिलता।

मैं आपके माध्यम से इस सरकार से कहना चाहता हूं, जो अपने आपको गरीबों का मसीहा कहती है, कि थारू जनजाति के लोग बहुत गरीब हैं, उनकी रक्षा की जाए, उन्हें जमीनों से न हटाया जाए। अगर रिजर्व फौरैस्ट के नाम पर उन्हें हटाएं तो पहले उनके लिए आल्टरनेट जगह की व्यवस्था की जानी चाहिए क्योंकि सैंकड़ों सालों से वे उस जमीन पर आबाद हैं, जमीन उनके नाम से हैं। उनकी जमीन के आसपास जहां जंगल लगाए जा रहे हैं, जंगलों का लगाना तुरन्त रोका जाना चाहिए, यही मेरा सरकार से अनुरोध है। मैं चाहता हूं कि सरकार की ओर से यहां वक्तव्य आना चाहिए।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : उपाध्यक्ष जी, मैं महत्वपूर्ण मामला आपके ध्यान में लाना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रूप चन्द पाल : इस पक्ष का क्या हुआ? इस पक्ष के किसी भी सदस्य को कोई मौका नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं बाद में आपको अलाउ करूंगा, तब आप बोलिए। मैंने आपको अभी अलाउ नहीं किया है। आप बैठिए।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : मेरा जान-माल से संबंधित सवाल है, आप मुझे मौका दीजिए...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठिए, मैंने पहले ही नैक्स्ट मैम्बर का नाम काल कर लिया है।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : मुझे बहुत महत्वपूर्ण सवाल को सदन में उठाना है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपका नोटिस कहां है। मैं देख लेता हूं। आप बैठ जाइए।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : मुझे कल स्पीकर साहब ने आज इजाजत देने के लिए कहा था।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ऐसे इजाजत नहीं दूंगा।

[अनुवाद]

यह एक गलत परम्परा होगी। मैं इस तरह इसकी अनुमति नहीं दूंगा। कृपया बैठ जाएं।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : मैं आपकी बात 6 बार मान चुका हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। आपको 10 बार माननी पड़ेगी।

अब श्री टी॰ गोविन्दन बोलेंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें। श्री टी॰ गोविन्दन का नाम पुकार चुका हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : उपाध्यक्ष महोदय, जान-माल का सवाल है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैं आपको इस तरह अलाउ नहीं कर सकता हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपके नाम के आगे नोटिस में यह लिखा हुआ है-

[अनुवाद]

यह मामला किसी माननीय सदस्य द्वारा पहले ही उठाया जा चुका है।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : उपाध्यक्ष महोदय, जो मामला मैं उठाना चाहता हूं वह जान-माल से संबंधित है। इसलिए मुझे उसको उठाने की अनुमति दी जाए। जो पहले बोला गया है वह दूसरे विषय पर बोला गया है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं। यह मुद्दा पहले ही किसी अन्य माननीय सदस्यों द्वारा उठाया जा चुका है। इसकी स्वीकृति आज नहीं दी जा सकती है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता। मैंने आपको इसकी अनुमति नहीं दी है। आप चिल्लाते जा रहे हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप मुझे बोलने के लिए अलाउ नहीं करते हैं तो मैं सदन में ही धरने पर बैठ जाता हूं।

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अपराह्न 12.56 बजे

इस समय माननीय सदस्य श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव आये और सभा पटल के निकट फर्श पर बैठ गए।

श्री टी॰ गोविन्दन : यूरिया की कीमत में हाल में हुई दस प्रतिशत की वृद्धि एक गंभीर मामला है। यह कीमत उस समय बढ़ायी गई जब किसान उर्वरक की कीमत में कटौती की मांग कर रहे हैं। पोटाश और फास्फेट पर राजसहायता प्रदान करना एक स्वांग मात्र है क्योंकि यूरिया की कीमत में 715 करोड़ रुपए की वार्षिक वृद्धि की गई है। इससे कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

लगभग सभी राजनीतिक दलों ने हाल ही में यूरिया की कीमतों में हुई वृद्धि को वापस लेने की मांग की है। केरल में एक बैग यूरिया की कीमत 170.15 रुपए थी जो अब बढ़कर 187.58 रुपए प्रति बैग हो गई है। फसल को हुई भारी क्षति तथा उत्पादन लागत में वृद्धि के फलस्वरूप किसानों को धान फसल को छोड़ने पर बाध्य होना पड़ेगा। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 1991 में उर्वरकों की कीमतों में 30 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी और 1992 में यह दुगुनी कर दी गई। केरल में, चावल की कुल वार्षिक मांग का केवल एक-तिहाई उत्पादन होता है। इस उत्पादन में और अधिक कमी होगी। यह एक विडम्बना है कि जब देश की बागडोर एक किसान के हाथ में है, यह किसान विरोधी अभियान चल गया है। सरकार से मैं यह मांग करता हूं कि वह यूरिया की इस बढ़ी हुई कीमत को वापस ले।

अपराह्न 12.59 बजे

इस समय माननीय सदस्य श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव अपने स्थान पर वापस चले गए।

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन और सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र खुर्जा में नरौरा में एटामिक पावर प्रोजैक्ट, जो परमाणु ऊर्जा पर आधारित बिजली बनाता है, उस बिजलीघर की ओर दिलाना चाहता हूं। उसके विस्थापितों की हालत बहुत खराब है। मैंने पिछले सत्र में, इसी सदन में यह मामला उठाया था, तो उस समय अध्यक्ष महोदय ने रूलिंग देते हुए कहा था कि फौरन इस बात को सुना जाए और समस्याओं का निराकरण किया जाए। मंत्री महोदय ने उसके बाद यह आश्वासन दिया था कि इस बारे में एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि उस बारे में अभी तक कुछ नहीं हुआ है।

महोदय, अब नरौरा के मेरे क्षेत्र के चार-पांच ग्रामों के विस्थापित नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बिजोवा, नई बस्ती और बागीपुर वगैरह के लोगों का जीवन दूभर हो रहा है। इन गांवों के लोग गड्ढ़ों के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जब वर्षा होती है, तो उन गड्ढ़ों में पानी भर जाता है जिससे उनका वहां रहना मुश्किल ही नहीं असंभव होता जा रहा है।

महोदय, पिछली बार मंत्री जी ने जवाब दिया था कि उनके बच्चों को वहां पर स्कूलों में दाखिला दिया जाएगा। उनके घर वालों को वहां के अस्पतालों में देखा जाएगा, उनका वहां पर इलाज किया जाएगा, लेकिन प्रोजैक्ट के स्कूलों में उनके बच्चों को दाखिला नहीं मिलता है और न प्रोजैक्ट के अस्पतालों में उनके घरों के बीमारों को देखा जाता है। इस प्रकार से मंत्री जी द्वारा कही गई सारी बातें असत्य सिद्ध हो रही है। उनकी नाजुक स्थिति की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करते हुए आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि उनकी समस्याओं का समाधान शीघ्र किया जाए और वहां पर एक ऐसी समिति बनाई जाए जिसमें जनप्रतिनिधियों का समावेश हो।...*(व्यवधान)*

श्री विनय कटियार : उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में पिछले सत्र में अध्यक्ष महोदय ने लोक सभा में जो रूलिंग दी थी और माननीय मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया था, उसी की यदि पूर्ति करवा दी जाए, तो इस समस्या का समाधान हो सकता है।...*(व्यवधान)*

श्री अशोक प्रधान : उपाध्यक्ष महोदय, उस समय जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें यह सब लिखा हुआ है और उसमें यह भी है कि 12 किलोमीटर के एरिया में बिजली दी जाएगी, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है और इस बारे में शासनादेश भी है, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं हो रहा है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि उनकी समस्याओं का पूरा निराकरण किया जाए।

श्री विजय गोयल (सदर-दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं लोक महत्व का एक महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं। कृपया बैठ जाइए।

श्री विजय गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, जो लोग शोर करते हैं, उनकी बात को तो सुना जाता है और हमारी महत्वपूर्ण बात को भी यदि उठाने का मौका नहीं दिया जाएगा, तो कैसे हम अपनी बातों को उठाएं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं। आप बैठिए। इस प्रकार से आप नहीं बोल सकते हैं। बिना अनुमति के आप नहीं बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आज हाउस के मूड को क्या हो गया है। मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान निकोबार द्वीपसमूह) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि नौवहन केन्द्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीपसमूहों के लिए मेरूदंड है। ये द्वीपसमूह, दक्षिण द्वीप पोर्ट ब्लेयर से लेकर 350 समुद्री मील दूर अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार तक फैले हुए हैं। पर्याप्त अंतर-द्वीपसमूह नौवहन सेवा के अभाव में इन द्वीपसमूह को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विगत एक वर्ष से नौवहन सेवा और अधिक बदतर हो गयी है और उन लोगों, विशेषकर आदिवासी लोगों जो कि दूरदराज और अलग-थलग द्वीपसमूहों में रहते हैं, को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बार-बार यह मुद्दा उठाया गया है। मैंने सरकार और जल-भूतल परिवहन मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाने की कोशिश की है कि वे देश के उन भागों में अंतर-द्वीपसमूह नौवहन सेवा को शुरू करने हेतु शीघ्र कदम उठाए जाएं लेकिन मेरा यह प्रयास निरर्थक रहा। यही कारण है कि मैं आपके माध्यम से एक बार पुनः सरकार और सभी माननीय सदस्यों का ध्यान अपने दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर, इस मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूं और सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह लोगों के दुःखों को समझते हुए इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से इस संबंध में सम्पर्क स्थापित करे अन्यथवा वहां के लोगों के लिए जीना कठिन हो जाएगा। अपर्याप्त अंतर-द्वीपसमूह नौवहन सेवाओं के फलस्वरूप उनकी विपणन सुविधायें किसानों द्वारा सब्जियों का उत्पादन और आवश्यक वस्तुएं भी प्रभावित होती हैं।

संसदीय कार्य मंत्री कुछ लोगों से बात करने में व्यस्त हैं। उन्हें इस द्वीप समूह से आये सदस्य द्वारा उठाये गए इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान देने का वक्त ही नहीं है...*(व्यवधान)*

अतः मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि इस मुद्दे पर गौर करें क्योंकि यह कोई व्यक्ति विशेष का मुद्दा नहीं है अपितु उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों का मुद्दा है। इसी कारण मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह ग्रेट-निकोबार द्वीपसमूहों, कोंडुल द्वीपसमूहों, कोमाया द्वीपसमूहों, कच्छोल द्वीपसमूहों, चावड़ा द्वीपसमूहों, टेरेसा द्वीपसमूहों और कार-निकोबार द्वीपसमूहों में रहने वाले लोगों को शीघ्र राहत देने के लिए कोई जलयान चार्टर आधार पर उपलब्ध कराएं या शीघ्र ही उनके लिए कोई प्रयुक्त जलपोत खरीदें। मुझे विश्वास है कि मेरी बात को अनसुनी नहीं किया जाएगा और सरकार हर संभव प्रयास करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : महाशय, मुझे एक घोषणा करनी है। कृपया पहले मेरी बात सुनें।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री अब सोमवार को जवाब देंगे न कि आज 4 म०प० पर।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुन लीजिए। मिस्टर जेना से मैं रिक्वैस्ट करूंगा कि वे मुझे चेम्बर में, उनके मेम्बर्स का जो स्टीच्यूड है, उस बारे में मिलें।

[अनुवाद]

मैं समझता हूं कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री रूप चन्द पाल : महोदय, जैसाकि आप जानते हैं कि आई०डी०पी०एल० एक बहुत ही प्रतिष्ठित केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है। यह विश्व की सबसे बड़ी औषध कम्पनियों में से एक है। यहां से करीब-करीब सभी जीवन-रक्षक औषधियां बहुत कम कीमत पर आपूर्ति की जाती हैं। लेकिन विगत वर्षों में कुप्रबंधन और

भ्रष्टाचार के कारण सरकारी क्षेत्र का यह प्रतिष्ठित उपक्रम रुग्ण हो गया है। अंततः कार्मिकों की संख्या 14,000 से घटाकर 7500 कर दी गई। औद्योगिक वित्त एवं पुनर्निर्माण बैंक की मांग के अनुसार, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने पुनरुद्धार योजना को प्रस्तुत किया था जो सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के पूर्णतया विरूद्ध थी और साथ ही कार्मिकों के भी विरूद्ध थी। सभी ट्रेड यूनियनों ने मिलकर एक वैकल्पिक पुनरूद्धार पैकेज प्रस्तुत किया था जो इस समय कार्यरत सभी कार्मिकों को भी कार्यरत रहने देता और साथ ही इसे लाभदायक भी बनाता।

इसलिए मैं सरकार से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा प्रस्तावित पुनरूद्धार पैकेज को स्वीकार न करने का आग्रह करूंगा अपितु वह कर्मचारियों के प्रस्तावों पर ध्यान दें, वैकल्पिक पुनरूद्धार पैकेज के बारे में सभी ट्रेड यूनियनों के प्रस्तावों पर ध्यान दें जिससे कि प्रतिष्ठित आई॰डी॰पी॰एल॰ के साथ-साथ इस प्रतिष्ठित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में कार्यरत लोगों को भी बचाया जा सके। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : अगर इनको कुछ कहना है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री गोयल को बोलने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : उपाध्यक्ष जी, मैं सदन का ध्यान नागरिक सुरक्षा के मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। दो दिन पहले 25 तारीख को मेरे सदर संसदीय क्षेत्र के अन्दर दो जगह बम फटे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा॰ रामचन्द्र डोम (बीरभूम) : यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण मुद्दा है...*(व्यवधान)*

श्री प्रमथेस मुखर्जी (बरहामपुर) : पुनरूद्धार पैकेज आवश्यक है...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मंत्री यहां पर हैं। उन्हें इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री प्रमथेस मुखर्जी : हम माननीय मंत्री से एक वक्तव्य की मांग करते हैं।

डा॰ रामचन्द्र डोम : हम माननीय मंत्री की प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : दिल्ली में सितम्बर 1993 से लेकर आज तक 15 बार बम फट चुके हैं।...*(व्यवधान)* लाजपत नगर में बम फटा, पहाड़गंज में बम फटा जिसमें आठ लोग घायल हुए थे। गीता कालोनी में बम फटा, 4 लोग घायल हुए थे। सदर बाजार में 3 जनवरी को बम फटा था, 7 लोग मरे थे और 36 लोग घायल हुए थे। ...*(व्यवधान)* मैं पूछना चाहता हूं कि एक भी मामले में इनटैलीजैंस ब्यूरो ने कोई पूर्व सूचना नहीं दी थी। किसी मामले में दिल्ली पुलिस ने यह नहीं बताया कि उनको घटना के बारे में कोई अंदेशा था।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री गोयल को बोलने की अनुमति दी है। उसके बाद मैं मंत्री से यदि वह कुछ कहना चाहें, तो कहने लिए कहूंगा।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : यदि दिल्ली जैसी राजधानी में इतनी असुरक्षा की भावना होगी तो उसका देश में क्या संदेश जाएगा। मेरे संसदीय क्षेत्र में जो दो बम फटे, वे सब्जी मंडी के भीड़ वाले इलाके में फटे थे। मुख्यमंत्री को सूचना नहीं दी गई।...*(व्यवधान)* मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय गृह मंत्री सदन में बयान दें। दिल्ली में यह सोलहवीं घटना है जिसके कारण आज दिल्ली के नागरिकों की सुरक्षा खतरे में पड़ी हुई है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इनटैलीजैंस ब्यूरो से पूछा जाए कि क्या कारण है एक भी मामले में इन्टैलीजैंस ब्यूरो द्वारा पूर्व सूचना नहीं दी गई।...*(व्यवधान)* आप गृह मंत्री को सदन में बयान देने के लिए कहें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप कुछ कहना चाहते हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : उन्हें जनवरी से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। मंत्री इसके लिए क्या करना चाहते हैं।

[हिन्दी]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : उपाध्यक्ष जी, दो दिन पहले यूनियन के कुछ दोस्त मिले थे। उन्होंने एक मैमोरंडम दिया है। वह यूनिट कैसे रिवाइव हो सकती है, उसकी जानकारी चाही है। मैं समझता हूं कि विभाग से सम्पूर्ण जानकारी आने के बाद जो स्थिति होगी, उससे मैं इन्हें निश्चित तौर से अवगत करवाऊंगा। मुझे ये कल हाउस से बाहर दफ्तर में मिले थे। मेरी सहानुभूति इनके साथ है लेकिन भयंकर आर्थिक संकट है। वह मेरे बस की बात नहीं है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बारे में क्या कर सकते हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न 2.10 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.08 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.10 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.16 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.16 बजे पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) ऊर्जा उत्पादन के लिए आधारभूत क्षेत्र को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

प्रो॰ अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : सुदृढ़ आधारभूत ढांचे के अभाव में उदारीकरण के पांच वर्ष बाद भी देश की अपेक्षित आर्थिक प्रगति नहीं हो रही है। पर्याप्त ऊर्जा का अभाव ही मुख्य व्यवधान है जिसे दूर करने के लिए सरकार ने कोर सेक्टर को अलग से केपटिव कोल माइंस की व्यवस्था की है। इसके बावजूद भी निजी उद्यमी इस दिशा में विशेष प्रगति नहीं कर पाए हैं। अतः यह आवश्यक है कि सरकार निजी उद्यमियों पर अत्यधिक निर्भर रहने के बजाए, अपने कोर सेक्टर को मजबूती प्रदान करे। विभिन्न उपभोक्ताओं का एक माइनिंग ब्लाक आबंटित कर देना ही एकमात्र समाधान नहीं है, क्योंकि निजी उद्यमी अधिक उत्पादन के लिए आधुनिकतम तकनीक अपनाएंगे, जो रोजगार के अवसर को संकुचित करेगी। इसके अलावा लाभ अर्जित करने के चक्कर में खदानों के संरक्षण के प्रति उसी प्रकार उदासीन रहेंगे, जैसा वे राष्ट्रीयकरण के पहले थे। सरकार के लिए बेहतर विकल्प होगा कि वह सार्वजनिक क्षेत्र के कोयला उद्योग के वर्किंग की स्ट्रीम लाइन और रिस्ट्रक्चर करें, जिससे निजी उद्यमियों को बराबरी के आधार पर पूंजी निवेश के लिए आकर्षित किया जा सके। यद्यपि सी॰आई॰एल॰ ने अपने जन्म से ही स्टील सेक्टर को छोड़कर बढ़ती हुई राष्ट्रीय आवश्यकता की पूर्ति की है परन्तु पिछले पांच वर्ष से यह लाभ में है, पर अपने आंतरिक स्रोतों से इतनी राशि नहीं जुटा पा रही है जिससे अगले दशक की आवश्यकता पूरी करने के लिए खदानों का विकास या नए ढंग से संरचना कर सकें।

इसके लिए टाटा के केपटिव कोल माइन्स को आधार बनाकर रिस्ट्रक्चर और स्ट्रीम लाइन करना चाहिए।

[अनुवाद]

(दो) नारियल गिरी के लिए घोषित समर्थन मूल्य की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री टी॰ गोविन्दन (केसरगोड़ा) : श्रीमान्, मैं केन्द्रीय कृषि मंत्री और भारत सरकार का ध्यान नारियल गिरी के लिए घोषित अत्यंत कम समर्थन मूल्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इससे नारियल उत्पादक किसानों को अत्यधिक निराशा हुई है। केरल की अर्थ-व्यवस्था नारियल पर आधारित होने के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था को भी नारियल मूल्य में उतार-चढ़ाव प्रभावित करेगा। केन्द्रीय कृषि मूल्यांकन समिति में केरल का कोई प्रतिनिधि नहीं है। केरल सरकार ने नारियल गिरी के मूल्य में वृद्धि करने के बारे में केन्द्र को मनवाया है। यह एक न्यायोचित मांग है कि प्राकृतिक आपदाओं से कृषि को होने वाले नुकसान के लिए एक अलग निधि स्थापित की जाए। केरल सरकार ने सभी फसलों को कृषि बीमा योजना में शामिल करने और छोटे और सीमान्त किसानों को इसके प्रीमियम का भुगतान न करने की छूट देने की मांग की थी। यह बात सही है कि कई प्रकार की बीमारियों के कारण केरल में नारियल का उत्पादन कम हो रहा है। अभी तक सरकार प्रभावी बचाव के उपायों को उपलब्ध कराने में सफल नहीं हो पाई है। बीमार और पुराने पेड़ों को उखाड़कर नए संकर किस्मों को रोपने के लिए एक व्यापक परियोजना होनी चाहिए।

मैं केन्द्रीय कृषि मंत्री से नारियल गिरी के लिए घोषित मूल्य पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करता हूं।

(तीन) उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री बृज भूषण तिवारी (डुमरियागंज) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार के गन्ने के दाम के निर्धारण आदेश को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त करने तथा चीनी मिल मालिकों द्वारा बढ़ा हुआ दाम न देने के कारण गन्ना किसानों में अत्यंत रोष हैं और असमंजस की स्थिति है। आज भी 250 करोड़ रुपया किसानों का बकाया है जबकि उ॰प्र॰ के शुगर केन परचेज एक्ट एवं नियम के तहत 15 दिनों के भीतर गन्ने के दाम का भुगतान अनिवार्य है और यदि इस अवधि के अन्दर भुगतान नहीं होता तो 12.5 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज देय होगा। परन्तु कभी भी इस नियम का कड़ाई से पालन नहीं किया गया जिसका परिणाम है कि गन्ना किसान दोहरी मार से पीड़ित है।

प्रदेश की कुल 118 चीनी मिलों में से केवल 115 मिलों में ही पिराई हो रही है। केन्द्र सरकार द्वारा संचालित गौरी बाजार एवं आनन्द नगर की मिलें बन्द हैं जिस कारण इससे सम्बद्ध किसानों का गन्ना खेतों में खड़ा सूख रहा है। आनन्द नगर मिल बन्द होने के कारण महाराजगंज एवं सिद्धार्थ नगर के गन्ना किसानों की हालत अत्यंत ही दयनीय हो गयी है क्योंकि इस क्षेत्र के किसानों की नकदी फसल गन्ना के अलावा और कुछ नहीं है।

अतः हमारी सरकार से मांग है कि उ॰प्र॰ सरकार द्वारा निर्धारित दाम दिया जाए। आनन्द नगर मिल से सम्बद्ध सिद्धार्थ नगर एवं महाराजगंज के किसानों के गन्ने के बिक्री की व्यवस्था की जाए। केन्द्र सरकार की इन दो मिलों को शीघ्र चालू किया जाए और किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए शीघ्र कदम उठाए जाएं।

(चार) पंजाब पर बकाया विशेष आवधिक ऋण को माफ किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान् 5500 करोड़ रुपए से अधिक का विशेष आवधिक ऋण पंजाब सरकार द्वारा देय है। यह राशि उन वर्षों में जमा हुई जब राज्य सरकार उग्रवाद की समस्या का सामना कर रही थी जो कि एक राष्ट्रीय समस्या थी। पंजाब सरकार इस बड़े ऋण का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है। यह अनुरोध है कि केन्द्र सरकार इस ऋण को माफ कर दे।

पिछले वर्ष भी, इस संबंध में प्रधान मंत्री से पंजाब के संसद सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल मिला था और उन्होंने इस मामले पर अनुमोदनात्मक रूप से विचार करने का आश्वासन दिया था। जब 1995 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पी॰वी॰ नरसिम्हा राव ने पंजाब का दौरा किया था तो उन्होंने ऋण को माफ करने की घोषणा की थी। परन्तु उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए राज्य के समग्र विकास के लिए मैं केन्द्र सरकार से पंजाब राज्य द्वारा देय ऋण को माफ करने का अनुरोध करता हूं।

(पांच) मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले में नया रेलवे जोन बनाए जाने आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के जिला बिलासपुर में कई राजनीतिक दलों,आम नागरिकों तथा युवा संघर्ष समिति के द्वारा बिलासपुर में नए जोन खोलने की स्वीकृति हेतु 158 दिनों से भूख हड़ताल एवं आन्दोलन में बैठे हुए हैं। आम लोगों में सरकार के प्रति असंतोष है, स्थिति कभी भी विस्फोटक रूप ले सकती है। इसी मांग को लेकर पिछले वर्ष आन्दोलन होने पर रेलवे स्टेशन बिलासपुर पर आग लगने से तीन सौ करोड़ रुपये की रेलवे को क्षति हुई थी, जिसकी जांच चल रही है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि बिलासपुर में नए रेलवे जोन बनाने की स्वीकृति प्रदान करेंगे।

(छह) कर्नाटक में बेल्लारी में फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की इकाई स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री के॰सी॰ कोंडय्या (बेल्लारी) : श्रीमान् कर्नाटक राज्य के बेल्लारी ने अपने जींस के कपड़े के लिए विदेशों में काफी नाम कमाया है। जींस की पैण्टें और बेल्लारी में सिले अन्य कपड़े दुबई, कुवैत, सऊदी अरब और अन्य देशों को निर्यात किए जा रहे हैं। बेल्लारी में लगभग 20-30 करोड़ का कारोबार प्रतिमाह किया जा रहा है। जींस के उत्पादनकर्त्ताओं के लिए बेल्लारी में किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं हैं। उन्हें अद्यतन फैशन प्रौद्योगिकी और अन्य आदान उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

इसलिए, मैं माननीय वस्त्र मंत्री से जींस के कपड़ों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बेल्लारी में फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की एक इकाई स्थापित करने हेतु अनुरोध करता हूं।

(सात) उड़ीसा के बेतरा समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता

श्री के॰पी॰ सिंह देव (ढेंकानाल) : उड़ीसा के अनुगुल जिले के आठमलिक क्षेत्र में बहुत बड़ी तादाद में बेतरा समुदाय के लोग रहते हैं। बेतरा समुदाय के लोग बहुत गरीब, पिछड़े और आर्थिक रूप से समाज के कमजोर वर्ग से हैं। इस समुदाय में शादी-ब्याह तथा रिश्ते अनुसूचित जाति (उप जाति हाड़ी) के लोगों से होते हैं जो बड़ी संख्या में संबलपुर, सुन्दरगढ़, कालाहांडी, बोलगीर और अन्य जिलों और उड़ीसा के अन्य जिलों में रहते हैं। उनका मुख्य पेशा बांस से टोकरियां तथा अन्य सामान बनाना है।

बेतरा समुदाय ने उड़ीसा राज्य सरकार से उन्हें अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किए जाने की अपील की है। उड़ीसा सरकार ने भी केन्द्र सरकार से इस समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने की सिफारिश की है।

चूंकि बेतरा समुदाय की यह मांग न्यायोचित है और मामला काफी समय से लम्बित है इसलिए केन्द्र सरकार द्वारा उनकी मांग पर विचार किया जाना चाहिए। अतः मैं मांग करता हूं कि उड़ीसा के आठमलिक क्षेत्र में रहने वाले बेतरा समुदाय को अविलम्ब अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया जाये।

(आठ) उत्तर प्रदेश में विशेषकर बुलन्दशहर जनपद के गन्ना किसानों को गन्ने की बकाया धनराशि का भुगतान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री छत्रपाल सिंह (बुलन्दशहर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र बुलन्दशहर के अन्तर्गत गन्ना उत्पादकों को चीनी मिलों की तरफ से उनके गन्ने की जो धनराशि बकाया है, उसका भुगतान नहीं किया गया है। इस कारण गन्ना किसान बहुत ही परेशान हैं। क्षेत्र की आगौता शुगर मिल पर किसानों का 9.50 करोड़ रुपया बकाया है, लेकिन न तो चीनी मिलें ही गन्ना किसानों को उनका भुगतान ही कर रही हैं और न प्रदेश सरकार इस ओर ध्यान दे रही है और उन चीनी मिलों के विरूद्ध वसूली की कार्यवाही की जा रही है, जिसके कारण किसानों में बहुत असंतोष व्याप्त है। प्रधानमंत्री महोदय के आश्वासन के बावजूद भी किसानों को उनके गन्ने का बकाया भुगतान नहीं किया जा रहा है।

अतः मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से बुलन्दशहर जनपद के गन्ना किसानों को उनके गन्ने का बकाया भुगतान अविलम्ब कराने के आदेश पारित करें।

अपराह्न 2.30 बजे

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे।

मैं यह बताना चाहता हूं कि इस चर्चा के लिए आबंटित समय 9 घंटे है। नौ घंटे और बावन मिनट का समय पहले ही ले लिया गया है।

[हिन्दी]

अभी कुछ पार्टियों के टाइम बाकी हैं, क्योंकि दूसरों ने ज्यादा समय ले लिया इसलिए जिनका टाइम बाकी है उनको मैं बुला रहा हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महादेय : कृपया पहले मेरी बात सुनिए।

(व्यवधान)

श्री पी॰ नामग्याल (लद्दाख) : जवाब आज नहीं दिया जाएगा। अतः हमारे पास काफी समय है और हमें भी अनुमति देनी चाहिए. ..*(व्यवधान)*

श्री प्रमथेस मुखर्जी (बरहामपुर) (प॰बं॰) : हमारे दल से, अभी तक कोई नहीं बोला है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आपका नाम तो ऑलरेडी लिस्ट में है।

[अनुवाद]

आशा है, अब आप संतुष्ट होंगे।

[हिन्दी]

मैं यह कह रहा हूं कि जिनका नाम बाकी है उनको बुलवा कर बाद में देखूंगा।

[अनुवाद]

श्री रामनाथन कृपया अपना वक्तव्य जारी रखें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी (शाहबाद) : महोदय, आप सब को पांच-पांच मिनट बुलवा दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : सब को बोलने के लिए टाइम दूंगा।

[अनुवाद]

अब श्री रामनाथन।

***श्री एम॰ रामनाथन** (कोयम्बटूर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में चर्चा कर रहे हैं। चूंकि मैं प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे द्रविड़ मुनेत्र कझगम की ओर से बोलने और अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया। हमारा देश भारत वर्ष 1947 में आजाद हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पचास वर्ष बाद, इस ऐतिहासिक समय में जबकि हम अपनी स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं, हमारी राजनीतिक प्रणाली में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। पिछले चुनावों में लोगों ने एक भिन्न मत प्रकट किया है और जिसके परिणामस्वरूप केन्द्र में लगभग 14 दलों से गठित मिलीजुली सरकार बनी है। श्री एच॰डी॰ देवेगौड़ा के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चा सरकार ने केन्द्र में कार्यभार संभाला है। जब भारत के राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त मोर्चा सरकार की नीतियों की घोषणा की गई तो मुझे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का स्वागत तथा समर्थन करने का अवसर दिया गया। मैं यह सम्मान पाकर गर्व और प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं।

आज हम जिस बात के साक्षी हैं, वह हमारे राजनीतिक जीवन का महत्वपूर्ण पहलू है। लगभग 50 वर्ष के अन्तराल के बाद भारत की जनता का जनादेश स्पष्ट हुआ है कि अब वे केन्द्र में एक ही दल को अपना मत नहीं देते हैं। उन्होंने इस बात को समाप्त कर दिया है। इसके स्थान पर भारत की जनता ने बहुदलीय सरकार अनेक क्षेत्रीय और छोटे-छोटे दलों के संघ का पक्ष लिया है। लोगों ने अनेक राज्य स्तर के दलों के पक्ष में निर्णय लिया है कि वे साझा न्यूनतम कार्यक्रम के अन्तर्गत एक होकर संयुक्त मोर्चा सरकार का गठन करें। मैं आज इस सम्माननीय सभा में इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि इस बहु-दलीय सरकार के पक्ष में लोगों का निर्णय निकट भविष्य में संघीय ढांचे का सूत्रपात करने के लिए शुभसूचक है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि संघात्मक सरकार बनाने का समय आ रहा है और मैं चाहता हूं कि यह सभा इस बात को ध्यान में रखे।

भारत एक महान् देश हैं जिसमें काफी विभिन्नताएं हैं। यहां अनेक भाषाएं बोली जाती है और अनेक राष्ट्रीय प्रजातियां, जातियां तथा धर्म हैं।

इस देश में अनेक प्रकार की कलाएं तथा अनेक संस्कृतियां व्याप्त हैं। यहां अनेक सांस्कृतिक हस्तियों का सह अस्तित्व है। मैं इस सभा को यह याद दिलाना चाहूंगा कि यहां विभिन्न जीवन शैलियों तथा परम्पराओं के साथ जीने वाले अनेक प्रकार के लोग रहते हैं।

* मूलतः तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

हमारा देश बहुत बड़ा है जहां कश्मीर से कन्याकुमारी तक लगभग 100 करोड़ लोग रहते हैं। इसका बृहत स्वरूप स्वयं धर्म निरपेक्षता द्वारा इस देश की एकता तथा अखंडता को बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर देता है। जिम्मेदारी की भावना के साथ यह बात हमें अपने मस्तिष्क में रखनी चाहिए। यदि हम धर्मनिरपेक्षता का पालन नहीं करेंगे तो हमारे संकीर्ण विचार इस देश के टुकड़े-टुकड़े कर देंगें। मैं इस संबंध में सावधान करना चाहूंगा। हम इसे भूल नहीं सकते, हमें अपने आपको धार्मिक रूढ़ियों के बंधन से मुक्त करना चाहिए। संयुक्त मोर्चा सरकार का मूल उद्देश्य विभिन्न जातियों सहित इस महान देश की एकता तथा अखंडता की रक्षा करना होगा। इस एक लक्ष्य तथा उद्देश्य को प्रबल रहना चाहिए तथा यही हमारा प्रथम कर्तव्य है। हमने विश्व के अनेक देशों के बारे में सुना है। मैं इस सभा को यह बताना चाहूंगा कि हम अमरीका का हवाला संयुक्त राज्य अमरीका के रूप में देते हैं। हम इसे 'ऑल अमरीका' नहीं कहते हैं। इसी तरह चीन का हवाला 'ऑल चीन' के रूप में नहीं दिया जाता है। इसी तरह से जापान को 'ऑल जापान' नहीं कहा जाता है। ब्रिटेन को 'ऑल ब्रिटेन' नहीं कहा जाता है लेकिन इसे यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। केवल जब हम भारत का हवाला देते हैं तो 'आल इन्डिया' कहते हैं। क्यों? हम इसे इस तरह क्यों कहते हैं? वंगम, कालिंगम, कूरजाराम जैसे महान् प्राचीन साम्राज्य हिमालय तथा केप कुमैरिन के बीच इस महान् भूमि पर दूर-दूर तक फैले हुए थे। यदि हमें इसे महान् कवि रविन्द्र नाथ टैगोर के शब्दों में कहना हो, जिनके गीत को हमने राष्ट्र गान के रूप में अपनाया है, उसमें कहा गया है, पंजाब सिन्धु गुजरात मराठा, द्राविड उत्कल गंगा" यह देश पंजाब, सिन्धु, गुजरात, मराठा, कन्नडम, तेलुगु, मलयालम इत्यादि से मिलकर बना है। यह ब्रिटिश लोग ही थे जो ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा इस देश के साथ व्यापार करने आए थे जिन्होंने इस संयुक्त देश का विस्तार किया। हम इस ऐतिहासिक सत्य को आसानी से भूल नहीं सकते हैं और यह एक सत्य है। भारत एकजुट होकर नहीं रहा। यह ऐसा देश था जिसे एकजुट बनाया गया। ऐसा पहले नहीं था। ऐसा उसके बाद बनाया गया था। अगर हमें इस देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना है तो यह 'अखिल भारतीय' धर्मनिरपेक्षता ही हम सबको एक सूत्र में बांधे रख सकती है। धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्त के द्वारा ही हम स्थिरता सुनिश्चित कर सकते हैं। इस संकट काल में मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा और मैं चाहता हूं कि हम सभी यह बात उत्तरदायित्व के उच्च बोध के साथ ध्यान में रखें।

उपाध्यक्ष महोदय, हम गरीबी कम करने के लिए 'गरीबी हटाओ' जैसे नारे लगाते रहे हैं। पिछले कई वर्षों से हम विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम बनाते रहे हैं। अवादी समाजवाद से लेकर लोकतांत्रिक समाजवाद तक सभी प्रकार के समाजवाद हमने सुने हैं। परन्तु मैं 1970 से 1976 तक छह वर्षों के लिए तमिलनाडु विधान सभा का सदस्य था। मैं दो बार विधान परिषद का सदस्य भी रहा हूं। मैं यह तथ्य सामने रखना चाहता हूं कि डी॰एम॰के॰ के मेरे जैसे सदस्य अपने आपको ताजा घटनाओं और राजनैतिक घटनाक्रम से अवगत रखते हैं। पर मैं अपने विचार अभी प्रकट करना चाहता हूं। मुझे कहने दीजिए।

भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिए गए इस नीतिगत वक्तव्य में मुझे गरीबी कम करने की कार्य-योजना दिखाई देती है। यह संयुक्त मोर्चा सरकार के तत्वावधान में बन रही है। निर्धनतम लोगों को दिन में कम से कम एक बार भोजन मिल सके इसके लिए 8000 करोड़ रुपये सब्सिडी के रूप में आबंटित किये गये हैं। लगभग 32 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं जिन्हें दिन में एक बार खाना भी मुश्किल से मिलता है। मैं प्रधानमंत्री जी को इस व्यवस्था को ठोस रूप देने और राष्ट्रपति द्वारा उनके अभिभाषण में इसकी उद्घोषणा कराए जाने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

इसी प्रकार, 'काम के अधिकार' सभी को रोजगार के अवसर दिए जाने के बारे में भी कहा गया है। यही हमारा लक्ष्य है और हम इस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। जब हमारे सिद्धान्त और हमारी नीति समान हैं तो हम देशभर में लाखों शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार प्रदान करने के लिए अपना ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। उनकी संख्या लाखों में है। शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु योजना बनाने के लिये मैं संयुक्त मोर्चा सरकार के धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि यह सरकार देश को बहुत सारे अकुशल मजदूरों के दुखों का ध्यान रखे। ऐसे भी लोग हैं जो अधिकतर असंगठित क्षेत्र में ही मजदूरी कर सकते हैं और कुछ नहीं। उनकी समस्याओं की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। भारत जैसे विशाल देश में करोड़ों कुशल मजदूर हैं। मैं चाहता हूं कि संयुक्त मोर्चा सरकार उनकी सेवाओं का रचनात्मक ढ़ंग से उपयोग करने के लिए कोई व्यापक योजना तैयार करे। मैं इस बात पर विशेष जोर दे रहा हूं।

इसके बाद, मैं संघात्मक सिद्धान्त के संबंध में बात करना चाहूंगा। यह द्रविड़ मुनेत्र कज़गम का एक मूलभूत उद्देश्य है। हम 'राज्यों को स्वायत्तता; केन्द्र में संघात्मक ढ़ांचे की बात करते हैं। केन्द्र में एक मजबूत संघ सरकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को अधिक शक्ति दी जानी चाहिए। हमारे दिवंगत नेता अन्ना ने राज्य स्वायत्तता की सिफारिश की थी और एक अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाया था। हमें इस पर गर्व है। मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि हमारे नेता और तमिलनाडु के वर्तमान मुख्य मंत्री ने राज्य स्वायत्तता का संदेश कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी राज्यों में पहुंचाया। उन्होंने सभी राज्यों में आवश्यकताओं से उपजे इस मुद्दे को आवाज दी। वह यह संदेश पहुंचाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। वह हमारे नेता अन्ना द्वारा दिखाए रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। यह उत्साहवर्द्धक बात है कि हमारे प्रधान मंत्री मुख्यमंत्रियों की बैठकें प्राय: बुलाते रहते हैं। उन्हें राष्ट्रीय विकास परिषद जैसे मंचों पर मुख्यमंत्रियों के विचारों का पता चलता है। मैं आशा करता हूं कि केन्द्र की अंत:क्रियात्मक भूमिका से केन्द्र-राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग की सिफारिशों को साकार रूप मिलेगा। मैं यह भी आशा करता हूं कि राज्यों को अधिक शक्तियां प्रदान की जाएं। मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण से केन्द्र सरकार के दृष्टिकोण का पता चलता है।

[श्री एम॰ रामनाथन]

उपाध्यक्ष महोदय, द्रविड़ मुनेत्र कज़गम की अपनी पहचान और अपने आदर्श हैं। उसी प्रकार इस संयुक्त मोर्चा सरकार की अपनी अलग पहचान, आदर्श और आकांक्षाएं हैं। हम द्रविड़ आंदोलन की परम्परा से आए हैं। हम उन महान थंथारी पेरियार की परंपरा के हैं जिन्होंने 96 वर्ष की आयु तक जाति और पंथ का भावना से रहित समाज की स्थापना हेतु लोक सेवा की। द्रविड़ मुनेत्र कज़गम की स्थापना हमारे नेता अन्ना ने की थी जो इस संसद के व अन्य सदन के एक सदस्य थे। हमारे नेता डा॰ कालाइनार अन्ना जी के वास्तविक उत्तराधिकारी हैं। वे तमिलनाडु के चौथी बार मुख्य मंत्री बन कर वहां शासन कर रहे हैं। हम अन्ना और अब कालाइनार के अनुयायी हैं। हम डी॰एम॰के॰ के आदर्श, नीतियां और सिद्धान्त लोगों तक पहुंचाते हैं जिससे समानता और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने वाला समतामूलक समाज बन सके।

द्रविड़ मुनेत्र कज़गम का मूलभूत और सबसे बड़ा लक्ष्य और उद्देश्य जाति रहित, पंथ रहित समाज की स्थापना करना है जो ऐसे मुक्त समाज के द्वार खोले जहां समानता हो, जहां अलग-अलग वर्ग एक दूसरे से न लड़े; जहां साम्राज्यवादी और सांमतवादी प्रकृतियों का नामोनिशान न हो; समाज के दलित और पिछड़े वर्गों के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करते हुए उनका उत्थान करना; अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित करना; महिलाओं को अधिकार देना और लैंगिक समानता सुनिश्चित करना; महिलाओं के अधिकारों की बात उठाना; भारत सरकार में हमारी प्रचीन, क्लासिक और जीवन्त तमिल भाषा को राजभाषा का दर्जा दिए जाने का प्रयास; हमारी चिरपोषित भाषा तमिल, जो समृद्ध और गहन है, जिसका एक लम्बा इतिहास और विपुल साहित्य है, को उचित मान्यता प्रदान करना है।

महान कवि भारती दासन ने कहा है :

"घोंघों को कहने दो
कि तमिल हमारा जीवन,
हमारी समृद्धि है।"

हमारी गौरवमयी परम्परा है। इसीलिए हम राज्य स्वायत्तता और संघात्मक केन्द्र की बात करते हैं।

मेरे विचार से राष्ट्रपति के अभिभाषण में हमारे संजोए हुए विचारों को व्यक्त किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में यह मेरा पहला अभिभाषण है। मुझे कुछ मिनट और बोलने दिया जाए।

हम सभी महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं। लगभग सभी महिला सदस्य, हमारी सभी बहनें इसके बारे में बोलती हैं। वे हमसे यह पूछ रही हैं कि उन्हें सभी विधान मंडलों में एक तिहाई आरक्षण कब मिलेगा। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि महिलाओं को पुरूषों के बराबर संपत्ति का अधिकार देने का नियम बनाने में तमिलनाडु अग्रणी रहा है। हमारे नेता डा॰ कलाइनार, जो कि इस समय मुख्यमंत्री हैं, ने यह स्वागत योग्य सामाजिक नियम बनाया था। मुझे यह बात सदन में बताते हुए गर्व हो रहा है। इस प्रकार महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने की हमारी पुरानी परम्परा है। संयुक्त मोर्चा के एक भाग के रूप में हम महिलाओं को विधान सभाओं और संसद में एक तिहाई आरक्षण देने से नहीं घबराएंगे। द्रविड़ मुनैत्र कज़गम महिलाओं को समान दर्जा देने के इस कदम का समर्थन करेगा। माताएं और बहनें, और इस सदन में उपस्थित महिला सदकर्मी इस बात को ध्यान से सुन लें। हमारी प्राचीन धर्म ग्रन्थों में विभिन्न प्रकार के दान बताए गए हैं जिन्हें धनम् कहा गया है। गाय, भोजन, वस्त्र, स्वर्ण, पुष्प, नौ प्रकार के अन्न विभिन्न प्रकार के धनम् हैं। "कनिका धनम्" नामक एक और भी धनम् है। अविवाहित महिलाओं को दान के रूप में दी जाने वाली वस्तु समझा जाता है। महिलाओं को भेंट में दी जाने वाली वस्तु समझा जाता है। हमारे वेदों और हमारे शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं जो ऋण, यजुर, साम, अथर्व वेदों जैसे शास्त्रों के समर्थक हैं। क्या आप महिलाओं को इच्छानुसार बांटी जाने वाली वस्तुएं समझते हो। महिलाओं को जानवरों की तरह नहीं समझना चाहिए। वे न तो भेड़ हैं, न ही गाएं। महिलाएं हमारी माताएं और बहनें हैं। इसीलिए इस सदन में उपस्थित अपने साथियों से मैं यह अपील करना चाहूंगा कि क्या हमें कन्निका धनम् की इस परम्परा को बनाए रखना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं समस्त विचारशील लोगों, विद्वानों और महिलाओं के हित में सोचने वाले लोगों से अपील करता हूं कि वे इन बातों पर विचार करें। हमें महिलाओं की स्थिति को अवश्य बदलना है क्योंकि इसके बिना न तो हम उन्हें सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं और न ही उन्हें समान स्तर पर ला सकते हैं।

1912 से 1929 तक 18 वर्ष के लम्बे संघर्ष के बाद राजा राम मोहन राय, सती प्रथा को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश शासन को मना पाये। महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने सम्बन्धी राजा राम मोहन राय की इस जीत के पश्चात भी आज सती प्रथा बरकरार है और रूप कंवर जैसी स्त्रियों को महानता की कोटि में रखा जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या हम एक स्वतन्त्र समाज में जी रहे हैं? क्या हमारा समाज इस बुराई से मुक्त है? रूप कंवर जैसी स्त्रियों को आज भी उनके पति की चिताओं में जलाया जाता है।

मैं अस्पृश्यता की चर्चा करना चाहता हूं। कुछ स्थानों पर नीच जाति के पुरूष को देखना भी पाप माना जाता है। इसे मैं अद्रष्टव्यता का नाम दूंगा। एक नीच जाति का पुरूष एक उच्च जाति के पुरूष के समीप नहीं जा सकता। क्या हम इस इस प्रकार की अस्पृश्यता को जारी रहने दे सकते हैं?

1330 दोहे लिखने वाले तमिल सन्त कवि थिरूवालूवर ने कहा है "जन्म से हम सब एक समान है यह केवल हमारा कार्य-व्यवसाय है जिसके आधार पर एक दूसरे से हमारी भिन्नता का आकलन किया जा सकता है।"

हमारा देश बहुत बड़ा है जहां कश्मीर से कन्याकुमारी तक लगभग 100 करोड़ लोग रहते हैं। इसका बृहत स्वरूप स्वयं धर्म निरपेक्षता द्वारा इस देश की एकता तथा अखंडता को बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर देता है। जिम्मेदारी की भावना के साथ यह बात हमें अपने मस्तिष्क में रखनी चाहिए। यदि हम धर्मनिरपेक्षता का पालन नहीं करेंगे तो हमारे संकीर्ण विचार इस देश के टुकड़े-टुकड़े कर देंगें। मैं इस संबंध में सावधान करना चाहूंगा। हम इसे भूल नहीं सकते, हमें अपने आपको धार्मिक रूढ़ियों के बंधन से मुक्त करना चाहिए। संयुक्त मोर्चा सरकार का मूल उद्देश्य विभिन्न जातियों सहित इस महान देश की एकता तथा अखंडता की रक्षा करना होगा। इस एक लक्ष्य तथा उद्देश्य को प्रबल रहना चाहिए तथा यही हमारा प्रथम कर्तव्य है। हमने विश्व के अनेक देशों के बारे में सुना है। मैं इस सभा को यह बताना चाहूंगा कि हम अमरीका का हवाला संयुक्त राज्य अमरीका के रूप में देते हैं। हम इसे 'ऑल अमरीका' नहीं कहते हैं। इसी तरह चीन का हवाला 'ऑल चीन' के रूप में नहीं दिया जाता है। इसी तरह से जापान को 'ऑल जापान' नहीं कहा जाता है। ब्रिटेन को 'ऑल ब्रिटेन' नहीं कहा जाता है लेकिन इसे यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। केवल जब हम भारत का हवाला देते हैं तो 'आल इन्डिया' कहते हैं। क्यों? हम इसे इस तरह क्यों कहते हैं? वंगम, कालिंगम, कूरजाराम जैसे महान् प्राचीन साम्राज्य हिमालय तथा केप कुमैरिन के बीच इस महान् भूमि पर दूर-दूर तक फैले हुए थे। यदि हमें इसे महान् कवि रविन्द्र नाथ टैगोर के शब्दों में कहना हो, जिनके गीत को हमने राष्ट्र गान के रूप में अपनाया है, उसमें कहा गया है, पंजाब सिन्धु गुजरात मराठा, द्राविड उत्कल गंगा" यह देश पंजाब, सिन्धु, गुजरात, मराठा, कन्नडम, तेलुगु, मलयालम इत्यादि से मिलकर बना है। यह ब्रिटिश लोग ही थे जो ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा इस देश के साथ व्यापार करने आए थे जिन्होंने इस संयुक्त देश का विस्तार किया। हम इस ऐतिहासिक सत्य को आसानी से भूल नहीं सकते हैं और यह एक सत्य है। भारत एकजुट होकर नहीं रहा। यह ऐसा देश था जिसे एकजुट बनाया गया। ऐसा पहले नहीं था। ऐसा उसके बाद बनाया गया था। अगर हमें इस देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना है तो यह 'अखिल भारतीय' धर्मनिरपेक्षता ही हम सबको एक सूत्र में बांधे रख सकती है। धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्त के द्वारा ही हम स्थिरता सुनिश्चित कर सकते हैं। इस संकट काल में मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा और मैं चाहता हूं कि हम सभी यह बात उत्तरदायित्व के उच्च बोध के साथ ध्यान में रखें।

उपाध्यक्ष महोदय, हम गरीबी कम करने के लिए 'गरीबी हटाओ' जैसे नारे लगाते रहे हैं। पिछले कई वर्षों से हम विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम बनाते रहे हैं। अवादी समाजवाद से लेकर लोकतांत्रिक समाजवाद तक सभी प्रकार के समाजवाद हमने सुने हैं। परन्तु मैं 1970 से 1976 तक छह वर्षों के लिए तमिलनाडु विधान सभा का सदस्य था। मैं दो बार विधान परिषद का सदस्य भी रहा हूं। मैं यह तथ्य सामने रखना चाहता हूं कि डी॰एम॰के॰ के मेरे जैसे सदस्य अपने आपको ताजा घटनाओं और राजनैतिक घटनाक्रम से अवगत रखते हैं। पर मैं अपने विचार अभी प्रकट करना चाहता हूं। मुझे कहने दीजिए।

भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिए गए इस नीतिगत वक्तव्य में मुझे गरीबी कम करने की कार्य-योजना दिखाई देती है। यह संयुक्त मोर्चा सरकार के तत्वावधान में बन रही है। निर्धनतम लोगों को दिन में कम से कम एक बार भोजन मिल सके इसके लिए 8000 करोड़ रुपये सब्सिडी के रूप में आबंटित किये गये हैं। लगभग 32 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं जिन्हें दिन में एक बार खाना भी मुश्किल से मिलता है। मैं प्रधानमंत्री जी को इस व्यवस्था को ठोस रूप देने और राष्ट्रपति द्वारा उनके अभिभाषण में इसकी उद्घोषणा कराए जाने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

इसी प्रकार, 'काम के अधिकार' सभी को रोजगार के अवसर दिए जाने के बारे में भी कहा गया है। यही हमारा लक्ष्य है और हम इस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। जब हमारे सिद्धान्त और हमारी नीति समान हैं तो हम देशभर में लाखों शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार प्रदान करने के लिए अपना ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। उनकी संख्या लाखों में है। शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु योजना बनाने के लिये मैं संयुक्त मोर्चा सरकार के धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि यह सरकार देश को बहुत सारे अकुशल मजदूरों के दुखों का ध्यान रखे। ऐसे भी लोग हैं जो अधिकतर असंगठित क्षेत्र में ही मजदूरी कर सकते हैं और कुछ नहीं। उनकी समस्याओं की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। भारत जैसे विशाल देश में करोड़ों कुशल मजदूर हैं। मैं चाहता हूं कि संयुक्त मोर्चा सरकार उनकी सेवाओं का रचनात्मक ढ़ंग से उपयोग करने के लिए कोई व्यापक योजना तैयार करे। मैं इस बात पर विशेष जोर दे रहा हूं।

इसके बाद, मैं संघात्मक सिद्धान्त के संबंध में बात करना चाहूंगा। यह द्रविड़ मुनेत्र कज़गम का एक मूलभूत उद्देश्य है। हम 'राज्यों को स्वायत्तता; केन्द्र में संघात्मक ढ़ांचे की बात करते हैं। केन्द्र में एक मजबूत संघ सरकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को अधिक शक्ति दी जानी चाहिए। हमारे दिवंगत नेता अन्ना ने राज्य स्वायत्तता की सिफारिश की थी और एक अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाया था। हमें इस पर गर्व है। मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि हमारे नेता और तमिलनाडु के वर्तमान मुख्य मंत्री ने राज्य स्वायत्तता का संदेश कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी राज्यों में पहुंचाया। उन्होंने सभी राज्यों में आवश्यकताओं से उपजे इस मुद्दे को आवाज दी। वह यह संदेश पहुंचाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। वह हमारे नेता अन्ना द्वारा दिखाए रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। यह उत्साहवर्द्धक बात है कि हमारे प्रधान मंत्री मुख्यमंत्रियों की बैठकें प्राय: बुलाते रहते हैं। उन्हें राष्ट्रीय विकास परिषद जैसे मंचों पर मुख्यमंत्रियों के विचारों का पता चलता है। मैं आशा करता हूं कि केन्द्र की अंत:क्रियात्मक भूमिका से केन्द्र-राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग की सिफारिशों को साकार रूप मिलेगा। मैं यह भी आशा करता हूं कि राज्यों को अधिक शक्तियां प्रदान की जाएं। मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण से केन्द्र सरकार के दृष्टिकोण का पता चलता है।

हम सभी अपनी माताओं की कोख से दसवें महीने में पैदा हुए। कोई भी अपनी माता की कोख में तीस महीने नहीं रहा। तो फिर यह ऊंच नीच का भेद कैसा? उत्तरदायित्व और सामाजिक चिन्तन से हमें अपने आप से यह प्रश्न अवश्य पूछना चाहिए।

मैं आपको एक घटना की याद दिलाना चाहूंगा। स्वर्गीय श्री सम्पूर्णानन्द उत्तर प्रदेश के एक महान नेता थे। वह उस राज्य के मुख्य मंत्री भी थे। सत्तर के दशक में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। स्वर्गीय श्री जगजीवन राम जो पंडित जवाहर लाल नेहरू के मंत्रिमंडल में भी मंत्री थे, उनकी प्रतिमा का अनावरण किया था। उनकी प्रतिमा के अनावरण के पश्चात् जो दुःखद घटनाएं घटी हमने उनके विषय में सुना? बड़े दुःख और क्षोभ से वह समाचार हमने समाचार-पत्रों में पढ़े। स्वर्गीय श्री जगजीवन राम को प्यार से 'बापूजी' कहा जाता था। केवल इसलिए कि 'बापूजी' ने उनकी प्रतिमा का अनावरण किया था, इसी कारण लोगों ने उनकी प्रतिमा को गंगा जल से धो डाला। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस प्रतिमा को शुद्ध किया है। इस घटना से हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। हम यह दावा कैसे कर सकते हैं कि हमने अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया है। मेरा प्रश्न है क्या हम अपने मन और दिल से साफ हैं?

मैं एक और बात कहना चाहता हूं। राजनीतिक कारणों से अपने सार्वजनिक जीवन के छः वर्ष मैंने जेल में बिताये हैं। मैं सदन में इसे बहुत स्पष्ट रूप मे कहना चाहता हूं। मैं हिन्दी से अथवा उन लोगों से कोई घृणा नहीं करता जो हिन्दी बोलते हैं या जिनकी मातृ-भाषा हिन्दी है। हम उस भाषा अथवा उन लोगों से वैर नहीं रखते परन्तु हम हिन्दी का समर्थन करने वालों अथवा इसे थोपने वालों का विरोध करते हैं। यदि कुछ लोग यह सोचते हैं कि सब कार्य केवल हिन्दी में ही हो, तो यह अखण्ड भारत हमेशा कैसे जुड़ा रहेगा? यदि आप उसे जोड़े रखना चाहते हैं तो आप यह विचार त्याग दीजिए कि केवल हिन्दी ही शासन की भाषा बन सकती है। इस विचार को भी त्याग देना चाहिए कि केवल हिन्दी ही यह सब काम कर सकती है और हिन्दी में ही यह सब कार्य होने चाहिए। हम धारा 343 और इसके लागू होने का इतिहास भी जानते हैं। समय कम होने के कारण मैं इसका विस्तृत विवरण नहीं करना चाहता।

कुछ लोग मुझसे यह पूछना चाहते होंगे कि हिन्दी कहां थोपी जाती है। मैं एक उदाहरण देता हूं। तमिलनाडु में केन्द्रीय सरकार के बहुत से कार्यालय हैं जिनमें से अधिकतर चेन्नई में हैं। मैंने एक कार्यालय के नाम का बोर्ड देखा। उस पर लिखा था 'विदेश संचार भवन' यदि इसे हिन्दी में लिखा जाए तब तो ठीक है। परन्तु अंग्रेजी में भी वैसा ही लिखा है तो यह तो अनुवाद नहीं हुआ अपितु लिप्यांतरण हुआ। इससे हमें वो अर्थ तो पता नहीं चलता कि इस कार्यालय में क्या काम होता है। हम अपनी मातृ-भाषा तमिल में भी वह अर्थ नहीं ढूढ़ पाये। चाहे तमिल में भी उस कार्यालय का नाम वहां लिखा हुआ था परन्तु वह भी लिप्यान्तरण ही था। इसे अंग्रेजी में ओवरसीज़ कौम्यूनीकेशन सेंटर या ओवरसीज़ कौम्यूनीकेशन कोरपोरेशन लिखा जा सकता है। हमें केन्द्रीय सरकार के कार्यालय और उसके काम में जानने से क्यों रोका जाता है? क्या यह हिन्दी का थोपा जाना नहीं है? हमें इस बात में कोई आपत्ति नहीं कि इसे हिन्दी में क्यों लिखा गया है। परन्तु इसके तमिल और अंग्रेजी समानार्थी शब्द क्यों नहीं तैयार किये जाते? मैं इस सदन में तमिल लोगों की भावनाएं अभिव्यक्त कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि अधिकारी और सरकार इसे नोट कर लें। मैं मंत्रालयों और अधिकारियों का दृष्टिकोण भी जानना चाहूंगा। मैं गम्भीरतापूर्वक आपसे यह बात पूछ रहा हूं। एक और उदाहरण दिया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके हाथों में कितने कागज हैं?

श्री एम॰ रामनाथन : सदन को यह मालूम होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री एम॰ रामनाथन : भारतीय संविधान के प्रस्तावना की तमिल संस्करण तमिलनाडु सरकार को भेजा गया था। 'सवरण डेमोक्रेटिक रिपब्लिक' का तमिल में सार्थक अनुवाद किया जा सकता है। तमिल एक प्राचीन और समृद्ध भाषा है और इन शब्दों के समानार्थक शब्द इस भाषा में विद्यमान हैं। परन्तु इसका अनुवाद क्या किया गया? "सम्पूर्ण सम्पन्न प्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य" यह तमिल में अनुवाद तो नहीं हुआ अपितु हिन्दी अनुवाद का तमिल लिप्यान्तरण हो गया। क्या इसे तमिल अनुवाद कहते हैं? क्या यह तमिल भाषा है?

अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। परन्तु उससे पूर्व मैं पीठासीन अधिकारी सहित आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि तमिलनाडु में हमने सभी जाति बन्धन को छोड़कर समस्त हिन्दुओं को मन्दिर का पुजारी बनाने में समर्थ करने हेतु एक कानून बनाया है। हमने उस पर राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने हेतु उसे दिल्ली भेजा परन्तु ब्राह्मणों ने उस पर अपना अधिकार जमा लिया। उन्होंने कहा कि गैर-ब्राह्मणों को करूवरई (करपा गृह), अर्थ-मण्डप (पूजा गृह) महा-मण्डप (सभा-भवन) तक पहुंचने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसी करण वह कानून अब तक लागू नहीं किया जा सका। मैं इस सदन से अपील करूंगा कि वह कानून अवश्य पारित किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त करिए। अपने मित्रों के लिए भी कुछ मुद्दे रहने दीजिए।

श्री एम॰ रामनाथन : महोदय, मैं इस मुद्दे की चर्चा करके अपनी बात समाप्त करूंगा। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यह पूछते हैं कि यह सरकार कब तक चलेगी? एक दिन के लिए, दस दिन तक या दस महीने तक। संयुक्त मोर्चा सरकार अल्पसंख्यकों, दलितों और निर्धनतम लोगों के हकों की सुरक्षा हेतु हर सम्भव प्रयास करेगी। सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लाखों लोगों के निर्धनतम वर्ग के उन्नयन के लिए प्रयासरत रहेगी। डी॰एम॰के॰ एक ऐसा दल था जिन्होंने स्वर्गीय जय प्रकाश नारायण को मान्यता दी।

[श्री एम॰ रामनाथन]

आपात-स्थिति के दौरान, जब जय प्रकाश नारायण सहित समस्त राजनीतिक नेता जेल में थे, डी॰एम॰के॰ दल ही एकमात्र ऐसी सरकार थी जिसने विधान सभा की बैठक बुलाकर जिसमें एक संकल्प पारित करके यह मांग की गई कि आपात स्थिति को हटाया जाए, सभी राजनीतिक नेताओं को रिहा किया जाए और समाचार माध्यमों की स्वतन्त्रता को बहाल किया जाए। जिस नेता ने यह साहसिक कदम उठाया वह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री डा॰ कालायेन्गर थे। देश में प्रजातन्त्र को संरक्षित करने के उस उद्देश्य से सम्बद्ध होकर मैं यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति को अभिभाषण में इन भावनाओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए।

अपना भाषण समाप्त करते हुए, मैं संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव का स्वागत तथा समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री प्रमथेस मुखर्जी (बरहामपुर) (प॰बं॰) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने विचार प्रकट करने के लिए मुझे दिए गये अवसर के लिए आपका धन्यवाद। अपने दल (आर॰एस॰पी॰) की ओर से मैं हमारे माननीय मित्र श्री शरद यादव द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मैं राष्ट्रपति का अत्यधिक सम्मान करता हूं और मैं दोनों सदनों के समक्ष दिए गये उनके अभिभाषण की सराहना करता हूं। राष्ट्रपति द्वारा दिए गये अभिभाषण की प्रशंसा करते हुए भी मैं इसकी कुछ बातों से असहमत हूं जिनको मैं अपने भाषण में स्पष्ट करूंगा।

हम संयुक्त मोर्चा द्वारा ध्यान रखने हेतु तीन सर्वोच्च प्राथमिकता के क्षेत्रों का मूल्यांकन करने के लिए आये हैं। संयुक्त मोर्चा सरकार ने घोषणा की थी कि भारत के लोगों के हित में तीन क्षेत्रों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी। ये तीन क्षेत्र हैं : (1) उच्च पदों पर ईमानदारी, (2) केन्द्र राज्य संबंधों की पुनर्संरचना, तथा (3) न्यूनतम सांझा कार्यक्रम के आर्थिक आश्वासन।

सरकार की सफलता अथवा विफलता का मूल्यांकन सत्ता में आने के समय संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा घोषित इन तीन क्षेत्रों के संबंध में ही किया जा सकता है। इस सरकार ने केवल आठ माह पहले सत्ता संभाली थी और आठ माह का यह थोड़ा समय सरकार की उपलब्धियों अथवा असफलताओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने के लिए बहुत कम है। केवल सरकार के उद्देश्य, सरकार के तरीके तथा नियोजन के सिद्धान्त का ही मूल्यांकन तथा आलोचनात्मक आकलन किया जा सकता है।

यह भी सही है कि इस सरकार ने सत्ता लोगों के असाधारण रूप से जटिल जनादेश का आदर करने के लिए ही संभाली थी और लोगों का जनादेश सामाजिक न्याय तथा समानता के आधार पर एक धर्म निरपेक्ष सरकार बनाना तथा एक मिली-जुली सरकार बनाना था। अतः, निर्णय का मूल्यांकन इस संबंध में सरकार के कार्यनिष्पादन को देखकर करना चाहिए तथा ऐसा आसानी से किया जा सकता है।

धर्मनिरपेक्षता तथा संघवाद इस सरकार के दो महत्वपूर्ण शब्द हैं। जहां तक मैं उनके आश्वासनों से समझ सकता हूं, धर्मनिरपेक्षता तथा संघवाद दो प्रमुख शब्द है जिन पर यह सरकार खड़ी है। हम इसका मूल्यांकन कर सकते हैं जब हम यह देखते हैं कि जम्मू तथा कश्मीर के लोगों ने बिना किसी डर के अपने मतदान के अधिकार का अपनी इच्छानुसार प्रयोग किया। एक अलगाववादी ताकत थी। वे अब समस्त भारत की राजनैतिक प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं।

जम्मू-कश्मीर में विधानसभा के चुनाव करवाना संघवाद का एक अच्छा संकेत है। हमने देखा है कि जम्मू-कश्मीर के लोग भारतीय मुख्य धारा की राजनैतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आगे आये हैं। जम्मू कश्मीर के सही तथा कर्तव्यनिष्ठ तथा युवा लोगों को विगत दशक के दौरान पूर्णतया दिक्भ्रमित किया गया था। आज, हम देखते हैं कि वे राजनैतिक प्रक्रिया तथा राज्य की विकास प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आगे आ रहे हैं और वे राज्य की विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। यह सिक्के का एक अच्छा पक्ष है।

सिक्के का दूसरा पक्ष भी है। हम देखते हैं कि जम्मू-कश्मीर के आर्थिक क्षेत्रों अथवा राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में स्थिरता लाई जा रही है। लेकिन जम्मू तथा कश्मीर में स्थिरता अथवा जम्मू तथा कश्मीर में स्थिरता की बहाली के प्रयास का अर्थ भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों में सन्तोषजनक स्थिरता नहीं है।

यदि आप समस्त उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में गम्भीर स्थिति तथा वहां चल रही विघटनकारी गतिविधियों को देखें तो आप किंकर्तव्यविमूढ़ हो जायेंगे। वहां विघटनकारी गतिविधियां हैं; विदेशी आतंकवादी हैं; आई॰एस॰आई॰ की गतिविधियां भी हैं। उत्तर-पूर्वी राज्यों में कुछ लोग हैं जो यह सोचते हैं कि वे भारत के नागरिक नहीं हैं। वे सदैव भारतीय समाज की मुख्य धारा से स्वयं को अलग करने का प्रयास करते रहते हैं और यही कारण है कि विघटनकारी गतिविधियां चल रहीं हैं। उत्तर-पूर्वी राज्य, सामाजिक क्षेत्र में इतनी भयावह स्थिति में है।

प्रधानमंत्री ने हाल ही में इस राज्य में आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में सामान्य स्थिति की बहाली के लिए घोषणा की है। उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों में आर्थिक और सामाजिक जीवन पुनः बहाल करने हेतु 9000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा पहले ही की है। इस कार्य के लिए और भी चीजें आवश्यक हैं।

अर्थव्यवस्था किसी क्षेत्र और वहां के निवासियों के लिए मुख्य आधार होती है। वह आधार छिन्न-भिन्न हो गया है और वहां की सारी स्थिति बिखरी अर्थव्यवस्था पर स्थित है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में विध्वसंक एवं अलगाववादी गतिविधियों का कारण वहां के लोगों की आर्थिक क्षेत्र में निराशा है। इसलिए, केवल एक घोषणा से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। हमें आशा करनी चाहिए कि वहां पुनः आर्थिक जीवन की बहाली हो जाएगी जिससे इस क्षेत्र का आर्थिक जीवन पुनः सक्रिय हो सकेगा तथा राजनीतिक प्रक्रिया पुनः शुरू हो सकेगी।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में आर्थिक निराशा के मुद्दों को छुआ तक नहीं गया है। यह बड़े दुःख की बात है कि वहां गरीबी, भूख और बेरोजगारी है, पर सरकार की ओर से इन मूल समस्याओं के समाधान के लिए कोई सकारात्मक प्रयास नहीं किया गया।

अपराह्न 3.00 बजे

सुनिश्चित रोजगार योजना देश के विभिन्न जिलों में लागू की जा रही है लेकिन यह योजना पर्याप्त नहीं है। यह शिक्षित बेरोजगारों की समस्याओं को हल नहीं कर सकती। केवल कृषि आधारित उद्योग ही इस समस्या का हल है। कृषि-आधारित उधोग ही इस समस्या का हल है। कृषि-आधारित उधोग जारी रखने के लिए अच्छे प्रयास किए गए है। हमारा देश कृषि पर आधारित है लेकिन कृषि आधारित उद्योग तब तक संभव नहीं है जब तक उसमें वैज्ञानिक ढ़ंग से भूमि सुधार न किया जाय। भूमि सुधार राज्य सूची में आता है। केन्द्रीय सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि भूमि सुधार वैज्ञानिक ढंग से किया जाय, आधुनिक ढ़ंग से तथा निर्धारित अवधि में किया जाय, कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया।

हमने अपनी सरकार तथा माननीय वित्त मंत्री से अनेक बातें सुनी हैं कि विदेशी निवेश हो रहा है तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियां आ रही हैं जो मूल समस्याएं सुलझा देंगी। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि विदेशी निवेश कहां है? जहां तक विदेशी निवेश का सवाल है, ऐसा आंकड़ों में बताया गया है कि विदेशी निवेश हो रहा है परन्तु 60 प्रतिशत से अधिक विदेशी निवेश बड़े उद्योगों में किया जाने वाला है। लेकिन बड़े उद्योग देश में बेरोजगारी की समस्या नहीं हल कर सकते। केवल कृषि आधारित तथा छोटे उद्योग ही देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या का समाधान कर सकते हैं। लेकिन इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया है। हम उस विदेशी निवेश से और क्या कर सकते हैं जो केवल बड़े उद्योगों में किया गया है? हम बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की सहायता से और क्या कर सकते हैं? बड़े उद्योग मूलभूत समस्यायें नहीं सुलझा सकते। इसलिए, पूरा देश अर्थव्यवस्था की दृष्टि से दिवालिया होने वाला है। देश की अर्थव्यवस्था के जीवन में यह दिवालियापन सरकार की विदेश नीति को असफलता की ओर ले जा रही है। यदि आप अनुमति दें तो मैं सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के चुनाव में भारत की पराजय की याद दिलाऊं। जापान से भारत की पराजय से भारत सरकार की कूटनीति और विदेशी नीति की असफलता का पता चलता है।

अपराह्न 3.03 बजे

[श्री नीतीश कुमार *पीठासीन हुए*]

यह हमारी विरासत है कि हमने गुट निरपेक्ष आन्दोलन का नेतृत्व संभाला। यह नेहरू, नासिर और टीटो की विरासत है। इसलिए, भारत ने ही नेतृत्व संभाला। परन्तु आज इस बात से जाहिर होता है कि हमने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। हमने अपनी प्रतिष्ठा और नेतृत्व खो दिया है। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के लिए जापान के खिलाफ चुनाव में भारत गुटनिरपेक्ष-देशों के भी वोट नहीं प्राप्त कर सका। सारे गुटनिरपेक्ष देश भारत के पक्ष में वोट डालने नहीं आए जबकि एक समय हम गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का नेतृत्व करते थे। आज विश्व परिदृश्य बदल गया है। पूरा विश्व दो खेमों में बंटा था। पर, आज, पूरा विश्व एक हो गया है। दो खेमों वाले विश्व का एक खेमे में बदलाव की बुराइयों से हम परिचित है। यह एकल विश्व यूरोपीय-अमरीकी साम्राज्यवादी ताकतों द्वारा नियन्त्रित हो रहा है। हमें यह सब पता है पर आज भी गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की ऐतिहासिक आवश्यकता है। भारत इस गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का नेतृत्व संभाल सकता था पर भारत तो अपने पक्ष में वोट देने हेतु गुटनिरपेक्ष देशों को आकर्षित भी नहीं कर पाया। कूटनीति और विदेश नीति के सम्बन्ध में यह भारत सरकार की असफलता है।

महोदय, मैंने विदेश मंत्रालय से सुना है कि पाकिस्तान ने अनेक देशों को प्रभावित किया था। पाकिस्तान के प्रभाव में आने वाले देशों ने भारत के पक्ष में वोट नहीं डाला। इससे क्या पता चलता है? पाकिस्तान की कूटनीति के सामने हमारी सरकार ने पूरी तरह घुटने टेक दिए। पाकिस्तान पंडित नेहरू और यहां तक कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के समय भी कुछ नहीं कर सका। आज हमें पाकिस्तान के कारण पराजय का सामना क्यों करना पड़ा? हम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा किए जाने की उम्मीद भी नहीं थी। आपको आश्चर्य होगा और हमें भी यह सुनकर आश्चर्य हुआ था कि हालांकि रूस, फ्रांस, क्यूबा, मिश्र और ईरान ने भारत के पक्ष में मतदान किया था फिर भी पाकिस्तान के विरोध के कारण भारत को गुटनिरपेक्ष देशों के वोट नहीं मिल पाए। यह आश्चर्य की बात है कि भारत रूस, फ्रांस, क्यूबा, मिश्र और ईरान के साथ अपनी मित्रता का उपयोग नहीं कर सका। यह भारत सरकार की कूटनीति और विदेश नीति की विफलता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस असफलता का कोई उल्लेख नहीं है। इसीलिए, हालांकि हम इसकी प्रशंसा करते हैं और राष्ट्रपति के लिए हमारे मन में अधिक सम्मान है फिर भी हम राष्ट्रपति के अभिभाषण का पूरी तरह से समर्थन नहीं कर सकते। हम कुछ शर्तों के साथ ही अपना समर्थन देते हैं।

अन्त में, मुझे गुटनिरपेक्ष आन्दोलन पर कुछ कहना है। भारत आज भी गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का नेतृत्व संभाल सकता है। विश्व के बंटवारे के बावजूद यह आन्दोलन कुछ ऐतिहासिक महत्व के साथ जारी रहा। आज, तीसरी दुनियां के देश, भूख से तड़पती पीढ़ी, बेरोजगार युवक और असंख्य पीड़ित लोग यूरोप और अमरीका के साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। भारत आज साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए तीसरी दुनियां के उन पीड़ित लोगों का नेतृत्व संभाल सकता है।

महोदय, हम हाल ही में सम्पन्न गंगा जल बंटवारा समझौते का स्वागत करते हैं। हम इस समझौते को सफल बनाने में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु द्वारा निभायी गयी महत्वपूर्ण भूमिका की भी प्रशंसा करते हैं। पर मैं बड़े दुःखी मन से याद दिलाना चाहता हूं कि फरक्का, मालदा, मुर्शिदाबाद जो पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिले हैं

[श्री प्रमथेस मुखर्जी]

उन्हें बार-बार आने वाली बाढ़ के कारण काफी मुसीबतें उठानी पड़ती हैं।

माननीय प्रधानमंत्री श्री एच॰डी॰ देवगौड़ा ने इस क्षेत्र का दौरा किया था और घोषणा की थी कि लोगों को बार-बार आने वाली बाढ़ से बचाने के लिए कुछ सकारात्मक कार्यवाही की जाएगी। पर अब तक कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गई है। किसी लोकतांत्रिक और प्रभुसत्ता सम्पन्न सरकार का यह कोई अच्छा कार्य नहीं माना जाएगा। लोगों से किए गए वायदों को सम्यक समयावधि में अवश्य पूरा करना चाहिए।

महोदय, इन सीमावर्ती जिलों के लोगों के हित में कटाव-रोधी योजना को शीघ्र लागू किया जाना चाहिए। यह मेरा सुझाव है। मैं स्वच्छ पेयजल और शिक्षा के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। मुझे यह बताया गया है कि आपने भी इसपर बोला था। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना चाहिए। हर बच्चे को 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। संविधान निर्माताओं का यह संकल्प था। इसलिए इसे शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए, नहीं तो देश का विकास नहीं हो पाएगा।

देश की उन्नति और उसकी सम्प्रभुता सरकार की समिच्छाओं और निष्ठा से किये गए प्रयासों पर निर्भर होती है। हमें आशा है कि सरकार सहयोग करेगी और इस दिशा में आगे बढ़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ राष्ट्रपति के अभिवादन पर धन्यवाद प्रस्ताव को अपना समर्थन देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर) : सभापति जी, मैं इस मोशन को अपोज करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं अपनी स्पीच एक ही मुद्दे पर कनसैनट्रेट करूंगा और वह है कश्मीर का मुद्दा। राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में यह कहा है कि

[अनुवाद]

> "जम्मू और कश्मीर में विधान सभा चुनावों का कराया जाना और एक लोकप्रिय सरकार की स्थापना सामान्य स्थिति बहाल करने की प्रक्रिया में प्रमुख कदम हैं।"

[हिन्दी]

राष्ट्रपति जी का कहना है कि चुनाव होने से वहां पर नौर्मैलसी आ गई। आज फारूख अब्दुल्ला को डोडा में एक मीटिंग में जाना था लेकिन कल वहां पर दो ब्लास्ट हुए हैं। नौ महिलाएं बुरी तरह से जख्मी हुई हैं और मुझे लगता है कि शायद इस समय तक उनमें से कोई न कोई दम तोड़ चुकी होगी। उसी डोडा डिस्ट्रिक्ट में कल किश्तवाड़ में एक बम ब्लास्ट हुआ है जिसमें हमारा एक नौजवान शहीद हो चुका है।

मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहूंगा। पिछले इलैक्शन के बाद जो स्थिति बनी है, उसमें अगस्त महीने में 141 नौजवान शहीद हुए हैं, सितम्बर में 103, अक्टूबर में 88, नवम्बर में 89, दिसम्बर में 116, जनवरी में 90 और 15.2.97 तक 49 शहीद हुए हैं अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर कितनी नौर्मैलसी आ चुकी है। मेरे दोस्त पार्लियामैंट का इलैक्शन लड़ने की जुर्रत नहीं करते थे। फारूख अब्दुल्ला और उसकी पार्टी जिन्होंने पार्लियामैंट के इलैक्शन का बॉय-काट किया था, आज लोगों ने उन्हें दो-तिहाई बहुमत देकर जिताया है। मेरा यह कहना है कि जितने लोग जीते हैं, उनमें से एक भी एम॰एल॰ए॰ ऐसा नहीं है जो अपने वोटर्स का धन्यवाद करने के लिए अपनी कौन्सटीटूऐंसी में जा सका हो। आप कह रहे हैं कि हमने वहां पर नौर्मैलसी ला दी है। पिछले आठ वर्षों में तीस हजार लोग मारे गए हैं। चार लाख लोग दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। मेर सामने हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि पहले केवल पंडित लोग ही वहां से भगाए गए थे लेकिन आज 600 से ज्यादा मुस्लिम फैमलीज़ भी भगाई गई हैं। 600 परिवार आज कश्मीर से आकर जम्मू में बैठे हैं। उन्होंने इलैक्शन में वोट दिया था इसलिए उनके घरों में बम डाले गए, उनके घरों में गोलियां चल रही हैं। उनकी बहु-बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। अंत में वे मजबूर होकर अपने बाप-दादा की जागीर, सम्पत्ति छोड़कर जम्मू में आकर रह रहे हैं।

मेरा आपसे कहना है कि सिर्फ चुनाव हो जाने के बाद, जैसा मैंने शुरू में कहा, पिछले आठ सालों में हमने वहां पर जो तांडव नृत्य देखा है, उसमें चार लाख से ज्यादा लोग दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। पांच हजार के करीब स्कूल और कालेजों की बिल्डिंगें जलकर राख हुई, दो हजार पुल जलाए गए। अमरनाथ की यात्रा के लिए हमें दो लाख मिलिट्री वहां पर भेजनी पड़ती है। कितनी मां-बहनों की इज्जत लुटी, कितने बच्चे यतीम हुए, कितने बूढ़े मां-बाप हैं जिनके हाथों की लाठियां छिनीं। अनगिनत हैं। यह एक लम्बी कहानी है। जरूरत तो इस बात की थी कि यह सरकार आने के बाद हमारी इनसरजैंसी ने जो सारी समस्याएं पैदा की थी, उनके साथ लड़ने के लिए कोई ब्लू प्रिंट लेकर आते। सारा देश उनको सपोर्ट करता। लेकिन हुआ क्या? फारूख अब्दुल्ला की सरकार ने पहला काम यह किया कि वहां पर हम औटोनौमी देंगे। औटोनौमी के लिए उन्होंने कमेटी बना दी। एक डा॰ कर्ण सिंह की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई और दूसरी विदेशियों के एजैंट की अध्यक्षता में बनाई गई। औटोनौमी जिसे कोई नहीं मांग रहा है, कोई मिलिटैंट और्गनाईजशन औटोनौमी की चर्चा नहीं कर रही है। जिन्होंने बंदूक दिखाई है, उनमें से किसी ने कभी इसकी चर्चा नहीं की।

लेकिन वह दबादब बोले जा रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी बोल रहे हैं, हमारे होम मिनिस्टर साहब भी बोल रहे हैं और वे कहते हैं कि हम ग्रेटर ऑटोनोमी दे देंगे, ज्यादा से ज्यादा ऑटोनोमी देंगे। कश्मीर को कितनी ऑटोनोमी आप देना चाहते हैं? आज पार्लियामेंट के अन्दर जो कानून आप पास करते हैं, वह कश्मीर के ऊपर लागू नहीं होता। अगर आप 10 गज जमीन का टुकड़ा आप वहां खरीदना चाहें तो वहां का कानून जमीन का टुकड़ा आपको नहीं

खरीदने देता। मध्य प्रदेश से उठकर, केरल, असम, बिहार से उठकर हमारा नौजवान वहां बोर्डर पर जाकर शहीद तो हो सकता है, लेकिन अगर चाहे तो दो गज जमीन का टुकड़ा नहीं खरीद सकता, वह अपना खून बहा सकता है, लेकिन उसको आज जमीन का टुकड़ा खरीदने की इजाजत नहीं है।

पंचायती राज आज सारे देश के अन्दर चल रहा है, लेकिन कश्मीर के अन्दर पंचायती राज अपने ढंग का चलाया जा रहा है। कोई ऐसा मसला नहीं है, कश्मीर को ऑलरेडी हमने एक ऐसा स्थान बना दिया है, जिसका भुगतान हम भुगते जा रहे हैं और आज फिर हम चर्चा कर रहे हैं कि हम ग्रेटर ऑटोनोमी देंगे। मेरा यह कहना है कि बजाय इसके कि जो वहां की समस्याएं थीं, उलझनें थीं, ये जो इनसरजेंसी ने, पाकिस्तान स्पोन्सर्ड प्राक्सीवार ने वहां पर पैदा की थी, उनके खिलाफ लड़ा जाता। लेकिन हमने ऐसी फिक्टीसियस चीजें कहनी शुरू कर दीं, डा॰ फारूख हर तीसरे दिन बोलते चले जा रहे हैं। पार्लियामेंट ने एक बाकायदा रैजोल्यूशन किया है, इन दोनों हाउसेज का एक सोलम प्लेज है कि हम आक्यूपाइड कश्मीर के खिलाफ लड़ेंगे और फारूख अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है, उसी को आप अपनी बाउण्ड्री मान लीजिए। मुझे समझ में नहीं आता कि यहां पर कोई केन्द्र की सरकार है या नहीं है। एक चीफ मिनिस्टर और वह भी इतनी छोटी सी स्टेट का, वह देश को डिक्टेट कर रहा है, कल जब मुम्बई में उनसे पूछा गया कि आपने यह कहा तो कहते हैं कि, हां मैंने कहा है, इससे बैटर हमको सोल्यूशन बताइये।

हमारे देश ने 1971 में पाकिस्तान के वह दांत खट्टे किये थे कि 93 हजार पाकिस्तान के सैनिक हमारे कैदी थे, 1/3 पाकिस्तान हमारे कब्जे में था और आज क्या कहें कि जिनकी नीतियों की वजह से आज सब कुछ हो रहा है, उनकी बदौलत हमने वे सैनिक भी वापस किये, हमने वहां की लैंड भी वापस की और उसके साथ हमने दक्षिणा में अपना छम्ब का क्षेत्र भी वापस दे दिया। मैं जानना चाहता हूं कि इस चीफ मिनिस्टर को सुपर प्राइम मिनिस्टर किसने बना दिया? कैसे यह भाषण कर रहा है, किस तरह की वह बातें बोल रहा है। मैं देश को इस हाउस के माध्यम से वार्निंग देना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ी साजिश आज से नहीं, 1947 से चल रही है। अमेरिका और उसके साथी देश इस कोशिश में हैं कि किसी न किसी तरह से कश्मीर के अन्दर यह गड़बड़ चलती रहे। पिछले दिनों में विज़नर वहां पर गये थे और विजनर ने जिस तरह से वहां पर भाषण दिया और मैंने जो पहले बात कही कि होम मिनिस्ट्री किसी दूसरे देश के एम्बेसडर का बाकायदा प्रोग्राम बनाती है। अमेरिका का एम्बेसडर हमारे जनरल्स को जाकर मिल रहा है और आर्मी के लोगों के साथ बातचीत कर रहा है। हम कैसे एलाउ करते हैं, कौन सा देश ऐसा है कि जहां आर्मी के जनरल्स के किसी एम्बेसडर से मिलने की इजाजत दे दी जाती है? भारत में यह हो रहा है। मैं तो यह कहूंगा कि आज जो यह षड़यंत्र बाकायदा अमेरिका के द्वारा यहां पर चलाया जा रहा है, एक तरफ तालिबान फोर्सेज को बाकायदा सपोर्ट देकर उनके कदम आगे बढ़ रहे हैं, उनका यह संकल्प है, आई॰एस॰आई॰ का यह संकल्प है कि कश्मीर को भारत से अलग किया जाये, तोड़ा जाये और उसके अन्दर हमारे कुछ लोग बाकायदा सहभागी हो रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि ऐसे चीफ मिनिस्टर को एक लगाम दी जाये। उसको बाकायदा समझाया जाये।

दो बातें कल उन्होंने कहीं, एक तो यह कि कश्मीरी पंडित अब वहां से निकलकर आ गये, उनको वहां पर वापस ले जाना हमारा काम नहीं है, उनको खुद जाना चाहिए। जो नहीं जाएंगे, हम उनकी नौकरियां बन्द कर देंगे। अजब तमाशा है कि एक तरफ तो आप उनकी जिंदगी की रक्षा नहीं कर पाओ, उनकी मां-बहनों की इज्जत लुटे और आप उनको बचा नहीं पाओ और अगर वह वहां से चले आते हैं तो आप कहते हो कि वे खुद चले आये। आज जो मुस्लिम परिवार वहां से आ रहे हैं, वह भी शायद खुद ही आ रहे होंगे।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के गैर-जिम्मेदाराना बयान देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कोशिश करनी चाहिए मुख्य मंत्री इस तरह के बयान न दें। यह उनको समझाना चाहिए। कश्मर के अंदर जो हो रहा है, अभी प्रधान मंत्री जी ने वहां के लिए पैकेज की घोषणा की, फंड्स दिए जा रहे हैं, यह अच्छी बात है। इसकी जरूरत भी है, क्योंकि वहां बहुत नुकसान हुआ है और उसको सम्भालने के लिए देश की जिम्मेदारी है। लेकिन होता यह रहा है कि पहले जो पैसा यहां से जाता था वह सारा मिलिटेंट्स के हाथों में पहुंच जाता था। आज भी वहां अपनी सरकार की अथोरिटी नहीं है, मिलिटेंट्स की है। वे जिस समय चाहें हड़ताल हो जाएगी, सचिवालय बंद हो जाएगा। शाम को वहां डी॰सी॰ जाकर मिलिटेंट्स के लीडर्स से पूछता है कि बताइए क्या करना है। ऐसी सूरत में जो पैसा जाए, क्योंकि देश के अंदर 32 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं और ऐसे लोग हैं जिनको शायद एक समय अपने पेट पर पत्थर बांधकर सोना पड़ता है, उन लोगों का पैसा कश्मीर के विकास के लिए जाना चाहिए तो विकास पर ही खर्च होना चाहिए, इसके लिए मानीटरिंग कमेटी बननी चाहिए। यह कोई पहली बार पैकेज नहीं दिया गया, बहुत बार दिए गए हैं। वहां के राज्यपाल कृष्णाराव जी के मुताबिक एक लाख करोड़ रुपये कश्मीर को दिए जा चुके हैं। उसी के साथ-साथ तीन बार, 1947, 1965 और 1971, हम पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ चुके हैं, चौथी अब लड़ी जा रही है। इतना होने के बावजूद हालत यह है कि 14 अगस्त का दिन आए तो वहां पर दीपमाला होती है और 15 अगस्त के दिन दीए गुल हो जाते हैं। हमारे सैनिक देश की रक्षा कर रहे हैं, वे जब गली से गुजरते हैं तो कहा जाता है कि भारतीय कुत्ते जा रहे हैं। सभापति महोदय, बहुत दुःखभरी कहानी आपको सुना रहा हूं। जो पैसा वहां जाता है वह देश के विकास पर खर्च हो, इस तरह की कोशिश करनी चाहिए।

अभी बताया कि सरकार ने वहां बार्ब्ड वायर लगानी शुरू की है। वहां पाकिस्तान से बाकायदा आज भी हथियार आ रहे हैं, लोग वहां जा रहे हैं और ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं। सारा सिलसिला चल रहा है। अंत में केन्द्र सरकार ने सोचा कि जैसे पंजाब में बार्ब्ड वायर लगाई है, उस तरह से शायद वहां भी हमें कामयाबी मिल जाए। मैंने प्रश्न

[श्री चमन लाल गुप्त]

संख्या 557 के माध्यम से यहां पूछा कि इसकी क्या प्रोग्रेस है तो मुझे बताया गया कि-

[अनुवाद]

> "जम्मू खंड में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पुंज प्रकाश के वित्त-पोषण की योजना 28 मार्च, 1995 को संस्वीकृत की गई थी और 17.72 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त गोली चलाए जाने के कारण जुलाई, 1995 में इस काम को रोकना पड़ा था।"

[हिन्दी]

आप बताएं कि पाकिस्तान ने फायरिंग करनी शुरू कर दी इसलिए हमने साढ़े 17 करोड़ रुपये खर्च कर दिए, यह कहां तक उचित है। यह 1995 की बात है और इसको दो साल हो गए हैं। इन दो सालों में सारा पैसा जाया हो गया। जितना भी वहां मेटिरियल था, लोग इधर-उधर उठाकर ले गए। साढ़े 17 करोड़ रुपये नष्ट कर दिए इसलिए कि पाकिस्तान की तरफ से गोलियां आ गई। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। इतना सा पाकिस्तान और कहां हमारा 95 करोड़ की आबादी वाला मुल्क, इससे ज्यादा अपमानजनक स्थिति और क्या हो सकती है। आज डोडा के अंदर या कश्मीर घाटी के अंदर जो कुछ हुआ है।

चुनाव के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने वहां पर काम करना बंद कर दिया है। उनका यह कहना है कि या तो आप डोंडा जिले को बाकायदा डिस्टर्ब्ड जिला घोषित करिए और हमारे हाथ मजबूत करिए। तभी हम ऑपरेशन करेंगे। अगर आप नहीं करते हैं तो हम ऑपरेशन नहीं करेंगे।

अफगानिस्तान या सूडान या अन्य देशों से जो लोग यहां आकर टिके हुए हैं, वे यहां पर कोई सैर करने तो आए नहीं हैं। उनके हाथ में बंदूकें हैं। उनकी बंदूकें बंद करने का दूसरा रास्ता कौन सा है? अगर आप सिक्योरिटी फोर्सेज के हाथ बांध देंगे और उनको काम करने की इजाजत नहीं देंगें तो वहां की इंसरजेंसी पर किसी तरह से भी काबू नहीं पाया जा सकता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि हम सिक्योरिटी फोर्सेज को उनका काम करने दें। मुझे फौजियों से मिलने का मौका मिला था। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय सरकार जब हमारा यह काम ही बंद करवा देती है तो हम क्या करें? मैंने उनसे कहा कि जब उनकी गोली आ सकती है तो आपको गोली चलाने से किसने रोका है? इस पर उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से रोका है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसके बारे में हमें बड़ी स्पष्ट नीति बनाकर रखनी पड़ेगी। यह देश का पैसा है, हमें सोचना चाहिए कि इसको हम किस तरह से खर्च करें।

कश्मीर के अंदर आज तक हम नॉर्मलसी नहीं ला सके। इसका कारण बड़ा साफ है। वहां पर पोपुलर गवर्नमेंट बनी, बहुत अच्छी बात है, बननी भी चाहिए थी। इलेक्शन हो गए, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन इलेक्शन के बाद...*(व्यवधान)*

श्री इलियास आजमी (शाहबाद) : आपने कहा था कि ...*(व्यवधान)*

श्री चमन लाल गुप्त : मैंने एक इशारा किया है। मैं ज्यादा इसकी चर्चा नहीं करना चाहता। मैंने एक ही सवाल किया था कि जो व्यक्ति दो महीने पहले इलेक्शन लड़ने की जुर्रत नहीं रखता था, वह दो महीने के बाद दो तिहाई बहुमत लेकर आ रहा है, इसका आपको विश्लेषण करना चाहिए।

सभापति महोदय : आप अपनी बात कहिए। अब वह तो बैठे-बैठे बोल रहे हैं, उनकी बात का जवाब आप क्या दे रहे हैं?

श्री इलियास आजमी : नहीं, अपनी बात की तबदील कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपका समय आएगा तो बताइएगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : वह जब अपनी बात कह दें तो आप अपनी बात कह लीजिएगा। चमन लाल जी, आपकी पार्टी के कई और सदस्य भी बोलना चाहते हैं।

श्री चमन लाल गुप्त : मैं संक्षेप में अपनी बात कहूंगा। मेरा यह कहना है कि वहां की परिस्थिति आज भी गंभीर है। हमारे देश का यह रिजोल्व है कि कश्मीर भारत का अटूट अंग है। वह अटूट अंग रहना चाहिए। दुनिया की कोई ताकत इसको जुदा नहीं कर सके, इस तरह का वातावरण वहां बनना चाहिए। लेकिन 1947 से लेकर आज तक लगातार कश्मीर के बारे में हमने कोई नीति नहीं बनाई। हम कश्मीर के बारे में हमेशा यही सोचते रहे और कभी एक परिवार को पकड़ लिया और कभी दूसरे परिवार को पकड़ लिया। नतीजा हमारे सामने आ रहा है। कभी हमने शेख अब्दुल्ला को पकड़ा और उन्हें जेल के अंदर डाल दिया। कभी हमने बख्शी साहब को पकड़ा और उनको जेल में डाल दिया। कभी हमने फारुख अब्दुल्ला साहब को पकड़ा, फिर उनको हटा दिया। बाद में उनके बहनोई को पकड़ा, फिर उन्हें हटा दिया। अब इस तरह से कश्मीर के साथ डील करेंगे तो इस तरह से कश्मीर की समस्या सुलझने के बजाए और उलझती चली जाएगी। मैं चाहता हूं कि पार्लियामेंट का जो रिजोल्व है, सही मायनों मे सब तरफ से देखा जाना चाहिए। यह अजीब स्थिति है कि फारुख अब्दुल्ला एक भाषा बोलें कि यह हमारी एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है, उसकी सीमा बना लो। देवेगौड़ा साहब का स्टेटमेंट जाए

> "हम थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हैं।"

पहले कह दिया जाता है और बाद में इसको कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि फ्रैंक बिजनर हमारे वहां के आर्मी के जनरल्स के साथ बातें करें, हुर्रियत वालों के साथ बातें करें। ये हुर्रियत वाले क्या हैं? जिन्होंने कभी इस बात को माना ही नहीं कि कश्मीर भारत का अटूट अंग हैं। अब वे लोग अगर दिल्ली में आएंगे तो होम मिनिस्ट्री उनके लिए सारा प्रबंध करेगी।

दिल्ली के अंदर दफ्तर खोल देंगे। जम्मू के अंदर दफ्तर खोलेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे यहां आखिर सरकार नाम की कोई चीज है या नहीं? एडमिनिस्ट्रेशन है या नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह बात इस्टैबलिश होनी चाहिए कि हमारी सरकार है। इस मामले में हमारी पालिसी साफ होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति हिन्दुस्तान के खिलाफ बोलता है, कश्मीर को हिन्दुस्तान का अंग नहीं मानता है, उसको इस देश के अन्दर रहने का हक क्यों है और कैसे है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि उस राज्य में नार्मलसी लाने की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। टूरिज्म का वहां एक ऐसा मुद्दा है, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है। स्थिति यह है कि टूरिज्म बिलकुल समाप्त हो गया है। इस बारे में न सरकार की तरफ से, न देवेगौड़ा जी की तरफ से और न राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कोई बात कही गई है। प्रधान मंत्री जी ने जो पैकेज दिया है, उसके अन्दर दुलहस्ती प्रोजैक्ट के लिए तीन हजार करोड़ रुपए दिए हैं और एक रेलवे लाइन के लिए 2500 करोड़ रुपए दिए हैं। इसके साथ-साथ उन्होंने यह भी कहा है कि मुगल रोड बनवा देंगे। मुगल रोड एक ऐसा प्रोजैक्ट है, जिसको हमारी डिफैंस फोर्सेज चार बार रिजैक्ट कर चुकी हैं। डिफैंस के लोग कहते हैं कि यह खतरनाक प्रोजैक्ट है, यदि सरकार इसको खड़ा कर देगी। इन बातों पर ध्यान न देकर हम कह रहे हैं कि हम वह रोड बनवा देंगे। मेरे विचार से सरकार को देश के हित में सोचना चाहिए और उस राज्य में टूरिज्म को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। यह तभी हो सकता है, जब वहां पर नार्मेलसी आए। जो हिन्दू भाई, मुसलमान भाई वहां से माइग्रेट होकर यहां आए हुए हैं, इनको वापिस भेजने के लिए ऐसी स्थिति पैदा करें, जिससे ये लोग वापिस जा सके।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वहां पर जो सेनायें हैं, जो फोर्सेज हैं, वहां शान्ति बहाल करने के लिए उनको फ्री-हैंड देना पड़ेगा। जहां तक चुनाव की बात है, जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है, तो वहां पर चुनाव भी फारूक अब्दुल्ला या प्राइम मिनिस्टर की बदौलत नहीं हुए हैं। वैसे भी फारूक अब्दुल्ला लंदन में बैठे हुए थे और कोई हिम्मत करके वहां जा नहीं सकता था। वहां जो ये चुनाव कराए जा सके हैं, वे सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेज की बदौलत हुए हैं। लेकिन इस बारे में एक शब्द भी इस अभिभाषण में नहीं है। उनकी बेहतरी और विकास के लिए कोई बात इसमें नहीं कही गई है और न ही यह कहा गया है कि वहां यह स्थिति सिक्योरिटी फोर्सेज की बदौलत पैदा हुई है। हमारे देश की सिक्योरिटी फोर्सेज महान हैं, जिन्होंने हमेशा हमारे देश का नाम ऊंचा किया है। उनके ऊपर भरोसा रखना बहुत ही जरूरी है।

मैं दो शब्द और कहना चाहता हूं। कश्मीर राज्य में एक दरिया पर 15000 मेगावाट बिजली पैदा करने की बात है। यदि हम इसको पूरा करने की ओर कदम उठायें, तो हम जम्मू से लेकर दिल्ली तक जितनी भी हमारी बिजली की आवश्यकता है, वह हम सारी की सारी पूरी कर सकते हैं। इस बारे में मैंने कल भी एक सवाल खड़ा करने की कोशिश की थी। एक फ्रेंच कम्पनी जो वहां से भाग गई थी, उस कम्पनी को 1997 में 968 करोड़ रुपए का पेमेंट कर रहे हैं। हमें बताया गया है कि पांच साल तो उस कम्पनी को छोड़ कर गए हुए हो गए हैं, तो फिर अब उसको क्यों पेमेंट किया जा रहा है? मैं चाहूंगा कि इसकी एन्क्वायरी होनी चाहिए। बाकायदा इसकी एन्क्वायरी संसद की एक कमेटी से होनी चाहिए, क्योंकि इसमें देश का पैसा लगा हुआ है। उस समिति को यह भी देखना चाहिए कि सही मायनों में पैसा खर्च होता है या नहीं होता है। पिछले कुछ वर्षों से वहां पूरी तरह से मिलिटेंसी है, कोई काम नहीं हुआ है, करोड़ों रुपए खर्च दिखाए गए हैं। मैं चाहूंगा कि इसकी जांच कराई जाए। रेल मंत्री जी सदन में आ गए हैं, मैं उनके ध्यान में भी एक बात लाना चाहता हूं।

सभापति महोदय : गुप्ताजी, आप अपनी पार्टी के सहयोगियों का थोड़ा ख्याल कीजिए। मुझे कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि आपकी पार्टी के लिए निर्धारित समय अभी कुछ और है। आप कृपया मेहरबानी करके जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री चमन लाल गुप्त : मैं एक बात रेलवे के बारे कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। पिछले साल ऊधमपुर रेलवे लाइन दिसम्बर, 1997 तक पूरी करने की बात कही गई थी, लेकिन अब इस लाइन के 1999 तक पूरा करने की बात कही गई है। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस बारे में विचार कर लें। इसके साथ ही यहां आए हुए जो माइग्रेन्ट्स हैं, जो सारे देश में फैले हुए हैं, वे अपने प्रदेश को वापिस जाना चाहते हैं, उनकी हालत के ऊपर भी सरकार को गौर करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि कश्मीर के अन्दर ऐसी परिस्थितियां पैदा की जायें, जिससे ये लोग वहां पर वापिस जा सकें।

कल बरनाला साहब ने थीन डेम की बात कही थी। वह वहां पर बन रहा है। इसके साथ-साथ वहां से लगभग 30 हजार लोग डिसप्लेस हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि उन सब लोगों को बाकायदा ठीक तरह से बसाने की चिन्ता हो। इसी के साथ-साथ वहां पर इस समय जो बसौली और कठुआ के बीच में रावी के ऊपर एक ब्रिज बनना चाहिए था। इसके लिए पिछले दस साल से लगातार कोशिश की जा रही है। इस पुल को किसी न किसी प्रोजेक्ट के अंदर रख कर बनाया जाए।

महोदय, अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कश्मीर के बारे में बिल्कुल एक क्लियरकट पॉलिसी हमें अपनानी पड़ेगी तभी कश्मीर भारत का अटूट अंग रह सकेगा। खास तौर से जो पाकिस्तान की तरफ से, आई॰एस॰आई॰ की तरफ से इतनी बड़ी कोशिशें हो रही हैं उनका सारा देश मिल करके एक सही जवाब दे सके। उसके लिए बड़ा लाजिमी है कि जो भी स्टेटमेंट्स अपने देश के नेताओं के आएं, हमारे फारुख साहब के आएं, वे सब ठीक हों। ऐसे स्टेटमेंट्स हों जिससे देश का मोरेल ऊंचा उठे। हमारी जो सिक्यूरिटी फोर्सेस हैं वे वहां पर अपना खून बहा रही हैं, उनका मोरेल कहीं गिरे न, वह ऊंचा उठे। इसका हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए।

महोदय, अंत में एक बार फिर मैं कहना चाहता हूं कि यह जो हमारा धन्यवाद का प्रस्ताव है इसका मैं जबरदस्त विरोध करता हूं।

सभापति महोदय : श्री बेनी प्रसाद वर्मा ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन के बारे में एक वक्तव्य देना चाहेंगे।

अपराह्न 3.37 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन सेवाओं के बारे में

[हिन्दी]

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : श्रीमान्, मैंने अपने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन के संबंध में विचार-विमर्श किया और निम्नलिखित निर्णय लिए :—

(क) ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों के कार्यकरण के बारे में फील्ड यूनिटों की रिपोर्टों की सत्यता की विस्तृत जांच प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज, हैदराबाद अथवा किसी अन्य किसी एक भारतीय प्रबंधन संस्था जैसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए। निश्चित एजेंसी के बारे में शीघ्र ही निर्णय ले लिया जाएगा।

(ख) सी॰बी॰आई॰ को यह जांच करने के लिए कहा जाएगा कि जब विभाग द्वारा एम॰ए॰आर॰आर॰ प्रणाली शुरू की गई थी तो पिछले सात वर्षों के दौरान ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों के उपस्कर के लिए आर्डर देने और उसके प्राप्ति के समय प्रशासनिक, तकनीकी और वित्तीय उपयुक्तता संबंधी सभी मानदण्डों का पालन किया गया अथवा नहीं।

सभापति महोदय : मेरे ख्याल से टेलीफोन की जो फंक्शनिंग रूरल एरियाज में है उसको इमप्रूव करने के लिए आप अपना प्रयास जारी रखेंगे।

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : इससे भी उसमें मदद मिलेगी। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वह प्रयास जारी रहना चाहिए था।

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : वह प्रयास हमारा है।...*(व्यवधान)*

इसलिए आज हमको निर्णय लेने में कष्ट हुआ।

श्री वी॰धनंजय कुमार (मंगलौर) : सभापति महोदय, सुबह आधे घंटे की चर्चा की बात हुई थी।

सभापति महोदय : वह तो बात सुबह हो गई है, वह अलग चीज है। मैंने यह कहा कि उस दिशा में सुधार जो पर्याप्त है, वह जारी रहना चाहिए, जांच अपनी जगह पर है।

(व्यवधान)

श्री गुलाम मोहम्मद मीर मगानी (श्रीनगर) : इस मामले में आप मुझे बताइए, कुछ जवाब दीजिए।

सभापति महोदय : मंत्री जी ने जवाब दिया है, उसको आपने सुना ही होगा।

अपराह्न 3.39 बजे

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव–जारी

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश (हिसार) : सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण दस्तावेज के रूप में इस देश की संसद के सामने रखा गया। आज इस देश में सबसे ज्यादा समस्या बेरोजगारी की है और उसका सार पढ़ने से हमें मालूम होता है कि केन्द्र सरकार ने बेरोजगारी की समस्या की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। बेरोजगारी की समस्या की तरफ ध्यान देना तो दूर रहा बल्कि आज केन्द्र सरकार की जो नीति है वह शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों के खिलाफ रही है। आज हम केन्द्र के हर मंत्री, प्रधान मंत्री का जो भी भाषण सुनते हैं तो उसमें एक निजीकरण का ही मामला आता है। देश में जितना ज्यादा निजीकरण आएगा, उससे सहकारिता आंदोलन, जो कई दशकों से इस देश में चल रहा है उसमें बहुत बड़ी रुकावट आएगी। हर मामले में केन्द्र की सरकार कहती है, रेल का निजीकरण, हवाई जहाज का निजीकरण, बिजली का निजीकरण, ट्रांसपोरटेशन का निजीकरण, सड़कों का निजीकरण, यानि इन सारे मामलों को निजीकरण, में लाया जाएगा।

तो यहां केन्द्र की सरकार का क्या काम बाकी रह जाएगा? यह दूसरे देशों की कम्पनियां हिन्दस्तान में लाकर हिन्दुस्तान के नौजवानों को बेरोजगार करने का षडयंत्र एक ऐसी पार्टी के इशारे पर कर रहे हैं जिससे इस देश का नौजवान ज्यादा हताश रहे।

आज सारे देश में कम्प्यूटराइजेशन और मशीनीकरण का मामला चल रहा है। हिन्दुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला विशाल देश है। इतनी बड़ी आबादी वाले देश में जब तक महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए रास्ते पर नहीं चलेंगे, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा नहीं देंगे तब तक हम नौजवानों को रोजगार कहां से दे पाएंगे। मेरा अनुरोध है कि इस देश के शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों के ऊपर रहम करिए। केवल अपनी सरकार को चलाने के लिए और दूसरी पार्टियों का सहारा लेने के लिए जितनी भी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां इस देश में लाएंगे, बड़े उद्योग लगाएंगे उससे शिक्षित बेरोजगार नौजवान साथियों को रोजगार के बहुत कम अवसर मिलेंगे। मशीनीकरण जितना ज्यादा होगा उतना अधिक बेरोजगारी को बढ़ावा मिलेगा। आप निजीकरण के मामले को छोड़ कर, अपना दिल और दिमाग साफ करके सहकारिता के माध्यम से उद्योगों को चलाने का काम करें।

आज बिजली की क्या हालत है? केवल उत्तरी भारत में ही नहीं बल्कि सारे देश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि इसका निजीकरण किया जाए। आज निजीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ गई? दस साल

पहले यही नेता लोग कहते थे कि सहकारिता आन्दोलन को बढ़ावा दिया जाए। अब उसे तोड़ने की चेष्टा की जा रही है। संसद में बैठे हुए कुछ नेता लोग देश के नौजवान युवा साथियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं चाहे वह राजनीतिक मामला हो, चाहे सामाजिक मामला हो और चाहे बेरोजगारी का मामला हो। हर मामले में नौजवानों को दबाने की कोशिश की जा रही है। यह नौजवानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है।

दूसरा मामला किसानों का है। देश के प्रधान मंत्री श्रीमान देवगौड़ा जी विनम्र किसानों की संज्ञा अपने आप को देने की कोशिश करते हैं लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि पिछले आठ महीने में इस देश के किसानों की जितनी हालत इस सरकार के रहते खराब हुई है, आज तक किसी सरकार के रहते नहीं हुई। हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा गेहूं पैदा होता है। पिछली बार जब गेहूं पर बहस हुई थी तो मैंने कहा था कि आपने समय रहते गेहूं विदेश भेज दिया। आज विदेश से गेहूं मंगाया जा रहा है। यह उस समय मंगाया जा रहा है जब एक महीने के बाद हिन्दुस्तान की मंडियों में गेहूं आ जाएगा। उस समय 415 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदा जाएगा। वहीं गेहूं विदेशों से 630-635 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं मंगाया जा रहा है। क्या यह किसान विरोधी सरकार नहीं है? इस बारे में केन्द्र सरकार को अपनी पालिसी घोषित करनी चाहिए और उसमें कहना चाहिए था कि हिन्दुस्तान का किसान यदि ज्यादा गेहूं पैदा करेगा तो उसको बोनस दिया जाएगा लेकिन इन लोगों ने सब उल्टा कर दिया। इस देश के किसानों की आर्थिक हालत कहीं सुधर न जाए, इस कोशिश में यह सरकार लगी हुई है और विदेश से गेहूं मंगा कर किसानों की हालत दिनोंदिन खराब करती जा रही है। जब हिन्दुस्तान के किसान का गेहूं अपने खेत में पक कर तैयार होने जा रहा है और एक महीने के बाद इस देश की मंडियों में आने वाला है तो किसानों का गेहूं कौड़ियों के भाव लिया जाएगा। यही मामला कपास का है। मैं हरियाणा की बात बताना चाहता हूं। हमारे यहां 800 से लेकर 1100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से नरमा कौडियों के भाव खरीदा गया...*(व्यवधान)* एक्सपोर्ट करोगे तो सत्यानाश भी करोगे। कपड़ा मंहगा होता जा रहा है और किसान का नरमा सस्ता होता जा रहा है लेकिन हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री आंख मूंदे बैठे हैं। आज गन्ने का सीजन चल रहा है। उत्तर प्रदेश में 15-20-30 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से किसान का गन्ना खरीदा गया। हरियाणा में हमने इस विषय पर बहस की थी और तय किया था कि वहां गन्ना 80 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से न खरीदा जाए। उत्तर प्रदेश के किसी एक व्यापारी ने जो कि एक कारखाने का मालिक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट से स्टे लेकर कह दिया कि दिल्ली की सरकार ने जो गन्ने का भाव निर्धारित किया है, वही उत्तर प्रदेश के किसान को दिया जाए।

क्या उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ घोर अन्याय नहीं? केन्द्र सरकार ने 48 रुपये क्विंटल किया है। जब तक सारे देश में किसानों को गन्ने का भाव 80-85 रुपये प्रति क्विंटल नहीं देंगे तब तक किसानों की लागत मूल्य भी पूरी होती नहीं दिखेगी। इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि वह कम से कम देश के किसानों की दशा पर दया करे या तरस खाये। यह सरकार किसानों की चर्चा तो करती है लेकिन उनका सत्यानाश करने की यह सरकार कोशिश कर रही है।

सभापति महोदय, अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि गेहूं खरीदेंगे और फिर बाहर भेज देंगे और इसी प्रकार यहां पर कपास का उत्पादन अधिक हुआ है और जानबूझकर उसे भी यहां रख लिया ताकि किसान को उसकी कपास का उचित भाव न मिल सके। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यही मामला गन्ने के बारे में हैं। हमारे यहां धान भी ज्यादा पैदा होता है और एफ॰सी॰आई॰ के गोदामों में चावल भरा पड़ा है। लेकिन थोड़े दिनों बाद कहेंगे कि विदेशों से मंगायेंगे। इससे सरकार की नीयत में खोट लगता है और बेमानी है कि हिन्दुस्तान का अनाज बाहर भेजकर पैसा कमायेंगे। यह सरकार किसान विरोधी सरकार है।

सभापति महोदय, मैं अब देश की कानून एवं व्यवस्था की बात बताता हूं।

सभापति महोदय : सरकार पैसा कमाये, इसमें आपको क्या एतराज है?

श्री जय प्रकाश : सरकार के वे लोग जो जन-प्रतिनिधि हैं, पैसा कमा रहे हैं जबकि सरकार को कमाना चाहिये ताकि वह पैसा देश के विकास कार्यों में लग सके। यदि इन लोगों की जेबों में चला जायेगा तो उससे नुकसान है, देश की जनता का नुकसान है। हमारे हरियाणा में एफ॰सी॰आई॰ की हालत यह है कि 200 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। हम बार-बार कहते रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश का गेहूं साहूकार के माध्यम से गोदामों से निकलवाकर लूट रहे हैं लेकिन उस वक्त फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर कहते हैं कि मैं देखूंगा। अब हालत यह है कि हरियाणा प्रदेश के एफ॰सी॰आई॰ का एस॰आर॰एन॰ पिछले एक महीने से भगोड़ा है, प्रोक्लेम्ड ऑफैंडर है। इस प्रकार से इन कामों द्वारा सरकार देश की जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है और अपनी कुर्सी बचाने में लगी हुई है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि यदि इस सरकार को पिछली सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को ही लागू करना था तो 1996 के चुनाव में इसने कांग्रेस पार्टी का विरोध क्यों किया?

सभापति महोदय, यहां पर कई माननीय सदस्य बैठे हुये हैं और वे इस बात को जानते हैं कि कानून और व्यवस्था ठीक नहीं है। हर प्रदेश की यही हालत है। करोड़ों रुपया फिरौती के रूप में लिया जा रहा है। यहां दिल्ली में, जो देश की राष्ट्रीय राजधानी है, सरेआम अपहरण किये जा रहे हैं। इनमें साहूकार और व्यवसायी लोग ज्यादा हैं। उनको दिन-दहाड़े उठा लिया जाता है और फिर फिरौती में करोड़ों रुपये मांगे जाते हैं। इसी प्रकार दिन-दहाड़े कत्ल किये जा रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कहते हैं कि अब की बार 30 कत्ल कम हुये हैं यानि डेढ़ महीने में 900 कत्ल हो जायें और यह कहा जाये कि इस बार 30 कत्ल कम हुये हैं। इसका

[श्री जय प्रकाश]

मतलब यह है कि केन्द्र सरकार और गृह मंत्री कानून एवं व्यवस्था से चिन्तित ही नहीं हैं। मैं मानता हूं कि हरियाणा में पिछले 8-9 महीने से वारदात हुई हैं लेकिन यदि उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय सरकार होती तो वहां का बदमाश तबका हरियाणा या दिल्ली में शरण नहीं लेता और उसका इन्तजाम हो जाता। वैसे तो कहावत है कि दो घोड़ों का सवार कभी चल नहीं पाता और हमारे प्रधानमंत्री श्री देवेगौड़ा 13 घोड़ों पर सवार हैं। यह सवारी तो टूटेगी और प्रदेश की जनता का सत्यनाश करके फिर यह सरकार जायेगी।...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : कश्मीर का इलैक्शन इतना साफ हुआ, उसके बारे में तो कहें।

श्री जय प्रकाश : जम्मू कश्मीर के बारे में बता दूं कि वे चुनाव सिक्यूरिटी फोर्सेज की मदद से हुये हैं और 1991 में कांग्रेस पार्टी ने भी पंजाब में ऐसे चुनाव करवाये थे तो क्या हुआ। वहां पर कांग्रेस का एम॰एल॰ए॰ 500-500 वोट लेकर जीत गया। अब आप देख लीजिये कि 1997 में पंजाब में कांग्रेस की क्या दुर्दशा हुई है? जब जम्मू कश्मीर में ऐसे चुनाव होंगे तो लोकप्रिय सरकार की स्थापना हो सकेगी तब मानूंगा जब सिक्यूरिटी फोर्सेज अपने घरों में रहेगी। मैं प्रजातंत्र को सही तभी मानता हूं यदि सिक्यूरिटी फोर्सेज के बगैर चुनाव हों।

बंदूकों के साए में चुनाव कोई भी करवा सकता है। ये चुनाव नहीं हैं। पंजाब में हमने देखा था कि ट्रकों के अंदर बैलट बॉक्सेज लेकर लोगों से जबर्दस्ती वोट डलवाए जाते थे। वहां कांग्रेस पार्टी का पांच वर्ष बाद क्या हश्र हुआ? हश्र तो रायरेड्डी जी आपका भी यही होगा। यह मालूम नहीं कि छः महीने बाद या दस महीने बाद होगा। इस सरकार का वही हश्र होगा जो पंजाब में कांग्रेस पार्टी का हुआ है। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि राष्ट्रपति जी पर अभिभाषण के जो दस्तावेज थोपे गए हैं, ये दिशाहीन हैं। इनका कोई औचित्य नहीं बनता है। यह केन्द्र की सरकार नौजवान विरोधी है, किसान विरोधी है, व्यापारी विरोधी है। आज इस देश के व्यापारी बड़े परेशान हैं।...*(व्यवधान)* आप भी विरोधी होंगे थोड़े से दिनों में। ...*(व्यवधान)* इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि यह जो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण है, यह एक बेबुनियादी और दिशाहीन पुलिन्दा है। मैं इसका जोरदार विरोध करता हूं।...*(व्यवधान)*

श्री इलियास आजमी (शाहबाद) : सभापति जी, बीएसपी का नंबर आएगा या नहीं?

सभापति महोदय : बीएसपी के सदस्य कल काफी देर बोले हैं। दोबारा बोलने का अभी टर्न नहीं आया है। आप बैठ जाएं।

श्री इलियास आजमी : एक पार्टी के पांच-पांच सदस्य बोल चुके हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अभी आप बैठ जाएं। आपका नंबर नहीं आया है। सदन में संख्या के हिसाब से जब दोबारा बोलने का टर्न आ जाए तो बोलिएगा। अभी ए॰जी॰पी॰ के एक भी सदस्य नहीं बोले हैं।

(व्यवधान)

श्री हरभजन लाखा (फिल्लौर) : एक साल होने वाला है, मैं एक मिनट भी नहीं बोला हूं।

सभापति महोदय : आप निराश न हों। आपको धैर्य धारण करना चाहिए।

श्री हरभजन लाखा : अभी हमने नोटिस दिया है। पांच मिनट के लिए तो समय दीजिए। लोग भी देखते हैं कि बोलता है या नहीं।

सभापति महोदय : संसदीय जीवन में धैर्य सबसे महत्वपूर्ण चीज है।

डा॰ प्रवीन चन्द्र शर्मा।

[अनुवाद]

डा॰ प्रवीन चंद्र शर्मा (गुवाहटी) : सभापति महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए मुझे अवसर देने के लिए, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, मैंने अपने और अपने दल के सहयोगियों की तरफ से इस प्रस्ताव का समर्थन करने का पक्ष लिया है। मैंने राष्ट्रपति के अभिभाषण को पढ़ा है और राष्ट्रपति का यह अभिभाषण भारत के संविधान के आधारभूत सिद्धांतों और सम्प्रभुत्ता, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, न्याय और समानता के मूल वाक्य पर आधारित है।

इस संबंध में, मैं प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने देश की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए वास्तव में प्रयास किया है। पिछले आठ महीनों के दौरान, मैंने देखा है कि उन्होंने अच्छी प्रगति की है और कई मोर्चों पर वे सफल हुए हैं। वस्तुतः, उनके समक्ष काफी बड़ा कार्य है और इस राष्ट्रपति के अभिभाषण में सन्निहित इन वास्तविकताओं को कार्यरूप देने का काम बहुत मुश्किल होगा।

राष्ट्रपति का अभिभाषण मूलतः न्यूनतम साझा कार्यक्रम की मूलधारणा पर आधारित है। न्यूनतम साझा कार्यक्रम को सामान्यतया संसद में सभी सदस्यों ने दलगत भावना से ऊपर उठकर स्वीकार किया था। लेकिन मैंने सभा में देखा है कि कतिपय आवेशपूर्ण विचार अभिव्यक्त किए जाते रहे हैं और ये आवेशपूर्ण विचार कुछ सदस्यों द्वारा अभिव्यक्त किए गए हैं कदाचित जो अकारण ही नहीं हुए हैं।

लेकिन व्यक्तिगत विचार कुछ ही राजनीतिक दलों ने प्रकट किए हैं। बिना उनका नाम लिए आप उन्हें समझ सकते हैं और उन्होंने यह सुझाव भी दिया है कि यह सरकार 13 राजनीतिक दलों द्वारा मिलकर बनाई गई है और 13 को बहुत से लोग अशुभ संख्या मानते हैं। लेकिन संयुक्त मोर्चा के लिए 13 की यह संख्या बहुत ही शुभ है और मैं समझता हूं कि 13 की इस अशुभ संख्या से, संयुक्त मोर्चा सरकार पांच वर्ष से कम शासन नहीं करेगी और इन पांच वर्षों के दौरान, कुछ राजनीतिक दलों के कुछ सदस्यों द्वारा जो व्यक्तिगत विचार प्रकट किए गए हैं-मैं उनका बहुत आदर करता हूं-जहां तक उनका संबंध है, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। क्योंकि उन्होंने जो मांगें की हैं उसे पिछले

50 वर्षों के दौरान पूरा नहीं किया गया और अब वे इस सरकार से चाहते हैं कि इन मांगों को आठ महीनों के अंदर पूरा करे जो कि असम्भव है और इसलिए संयुक्त मोर्चा सरकार से चमत्कारिक प्रदर्शन की आशा नहीं की जा सकती है और वे निश्चित रूप से यह चमत्कार नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि संयुक्त मोर्चा सरकार की इस चुनौती को स्वीकार करना होगा और इस चुनौती को साहस, धैर्य और विश्वास के साथ स्वीकार किया जाना चाहिए।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में सम्मिलित मुख्य मुद्दों को मैंने देख लिया है। यह अच्छी शुरूआत है और मेरा विश्वास है कि यह सरकार उनके ऊपर डाली गई दायित्वपूर्ण जिम्मेदारी को निष्पादित करने की स्थिति में है।

हमारा देश निश्चित रूप से कृषि प्रधान देश है। हम श्री चतुरानन मिश्र के आभारी हैं कि उन्होंने कृषि में सुधार करने के लिए एक नई सक्रिय योजना बनाई है।

इसी प्रकार जहां तक पेयजल का संबंध है, सरकार ने सकारात्मक वचनबद्धता की है कि पेयजल की सुविधा इस देश के अधिकांश लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी।

प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा का आश्वासन दिया गया है और वर्तमान खामियों को दूर किया जाएगा।

निरक्षरता को दूर करना एक बड़ी समस्या है, यह बहुत बड़ा कार्य है और मुझे भरोसा है कि यह सरकार अपने प्रयासों से और गैर-सरकारी संगठनों सहित सभी लोगों को साथ लेकर, निरक्षरता को दूर करेगी। यह भारत के लिए अपमान की बात है कि हमारे देश में अभी भी 30 प्रतिशत निरक्षर लोग हैं, इसे समाप्त किया जाना चाहिए और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सभी उपाय किए जाने चाहिए। इसका उल्लेख राष्ट्रपति के अभिभाषण में किया गया है।

सुनिश्चित रोजगार योजना वर्तमान बेरोजगारी की समस्या के समाधान में काफी हद तक सहायक सिद्ध होगी।

जहां तक सड़क और रेल परिवहन के विस्तार का संबंध है, हम श्री राम विलास पासवान को बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने रेलवे को आम आदमी के यातायात का साधन बनाने के लिए वास्तव में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। मेरा विश्वास है कि आने वाले दो, तीन या चार वर्षों के अन्दर, कई क्षेत्र जहां रेल-सुविधा नहीं है वे रेल-सुविधा से जुड़ जायेंगे और लोग रेलवे का लाभ उठाकर यात्रा करने में समर्थ हो जाएंगे।

नई औद्योगिक नीति भी आन्तरिक औद्योगिक क्षेत्र को मजबूत करने और जहां तक उद्योग का संबंध है उदारीकृत अर्थव्यवस्था अपनाने में भी सहायक होगी। इस संबंध में मैं प्रमथेश मुखर्जी से पूर्णतः सहमत हूं कि देश की बेरोजगारी की समस्या केवल बड़े उद्योगों से हल नहीं हो सकती है और इसलिए, मेरा सरकार से अनुरोध है कि छोटे और मझौले उद्योगों को भी अधिक से अधिक महत्व दिया जाना चाहिए।

अपराह्न 4.00 बजे

[श्री बसुदेव आचार्य *पीठासीन हुए*]

विभिन्न राजनीतिक दलों से संबंधित मेरे सहयोगियों ने कहा है कि यह सरकार लम्बे समय तक नहीं चलेगी। इस संबंध में, श्री नीतीश कुमार जो अभी अध्यक्षपीठ पर आसीन हैं, ने भी इस संबंध में संदेह व्यक्त किया है, जब वे बहस में भाग ले रहे थे, उन्होंने कहा था कि हमारे कुछ मंत्री केवल सो रहे हैं। मैंने किसी मंत्री को सोते हुए नहीं देखा। लेकिन मैंने यह देखा कि वे इस बात पर चिंतन कर रहे हैं कि हमारे ये संसद-सदस्य क्या बोल रहे हैं, वे संसद के अंदर किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। शपथ लेते समय, हमने कहा है कि हम निश्चित रूप से भारत के संविधान की मर्यादा बनाए रखेंगे। यदि हमें भारत के संविधान के संविधान मूल धारणा को बनाए रखना है तो विभिन्न राजनीतिक दलों के सभी सदस्यों को यह अवश्य जानना चाहिए कि भारत राज्यों के संघ वाला देश है। यदि भारत राज्यों का संघ है तो निश्चित रूप से हर राज्य का अपना अलग रीति-रिवाज, अपनी सामाजिक विरासत, अपनी अलग-अलग समस्याएं होती हैं। इसलिए हमने यह स्वीकार किया है कि भारत एक ऐसा देश है जहां विविधता में एकता है। यदि भारत के संविधान के ये मूल वाक्य हैं तो सभी सदस्यों को यह अवश्य जानना चाहिए कि हालांकि हमारे मतों में अंतर हो सकता है, हमारी अलग-अलग विचारधाराएं हो सकती हैं और हमारी विभिन्न संस्कृतियां और सांस्कृतिक विरासतें हो सकती हैं लेकिन जहां तक देश का संबंध है, देश एक ही है, लेकिन इस देश में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं।

वर्ष 1947 से इस देश पर एक ही पार्टी का शासन रहा है। वह युग बीत चुका है। अब इस देश पर किसी एक पार्टी का शासन संभव नहीं है। यदि विपक्ष दल भाजपा के मेरे मित्र यह सोच रहे हैं कि जब अगले चुनाव होंगे, तो वे देश पर शासन करने की स्थिति में होंगे तो मैं यह कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से संयुक्त मोर्चा सरकार और अधिक बहुमत से चुनाव जीतेगी। उनके अनुसार, यदि यथाशीघ्र चुनाव संपन्न होंगे तो बेहतर होगा। यह इसलिए कि सत्ता का जो केन्द्र है वह तत्व का अणु जैसा ही है। मैं नहीं जानता कि यह संसदीय है अथवा असंसदीय है। परन्तु मुझे विश्वास है यह संसदीय होगा। अणु तत्व का केन्द्र है। उसी तरह से संसद भी सरकार का मूल केन्द्र बिन्दु है। सरकार के इस केन्द्र बिन्दु में, विभिन्न कक्षक मौजूद हैं और ये कक्षक इलेक्ट्रॉन/परमाणु से घिरे हैं। जो राज्य इस केन्द्र बिन्दु से दूर रहे हैं अब तक उन राज्यों को उचित सम्मान नहीं मिला है ओर न ही उन पर उचित ध्यान दिया गया है। कभी-कभी, उनकी अपेक्षा की गई और कभी-कभी उन्हें वंचित रखा गया है। यही वह मूल तर्क है जिसके आधार पर विभिन्न क्षेत्रीय राजनैतिक दलों का उद्भव हुआ है। ये दल इसी तरह से बढ़ते रहेंगे और ये और सुदृढ़ हो जाएंगे। यह मेरी भविष्यवाणी है कि अगले चुनाव में जो कि 2001 में किये जायेंगे होंगे, इस सदन में यह सिद्ध हो जाएगा कि ये क्षेत्रीय राजनैतिक दल एवं क्षेत्रीय सोच व राष्ट्रीय दृष्टिकोण वाले अन्य राजनैतिक दल भारी बहुमत से विजयी होंगे जो इस राष्ट्र पर वास्तविक रूप से शासन करेंगे। और इस राष्ट्र पर शासन किया जाना संघवाद की शुरूआत

[डा॰ प्रवीन चंद्र शर्मा]

होगी और 2001 ई॰ में ही यह संघवाद मूर्तरूप लेगा। हम सब संघवाद के पक्ष में हैं क्योंकि हमने सरकारिया आयोग को बहुत महत्व दिया है। हमने पहले ही कई अवसरों पर यह उल्लेख कर दिया है कि सरकारिया आयोग राजनीति के आज के सन्दर्भ का परमार्थ है और यदि ऐसी बात है तो सरकारिया आयोग की कुछ सिफारिशें पहले ही मान ली गई हैं और कुछ सिफारिशें अभी स्वीकार की जानी हैं। हम इस पर चर्चा कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि वास्तविक संघवाद इस शताब्दी के अन्त तक शुरू हो जाएगा और हम दूसरे शताब्दी की शुरूआत भारत में वास्तविक संघवाद की स्थापना के साथ करेंगे।

अब मुझे और कुछ मुद्दों पर बोलना है। विदेशी मामलों में हमारे संबंधों में सुधार हुआ है। मैं श्री आई॰के॰ गुजराल जी का आभारी हूं कि वे अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ संबंधों में सुधार करने में सफल हुए हैं। यह प्रयास जारी रहना चाहिए। हम चाहते हैं कि इस संबंध में और बेहतर परिणाम सामने आयें। हमें आशा है वे ऐसा करने की स्थिति में होंगे।

मैं श्री पी॰ चिदम्बरम जी का भी आभारी हूं कि उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था क्षेत्र को एक आयाम दिया है। कल इस बहस में भाग लेते हुए कुछ सदस्यों ने कहा था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण ने एक निराशाजनक चित्र प्रस्तुत किया है। पर मैं समझता हूं कि ये निराशाजनक नहीं है क्योंकि सकल घरेलू उत्पाद की दर 1995-96 में 7.1 प्रतिशत थी और 1996-97 में यह दर बरकरार रही। सीएसओ के अनुमान के अनुसार 1996-97 में आर्थिक वृद्धि 6.6 प्रतिशत और सकल घरेलू उत्पाद वास्तविक लागत के बराबर अनुमानित है। जहां तक कार्यनिष्पादन का संबंध है, भारत का नाम दस शीर्षस्थ कार्य निष्पादकों में लिया जाता है फिर भी ऋण भार अत्यंत चिन्ताजनक विषय है। मुझे विश्वास है कि आगामी चार वर्षों में संयुक्त मोर्चा सरकार आर्थिक और वित्त के क्षेत्र में आर ठोस उपाय करके इस देश की जनता को ऋण भार से मुक्त करने की स्थिति में होगी।

वित्तीय बजट एवं बजटीय विकास भी संतोषजनक रहा है। वर्ष 1996-97 के बजट में न्यूनतम साझा कार्यक्रम के ढांचे के अन्तर्गत वित्तीय समायोजन जारी रहा है और सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में वित्तीय घाटे को वर्ष 1995-96 के 5.8 प्रतिशत से घटाकर 0.8 प्रतिशत किया जा सका है। अतः मैं श्री पी॰ चिदम्बरम जी को भी धन्यवाद देता हूं।

हमारे समक्ष प्रस्तुत राष्ट्रपति का अभिभाषण निश्चितरूप से निराशाजनक नहीं है और इसमें सुधार की अवश्य गुंजाईश है। राष्ट्रपति का अभिभाषण केवल एक पुस्तिका है जिसे 15-20 मिनटों में पढ़ा जा सकता है। इसमें, संसद में सभी सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों को सम्मिलित नहीं किया जा सकता। अतः यह केवल एक दस्तावेज है जिसमें दार्शनिक सिद्धांत दिया गया है। अब इस सिद्धांत को मूर्त रूप देना है और मुझे विश्वास है कि यह सरकार ऐसा करने की स्थिति में होगी।

लोगों/सदस्यों में कतिपय व्याकुलता रही है और यह व्याकुलता पंजाब, कश्मीर एवं उत्तर प्रदेश के संबंध में व्यक्त की गई है। ये व्याकुलताएं अकारण नहीं है। मैं सोचता हूं कि गृह मंत्री श्री इन्द्रजीत गुप्त जी ने सम्पूर्ण आन्तरिक कानून और व्यवस्था तथा केन्द्र द्वारा किये गये प्रबन्ध की सावधानीपूर्वक समीक्षा की। वे देश की हर घटना से अवगत है। उन्होंने एक बयान, दिया है जो कि आज के समाचार पत्रों में छपा है। जिसमें यह कहा गया है कि उन्होंने संसद भवन में एक बयान दिया है जो सरकार के हितों के विरूद्ध है। मैं ऐसा नहीं समझता। यह बयान उन्होंने जो वास्तविकता देखी है, उस पर आधारित है। परन्तु इसे सरकार की असफलता नहीं कहा जा सकता। ऐसा इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन चल रहा है। इसके और कई कारण हैं और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने माननीय गृह मंत्री के बयान का खण्डन बताया। अतः मैं समझता हूं कि इस व्याकुलता के कुछ कारण हैं और इसे दूर करना होगा। हमें मिलजुल कर, एकजुट होकर, अपनी दलगत भावना को त्यागकर इन व्याकुलताओं को दूर करना होगा। तब ही इन समस्याओं का समाधान हो सकता है।

आजकल असम में और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भी व्यग्रता छाई हुई है। वहां बगावत हो रहा है और ये कहा नहीं जा सकता कि इस बगावत के पीछे कोई मूल कारण नहीं है। इसके पीछे अवश्य ही कोई मूल कारण है और श्री प्रमथेस मुखर्जी ने उस मूल कारण के बारे में बताते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था इस का मूलकारण है और संविधान के कुछ प्रावधानों ने इस बगावत, उपद्रव और संशय को और बढ़ाया है। इसलिए, पूर्वोत्तर क्षेत्र पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र की जनता के मन में यह बात रह गई है कि लगभग पांच दशकों से उनके क्षेत्र की उपेक्षा की जा रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमण्डल के सहयोगियों का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक पैकेज दिया है। परन्तु जैसा कि श्री प्रमथेस मुखर्जी ने कहा है कि यह पैकेज 9000 करोड़ रु॰ का है, ऐसी कोई बात नहीं है।

सभापति महोदय : डा॰ शर्मा जी, कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

डा॰ प्रवीन चन्द्र शर्मा : महोदय, कृपया मुझे और दो-तीन मिनट का समय दीजिए।

सभापति महोदय : ठीक है।

डा॰ प्रवीन चंद्र शर्मा : महोदय, यह पैकेज 6,100 करोड़ रु॰ का है। इस तरह से कोई शुरूआत तो हुई है। परन्तु मुझे विश्वास है कि सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र की जनता में जो संशय की भावना उत्पन्न हुई है, उसे संतोषजनक ढंग से दूर करने पर समुचित ध्यान देगी।

यहां पर महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया है लेकिन मुझे विश्वास है कि जब सारी बातों पर ध्यान दिया जाएगा तब इस पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। असम में घुसपैठ एक विवादास्पद मामला है और इसने सम्पूर्ण असम राज्य तथा कुछ हद तक पूर्वोत्तर राज्यों की जनांकिकी को प्रभावित किया है। जहां तक असम के अस्तित्व/पहचान की बात है, असम की राष्ट्रीयता मिली-जुली संस्कृति से युक्त है। असम केवल असमी भाषा बोलने वालों का समुदाय नहीं है। असम में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं जिनकी संख्या

216 तक है। यहां विभिन्न धार्मिक एवं भाषाई वर्ग हैं और इस कारण से इस घुसपैठ की समस्या पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि यह समस्या बढ़ती जा रही है और जनांकिकी पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर है और इसके पहचान खोने का भी संशय है।

एक और महत्वपूर्ण मुद्दा जिस पर ध्यान नहीं दिया गया वह यह है कि उच्च क्षेत्र में शिक्षा को आवश्यक बढ़ावा नहीं मिला है। हो सकता है मैं इस बारे में गलत हूं। इस समय, भारत में 164 विश्वविद्यालय, 36 मानद विश्वविद्यालय, 8,600 महाविद्यालय 66 लाख छात्र हैं और हमारा राष्ट्र कृषि प्रधान है। इस कृषि प्रधान देश में केवल 1.1 प्रतिशत छात्र कृषि महाविद्यालयों में प्रवेश लेते हैं और मानविकी विभाग में 40.5 प्रतिशत।

इसलिए मैं समझता हूं कि उच्च स्तर पर शिक्षा की तरफ उचित ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिए इस ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए तथा इसके लिए एक नए रूप से बल दिये जाने की आवश्यकता है। यद्यपि मानव संसाधन विकास मंत्री सभा में उपस्थित नहीं है। फिर भी मैं आपके माध्यम से उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि शिक्षा को एक नई दिशा दी जानी चाहिए क्योंकि हर वर्ष हम नौ लाख स्नातक तैयार कर रहे हैं और ये नौ लाख स्नातक इस स्थिति में नहीं हैं कि उन्हें कार्य क्षेत्र में सफलता मिल सके। शिक्षा को एक नई दिशा दी जानी चाहिए जिससे उन्हें कार्य क्षेत्र में सफलता मिल सके।

द्रविड़ मुनैत्र कजगम के हमारे एक मित्र ने ठीक ही कहा है कि काम के अधिकार को भी एक मौलिक अधिकार बनाया जाना चाहिए और इस दिशा में हमें प्रयास करना चाहिए।

श्री नीतीश कुमार ने कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में नशे की दवाओं का व्यापार एक गंभीर चुनौती है। इस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। एक अन्य समस्या है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। श्री के॰वी॰ सिंह देव ही थे जिन्होंने यह कहा था कि रक्षा मंत्रालय और रक्षा कार्मिकों का पूरा-पूरा ध्यान नहीं रखा जा रहा है। इस तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

मैं कहता हूं कि यह संसद महत्वपूर्ण संस्था है। इसकी अपनी महत्ता है। संसद केवल राजनेता ही नहीं बल्कि राजनीतिज्ञ भी तैयार करता है। राजनेताओं में एक गुण है और आप इस गुण को उनका अवगुण भी कह सकते हैं। इस प्रकार से वे आडम्बरी हैं। किन्तु ये आडम्बरी भारत जैसे बड़े देश को नहीं चला सकते। यह देश केवल राजनेताओं से ही चल सकता है और राजनेता सांसदों से ही बनते हैं। यही कारण है कि मुझे पूरी आशा है कि भारत की रक्षा के लिए यह संसद न केवल बहुत बड़े राजनीतिज्ञ बल्कि राजनेता तैयार कर सकेगी। मैं समझता हूं कि यह संसद मनुष्य की आत्मा की तरह है। मैं उसका एक अभिन्न अंग हूं। जब ऐसी बात है तो मैं यही कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं :

एतद्यम इदम सर्वम
सर्व आत्मा तत्व मसि।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण संबंधी धन्यवाद प्रस्ताव का तहेदिल से समर्थन करता हूं।

डा॰ एम॰ जगन्नाथ (नागरकुरन्नूल) : सभापति महोदय, तेलुगू देशम पार्टी की तरफ से हम 20 फरवरी, 1997 को संसद की दोनों सभाओं को संयुक्त रूप से संबोधित करने के लिए राष्ट्रपति का धन्यवाद करते हैं। हम राष्ट्रपति के दृष्टिकोण की सराहना करते हैं कि उन्होंनें हमारी गठबंधन सरकार की स्थाई स्थिति के बारे में उल्लेख किया जो सामाजिक आर्थिक विकास के संवर्धन हेतु नौवीं योजना को अंतिम रूप देने में काफी अच्छा कार्य कर रही है।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में नई पाकिस्तान सरकार के साथ वार्ता की पुनः पेशकश करने के संबंध में उल्लेख किया है। यह इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने के प्रति अच्छा कदम है। राष्ट्रपति ने सशस्त्र बल के बारे में बोलते हुए कहा कि हमारी सेना देश की क्षेत्रीय एकता की सुरक्षा हेतु सतत् तैयार हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप अपनी टिप्पणियों की मदद ले सकते हैं। कृपया इन्हें जोर से मत पढ़िए।

डा॰ एम॰ जगन्नाथ : महोदय, मैं नहीं पढ़ रहा हूं। राष्ट्रपति जो कि सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमाण्डर हैं, ने कहा कि वे सदैव तैयार रहते हैं। वे अग्नि, पृथ्वी और अन्य उपलब्धियों का उल्लेख कर रहे थे। उन्होंने विक्रांत का उल्लेख नहीं किया और यह कि हमारे काफी प्रयासों के बावजूद हम इसे बदल नहीं सकते क्योंकि यह जल सेना को और मजबूत बनाने वाला विमानवाहक युद्धपोत है।

हमने सशस्त्र बलों के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं किए हैं। यहां तक कि पांचवे वेतन आयोग की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अधिकारियों की 14000 रिक्तियां हैं। उन्होंने स्रोतों को जुटाने के लिए कोई विशेष प्रयास या इन पदों को भरने के लिए व्यक्तियों की भर्ती करके उनकी संख्या बढ़ाने का भी प्रयास नहीं किया गया है।

भ्रष्टाचार के बारे में बोलते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि इसे सभी दलों की सलाह से निपटाया जाना चाहिए। मैं भ्रष्टाचार और पारदर्शिता के मुद्दे पर एक राष्ट्रीय वाद-विवाद करवाए जाने के लिए सरकार के निर्णय का स्वागत करता हूं।

आंतरिक सुरक्षा के बारे में बोलते हुए राष्ट्रपति ने कहा है कि देशभर में नक्सलवाद है और जम्मू और कश्मीर, पंजाब और पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवाद है। हमने इसके समाधान के लिए अभी तक कोई ठोस उपाय नहीं किया है। यद्यपि प्रधान मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए निधि देने का आश्वासन दिया है फिर भी वास्तव में यह निधि अभी तक नहीं दी गई है। जब तक वहां निधि नहीं दी जाती, उद्योगीकरण नहीं होता, रेल लाइनें और सड़कें नहीं बनती और बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करने वाली विकास क्रियाकलाप नहीं शुरू किए जाते तब तक वहां आतंकवाद को समाप्त नहीं किया जा सकता।

परिवार नियोजन, जो कि प्राथमिकता वाला क्षेत्र है, इसका हमारे राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। जो भी

[डा॰ एम॰ जगन्नाथ]

विकास किया जाना है वह जनसंख्या के सीधे समानुपात में होगा। जब तक जनसंख्या वृद्धि को नहीं रोका जाता, कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए, अपने पड़ौसी देश चीन को ही देखें जहां शहरों में एक बच्चे और ग्रामीण क्षेत्र में केवल दो बच्चों तक की अनुमति है। मैं नहीं चाहता कि हम इतनी कड़ाई कर दें। परन्तु बच्चों की संख्या जन्म की सीमा के संबंध में कोई कानून होना चाहिए। तभी हमारा देश विकास कर सकता है।

जहां तक तेल की खपत का प्रश्न है, यह कहा गया है कि अस्सी प्रतिशत तेल की खपत सरकार द्वारा की जाती है। कभी-कभी, मैं देखता हूं कि जब कोई विशिष्ट व्यक्ति विदेश जाता है तो उसके साथ कारों का एक काफिला भी चलता है इसी से ईंधन की बरबादी होती है। इसके बजाय यदि केवल प्रोटोकोल अधिकारी ही विशिष्ट व्यक्ति की विदाई के लिए जाएं तो इससे काफी तेल की बचत होगी। नौकरशाहों के संबंध में भी यही बात है जो अधिकारी अपने स्थानों से काफी दूर रहते हैं उन्हें लेने के लिए एक गाड़ी सुबह जाती है और एक गाड़ी उन्हें शाम को छोड़ने के लिए आती है। यह केवल ईंधन की बरबादी ही है। इसके स्थान पर यदि वाहनों और ईंधन के लिए ऋण या खरीद की सुविधा प्रदान की जाए और रखरखाव भत्ते भी दिए जाएं तो इस प्रकार की बरबादी कम हो सकती है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संबंध में राष्ट्रपति ने एक टिप्पणी की है। इससे कोई खास अन्तर नहीं आएगा। इससे कोई खास मदद नहीं मिलेगी। कोई ठोस उपाय किया जाना चाहिए। उन अपराधियों को सजा देने के लिए एक कानून पारित किया जाना चाहिए जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण लागू नहीं करते।

कई सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में मैं समझता हूं कि यह एक अच्छा कदम है। परन्तु गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के बारे में किया गया मूल्यांकन आपत्तिजनक है। उदाहरण के लिए आन्ध्र प्रदेश जैसे राज्य में राज-सहायता प्रदान करने की एक स्कीम है। उनका तर्क है कि आन्ध्र प्रदेश के लोगों की खरीद क्षमता अधिक है। यह बहुत गलत है। इसलिए इम प्रणाली को बदलना चाहिए और आन्ध्र प्रदेश में पुनर्मूल्यांकन करना होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) : जनाब स्पीकर साहब, जो सदरे जम्हूरिया की ताल्लुक से तहरीके तशक्कुर पेश की गई है, मैं उसकी पूरी-पूरी ताईद करते हुए यह बात ऐवान के और हुकूमत के इल्म में लाना चाहता हूं कि खुतबा-ए-सदारत में बहुत सी बातें हैं, लेकिन यह नहीं कहा गया कि अक्लियतों के लिए क्या है और खुसूसन मुसलमानों के लिए क्या है।

यह गवर्नमेंट अगर आई है तो वह मुस्लिम वोटों के जरिये आई है, लेकिन जहां तक हमारी फला व बहबूद का ताल्लुक है, इस ताल्लुक से इसमें कोई जिक्र नहीं है। न आपके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में हमारे लिए कुछ है, न आपकी स्टीरियरिंग कमेटी के अन्दर हमारा कोई आदमी है।...*(व्यवधान)* आपको तो हम बहुत समझ चुके। ...*(व्यवधान)* आपको समझकर ही इधर आना पड़ा। अब समझकर समझ को न समझे तो इसका मैं क्या कर सकता हूं। मुझे आपसे यही कहना है कि ये तमाम चीजें, जो आप कोई बाकायदा हमारे लिए कुछ कीजिए, वरना आप यह समझिये कि यह चीज बाकी ज्यादा देर तक रहने वाली है। तसल्लियां देते हुए आप किसी को ज्यादा दिन तक नहीं बहला सकते। आप खुद अंदाजा कीजिए कि आज आर्टीकल 30ए की तारीफ क्या है। और इसके क्या माने हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में यह जा रहा है और जजेज बैठकर इस पर फैसला लेने वाले हैं। लेकिन और भी आसानी होती कि आप संसद में रिजोल्युशन लाकर पास करते। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि वे मुसलमान यहां पर बैठे हुए हैं, वे भी इस ताल्लुक से कुछ नहीं करते। सिर्फ खामोश बैठे हुए हैं। मैं यही कहूंगा कि आपने एक वाजे पालिसी का ऐलान किया। खवातीन के लिए आप कहते हैं और दीगर तब्कात के लिए कहते हैं कि रिजर्वेशन होना चाहिए, मैं मुखालफत नहीं करना चाहता। दलितों और अन्य लोगों दुनिया में अगर किसी के लिए रिजर्वेशन दिया जाता है तो वह किसी मुल्क के अंदर अक्लियत को दिया जाता है। लेकिन यहां आप अफसरियत पर रिजर्वेशन ला रहे हैं और उसका नाम कहीं दलित, कहीं फसमानदा, कहीं कुछ और रखते हैं। आप बताएं कि यहां के अक्लियत कहां पर जाएं। उनके लिए भी रिजर्वेशन होना चाहिए। जिस तरह से आज सरकारी मुलाजिमात में रिजर्वेशन है, हमें होना चाहिए। इसी तरीके से जब आप पार्लियामेंट और असेम्बलीज में खवातीन के लिए रिजर्वेशन देते हैं तो मुसलमानों के लिए भी पार्लियामेंट और असेम्बलीज में सीट्स रिजर्व की जाएं। मैं समझता हूं तब यह सही पालिसी होगी। आप खाली बातों में बहलाना चाहते हैं तो मैं नहीं समझता कि इस तरह से कोई मसले का हल होगा।

मैं दूसरा अहम् मसला उठाना चाहता हूं। उस वक्त के होम मिनिस्टर चव्हाण साहब ने यह कहा कि जिस वक्त बाबरी मस्जिद ढहाई जा रही थी उस वक्त के साबिक प्राइम मिनिस्टर नरसिंह राव टी॰वी॰ देख रहे थे। जैसे एक मसल मशहूर है-जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। वैसे ही हमारा नीरो जब बाबरी मस्जिद गिर रही थी, वह टी॰वी॰ देख रहा था। यह अजीबो-गरीब बात है। जब एक होम मिनिस्टर खुद यह कह रहा है कि इसकी जिम्मेदारी नरसिंह राव पर है, मैंने बार-बार उनसे कहा, लेकिन वे सिर्फ टी॰वी॰ देखते रहे और कोई हुक्म नहीं दिया तो मैं चाहूंगा इस सरकार से चाहूंगा कि वह इसकी तहकीकात करे और नरसिंह राव को उसकी सजा दे और उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मैं यह समझूंगा कि आप मुसलमानों और अक्लियतों के लिए सिर्फ बातें करते हैं, इसके सिवा कुछ आपके पास नहीं है। अगर वाकई हमदर्द हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा चलाएं। लेकिन यहां बैठकर सिर्फ कहें कि हम कुछ करना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि यह सिर्फ ढोंग होगा। सही तौर पर यह होगा कि नरसिंह राव पर मुकदमा चलाया जाए, उनको हैंग किया जाए ताकि इबरत हासिल हो सके कि

आइंदा ऐसा कोई न करे। मैं जनता दल और उसमें जो मुसलमान साथी हैं, उनसे कहूंगा कि आप जरा अपनी पार्टी के अंदर इस मामले पर जोर दें, खाली वोट के लिए नहीं होना चाहिए।

श्री मानवेन्द्र शाह (टिहरी-गढ़वाल) : हमारे प्रधान मंत्री जी ने लाल किले से यह ऐलान किया था कि हमको उत्तराखंड देंगे। दुर्भाग्य की बात यह है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में उसका कोई जिक्र नहीं है। मैं क्या यह समझूं कि इनके भी खाने के दांत और हैं, और दिखाने के दांत कुछ और हैं। कोई भी प्रधान मंत्री जब लाल किले से भाषण देते हैं तो वह नेशन का भाषण होता है, नेशन को मैसेज होता है और नेशन से वादा होता है। वहां पर मैदान में जो जनता बैठी होती है, वह उसकी गवाह होती है। और लोग जो टी॰वी॰ या रेडियो पर सुनते हैं वे भी गवाह होते हैं न केवल नेशन, बल्कि इंटरनेशनल पीपल भी जो बैठते हैं और सुनते हैं, वे भी गवाह होते हैं। इसलिए जब कोई प्रधान मंत्री वहां से भाषण करते हैं, कोई आश्वासन देते हैं, उसकी कोई वजह होती है, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी होती है। वह क्रेडिबिलिटी इस राष्ट्रपति के अभिभाषण में नहीं मिलती इसलिए बहुत दुःख की बात है।

मैं आशा करता हूं कि अगर प्रधान मंत्री चूक गए हैं तो उसका अपने उत्तर में जवाब दे देंगे। क्या मैं यह समझूं कि उन्होंने अगस्त में लालकिले से जो एनाउंसमेंट की थीं, क्या उन्होंने लखनऊ की असेम्बली के चुनाव को मद्देनजर रखकर की थी? क्या उन्होंने यह समझा था कि इससे उनको चुनाव में विजय प्राप्त होगी? अब जबकि उनको विजय प्राप्त नहीं हुई तो क्या उन्होंने यह सोचा है कि अब वह पृथक प्रदेश नहीं देना चाहेंगे? या फिर मुलायम सिंह यादव के दबाव से प्रधान मंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बारे में नहीं लिखा है। क्या इस प्रकार से क्रेडिबिलिटी उनकी नहीं जाती है? इससे क्रेडिबिलिटी प्रधान मंत्री की नहीं जाती है, इससे क्रेडिबिलिटी नेशन की जाती है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि यह जो गलती उनसे हो गई है, उस पर पुनर्विचार करके अपने उत्तर में वह इसे सही करेंगे।

कुछ लोग यह भी कह सकते हैं कि यह पंडारा का बॉक्स था, इसलिए उन्होंने नहीं लिया है। उनका यह पब्लिक एनाउंसमेंट है। उन्होंनें जब यह कहा होगा तो सभी पहलुओं पर विचार करके ही लालकिले से ऐसी एनाउंसमेंट की होगी।

इसलिए इससे पंडारा का बॉक्स नहीं खुलता है, ऐसा कहना गलत है। पंडारा का बॉक्स तब खुला था जब कांगड़ा को हिमाचल में मिलाया गया था। पंडारा का बॉक्स तब भी खुला था जब स्टेट्स री-ऑरगेनाइजेशन कमीशन ने अनुरोध किया था कि मत करो, पंडारा का बॉक्स तब भी खुला था जब आसाम के टुकड़े-टुकड़े किए गए थे। पंडारा का बॉक्स आज नहीं खुलता है जबकि उत्तराखंड की मांग की गई है और प्रधान मंत्री ने कबूल करके ऐलान किया था कि

[अनुवाद]

"उत्तराखंड जिला" छोटे राज्यों की शुरूआत नहीं है। यह हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में बने राज्य की पराकाष्ठा है। यह पराकाष्ठा है।

[हिन्दी]

कांगड़ा से लेकर शुरूआत हुई थी और अब अंत हो रहा है उत्तराखंड को देकर हिमालय के रीजन में इसलिए यह कहना कि पंडारा का बॉक्स खुलता है, कहना गलत है। यह तो एक परटिकुलर मूवमेंट का अंत है।

इसके अलावा एक और भिन्नता है। वह भिन्नता यह है कि जो प्रदेश की मांग कर रहे हैं वह वहां के निजी स्थानीय लोग कर रहे हैं और उत्तराखंड की मांग की पुष्टि लखनऊ की सरकार ने की है। एक बार नहीं दो-दो बार पुष्टि की है। एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पुष्टि की है। उसके बाद मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव सर्वसम्मति से केन्द्र के पास भेजा है और अब केन्द्र सरकार उत्तराखंड बनाने पर कार्यवाही करे। ऐसा और प्रदेशों में और मांगों में नहीं हुआ है। इसका एक और अंतर है। वह अंतर यह है कि कई लोग कहते हैं कि शुरुआत कहां से होनी चाहिए? प्रदेश से होनी चाहिए या केन्द्र से होनी चाहिए। प्रस्ताव का प्रारम्भ प्रदेश से हुआ है। केवल यह हुआ है कि उन्होंने बिल वगैरह बनाकर नहीं बल्कि अपने अधिकार को केन्द्र को सौंप दिया। एक सरकार ने नहीं बल्कि दो-दो सरकार ने किया है कि अब हम आपको पॉवर्स देते हैं तथा जब वह बन जाए तो रेक्टिफिकेशन के लिए उसको हमारे पास भेज दीजिए। कार्रवाई आप करें। शुरुआत प्रदेश से हुई है और अब केन्द्र में आई है। केन्द्र को बनाना है और फिर रेक्टिफिकेशन के लिए लखनऊ में जाना है। इसलिए यह कहना कि शुरुआत कहां से हुई है, इसका भी जवाब मिल चुका है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि उनको अपनी क्रेडिबिलिटी रखनी चाहिए। जब वह उत्तर देंगे तो उस समय अपने जवाब में उनको बताना चाहिए।

इसके अलावा उन्होंने अभिभाषण भाषण में कहीं भी पहाड़ी और पिछड़े इलाकों के बारे में नहीं सोचा है। मैं ज्यादा बोल नहीं सकता हूं क्योंकि अभी घंटी बज जाएगी तथा मेरे साथियों के समय पर असर पड़ेगा। दो बातें नमूने के तौर पर रखना चाहूंगा। अब मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के पैरा 26 की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। उसमें कहा गया है-

[अनुवाद]

> "सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है—गरीबों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए बुनियादी न्यूनतम सेवाएं प्रदान करने हेतु पहल करना और अनेक ठोस कदम उठाना।"

[हिन्दी]

इसमें सात मुद्दे हैं और ये मुद्दे कतई हमारे पहाड़ी क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं। मिसाल के लिए इस पैराग्राफ के भाग-2 में लिखा है-

[अनुवाद]

> "पांच हजार लोगों के प्रत्येक समूह के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की कारगर व्यवस्था करना"

[श्री मानवेन्द्र शाह]

उन्हें इस बात का नहीं पता कि पहाड़ी क्षेत्रों में लोग दूर-दूर बसे होते हैं। उन्हें इस बात का भी नहीं पता कि मैदानों की अपेक्षा पहाड़ी क्षेत्रों में 5,000 की जनसंख्या काफी ज्यादा बड़े क्षेत्र में फैली होगी। इसी प्रकार "प्रत्येक बस्ती में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करने का भी उल्लेख है।"

[हिन्दी]

वास्तव में देखा जाए, तो हैबिटेशन की परिभाषा क्या होगी। अगर हम पांच हजार की सीमा के हिसाब से चलते हैं, तो हैबिटेशन होगा ही नहीं। हम पचास साल की आजादी के बाद भी हर गांव में पानी नहीं दे सके हैं। जब यह स्थिति है, तो हम हर घर में पानी कैसे देंगे। इसलिए उन्होंने जो बात कही है, वह असलियत से बाहर है। यह काम अलटिरियर मोटिव से किया गया है और इस योजना को दो भागों में बांट दिया गया है, नॉन पिछड़ा पहाड़ी इलाका और पिछड़ा हुआ पहाड़ी इलाका। इसी तरह से यदि आप पैरा 29 में देखें, तो उसमें लिखा गया है-

[अनुवाद]

> "सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के विकास स्तर में अंतर कम करने और उन्हें शेष समाज के साथ बराबरी पर लाने के लिए वचनबद्ध हैं।"

[हिन्दी]

मेरे विचार से यह भी गलत है। यह भी हमारे क्षेत्र में एप्लाई नहीं होता है। हमारे यहां जो पहाड़ी बैकवर्ड रीजन है, उनमें सभी कास्ट्स बैकवर्ड हैं और आपने ब्रिजिंग दि गैप करने की बात कही है। बैकवर्ड एरियाज और नॉन बैकवर्ड एरियाज में बैकवर्ड एरियाज में बैकवर्ड कास्ट्स हैं, माइनोरिटीज हैं, शैड्युल्ड कास्ट्स और शैड्युल्ड ट्राइब्स हैं। यदि इनका कम्पैरिजन प्रासपैरस और नॉन प्रासपैरस से करेंगे, तो बैकवर्ड के लिए ज्यादा तवज्जह देनी पड़ेगी और ज्यादा एम्फैसिस देना पड़ेगा तथा ज्यादा हैल्प करनी पड़ेगी, तब जाकर ब्रिजिंग गैप होगा। इतना होने पर भी रीजनल ब्रिजिंग गैप और माइनोरिटीज ब्रिजिंग गैप नहीं हो पाएगा और यह ब्रिजिंग गैप बढ़ता जाएगा।

महोदय, मैं यही तीन बातें रखना चाहता हूं। खास तौर से हमारे यहां पहाड़ी क्षेत्रों की अलग से व्यवस्था होनी चाहिए और उत्तराखंड देना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री पी॰ नामग्याल (लद्दाख) : सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि चार दिन के इन्तजार के बाद आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। मैं बहुत सारे मुद्दों पर बोलना चाहता था, लेकिन परिस्थिति को देखते हुए, मैं अपनी बातें जम्मू-कश्मीर राज्य तक ही कन्सनट्रेट करूंगा।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जम्मू-कश्मीर राज्य में चुनाव करवाने का जिक्र किया है। ये चुनाव युनाइटेड फ्रंट की सरकार ने करवाए, इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा बधाई की हकदार उस समय की कांग्रेस सरकार थी, जिन्होंने उन हालात में चुनाव कराने का निर्णय लिया था। कांग्रेस के अलावा राज्य के गवर्नर और जो वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रही हैं, सब ने मिल कर चुनाव कराने के लिए एक प्लान बनाया।

जम्मू-कश्मीर में सात साल के लम्बे अर्से के बाद पार्लियामेंट के चुनाव कराए गए। इसलिए मैं समझता हूं कि जो शुरुआत की है वह कांग्रेस ने की है और सबसे ज्यादा मुबारकवाद की हकदार कांग्रेस पार्टी ही है। आपने जो असेम्बली का इलैक्शन कामयाबी के साथ कराया, उसके लिए भी मैं आपको मुबारकवाद देना चाहता हूं।

मान्यवर, हमारी जम्मू-कश्मीर की जनता ने जो नेशनल कांफ्रेंस पार्टी को मेंडेट दिया है और हमने लोगों के मेंडेट का एहतराम करते हुए डाक्टर फारूख अब्दुल्ला साहब और उनकी पार्टी को यह आफर दी, जो कंस्ट्रक्टिव आफर है कि हम जो भी प्रोबलम्स आएंगी, जो भी लोगों के मसले होंगे, जो भी गरीबी हटाने के मसले होंगे उन पर सपोर्ट करेंगे। हम यह समझते हैं कि सात साल के पोलिटीकल वाइलडरनेस बिताने के बाद फारूख साहब और उनकी पार्टी सरकार में तो आई लेकिन उनका जो स्टाईल ऑफ फंक्शन है उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। हम सोच रहे थे कि उसमें थोड़ा सा चेंज आया होगा, लेकिन नहीं आया है। मैं तो यही कहूंगा कि अब जो आपकी पार्टी है, जो कुछ लोग समझते हैं कि अनलक्की 13 नम्बर को पार करके अब 14 हो गए हैं और जो नेशनल कांफ्रेंस हैं वे आपकी भेदी बन गई है। लिहाजा आपको चाहिए कि जो भी कहीं गलत काम होगा तो उसके लिए आप भी बराबर के जिम्मेदार होंगे। मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि जैसे हमने पहले कहा कि नेशनल कांफ्रेंस सिर्फ एक इश्यू लेकर पावर में आई। उन्होंने यह कहा था कि हम जम्मू-कश्मीर को 1952 की पोजिशन पर वापस ले जाएंगे, यानि डिफेंस, एक्सटर्नल अफयर्स और कम्यूनिकेशन को छोड़ कर बाकी जितने भी सबजैक्ट हैं वे सीधे ले लिए जाएंगे। हमने पहले भी इसका विरोध किया है और आइन्दा भी हम विरोध करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि इसका नतीजा हमारे देश के हित में नहीं हो सकता है। फिर यह हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान नहीं रहेगा, हरेक रीजन से ऐसी आवाज उठेगी। लिहाजा हम एगजिस्टिंग सिस्टम में जो भी आटोनोमी वे रीजन के बारे में करते हैं, अगर वे देना चाहते हैं तो हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन 1952 की पोजिशन की आप बात करते हैं तो हम उसका विरोध करेंगे।

महोदय, जहां पर लॉ एंड आर्डर का सवाल है, चुनाव होने के बाद इसमें जरूर तब्दीली आई है, कुछ जगह काफी इमप्रूवमेंट भी हुआ है लेकिन कुछ जगहों पर ज्यादा खराबी भी हुई है। यह मेरा ख्याल है जैसे चमन लाल गुप्ता जी ने भी कहा, खासकर डोडा के बारे में उन्होंने कहा कि डोडा के हालात काफी खराब हैं। इसमें कोई शक नहीं। सरकार को इस तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत हैं इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि जैसे सिक्यूरिटी फोर्सेस को आपने पहले वैली में लिमिट में टेररिस्ट्स को चैक करने में जो आजादी दे रखी थी वह उनको आइन्दा भी देनी चाहिए।

सभापति महोदय, आपने घंटी बजा दी हैं। लेकिन मैं अपने क्षेत्र लद्दाख के कुछ मसलों के बारे में कहना चाहता हूं। आपको मालूम ही है कि हमारे लद्दाख में एटोनोमस हिल कौंसिल बनी है। दार्जलिंग की तरह की यह कौंसिल है। हमारी कौंसिल ने राज्य सरकार से यह डिमांड की थी कि कौंसिल के चेयरमैन का दर्जा कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होना चाहिए, जिस तरह से पश्चिम बंगाल ने दार्जलिंग के लिए दे रखा है। हमने कोई नयी बात नहीं कही है। लेकिन स्टेट की तरफ से एक तजवीज आई कि नेशनल कांफ्रेस के एक मेम्बर को चेयरमैन बनाओ तो हम कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दे देंगे, कांग्रेस को नहीं देंगे। कौंसिल में नेशनल कांफ्रेस का एक भी नहीं है। उन्होंने कौंसिल के इलेक्शन का भी बहिष्कार किया था जिस तरह से पार्लियामेंट के इलेक्शन का बहिष्कार किया था।...*(व्यवधान)* आप घंटी बजा रहे हैं, अभी हमारे चार लोगों ने बोला है, हम पांच लोग हैं। इस मसले पर मैं प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इसमें इंटरवीन करें। हमारे लद्दाख में टैरेरिस्ट का मसला आ चुका है और बम ब्लास्ट हो रहे हैं। सरकार को चाहिए कि वे हमारे जो मसले हैं उनकी तरफ ध्यान दे। हम प्रधानमंत्री के मश्कूर हैं जो उन्होंने जम्मू-कश्मीर को फाइरनेंशियल पैकेज दी है लेकिन उसमें लद्दाख का कहीं नाम नहीं है। प्रधान मंत्री जी लद्दाख भी आए थे। उन्होंने वायदा भी किया था कि वे कोई स्पेशल फंड दे देंगे। हमारा मसला बहुत अजीब किस्म का है। टैरेरिज्म का मसला हमारे इलाके में उतना यहां नहीं है जितना वैली में है लेकिन हमारे एरिया में जाना हो तो टैरेरिस्ट एरिया से होकर जाना पड़ता है। इस कारण जो इशेंशियल सप्लाई हमें ले जाना होता है वह हो नहीं पाती है और इससे हमारे डवलपमेंट में बहुत खलल पड़ रही है। इसलिए आपको हमारी फंडिग की तरफ ध्यान देना चाहिए। जब तक आप इस तरफ ध्यान नहीं देंगे। आप हमारे मसले हल नहीं कर पाएंगे। मान्यवर, एक बर्निंग इश्यू चमन लाल जी ने उठाया था।

सभापति महोदय : क्या यह आपका आखिरी पाइंट है।

श्री पी॰ नामग्याल : नहीं, यह मेरा असली पाइंट है। जम्मू-कश्मीर के मसले पर फारूख साहब ने स्टेटमेंट दी है कि जो मौजूदा लाइन ऑफ एक्चुएल कंट्रोल है उसी को परमानेंट बार्डर मानकर मसले को हल किया जाए। मैं समझता हूं कि पहली बार उन्होंने एक सेंसिबल बात कही है। यह मसला उनकी तरफ से तो अभी आया है लेकिन लद्दाख डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस की तरफ से तो यह मसला 1993 में ही उठाया था जब सेंटर में कांग्रेस सरकार थी। हमने यह परपोजल उनके सामने भी रखा था। यूरोपियन ट्रांइको से जो लोग लद्दाख आए थे, वैली भी गये थे, जम्मू भी गये थे उनको भी हमने मैमोरेंडम पेश किया था।

[अनुवाद]

यहां-वहां मामूली जोड़-तोड़ के साथ उसी बात का सुझाव दे रहे हैं।

[हिन्दी]

जैसे कि हाजीपीर का एरिया है। हमने कहा था कि वह हमारी तरफ होना चाहिए। छम्ब की बात उन्होंने कही। यह छम्ब हमारे एरिये में लिया जाए। दूसरी बात यह है कि सियाचीन पर कोई समझौता नहीं हो सकता है। भू-एन ह्यूमन राइट कमीशन के लोग भी आए थे। उनके सामने भी हमने यही सजेशन दिया था कि यही एक हल कश्मीर मसले के हल के लिए मुमकिन है।

श्री सत्य पाल जैन (चण्डीगढ़) : कांग्रेस पार्टी का पाइंट क्या है, यह बताएं।

श्री पी॰ नामग्याल : मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं। आप लोग तो दिल्ली में बैठकर डीगें मारते हो और हमें तो दुश्मन को फेस करना पड़ता है। यह हमारा मामला है।

हम ऐसा समझते हैं कि इसका कोई सौल्यूशन निकाला जाना चाहिए। आज पाकिस्तान में नवाज शरीफ की सरकार है। पहली बार पाकिस्तान में टू-थर्ड मैजोरिटी किसी गवर्नमैंट को प्राप्त हुई है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नामग्याल जी, अब आप खत्म करिए।

श्री पी॰ नामग्याल : मैं भाषण खत्म करने जा रहा हूं। महोदय, अफगानिस्तान का मामला है। तालिबान वहां के टू-थर्ड हिस्सा कब्जा करके बैठा है। तालिबान कैसे वजूद में आया? आई॰एस॰आई॰ सी॰आई॰ए॰ और अन्य दो-चार फोर्सिज की इसमें साजिश थी। जनरल जिया उल हक ने फंडामैंटल लाइन पर जाकर नौजवान नवयुवकों को कालेजों और स्कूलों में तहरीर ट्रेनिंग दी और तालिबान की फोर्सिज तैयार की। हाल ही में अफगानिस्तान पर हमला हुआ। आपको मालूम होगा कि तालिबान को इन फोर्सिज ने 95 मिलियन डालर पर-डे के हिसाब से बीस दिन के लिए कांट्रैक्ट पर दिया था। उन्होंने वायदा किया था कि बीस दिन में अगर 95 मिलियन डालर पर-डे के हिसाब से दिया जाएगा तो हम अफगानिस्तान कब्जे में ले लेंगे लेकिन बदकिस्मती से उन्हें बीस दिन में कामयाबी नहीं मिली। पांच दिन का समय और बढ़ाया गया। लेकिन तब भी कामयाब नहीं हुए। उनका प्लान था कब्जा करने के बाद नैक्स्ट मूव कश्मीर पर हमला करने का था। वही खतरा अब भी मौजूद है। सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए और कश्मीर का मामला सही ढंग से हल करना चाहिए। इन चन्द लफ्जों के साथ आपने मुझे बोलने का जो समय दिया, उसके लिए शुक्रिया। मैं प्रेजीडैंट एड्रेस को सपोर्ट करता हूं।

[अनुवाद]

श्री ई॰ अहमद (मंजेरी) : सभापति महोदय, श्रीमान्, मैं श्री शरद यादव द्वारा पेश किए गए धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का स्वागत करते हुए, इस समय देश में शासन करने वाली सरकार के गठन के संबंध में कुछ टिप्पणियां करना चाहता हूं।

[श्री ई॰ अहमद]

यह एक स्वागत योग्य कदम है कि कट्टरवादी ताकतों को दूर रखने के लिए श्री देवेगौड़ा के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चा सरकार का गठन किया गया है। परन्तु मैं यहां सत्ताधारी दल-संयुक्त मोर्चा के सदस्यों और साथ ही सरकार का समर्थन कर रहे प्रमुख दल के बारे में एक टिप्पणी करना चाहूंगा कि वे संयुक्त मोर्चा सरकार को बनाए रखने का समझौता इस दृष्टिकोण से किया है कि देश में एक धर्मनिरपेक्ष सरकार होनी चाहिए। संयुक्त मोर्चा और साथ ही समर्थन दे रहे दलों दोनों धर्मनिरपेक्ष ताकतों में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर कतिपय मतभेद है। दल जो कि सरकार में है और साथ में वे दल जो सरकार का उनमें समर्थन कर रहे हैं उनके साथ किसी भी प्रकार के वैचारिक मतभेद के बावजूद, उन्हें हमेशा यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि धर्मनिरपेक्ष ताकतों के बीच कोई भी मतभेद केवल उन कट्टरवादी ताकतों और सांप्रदायिक ताकतों की मदद करेगा जो सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं।

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया (जूनागढ़) : धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा क्या है, अहमद जी?

श्री ई॰ अहमद : मैं आपके प्रश्न का उत्तर अपने भाषण के बाद दूंगा।

सभापति महोदय, इसलिए कांग्रेस पार्टी के लिए अवसर है कि वह देश में धर्मनिरपेक्ष ताकतों के एक व्यापक मोर्चे की जिम्मेदारी ग्रहण करें क्योंकि शायद इस देश में यह सबसे बड़ी धर्मनिरपेक्ष ताकत है।

इसमें कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ भी गलत बात नहीं है कि चर्चा करे और यदि आवश्यक हो तो केन्द्र में एक स्थायी, व्यवहार्य और एक प्रभावी सरकार के गठन को ध्यान में रखकर एक नए न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर और साथ ही इस देश में इन कट्टरवादी और सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता प्राप्त करने से दूर रखने के लिए, सहमत हो जायें। मुझे पूरा विश्वास है कि यह कांग्रेस पार्टी साथ ही संयुक्त मोर्चा सरकार के दलों और उन सभी धर्मनिरपेक्ष ताकतों की जिम्मेदारी है। उन्हें देश के तथा देश की धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था के हित के लिए अपनी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निभाना नहीं भूलना चाहिए। मेरे दल, इण्डियन यूनियन मुस्लिम लीग ने, देश के व्यापक हित में अन्य दूसरे दल और संयुक्त मोर्चा सरकार की अन्य धर्मनिरपेक्ष दलों के साथ वैचारिक मतभेदों के बावजूद पहले ही एक दृष्टिकोण को अपनाया है कि केन्द्र में एक धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक सरकार को चलाने के उद्देश्य हेतु धर्मनिरपेक्ष ताकतों की एकता को आगे बढ़ाना होगा।

मैं संयुक्त मोर्चा सरकार के ध्यान में कतिपय मामलों को लाने के लिए केवल कुछ मिनट लूंगा जिससे कि उन्हें न्यूनतम साझा कार्यक्रम जो कि संयुक्त मोर्चा सरकार के महाधिकार पत्र हैं, में उनके द्वारा उल्लिखित की गई बातों के क्रियान्वयन न किए जाने की याद दिलायी जा सके। यह स्पष्ट है कि ऐसे कई आश्वासन, जिनका उल्लेख किया गया था, पूरे नहीं किये गये जिनमें कुछ ऐसे आश्वासन थे। अल्पसंख्यक समुदाय को दिए गए थे जिनका मैं उल्लेख करना चाहूंगा। यहां तक कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी, यह उल्लेखत किया गया था कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाएगी। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि जिनकी उन्होंने अभी तक देश में अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा उठाए गए मुद्दों के संदर्भ में कौन से हितों की रक्षा की है। न्यूनतम साझा कार्यक्रम में यह देख सकते हैं कि संयुक्त मोर्चा सरकार का गठन धर्मनिरपेक्षता और प्रजातंत्र के आधार किया गया था।

यह सच था कि बाबरी मस्जिद गिराए जाने के समय धर्मनिरपेक्षता को खतरा था। बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद वे सभी दल जो कि अब संयुक्त मोर्चा सरकार में है जोर-शोर से यह प्रचार कर रहे थे कि वे बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण के संबंध में अल्पसंख्यक हितों के साथ न्याय करेंगे। यहां तक कि कुछ मंत्रियों ने जब वे विपक्ष में थे तब समुदाय को यह आश्वाक्षन दिया था कि जैसे ही वे सत्ता में आएंगे बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण कराया जाएगा। परन्तु अभी भी यह केवल एक खोखला वायदा है जिसे अभी भी पूरा नहीं किया गया है। मैं मात्र न्यूनतम साझा कार्यक्रम का संदर्भ दे रहा हूं जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि बाबरी मस्जिद-रामजन्मभूमि के विवादग्रस्त मामले को, संविधान के अनुच्छेद 139(2) के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय को सौंपा जायेगा। उपासना स्थल संरक्षण अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए।

सर्वप्रथम, यह उल्लेख किया गया था कि बाबरी मस्जिद के संबंध में अनुच्छेद 138(2) के तहत कार्यवाही की जानी चाहिए। जैसे ही इसकी घोषणा की गई मेरी पार्टी ने इसका स्वागत किया था। अभी भी, हम पूछते हैं, कि इस मामले को उच्चतम न्यायालय को क्यों नहीं सौंपा गया? यदि सरकार के पास इसे उच्चतम न्यायालय को नहीं सौंपे जाने के लिए कोई कारण है तो उन्हें राष्ट्र, विशेषकर समुदाय के समक्ष इस कारण को स्पष्ट करना होगा। इसलिए मैं सरकार को याद दिलाना चाहूंगा कि बाबरी मस्जिद के संदर्भ में उनकी पूरे राष्ट्र तथा इस समुदाय के प्रति जो भी वायदा किया हो उसे उन्हें पूरा करना ही होगा।

दूसरा वायदा जिसे मैं याद दिलाना चाहूंगा-जिसे वे भूल गए हैं वह 15 सूत्री कार्यक्रम के संबंध में है। न्यूनतम साझा कार्यक्रम में यह उल्लेख है कि संयुक्त मोर्चा सरकार अल्पसंख्यकों के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा करेगी यदि आवश्यक हुआ तो इसका विस्तार करेगी और कार्यक्रम के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगी।

मैं जानना चाहूंगा कि अब तक सरकार ने, अगर यह आवश्यक पाया गया है तो 15 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा और इसके विस्तार के लिए क्या कदम उठाए हैं।

अपराह्न 5.00 बजे

इसलिए मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि कई राज्य सरकारों ने 15 सूत्री कार्यक्रम को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया है। अल्पसंख्यकों को अभी तक उनके साथ किए गए वायदे को पूरा नहीं किया गया है। यह सही है हमें दिल्ली में कुछ मिल रहा है। मजाक के तौर पर मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि रमजान के महीने में कई इफ्तार पार्टियां दी गई। प्रत्येक मंत्री इफ्तार पार्टी दे रहा था। क्या हमें मात्र मंत्रियों की इफ्तार पार्टियों से संतुष्ट होना पड़ेगा? आपके पास

देने के लिए और भी कुछ होना चाहिए। इसलिए, संयुक्त मोर्चा सरकार को अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के लिए कुछ अच्छे, ठोस और व्यवहार्य कार्य करने चाहिए।

तीसरी बात, मैं 'टाडा' कैदियों के बारे में कहना चाहूंगा। टाडा कानून व्ययगत हो गया है। इसे रद्द कर दिया गया है। टाडा कैदी जेल में घोर यातना झेल रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि किसी भी दोषी को मुकद्दमा चलाए बिना ही छोड़ दिया जाये। मैं कहना चाहता हूं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में कानून का राज होना चाहिए। कानून के राज में यदि एक कैदी, जो एक जेल में कष्ट उठा रहा है, दोषी है तो उस पर कानूनी रूप से उचित न्यायालय में मुकद्दमा चलाया जाना चाहिए। यदि वह एक निर्दोष व्यक्ति है तो उसे रिहा कर दिया जाना चाहिए। इस बात को हमने संयुक्त मोर्चा सरकार के सदस्यों के साथ उठाया था। मैं नहीं जानता कि संयुक्त मोर्चा सरकार उनके द्वारा देश को दी गई अपनी वचनबद्धता को क्यों भूल रही हैं मैं खुद इस मुद्दे को सभा में पिछले दो सत्रों में उठा चुका हूं परन्तु दुर्भाग्यवश मुझे टाडा कैदियों, जो अभी भी जेलों में बन्द हैं, के संबंध में सरकार के निर्णय या नीति के संबंध में कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। इसलिए मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि वह जो जेलों में बन्द कैदियों के बारे में अपनी नीति के संबंध में वक्तव्य दें। मुझे ऐसा लगता है कि टाडा कैदियों के मामलों की समीक्षा के लिए गठित की गई समीक्षा समिति अपनी बैठकें नहीं बुला रही है।

एक और महत्वपूर्ण विषय जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं वह प्रशासन में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के प्रतिनिधित्व के बारे में है। सरकार में अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले उच्च अधिकारी नहीं है। मैं यह नहीं कहना चाहता कि किसी अन्य वर्ग के अधिकारों और विशेषाधिकारों को अल्पसंख्यक समुदाय को दिया जाना चाहिए। इस देश के नागरिक होने के नाते जो भी वैध और विधि सम्मत रूप से उन्हें देय अधिकार हैं, उन्हें वे अधिकार उपलब्ध कराये जाने चाहिए। यह सामाजिक और शैक्षिणिक दोनों ही प्रकार से एक अल्पसंख्यक समुदाय है। यह समुदाय हमारी जनसंख्या का बारह प्रतिशत है। परन्तु, इसे सरकारी सेवाओं में लगभग तीन प्रतिशत मात्र प्रतिनिधित्व ही प्राप्त है। यह मुझे सूचना दी गई है। मैं संयुक्त मोर्चा सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस पर ध्यान दें।

महोदय, कुछ शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करना चाहूंगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण में एक स्वागत योग्य कदम भी है जिसे मैं उद्धृत करना चाहूंगा।

पैरा 41 में निम्नलिखित कहा गया है :—

"हम शिमला समझौते के अनुसार पाकिस्तान के साथ टकराव की स्थिति समाप्त करने तथा सद्भावनपूर्ण मैत्री और स्थायी शान्ति स्थापित करने के लिए कटिबद्ध हैं। हमारा विश्वास है कि लोगों के परस्पर मिलने-जुलने तथा व्यापारिक और आर्थिक संबंध बढ़ाने से इस प्रक्रिया में मदद मिलेगी। हम पाकिस्तान की नई सरकार के साथ वार्ता के लिए तैयार हैं, और उससे शीघ्र ही बातचीत फिर शुरू करने की आशा करते हैं।"

मैं आशा करता हूं कि श्री नवाज शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान की नई सरकार इस पर सकारात्मक रवैया अपनाएगी। मैं इस अवसर पर सीमा पार के नेताओं को याद दिलाना चाहता हूं कि पाकिस्तान का हित भारत जैसे देश के साथ अच्छे संबंध रखने में ही है। भारत के साथ पड़ौसी जैसे संबंध रखना पाकिस्तान के हित में है। मुझे विश्वास है कि भारत के लोगों के साथ बेहतरीन संबंध कायम करने और संबंधों को सामान्य बनाने के लिए वहां के नेता अधिकांश लोगों की आशाओं को ध्यान में रखते हुए सही रवैया अपनाएंगे। भारत के लोगों का इस दिशा में सदैव सकारात्मक दृष्टिकोण रहा है।

इस आशा के साथ, मैं श्री शरद यादव द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री एन॰ डेनिस (नगरकोइल) : महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं कुछ मुद्दों का उल्लेख करना चाहता हूं।

अभिभाषण में विगत सरकार की उपलब्धियां दर्शायी गई हैं। इसमें भविष्य में अमल की जाने वाली कार्यनिष्पादन और संचालन संबंधी योजना का भी उल्लेख किया गया है। जिस समय सरकार गठित की गई थी उस समय कोई भी एक दल इस जिम्मेदारी को उठाने की स्थिति में नहीं था और इसलिए विभिन्न दलों के जोड़ से-उस समय की स्थितिनुसार-धर्मनिरपेक्ष दलों को मिलाकर, साझा न्यूनतम कार्यक्रम के अंतर्गत एक सरकार का गठन किया गया था।

महोदय, यदि उस समय सरकार का गठन नहीं होता तो राष्ट्र को एक और चुनाव का सामना करना पड़ता। अतः इस सरकार ने राष्ट्र को एक और चुनाव के बोझ से बचा लिया। निहित स्वार्थ से प्रेरित दलों ने लोगों के मन में यह शंका उत्पन्न कर दी थी कि यह सरकार स्थायी नहीं है और मिथ्या प्रचार करके सरकार की स्थिरता पर प्रश्न चिह्न लगा दिया था।

ऐसी सरकार का गठन एक नया अनुभव है और अपनी कार्यनिष्पादन और अच्छी उपलब्धियों के परिणामस्वरूप यह सरकार स्थिर है। इसमें शामिल विभिन्न दलों की नीतियों, विचारों, आदर्शों और सिद्धान्तों के सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व का परिणाम ही साझा न्यूनतम कार्यक्रम है। सरकार इस साझा न्यूनतम कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए वचनबद्ध है...*(व्यवधान)*

श्री ई॰ अहमद : महोदय, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है किंतु सभा में कोई कैबिनेट मंत्री उपस्थित नहीं है।

सभापति महोदय : सभा में तीन मंत्री उपस्थित हैं और श्री रामूवालिया वापस आयेंगे।

श्री ई॰ अहमद : हमारा अनुभव यही कहता है कि जहां भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होती है वरिष्ठ मंत्री माननीय सदस्यों के विचारों को सुनने के लिए मौजूद होते हैं। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। यदि मेरा कहना सही है तो सभा में यही प्रथा रही है।

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : माननीय सदस्यों का भाषण सुनने के लिए हम तीन लोग मौजूद हैं।

[अनुवाद]

श्री रामूवालिया सभा की अनुमति लेकर गए हैं और वह वापस आयेंगे।

श्री एन॰ डेनिस : सरकार इस साझा न्यूनतम कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए वचनबद्ध है और इस साझा न्यूनतम कार्यक्रम के क्रियान्वित होने से लोगों की अनेक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आठ महीने की अवधि के अंतर्गत इस सरकार ने कार्यनिष्पादन और उपलब्धियों में अपनी परिपक्वता का परिचय दिया है।

जहां तक अर्थव्यवस्था का संबंध है तो मेरा मानना है कि यह विकास और स्थिरता के पथ पर अग्रसर है जिसे इस बात से जाना जा सकता है कि आज हमारे पास 19.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार उपलब्ध हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय और आंतरिक विश्वास में इजाफा हुआ और देश में विदेशी निवेश के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार किया गया। योजनाओं की शीघ्र मंजूरी हेतु नीतियों और प्रक्रियाओं को आसान बनाया गया।

गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए औद्योगिक उत्पादन के साथ-साथ कृषि उत्पादन में भी विकास करना होगा।

यद्यपि खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई है लेकिन अन्य देशों में गेहूं या चावल का प्रति यूनिट उत्पादन हमारे देश से अधिक है। साथ ही, हमारे देश में प्रति व्यक्ति खाद्यान्नों का उत्पादन अन्य देशों में प्रति व्यक्ति खाद्यान्नों से कम है। खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में जनसंख्या वृद्धि तेजी से हो रही है।

कृषि मजदूरों की दशा भी एक चिंता का क्षेत्र है और उनके विकास और प्रगति पर ध्यान देना चाहिए। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में कृषि पर आधारित उद्योग स्थापित करने चाहिए।

कृषि का एक क्षेत्र मत्स्य पालन है और मछुआरों की दशा पर भी ध्यान देना होगा। चूंकि मछुआरे गरीब होते हैं और पूर्णतः समुद्र पर निर्भर होते हैं, तथा मछली पकड़ना ही उनका एकमात्र व्यवसाय है। उन्हें मत्स्य पालन से संबधित सामग्री व उपकरण सप्लाई किए जाने चाहिए। हमारे समुद्र तट के विभिन्न भागों में अब समुद्री कटाव हो रहा है। उनके प्राकृतिक लंगरगाहों को क्षति पहुंचने के कारण वे अपनी नौकायानों को समुद्र में ले जाने की स्थिति में नहीं है। अतः, जहां कहीं भी आवश्यक हो, मछली पकड़ने हेतु लंगरगाह बनाये जाने चाहिए।

जहां तक ग्रामीण गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन कार्यक्रम का संबंध है, आबंटन की राशि में वृद्धि कर इसे सुदृढ़ किया गया है किंतु बैंक इसमें सहायता नहीं कर रहे हैं और प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत धनराशि को जारी करने में विलम्ब कर रहे हैं। बैंक के प्राधिकारियों द्वारा अनावश्यक विलम्ब के परिणामस्वरूप इन कार्यक्रमों का उद्देश्य विफल हो जाता है। नए उद्योगों और इस योजना के अंतर्गत अन्य चीज हेतु आवेदन करने वाले आवेदकों द्वारा मांगी गई ऋण की राशि समय से जारी की जानी चाहिए।

मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि विगत जुलाई में हुए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि गरीब लोगों को पेयजल, भोजन, आवास आदि जैसी सात मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराई जाएं और इसके लिए 2.216 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे। अब गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले तथा इन मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहने वाले लोगों की संख्या 32 प्रतिशत है।

नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे गरीब लोगों के लिए बनाया गया है, के माध्यम से सस्ते दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध होने से करीब 32 करोड़ लोग लाभांवित होंगे।

अप्रैल, 1997 से मध्याह्न भोजन योजना को पूरे देश में लागू किया जाएगा।

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की दशा पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाना चाहिए और उन्हें किसी ठोस कार्यक्रम के द्वारा सहायता पहुंचाई जानी चाहिए।

जहां तक सरकार की उपलब्धियों का संबंध है तो रातों-रात सब कुछ हासिल करना संभव नहीं है। इतने कम समय में कोई भी सरकार इन सभी चीजों को हासिल नहीं कर सकती। विशेषकर हमारे जैसे देश में जहां अनेक समस्यायें विद्यमान हैं। इन परिस्थितियों, वातावरण और समय में हमारी सरकार ने इस आठ महीने की कम अवधि में काफी उपलब्धियां हासिल की हैं और अच्छा कार्य किया है। उदाहरणार्थ, अंतर-राज्यीय परिषद की बैठक, जो कई वर्षों से नहीं हुई थी, हमारी सरकार द्वारा आयोजित की गई। इसी तरह, राष्ट्रीय विकास परिषद और मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन भी समय-समय पर आयोजित किए जाते हैं। इनमें विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करने तथा उनके समाधान ढूंढने का अवसर मिलता है।

सरकार सार्वजनिक जीवन से भ्रष्टाचार को मिटाना चाहती है और इसने लोकपाल विधेयक को पुरःस्थापित कर भ्रष्टाचार की समस्या के समाधान तथा इसके अभिशाप को दूर करने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की है।

अनेक वर्षों के उपरांत एक सनसनीखेज और उदवेकतापूर्ण परिस्थितियों में जम्मू-कश्मीर में चुनाव करवाया गया जहां सीमा पार से गड़बड़ी पैदा की जा रही थी। इसके अतिरिक्त, चुनाव के पूर्व और चुनाव के बाद कश्मीर के लोगों को आर्थिक पैकेज दिया गया था। इसी तरह, पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के उत्थान के लिए और शिक्षित बेरोजगारों के उत्थान के लिए आर्थिक पैकेज उपलब्ध कराने की दिशा में कदम उठाया गया। अशिक्षित बेरोजगार लोगों को भी सहायता की गई। पंजाब में भी चुनाव करवाये गए।

जहां तक विदेश नीति का संबंध है तो विदेशों से हमारे संबंध में व्यापक सुधार हुआ है। विदेश के गणमान्य व्यक्तियों तथा पड़ोसी देशों

और अन्य देशों के राज्याध्यक्षों की भारत यात्रा तथा हमारे प्रधान मंत्री द्वारा विदेश की यात्रा किए जाने से अन्य देशों के साथ हमारे संबंधों में सुधार हुआ है। विदेशों से हमारे संबंध में सुधार होने के कारण हमारे व्यापार और वाणिज्य में भी वृद्धि हुई है। इस संदर्भ में, मैं बंगलादेश के प्रधानमंत्री द्वारा भारत की यात्रा और गंगा के पानी के बंटवारे पर समझौता तथा नेपाल के साथ पानी का संयुक्त रूप से उपयोग करने संबंधी महाकाली संधि, चीनी गणवादी गणराज्य के राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में की गई भारत यात्रा तथा पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों में सुधार को दर्शाना चाहूंगा। इन सभी से विदेशों के साथ हमारे संबंधों में सुधार हुआ है। इसी तरह अन्य देशों के साथ पहल करने में भी हमारे संबंधों में सुधार हुआ है।

जहां तक राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1955 और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 में संशोधन करने संबंधी एक अध्यादेश की घोषणा का संबंध है तो इनसे भूमि अधिग्रहण सुगमतापूर्वक हो सकेगा तथा सड़क निर्माण कार्य में निजी भागीदारी को भी बढ़ावा मिल सकेगा। मेरा यह कहना है कि इस क्षेत्र को बहुत ही कम धनराशि आबंटित की जाती है जिससे इसकी आवश्यकतायें पूरी नहीं हो पाती। यह बहुत ही कम है। जब अध्यादेश कानून बन जाएगा तो सड़क का निर्माण और रखरखाव उचित तरीके से होगा जो कि आवश्यक है।

यातायात में वृद्धि के परिणामस्वरूप तेल की मांग काफी है। अतः यह आवश्यक है कि तेल का खनन और उत्पादन के लिए अधिक धनराशि आबंटित की जानी चाहिए।

अंतिम बात जो मैं कहना चाहता हूं वह देश की जनसंख्या में भारी वृद्धि से संबंधित है। हमारी विकास संबंधी गतिविधियों से तब तक कोई वांछित परिणाम नहीं निकल सकता जब तक हम जनसंख्या को नियंत्रित नहीं कर लेते। मृत्यु और बाल मृत्यु दरों में भी कमी आयी है। जन्म दर में कमी करनी होगी।

खाद्यान्नों के उत्पादन की एक सीमा है। हमारे देश में शिक्षित लोगों की प्रतिशतता में वृद्धि हुई है। लेकिन साथ ही जनसंख्या में भारी वृद्धि के परिणामस्वरूप अशिक्षित लोगों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। अतः इस शताब्दी के अंत तक हमें जन्म दर के प्रतिशत को शून्य पर लाना होगा। एक महत्वपूर्ण सुझाव जो मैं देना चाहूंगा वह यह है कि अपने देश में हमें 'एक परिवार-एक बच्चा' की प्रक्रिया को अपनाने के लिए एक विधान बनाना होगा जिससे कि विकास संबंधी कार्यों का लाभ लोगों को मिल सके।

अन्ततः मेरा यही कहना है कि इतने कम अवधि में इस सरकार का कार्य उत्साहवर्द्धक रहा है और मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : माननीय सभापति जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा लगभग अंतिम चरण पर है। यह जो सरकार है, इस सरकार में 10 पार्टियों के मिनिस्टर्स हैं। 13 पार्टियों का फ्रंट है और एक पार्टी बाहर से सपोर्ट कर रही है। मैं सबसे पहले कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करूंगा। इन्होंने कहा कि हम इश्यू बेस्ड सपोर्ट देंगे, यह एक बहुत जिम्मेदारी की बात कही है। इससे पहले अनकंडीशनल सपोर्ट देने वाले की सूरत हम इस सदन मे देख चुके हैं। श्री चरण सिंह को एक मर्तबा कांग्रेस पार्टी ने अनकंडीशनल सपोर्ट दी थी। बगैर नोटिस दिये वह भाग गयी जिस वजह से वह सरकार खत्म हो गयी। 1989 में एक पार्टी उधर बैठी हुई है, उसने श्री वी॰पी॰ सिंह की सरकार को अनकंडीशनल सपोर्ट दी थी। वह भी ख्वाहमख्वाह भाग गयी। जनता के सामने उन्होंने बताया ही नहीं कि किस इश्यू पर वह गयी। उसके बाद फिर श्री चन्द्रशेखर की सरकार को कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट दी। वह भी अनकंडीशनल सपोर्ट थी लेकिन बगैर बताये, बगैर नोटिस दिये वह भी भाग गयी। इस प्रकार श्री चन्द्रशेखर जी की सरकार भी खत्म हो गयी।...*(व्यवधान)* अरे भाई, आपने तो कह दिया कि मैं सपोर्ट विदड्रा कर रहा हूं। इसलिए तो यहीं पर हैं। आज कांग्रेस पार्टी फंस गयी है। इश्यू बेस्ड सपोर्ट देने के बाद यही नतीजा होगा। अगर यह खिसकेंगे तो जनता उन्हें पकड़ेगी और कहेगी कि कौन सा इश्यू तुम्हारे रास्ते पर सबसे पहले रोड़ा बना था। इसी आशय से मैं कह रहा हूं कि यह सरकार पूरे पांच साल तक चलेगी। उनके यहां से खिसकने का कोई रास्ता नहीं है। यह काम्बीनेशन प्रिक्यूलियर है लेकिन इसका करैक्टर सेक्यूलर है। सेक्यूलर क़रैक्टर के लिए यह सरकार बनी है। यह सरकार बनाते हुए एक दलील बनायी गयी है जिस पर इस सरकार को हर वक्त नजर रखनी चाहिए। यूनाईटेड फ्रंट का जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, उसके थर्ड पैरा को, पूरा न भी पढे लेकिन थर्ड पैरे को हर वक्त नजर में रखना पड़ेगा।

[अनुवाद]

"संयुक्त मोर्चा सरकार एक प्रकार के नियमों का दूसरे प्रकार के नियमों में बदलाव नहीं होगा। यह संघवाद, विकेन्द्रीकृत जवाबदेही, समानता और सामाजिक न्याय, आर्थिक और राजनीतिक सुधार, मानव स्वतंत्रता और खुलापन तथा स्पष्टता पर आधारित सरकार का वैकल्पिक तरीके की शुरूआत होगा। जो राष्ट्र और प्रत्येक नागरिक का गौरव सुनिश्चित करेगा।"

पूरी दलील का यही निचोड़ है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के इसी निचोड़ पर हमें विचार करना पड़ेगा कि इसमें क्या है और क्या नहीं है। यदि इसके अंदर सब कुछ है तब तो ठीक है लेकिन यदि सरकार इसके बाहर जाने की कोशिश करेगी तो इस सरकार को भी सोचना पड़ेगा। यह सरकार सिर्फ आठ महीने की सरकार है। लेकिन जिस कम्युनल फोर्स को रोकने की नीयत से यह सरकर बनाई गई थी, उसमें यह सफल है। उसके बाद और जो बातें कही गई थी, यदि हम इस नजर से इस पर विचार करें तो इसकी जो ऐचीवमेंट्स हैं, उनमें इंटर स्टेट काउंसिल बनाना और उसकी मीटिंग होना। यदि फैडरलिज़्म के बारे में सोचें तो वह बिना इंटर स्टेट काउंसिल के हो ही नहीं सकता। दूसरा, नैशनल डैवलपमैंट काउंसिल की मीटिंग हो रही है। तीसरा, प्लानिंग कमीशन की फर्स्ट राउंड डिस्कशन भी हो चुकी है। चौथा, कश्मीर में नौ साल के बाद चुनाव हुए और वहां सरकार बनी। उधर के दोस्त यह नुक्ताचीनी करते हैं कि वहां बंदूक की नोंक पर चुनाव

[श्री सैयद मसूदल हुसैन]

हुए, मिलिट्री ने पहले वोट डाला। आपको वहां के चुनाव के बारे में इस तरह से कहना शोभा नहीं देता क्योंकि वहां के चुने हुए नुमाइंदे आपके साथ ही बैठे हुए हैं। यदि कश्मीर से बी॰जे॰पी॰ का कोई मैम्बर नहीं चुना होता, तब आप इस बात को कहते तो मान लिया जाता कि सच कह रहे हैं। क्या वे भी बंदूक की नोंक पर जीतकर आए हैं? वहां की जनता के वोट पर जो जीतकर आए हैं, उनके खिलाफ इस तरह से कहना ठीक नहीं है।

एन॰पी॰टी॰सी॰ और सी॰टी॰बी॰टी॰ के बारे में सरकार ने नया स्टैंड लिया है। यह बहुत बड़ी ऐचीवमैंट है। इंडो-बंगलादेश, भूटान, श्रीलंका के साथ हमारे रिलेशन्स में काफी सुधार हुआ है। पूरे सदन को चाहिए कि इस सरकार को धन्यवाद दे।

इस सरकार की कुछ आलोचना भी करनी चाहिए। इन्होंने तीसरे पैरा में जो कहा है

[अनुवाद]

संयुक्त मोर्चा सरकार का मतलब एक प्रकार के नियमों का दूसरे प्रकार के नियमों में बदलाव नहीं होगा।

[हिन्दी]

यह कहां तक सच है। इस चीज को ध्यान में रखकर चल रही है या नहीं, यह भी देखना है। जहां तक इकोनौमिक पॉलिसी का सवाल है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी का सवाल है, लेबर पॉलिसी का सवाल है, यह सरकार कांग्रेस की पॉलिसी के नक्शे-कदम पर चल रही है। यह कब तक ऐसे चलेगी, यही हमें सोचना है। यह हमारे लिए बहुत दुखदायी बात है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री हुसैन, क्या आप मानते हैं?

श्री सैयद मसूदल हुसैन : जी, हां।

श्री ए॰सी॰जोस (इक्की) : कांग्रेस के पिछले शासनकाल में कुछ आर्थिक नीतियां अपनाई गई थी और उसके दौरान मेरे माननीय मित्र के दल ने देश में लगभग तीन बंद और छह आम हड़ताल करवाई। क्या उनका दल वही बंद पुनः दोहराएगा क्योंकि हम वही आर्थिक नीतियां अपना रहे हैं।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : ये जो सवाल छेड़ रहे हैं, मैं इन्हें इतना बता दूं कि मेरी पार्टी की अपनी जो पॉलिसी है और साथ ही लैफ्ट फ्रंट की जो पॉलिसी है, हम उसके मुताबिक चलेंगे।

आप यह मत सोचिएगा कि लैफ्ट फ्रण्ट यूनाइटिड फ्रण्ट में है, इसलिए मैं इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाऊंगा। मेरी अपनी जो थ्योरी है, यूनिटी स्ट्रेंटस यूनिटी और इस प्रिंसीपल पर हम लोग चलते हैं। अगर जरूरत होगी तो बन्द होगा, जरूरत होगी तो हमारी पार्टी सड़क पर उतर आएगी, लेकिन यह मत सोचना कि हम सरकार को गिरा देंगे। सरकार को मजबूत करने के लिए सरकार पर दबाव डालने के लिए जो... *(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : तो सरकार में शामिल हो जाओ।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : हम सरकार में शामिल हैं, यूनाइटिड फ्रण्ट में हैं।

श्री रमेश चेन्नित्तला : आपके लीडर ज्योति बसु ने जो बोला है कि हमने सरकार में शामिल होने का मौका खो दिया।

सभापति महोदय : आप इधर देखकर बोलिये, उधर मत देखिये।

[अनुवाद]

श्री सैयद मसूदल हुसैन : नहीं, मैं किसी प्रश्न का जवाब नहीं दूंगा... *(व्यवधान)* कृपया कोशिश न करें क्योंकि मुझे गुस्सा आ जाता है।... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

जिस बात पर हमारे कांग्रेसी दोस्त हैरान हैं, यूनाइटिड फ्रण्ट की पेज आठ पर इंडस्ट्रीयल सिकनैस के बारे में जो दलील है, कुछ बात कही गई है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि आज एन॰टी॰सी॰ के वर्कर्स सड़क पर बैठे हुए हैं, आई॰डी॰पी॰एल॰ के वर्कर्स सड़क पर बैठे हुए हैं। भले ही कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, लेकिन आपका तो कमिटमेंट था। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रदीप भट्टाचार्य (सेरमपोर) : यह कांग्रेस ही थी जिसने नेशनल टैक्सटाईल कारपोरेशन के कर्मचारियों की समस्याओं को निपटाने के लिए पहल की।

सभापति महोदय : आप बोलिए न, उधर क्यों देख रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री सैयद मसूदल हुसैन : लेकिन आपने इसे कार्यान्वित नहीं किया है। यही दिक्कत है।

[हिन्दी]

इंडस्ट्रियल सिकनैस के बारे में और रीहैबिलिटेशन के बारे में इस दलील में जो बात है, यह सरकार उस तरफ नहीं जा रही है। एन॰टी॰सी॰ और आई॰डी॰पी॰एल॰ के वर्कर्स यहां बैठे हुए हैं। क्या बात है?

एल॰आई॰सी के बारे भी आपने पेज नौ पर कहा है :

[अनुवाद]

> "बैंकिंग क्षेत्र की कार्य प्रणाली के बारे में हमने काफी अनुभव प्राप्त कर लिया है। यह अनुभव बीमा उद्योग की पुनर्संरचना में उपयोग किया जाएगा। परन्तु उसी समय, जीवन बीमा कारपोरेशन, साधारण बीमा कारपोरेशन इत्यादि सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों को भी मजबूत किया जाएगा।"

[हिन्दी]

आप तो इसके प्राइवेटाइजेशन के बारे में सोच रहे हैं, एल•आई•सी• को आप प्राइवेटाइज़ करेंगे, विदेशी पूंजी आएगी और यहां के लोगों का पैसा फिर विदेश में जाएगा, जबकि एल•आई•सी• को प्राइवेटाइज़ करने की कोई जरूरत नहीं है। यह कौन सी पॉलिसी है? पावर सैक्टर के बारे में भी आप पूरा का पूरा प्राइवेटाइज़ करने के बारे में सोच रहे हैं। 16 इंडस्ट्रीज में 51 परसेंट तक कैपीटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा, यह तो कांग्रेस की पॉलिसी है। हैवी इंडस्ट्रीज में 74 परसेंट जो आपके प्रेसीडेंट के अभिभाषण में आ गया कि हैवी इंडस्ट्रीज में 74 परसेंट तक फॉरेन कैपीटल इन्वैस्टमेंट होगा तो कांग्रेस के खिलाफ जो हम लोग वर्षों तक लड़ते रहे, आप भी इस पॉलिसी के खिलाफ लड़ते रहे हैं। कोल इंडस्ट्री के प्राइवेटाइजेशन के बारे में कोई बात भी नहीं हुई, आलोचना भी नहीं हुई।

यह निजीकरण का भूत आप पर भी सवार हो रहा है। आप विदेशी कम्पनीज के लिए अपने द्वार खोल रहे हैं। बिग हाउसेज के दबाव पर आप फेरा कानून में भी कुछ परिवर्तन की बात सोच रहे हैं।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : वह ड्राप हो गया।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : आपकी जो आयात नीति है, उसके बारे में आपने खुल्लम-खुल्ला आर्डर दे दिया है। कारें, इलैक्ट्रानिक गुड्स, एयर कंडीशंड्स और कासमेटिक्स सबके लिए द्वार खोल दिए हैं।

श्री कल्पनाथ राय (घोसी) : पेप्सी कोला, कोका कोला भी है।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : वह आपके समय में ही आ गई थी। आपकी दलील और पालिसी में बहुत अंतर आ रहा है। जनता के सामने हम जो वायदे करके आए थे, उन पर हमें डटे रहना है। विश्व व्यापार संगठन आप पर दबाव डाल रहा है। कांग्रेस भी अभी इस एग्रीमेंट के खिलाफ है। जिन्होंने एग्रीमेंट किया है, उनकी पार्टी के अंदर भी डब्ल्यू•टी•ओ• के खिलाफ आवाज उठ रही है। यही मौका है जब आप इससे बाहर आ सकते हैं। इसलिए आपको इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। भले ही आई•एम•एफ• और विश्व बैंक का दबाव है और भारी कर्ज है।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : अगर आप कहें तो मैं यहीं पर समाप्त कर दूं। अभी तो मुझे बहुत कुछ कहना है, इकोनॉमिक सर्वे पर बोलना है।

सभापति महोदय : उस पर बजट के समय बोलना।

श्री कल्पनाथ राय : ये समझदारी की बातें बोल रहे हैं। हिन्दुस्तान में जो बहुराष्ट्रीय कम्पनीज का दखल हो रहा है, उस पर बोल रहे थे और सही बोल रहे थे। इनको बोलने दें।

सभापति महोदय : उस पर बोल चुके हैं, आप बैठिए।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : कल्पनाथ राय जी का मैं आभारी हूं।

सभापति महोदय : उनका उत्तर न दें, अभी कई लोग बोलने वाले हैं।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : कल्पनाथ राय जी ने भी हमें सपोर्ट किया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। यहां पर नीतीश कुमार जी नहीं है। जितनी भी चर्चा सुनी, एक-दूसरे पर नुक्ताचीनी करते थे, राष्ट्रपति के अभिभाषण में क्या है, इसकी गहराई में आलोचना नहीं करते थे, हम सी•पी•आई•(एम•) वालों पर भी टूट पड़े कि कांग्रेस से हाथ मिलाकर बैठे हैं। वे इस समय सदन में मौजूद नहीं हैं। वे राम मनोहर लोहिया के अनुयायी हैं। यह मजबूरी है कि उनके कुछ अनुयायी इधर बैठे हैं और कुछ जार्ज साहब, कल्पनाथ राय जी वगैरह उधर बैठे हैं। कुछ अनुयायी बी•जे•पी• में भी हैं। सरकार में शामिल 14 दलों को भी इस बात को नजर में रखना पड़ेगा कि हालात की मजबूरी हम सबको एक जगह पर लाई है। आपकी कई नीतियों पर हमारा विरोध है। आपकी आर्थिक नीति के हम खिलाफ हैं। हम बरसों से इसी आर्थिक नीति के खिलाफ लड़ते रहे हैं। लेकिन साम्प्रदयिक ताकतों की धमकी है, डर है, ऐसी हालत में यह सरकार बनी है, हम चाहते हैं कि पांच साल तक हम लोग एक रहें और एक साथ काम करें।

श्री अनन्त कुमार (बंगलौर दक्षिण) : सभापति महोदय, मैंने 20 फरवरी को राष्ट्रपति का अभिभाषण बड़े ध्यान से सुना और पिछले दो दिनों से मैं विशेषकर संयुक्त मोर्चा सरकार के अपने साथियों के अभिभाषण भी सुनता आ रहा हूं। मैं संयुक्त मोर्चा सरकार के अपने साथियों की छानबीन करने की क्षमताओं से हैरान हूं। उनके अनुसार यह राष्ट्रपति के सबसे अच्छे अभिभाषणों में से है। उन्होंने राष्ट्रपति के इस अभिभाषण से कुछ सकारात्मक बातें पता लगाई हैं जो अन्यथा शुष्क, नीरस और दिशाहीन है। उन्होंने हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री देवेगौड़ा को एक राष्ट्रीय नेता के रूप में देखा। जब मैंने राष्ट्रपति का अभिभाषण पढ़ा... *(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : आप कर्नाटक से हैं।

श्री अनन्त कुमार : इसलिए मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। परन्तु उनके विरूद्ध कोई भी व्यक्तिगत आक्षेप नहीं है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप बोलिए। आपका समय चला जाएगा।

श्री अनंत कुमार : लेकिन वह तो इंटरप्ट कर रहे हैं।

सभापति महोदय : आप इधर देखिए।

श्री अनंत कुमार : मैं आपको देख रहा हूं।

[अनुवाद]

महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण में दिशा, वचनबद्धता और राजनैतिक इच्छा की कमी है : इसके अलावा, इसमें भविष्य के लिए कोई आशा नहीं दिखती जो कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में प्रमुख रूप से होनी चाहिए। संयुक्त मोर्चा के मेरे मित्रों ने अपने भाषणों में कहा है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 दिनों का आश्चर्य थी। यह 13 दिनों का आश्चर्य था जो फिर जन्म लेगा। परन्तु यह

[श्री अनन्त कुमार]

दुर्भाग्य की बात है कि यह दलों का गठबंधन 13 दलों का घालमेल बन गया। अब उनके साथ एक और दल मिल गया है।...*(व्यवधान)* जब यह बनी थी तब यह 13 दलों का घालमेल था। अब एक और जो दल श्रीनगर में नए उत्साह के साथ आया है, जुड़ गया है।

महोदय, संयुक्त मोर्चा, विशेषकर जनता दल की विशेषता है कि वे लड़ाकू हैं; अगर उन्हें लड़ने के लिए कोई नहीं मिला तो वे आपस में लड़ते हैं।...*(व्यवधान)* विशेषकर कर्नाटक में, श्री रामा कृष्ण हेगड़े और श्री देवेगौडा दो बार साथ आए और दो बार अलग हो गए। जब मैं ऐसी घटनाएं देखता हूं तो मैं समझता हूं और लोग भी यही कहते हैं कि यह पहली नजर में प्यार और पहली रात के बाद तलाक वाली बात है। वे इकट्ठा होते हैं और अलग हो जाते हैं। इससे मुझे एक पुरानी फिल्म 'अमर अकबर, एंथनी' की याद आ जाती है। श्री राम कृष्ण हेगड़े, श्री बोम्मई और श्री देवेगौड़ा 1983 में लोगों के सामने इकट्ठे हुए, 1988 में अलग हुए, वे 1994 में फिर इकट्ठे हुए और एक बार फिर 1996 में अलग हुए। मैं समझता हूं अब लोग इन्हें और माफ नहीं करेंगे। अब केवल दो लोग इकट्ठे हैं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में विशेषकर पंचायती राज के बारे में बड़े-बड़े दावे किए गए थे। यह कहा गया है :

> "पंचायती राज संस्थाएं और नगर पालिकाएं आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों की योजना, निष्पादन और कार्यान्वयन के लिए एक आदर्श ढांचा प्रदान करती है।"

महोदय, कर्नाटक में पंचायती राज संस्थाएं बहुत पहले से चली आ रही हैं। मेरे मित्र और बंगलौर (उत्तर) से साथी सांसद यहां उपस्थित हैं। हाल ही में उन्होंने कर्नाटक में पंचायती राज प्रणाली की स्थिति के बारे में बंगलौर में एक प्रेस कान्फ्रेंस को संबोधित किया था। उन्होंने कहा :

> "मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि कर्नाटक, जो पंचायती राज प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू करने में अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श बन गया था, ने अपनी साख खो दी है।"

ये उनके शब्द हैं। वे आगे कहते हैं :

> "कर्नाटक में पंचायती राज प्रणाली के प्रवर्तक श्री नजीर सहिब की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी।"

सभापति महोदय : क्या आप अखबारों से उदाहरण दे रहे हैं?

श्री अनंत कुमार : जी हां। मैं अखबारों से उदाहरण दे रहा हूं और वे इससे मना कर सकते हैं।

इसमें आगे कहा गया है :

> "मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि अगर हम विकेन्द्रीकरण के लिए कटिबद्ध हैं तो वर्तमान अधिनियम में प्रशासनिक परिवर्तन करने पड़ेंगे। मैं यह बात जनता दल के कार्यकर्त्ता के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में कह रहा हूं जिसका पंचायती राज प्रणाली में विश्वास है।"

पंचायती राज अधिनियम में जनता दल सरकार द्वारा ही संशोधन किया गया है न कि कांग्रेस या अन्य किसी सरकार द्वारा। इस प्रकार वे लोक सभा में कह कुछ रहे हैं और कर ठीक उसका उल्टा रहे हैं।

श्री पी॰ कोदंडा रमैय्या (चित्रदुर्ग) : महोदय, क्या मैं स्पष्टीकरण दूं।

श्री अनंत कुमार : मैं इनका स्पष्टीकरण सुनने के लिए तैयार नहीं हूं।

सभापति महोदय : वे आपकी बात नहीं सुनना चाहते। आपको समय मिले तब आप स्पष्टीकरण दे सकते हैं।

श्री अनंत कुमार : कर्नाटक में ग्राम पंचायत के 88,000 सदस्य हैं। ग्राम पंचायत के इन 88,000 सदस्यों को चुनने का मौका मिला था ...*(व्यवधान)*

श्री बासवाराज रायारेड्डी (कोप्पल) : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोल रहे हैं या राज्यपाल के अभिभाषण पर...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार : महोदय, ग्राम पंचायत के ये 88,000 सदस्य एक निर्वाचक मंडल का गठन करते हैं जो विधान परिषद और स्थानीय संस्थाओं के सदस्यों को चुनता है।

सभापति महोदय : श्री अनंत कुमार जी, कृपया राष्ट्रपति के अभिभाषण तक ही सीमित रहने की कोशिश कीजिए। यह बहस धन्यवाद प्रस्ताव के संबंध में हैं।

श्री अनंत कुमार : महोदय, मैं केवल उदाहरण के रूप में कह रहा हूं।

श्री बासवाराज रायारेड्डी : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ...*(व्यवधान)*

श्री ए॰सी॰ जोस : महोदय, क्या वे भारतीय संसद में बोल रहे हैं या कर्नाटक विधान सभा में?

श्री अनन्त कुमार : महोदय, मैं माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर आपके माध्यम से देना चाहता हूं।

श्री बासवाराज रायारेड्डी : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

सभापति महोदय : वह व्यवस्था संबंधी प्रश्न उठाना चाहते हैं। उन्हें प्रश्न उठाने दें।

श्री बासवाराज रायारेड्डी : महोदय, हमारे मित्र केवल कर्नाटक विधान सभा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उन्हें चाहिए कि वह राष्ट्रपति के अभिभाषण संबंधी विषय पर चर्चा करें।

श्री अनंत कुमार : महोदय, यह तो व्यवस्था संबंधी प्रश्न नहीं हुआ।

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैंने उन्हें पहले ही राष्ट्रपति अभिभाषण संबंधी विषय पर चर्चा तक सीमित रहने के लिए कह दिया है।

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, यह उनकी गलती नहीं है। कलकत्ता के समाचार-पत्र ने देवेगौड़ा जी को कर्नाटक राज्य का प्रधानमंत्री और दिल्ली का मुख्यमंत्री बताया है...*(व्यवधान)*

श्री अनन्त कुमार : महोदय, कर्नाटक में विधान परिषद के लिए ग्राम पंचायत से जनप्रतिनिधित्व होता था। उस प्रतिनिधित्व के लिए इस सभा में संवैधानिक संशोधन लाया गया था। मैं कर्नाटक के बारे में बात नहीं कर रहा। जब वह संवैधानिक संशोधन इस सम्मानीय सदन में आया तो सत्ता पक्ष के हमारे मित्र जो धरती के लाल और साधारण किसानों की बात करते हैं, उन्होंने ही इसका विरोध किया था, वे इसे रोक देना चाहते थे। मैं श्री संतोष मोहन देव जी और श्री कोंडय्या जी जो इस समय यहां उपस्थित नहीं हैं, को बधाई देना चाहता हूं। हमने वह संशोधन भेजा। हमने यह तर्क दिया कि विधान परिषद आप सभा में संविधान संशोधन के माध्यम से निर्वाचन मण्डल से ग्राम पंचायत सदस्यों को नहीं हटा सकते। चूंकि आपने देश के नागरिकों को यह वचन दिया है कि समाज के निम्न स्तर से जन प्रतिनिधित्व देने जा रहे हैं। परन्तु जब जनता के साथ विश्वासघात हो रहा था, वे इस वचन से मुकर रहे थे, तो हमने सदन में सहयोग स्थापित किया और यह संकेत भेजा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। उन्हें वह विधेयक वापिस लेना पड़ा और फिर इसे एक संशोधित रूप में पेश करना पड़ा। अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कारण ही 88,000 ग्राम पंचायत संदस्यों की आवाज कर्नाटक विधान परिषद में बुलन्द हो सकी है। इसका श्रेय दोनों दलों को जाता है।

श्री बासवाराज रायारेड्डी : परन्तु आखिरकार हमने विधेयक को वापिस ले लिया।

श्री अनन्त कुमार : आपको ऐसा करना पड़ा। आपने मजबूर होकर ऐसा किया । आपके पास संख्या की कमी थी। आपके पास बस 42 ही मत हैं। आपको इस कटु सत्य को याद रखना चाहिए।

हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए दिन सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी की बात करते हैं और लोकपाल विधेयक लाने का भी उल्लेख करते हैं। उन्होनें कहा है कि सरकार सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के प्रति चिन्तित है और इस बुराई को जड़ से उखाड़ने हेतु प्रभावशाली कदम उठाने के प्रति कृतसंकल्प है।

महोदय अच्छाई घर से ही शुरू होनी चाहिए। जब प्रधानमंत्री एक उच्च पद पर आसीन हैं और यदि वह इन उच्च आदर्शों की बात करते हैं तो स्वयं को भी ऐसी जांच व्यवस्था के लिए उपलब्ध कराना चाहिए। किंग ऑफ करेप्शन, नामक अपनी पुस्तक में दसवीं लोक सभा के माननीय सदस्य श्री वेंकटगिरि गौड़ा ने उन पर लगे आरोपों का उल्लेख किया है...*(व्यवधान)*

श्री कमारूल इस्लाम (गुलबर्ग) : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। श्री वेंकटगिरि गौड़ा अब इस सदन के सदस्य नहीं रहे। वे ऐसे सन्दर्भ नहीं दे सकते।

सभापति महोदय : आपको उसका उल्लेख नहीं करना चाहिए।

श्री बासवाराज रायारेड्डी : चूंकि यह मामलो न्यायाधीन है अतः वे इस मामले को अब नहीं उठा सकते...*(व्यवधान)*

श्री कमारूल इस्लाम : यह मामला न्यायालय में लम्बित है। यह मामला न्यायाधीन है।

श्री बासवाराज रायारेड्डी : यह मामला न्यायाधीन है और वह इसे नहीं उठा सकते।

सभापति महोदय : उन्होंने कहा है कि वह पुस्तक की विषय वस्तु का उल्लेख नहीं कर रहे।

श्री पी॰ कोदंडा रमैय्या : महोदय, न्यायालय ने कहा है ..*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार : मैं नहीं मानता।

श्री सी॰ नारायण स्वामी (उत्तरी बंगलौर) : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार : मैं नहीं मानता। मैं पुस्तक की लेखन सामग्री को उद्धृत नहीं कर रहा।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य नहीं मान रहे हैं।

श्री अनंत कुमार : मैं पुस्तक की विषय वस्तु का उल्लेख नहीं कर रहा हूं।

श्री पी॰ कोदंडा रमैय्या : यदि वह नहीं मानते तो आप कृपया हमें अनुमति दें। मैं न्यायालय के आदेश का उल्लेख कर रहा हूं।

श्री अनंत कुमार : किस नियम के अंतर्गत वह व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं।

श्री सी॰ नारायण स्वामी : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

सभापति महोदय : किस नियम के अंतर्गत? आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

(व्यवधान)

श्री कमारूल इस्लाम : महोदय, यह मामला न्यायाधीन है।

श्री अनंत कुमार : यह मामला न्यायाधीन नहीं है। मैं प्रक्रिया संबंधी कौल और शकधर नियमावली को उद्धृत कर सकता हूं।

श्री सी॰ नारायण स्वामी : वह मामला न्यायालय में लम्बित है।

श्री अनंत कुमार : आप किस नियम के अंतर्गत यह व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं?

श्री सी॰ नारायण स्वामी : मैं तो केवल...॰का उल्लेख कर रहा हूं।

श्री बासवाराज रायारेड्डी : यह मामला न्यायाधीन है...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार : मैं नहीं मानता। वे व्यवधान डाल रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री सी॰ नारायण स्वामी : महोदय, मुझे व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति दें।

श्री अनंत कुमार : वे किस नियम के अंतर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं?

सभापति महोदय : आप अपनी सीटों पर बैठें। उन्हें व्यवस्था का प्रश्न उठाने दें।

श्री सी॰ नारायण स्वामी : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

सभापति महोदय : आप किस नियम के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं?

श्री सी॰ नारायण स्वामी : मैं उसी पर आ रहा हूं।

सभापति महोदय : क्या आप नियम बता रहे हैं?

श्री सी॰ नारायणस्वामी : वास्तव में कर्नाटक के न्यायालय ने एक अन्तरिम आदेश दिया था जिसमें इस पुस्तक की विषय वस्तु के प्रकाशन पर रोक लगा दी गयी थी।

सभापति महोदय : श्री अनंत कुमार, आपको पुस्तक की विषय वस्तु उद्धृत नहीं करनी चाहिए।

श्री अनंत कुमार : मैं उसका सन्दर्भ नहीं दे रहा। दसवीं लोक सभा के एक माननीय सदस्य प्रो॰ के॰वी॰ वेंकटगिरि गौड़ा ने 'दी किंग ऑफ करप्शन एण्ड दी अनमेकिंग ऑफ इंडिया' नाम से एक पुस्तक लिखी है जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के विरूद्ध बहुत से आरोप लगाये गए हैं। मैं उन आरोपों का उल्लेख नहीं कर रहा, मैं पुस्तक की विषयवस्तु का भी उल्लेख नहीं कर रहा हूं। परन्तु हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी प्रतिदिन देश को सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के बारे में उपदेश देते रहते हैं; वे कहते हैं कि वह इस संबंध में लोकपाल विधेयक के नाम से एक व्यापक विधेयक लायेंगे। अतः मैं मांग करता हूं कि प्रधानमंत्री जब इस चर्चा का उत्तर देने हेतु यहां आएं तो वे स्वयं इस संबंध में सदन की एक समिति द्वारा जांच किए जाने हेतु भी उपस्थित होवें।

श्री कमारूल इस्लाम : यह मामला सदन की समिति के पास नहीं है। माननीय सदस्य कैसी गलत मांग कर रहे हैं? जब यह मामला सदन की समिति के समक्ष ही लम्बित नहीं है तो इस संबंध में उनकी जांच कैसे हो सकती है? माननीय सदस्य जो कुछ चाहें वो नहीं बोल सकते।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वह पुस्तक की विषयवस्तु का सन्दर्भ नहीं दे रहे हैं।

श्री अनंत कुमार : मैं पुस्तक की विषयवस्तु का जिक्र नहीं कर रहा।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो॰ रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर, यह कोई तरीका है कि हमारे माननीय सदस्य बोल रहे हैं और यह बार-बार उनको इंटरप्ट कर रहे हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया आप अपने स्थान पर बैठें।

श्री के॰पी॰ रामालिंगम (तिरुचेगोडे) : यह तो एक आरोप है।

श्री अनंत कुमार : जनता दल के इस रवैये के कारण हाल ही में कर्नाटक के उप चुनावों में क्या हुआ? रामानगरम् में क्या हुआ? रामानगरम् कहां है? रामानगरम् विधानसभा का वह क्षेत्र है जो कि श्री देवेगौड़ा जी के कारण खाली हुआ है। वहां से कभी भी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि नहीं जीता है। रामानगरम् विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व श्री देवेगौड़ा जी कर रहे थे।

सभापति महोदय : आप अपनी बात को प्रस्ताव तक ही सीमित रखिए जो आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

श्री अनंत कुमार : महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जो हमेशा कर्नाटक का ही उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वे इक्कीस बार बैंगलोर गए हैं।...*(व्यवधान)* उन्हें सुनना चाहिए और वे बाद में उत्तर दे सकते हैं। रामानगरम् विधान सभा क्षेत्र में वे 9,500 वोटों से हार गए थे। सही रूप में हमारे माननीय प्रधान मंत्री लोक सभा में शामिल नहीं हो सकते। वह एक समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति हैं।

सभापति महोदय : श्री अनंत कुमार, अब आप अपना वक्तव्य समाप्त करिए क्योंकि आपकी पार्टी से अनेक सदस्यों ने बोलना है।

श्री अनंत कुमार : मैं समाप्त कर रहा हूं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया बस कीजिए।

श्री बासवाराज रायारेड्डी : मेरे मित्र अधिकतर उदाहरण डा॰ वेंकटागिरि गौडा से ही दे रहे हैं। कृपया सभा को जानकारी दीजिए।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य ने पुस्तक से उद्धरित नहीं किया है।

(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार : मैं किसी दबाव में नहीं आ रहा हूं।... *(व्यवधान)* रामानगरम् विधान सभा क्षेत्र में जनता दल 9500 वोटों से उपचुनाव हार गए हैं। चिकनाकानाहाली में भी वे उपचुनाव हार गए हैं।

जब प्रधान मंत्री ने हाल ही के विधान सभा क्षेत्र के चुनावों में अपना स्थान खाली करने के बाद जनता को संबोधित किया ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपना वक्तव्य समाप्त कीजिए।

श्री अनंत कुमार : आपको मुझे कुछ समय देना चाहिए।

सभापति महोदय : आप 15 मिनट से अधिक समय से बोल रहे हैं और आपकी पार्टी से अनेक सदस्यों ने बोलना है। अतः कृपया अपना वक्तव्य समाप्त कीजिए।

श्री अनंत कुमार : मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं विश्वास प्रस्ताव पर दिए गए उनके वक्तव्य से उद्धरित कर रहा हूं :—

> "कर्नाटक के मेरे लोगों ने कर्नाटक की पांच करोड़ जनसंख्या ने बिना किसी के समर्थन के राज्य का प्रशासन चलाने के लिए अपना जनादेश दिया है। मुझमें इस सम्मानीय सभा को यह बताने का साहस है कि मुझे जनता का समर्थन प्राप्त है। जनता के समर्थन के कारण ही मैं कर्नाटक में मुख्य मंत्री के पद पर बना रहा और डेढ़ वर्ष तक सरकार चलायी।"

मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं। उनको वर्ष 1994 में जनता का समर्थन प्राप्त था। वर्ष 1997 में क्या हुआ? वर्ष 1997 में उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से जनता का सामना कर लोक सभा का सदस्य बनने का साहस नहीं किया। इसकी बजाय उन्होंने राज्य सभा का सदस्य बनना पसन्द किया। यह भी ठीक है। यह उसी संसद का दूसरा भाग है। मैं उन्हें बदनाम नहीं कर रहा हूं। लेकिन प्रश्न यह है कि उन्होंने अपना विधान सभा क्षेत्र का स्थान भी खो दिया। कर्नाटक के लोगों ने उन्हें ऊंची और स्पष्ट आवाज में कहा कि "हम आपको प्रधान मंत्री के रूप में वोट नहीं दे रहे हैं। हम आपको विधान सभा सदस्य के रूप में भी वोट नहीं देंगे। वापस जाइए।"

यह श्री एच-डी- देवेगौडा को स्पष्ट तथा ऊंची आवाज में दिया गया संदेश है।...*(व्यवधान)* उन्होंने एक फिल्मी हस्ती को चुना। उन्होंने करोड़ों रुपया लगा दिया।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अब अपना वक्तव्य समाप्त कीजिए।

श्री अनंत कुमार : रोजगार के संबंध में आश्वासन देते हुए खोखली बातें कहीं गयी हैं।...*(व्यवधान)*

श्री बासवाराज रायारेड्डी : माननीय सदस्य कहते हैं कि उन्होंने करोड़ों रुपया खर्च किया है। उन्हें यह साबित करना होगा।

सभापति महोदय : आपके दल से अनेक वक्ताओं के नाम हैं, इस विषय पर कौन बोलेगा।

श्री अनंत कुमार : जहां तक कि रोजगार के संबंध में आश्वासन दिए जाने का संबंध है, राष्ट्रपति के अभिभाषण में खोखली बातें कही गयी हैं। पूरे देश में, दो करोड़ शिक्षित बेरोजगार हैं।...*(व्यवधान)* हमारे माननीय प्रधानमंत्री हमेशा कर्नाटक के अनुभवों को ही उद्धरित करते हैं। वे कहते हैं "वहां प्रत्येक घर में एक व्यक्ति को रोजगार प्राप्त है।" लेकिन कर्नाटक में 20 लाख शिक्षित बेरोजगार और दूसरे राष्ट्र में दो करोड़ शिक्षित बेरोजगारों तथा देश में 8 करोड़ अशिक्षित बेरोजगारों के लिए कोई ठोस योजना नहीं है जबकि उन्होंने अपने घर में दो लोगों को रोजगार प्रदान कर दिया है। उन्होंने अपने एक बेटे को मंत्री बना दिया है तथा दूसरे बेटे ने इस सभा में माननीय सदस्य का पद ग्रहण कर लिया है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री अनंत कुमार, आपको ऐसी बातों का हवाला नहीं देना चाहिए। मैंने आपको कई बार कहा है। आप अपना वक्तव्य इस प्रस्ताव तक सीमित रखिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अब अपना वक्तव्य समाप्त कीजिए।

श्री अनंत कुमार : वे स्वयं को कर्नाटक में वंशागत शासन प्रक्रिया तथा भाई-भतीजावाद में फंसा रहे हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप उसका हवाला क्यों दे रहे हैं? मैंने आपको कहा है कि ऐसी बातों का हवाला नहीं दीजिए। कृपया अपना वक्तव्य प्रस्ताव तक ही सीमित रखिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करिए। कृपया अपना वक्तव्य समाप्त कीजिए।

(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार : मैं उसका हवाला इसलिए दे रहा हूं क्योंकि सन् 1977 में हम श्रीमती इन्दिरा गांधी के वंशागत शासन के खिलाफ लड़े थे। अब यदि वही व्यक्ति उस चीज में फंस जाए तो यह विश्वासघात है।

सभापति महोदय : कृपया बस कीजिए। यहां अनेक वक्ता हैं।

श्री अनंत कुमार : मैं समाप्त कर रहा हूं। इस देश की मिट्टी के सच्चे सपूतों का क्या हुआ? इस देश के कृषकों का क्या हुआ? जनता दल ने क्या किया? संयुक्त मोर्चा सरकार की व्यवस्था ने क्या किया?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : क्या आप समाप्त नहीं कर रहे हैं?

श्री अनंत कुमार : मैं अब समाप्त कर रहा हूं। एक वाक्य पूरा करने के लिए कुछ समय चाहिए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अब बस कीजिए।

श्री अनंत कुमार : कृषकों के लिए इस सरकार ने कोई वचन नहीं दिया है। सरकार ने बिजली, विद्युत, यूरिया तथा सभी कृषि उत्पादों की दरें बढ़ा दी हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए मैं इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं करता हूं। मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर सकता। मैं संयुक्त मोर्चा के अपने मित्रों से अनुरोध करूंगा कि वे धैर्य तथा उदारता से आलोचना सुनें. ..*(व्यवधान)*। मैं उन पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं केवल इस सभा के समक्ष भाई-भतीजावाद के मामले, भ्रष्टाचार के मामले तथा रोजगार संबंधी आश्वासन को पूरा न किए जाने के मामले को प्रस्तुत कर रहा हूं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो- रासा सिंह रावत : सच्चाई स्वीकार करने की इनमें हिम्मत नहीं है। माननीय सदस्य ने हकीकत बयान की है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अब आप अपना वक्तव्य समाप्त क्यों नहीं कर सकते?

श्री अनंत कुमार : माननीय प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि वह राष्ट्रीय नदी जल नीति की घोषणा कर रहे हैं। उन्होंने इस बारे में कर्नाटक के दोनों सदनों को आश्वासन दिया है। लेकिन उस राष्ट्रीय नदी जल नीति की घोषणा नहीं की गई है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब श्री चित्त बसु बोलेंगे।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं श्री चित्त बसु को पहले भी बोलने के लिए बुला चुका हूं।

श्री अनंत कुमार, आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। अब आप अपना वक्तव्य समाप्त क्यों नहीं कर सकते?

श्री अनंत कुमार : सभी आश्वासन जनता को दिए गए हैं और सभी आश्वासन झूठे हैं। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन नहीं करता हूं।

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, माननीय सदस्य ने कुछ सदस्यों के नामों का उल्लेख किया है जो कि कर्नाटक में दूसरी सभा के सदस्य हैं। अतः उन्हें रिकार्ड से निकाल दिया जाना चाहिए...*(व्यवधान)* उन नामों को रिकार्ड से निकाल दिया जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री अनंत कुमार, आप उन सदस्यों के नामों का हवाला नहीं दे सकते जो इस सभा के सदस्य नहीं हैं। अतः मैं कार्यवाही वृत्तान्त पर गौर करूंगा। यदि यह पाया गया कि कुछ बातें असंसदीय हैं अथवा यहां उनका उल्लेख नहीं किया जा सकता, तो उन्हें कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाएगा।

श्री अनंत कुमार : मैंने कोई असंसदीय शब्द नहीं बोला है।

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैंने कहा है 'यदि'।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, मैं प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं? बोलने का समय कहां है?

सभापति महोदय : आप आरम्भ करिए। तत्पश्चात् सभा स्थगित कर दी जाएगी।

श्री चित्त बसु : महोदय, मैं राष्टपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए उठा हूं जो कि उन्होंने बहुत ही प्रतिभाशाली शब्दों में दिया है।

सभापति महोदय : आप अपना वक्तव्य कल जारी रख सकते हैं।

सभा कल 28 फरवरी, 1997 को 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 6.03 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार 28 फरवरी, 1997/ 9 फाल्गुन 1918 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।